खण्ड-391, अंक-1
सोमवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(13 मार्च, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 391 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्यपाल, मन्त्रि परिषद् तथा नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी, अधिष्ठाता मण्डल	ग
उपस्थित सदस्य	च
सदन में कोरम का अभाव	1
प्रश्नोत्तर	1–106
अन्य प्रदेशों से आयुर्वेद स्नातक डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में चिकित्साधिकारी पद हेतु अर्ह न माने जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जिला बांदा की नरैनी तहसील के अन्तर्गत रसिन बांध के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद सीतापुर के खैराबाद ब्लाक की क्षेत्र निधि के दुरुपयोग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जिला मथुरा के मांट क्षेत्र में सड़कों के लेपन स्तर तक पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद गोंडा की रेलवे कालोनी निवासी कुमारी नीतू चक्रवर्ती की गुमशुदगी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद मुरादाबाद में गजरौला से नजीबाबाद आदि मार्ग पर स्थिति रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
जिला गाजीपुर के बाराचवर ब्लाक में अमहट से साधु की कुटिया तक के मार्ग को पक्का कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
श्री भगौती सिंह विधायक पर हजरतगंज में सरकारी प्लेट लगी गाड़ी में सवार गुण्डों द्वारा हमला कर घायल करने के संबंध मेंऔचित्य का प्रश्न	109
प्रश्नों के संबंध में उन्नाव के सहकारी निबन्धक द्वारा लिखे पत्र के संबंध में औचित्य का प्रश्न	113
दो भूतपूर्व विधायकों सर्वश्री कैलाश सिंह (बलिया) व रणवीर सिंह यादव ललितपुर की मृत्यु की सूचना जिलाधिकारियों द्वारा न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	114
दारुलशफा में शराबियों के उत्पात के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	116
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	117
वित्तीय वर्ष, 1989–90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या–3 आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास), अनुदान संख्या–2 आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) .. जारी	139
श्री हृदय नरायन दीक्षित को आज की कार्यवाही के शेष समय तक के लिये निलम्बन का प्रस्ताव	194
वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या–3 आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास), अनुदान संख्या–2 आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) (स्वीकृत)	195

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 202

जनपद जौनपुर, तहसील मछली शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हजारों रुपये की दवाइयों के खराब होने एवं घोटाला किये जाने के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य 202

दिनांक 25 फरवरी, 1989 की रात्रि में वन (संरक्षण) अधिनियम के विरुद्ध आन्दोलन रत लोहा घाट चम्पावत क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा निर्मम लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा 207

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अराजकता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा 216

सत्यियां 238

विधान सभा

राज्यपाल

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ

मंत्रि-परिषद्

1--श्री नारायण दत्त तिवारी, मुख्य मंत्री ।	सामान्य प्रशासन, आवास, प्राविधिक शिक्षा विज्ञान एवं प्रोद्योग, पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, पर्वतीय विकास, नागरिक उड्डयन, वित्त, सांस्कृतिक कार्य, सूचना, पूर्त धर्मस्व, आबकारी एवं मद्य निषेध, उद्योग मंत्री ।
2--श्री बलदेव सिंह आर्य	नगर विकास मंत्री ।
3--श्री लोकपति त्रिपाठी	सिंचाई मंत्री ।
4--श्री अजीत प्रताप सिंह	वन मंत्री ।
5--श्री नरेन्द्र सिंह	ऊर्जा एवं बीस सूत्री कार्यक्रम मंत्री ।
6--श्री अम्मार रिजवी	सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री ।
7--श्री गोपी नाथ दीक्षित	जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री ।
8--श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी	शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री ।
9--श्री श्याम सूरत उपाध्याय	ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री ।
10--सैयद सईदुल हसन	श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री ।
11--श्रीमती सुशीला रोहतगी	गृह मंत्री ।
12--श्री अरुण कुमार सिंह	दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री ।
13--श्री हुकुम सिंह	खाद्य एवं रसद मंत्री ।
14--श्रीमती बेनी बाई	लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री ।
15--श्री रघुवीर सिंह यादव	नियोजन मंत्री ।
16--श्री कृष्णवीर सिंह कौशल	कृषि मंत्री ।
17--श्री माता प्रसाद	राजस्व मंत्री ।

राज्य मंत्री

1--श्रीमती दीपा कौल	हरिजन एवं समाज कल्याण ।
2--श्री ओम प्रकाश रिछारिया	न्याय एवं विधायिका, वित्त, संस्थागत वित्त, बिक्रीकर, मनोरंजन कर, पंजीयन, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क ।
3--श्री संकठा प्रसाद शास्त्री	गन्ना विकास, गृह ।
4--श्री मानपाल सिंह	जेल, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा, राजनीतिक पेंशन ।
5--श्री समर पाल सिंह	सहकारिता ।
6--श्री प्रमोद तिवारी	परिवहन ।
7--श्री मुईद अहमद	सिंचाई ।
8--श्री नरेश चन्द्र	नगर विकास, सूचना, संसदीय कार्य ।
9--श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	शिक्षा ।
10--श्री बिहारी लाल दोहरे	स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिशुकल्याण, महिला कल्याण ।
11--श्री चेतराम गंगवार	बीस सूत्री कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण ।

12—श्री सीताराम निषाद	..	राजस्व, प्रांतीय विकास दल, राष्ट्रीय एकीकरण।
13—श्री जगदम्बिका पाल	..	शिक्षा, वन, संसदीय कार्य।
14—श्री शिव बालक पासी	..	कृषि।
15—श्री मौरी शंकर	..	नियोजन, ग्राम्य विकास, प्रोटोकाल।
16—श्री सईदुज्जमा	..	गृह।
17—श्री राम औतार दीक्षित	..	ऊर्जा।
18—श्री गुलाब सिंह	..	पर्यटन, पर्वतीय विकास।
19—श्री कोकब हमीद	..	ऊर्जा, खाद्य तथा रसद।
20—अजीत सिंह सेठी	..	शिक्षा, नगर विकास।
21—श्री बृजेन्द्र पाल सिंह यादव	..	श्रम, दुग्ध विकास।
22—श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा	..	सार्वजनिक निर्माण।
23—श्री श्रीनाथ सिंह	..	आवास, जल सम्पूर्ति, क्षेत्रीय विकास।

उप मंत्री

1—श्रीमती हितेश कुमारी	..	सिंचाई।
2—श्री निसार हुसैन	..	लघु उद्योग, गन्ना।
3—श्रीमती प्रेमिला बद्धवार मेहरा	..	परिवहन, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य।
4—श्री शैलेन्द्र कुमार	..	हरिजन एवं समाज कल्याण, वन।
5—श्रीमती रीना कुमारी	..	ऊर्जा।
6—श्री राम दुलार यादव	..	बीस सूत्रीय कार्यक्रम, सहकारिता।

नेता विरोधी दल

श्री सत्यपाल सिंह

अधिष्ठाता मण्डल

1—श्री खान गुफरान जाहिदी (फतेहपुर)
2—श्री राम सकल तिवारी (देवरिया)
3—श्री कर्नल केशरी सिंह (बस्ती)
4—श्री मनहरन नाथ कौल (बहराइच)
5—श्री भगवती सिंह विशारद (उन्नाव)
6—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय (गोण्डा)
7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (सीतापुर)
8—श्री रघुबर दयाल वर्मा (आगरा)
9—श्री राम शरण दास (सहारनपुर)
10—श्री कौशिक रमाशंकर (मुरादाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री नियाज हसन

उपाध्यक्ष

श्री त्रिलोक चन्द्र

सचिव

श्री माल चन्द्र शुक्ल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजकर 10 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	मंगल देव, श्री	गोण्डा
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	रतन स्वरूप राही, श्री	बुलन्दशहर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	राजीव कुमार सिंह, श्री	वाराबंकी
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
गोपीनाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद	रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
गौरी शंकर, श्री	इटावा	राम सजीवन श्री	बांदा
चन्द्र मान मौर्य, श्री	आगरा	रेवती रमण सिंह, कुंवर,	इलाहाबाद
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
त्रियुगी नारायण मिश्र, श्री	गोरखपुर	शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
देव कुमार यादव, श्री	बांदा	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
नानक चन्द आजाद, श्री	मेरठ	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सरस्वती देवी, श्रीमती	अल्मोड़ा
निसार हुसैन, श्री	रामपुर	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
बलदेव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी	सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री	बुलन्दशहर	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर	हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर
भगौती सिंह, श्री	लखनऊ	हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदन में कोरम का अभाव

(सदन की कार्यवाही 10 मिनट विलम्ब से शुरू होने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, कोरम पूरा न होने के कारण आप भी देर से आये?

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह अफसोस की बात है की हमारे कीमती 10 मिनट कोरम पूरा न होने के कारण बर्बाद हो गये। कम से कम आपके मंत्री-परिषद् के लोगों को, कोरम के समय तो उपस्थित रहना चाहिए।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा का पालन होगा और मैं मंत्री मण्डल के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कोरम के समय यहां अवश्य उपस्थित रहा करें।

प्रश्नोत्तर

सोमवार दिनांक 13 मार्च, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों की मरम्मत तथा उनके संचालन स्थलों से हटाने के संबंध में शासन की नीति

****1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों की मरम्मत और उनके मूल संचालन स्थलों से हटाने के बारे में शासन की नीति क्या है? क्या यह सही है कि जनपद फैजाबाद के मियांव ब्लाक में स्थित प्राइमरी पाठशाला मिर्जापुर कौवरहा के भवन की मरम्मत हेतु विकास खण्ड से प्राप्त धन का संबंधित गांव सभा प्रधान तथा शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों ने मिलकर भवन का दुरुपयोग कर लिया है जिस पर परदा डालने के लिए प्रधानाध्यापक राजदेव सिंह ने नियमों और शासनादेशों के विपरीत विद्यालय को उसके मूल संचालन स्थल से (जहां पर उक्त विद्यालय खुलने के दिन से दिनांक 11-5-88 तक संचालित था) दिनांक 12-5-88 को हटाकर अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया है ? क्या यह भी सही है कि क्षेत्रीय जनता के व्यापक विरोध पर अब विभागीय अधिकारीगण नये और पुराने दोनों समिति के प्रस्ताव पर बेसिक शिक्षा-परिषद् उ0 प्र0 के अनुमोदन के उपरान्त किया जाता ही स्थलों पर उसी नाम से विद्यालय चलवा रहे हैं ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और दोषी लोगों को दण्डित करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

विद्यालय रख-रखाव खाता में उपलब्ध धनराशि की सीमा के अन्तर्गत एक हजार रुपया तक की लागत का मरम्मत कार्य ग्राम्य शिक्षा समिति अथवा नगर शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त विद्यालय स्तर पर कराये जाने की व्यवस्था है। एक हजार रुपये से अधिक लागत की मरम्मत का कार्य हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से किया जा सकेगा।

मूल संचालन स्थल से प्राइमरी पाठशालाओं का स्थानान्तरण जिला बेसिक शिक्षा समिति के प्रस्ताव पर बेसिक शिक्षा-परिषद् उ0 प्र0 के अनुमोदन के उपरान्त किया जाता है।

जी नहीं ।

विद्यालय स्थानान्तरित नहीं किया गया है, अपितु मूल स्थान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर निर्मित नये कमरे में विद्यालय की कुछ कक्षाएं संचालित की जा रही है, तथा ग्राम कविरहा के ग्राम वासियों के अनुरोध पर दो अध्यापकों द्वारा छोटे बच्चों को मूल स्थान पर ही पढ़ाया जा रहा है । इस प्रकरण में कोई दोषी नहीं है । अस्तु किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, 10 हजार रुपया भियावां ब्लाक से इस स्कूल की मरम्मत के लिए मिला था और वह रुपया स्कूल समिति की सिफारिश एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बाद ही खर्च किया जाना चाहिए था । यह नया निर्मित स्थान मूल स्थान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। यह जिस नये निर्मित कमरे का जिक्र है वह पंचायत घर है? क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है? और यदि हां, तो क्या इस मामले में पूर्व स्वीकृति बी0 एस0 ए0 की ली गयी थी तथा क्या शिक्षा समिति का कोई प्रस्ताव था और जब दोनों स्थान मूल और पुराना स्थान दो गांव सभाओं में हैं और दोनों के अलग-अलग राजस्व नम्बर हैं, ऐसी स्थिति में क्या नियमतः इसके लिए स्वीकृति दी जा सकती है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जहां तक 10 हजार रुपये वाले कमरे की बात है, उसके सम्बन्ध में जिले से जो जानकारी आई है, उसके अनुसार भवन निर्माण का सम्बन्ध शिक्षा विभाग से नहीं था, यह पैसा ब्लाक से ग्राम प्रधान को दिया गया था, वर्ष 1983 में और ग्राम प्रधान की इच्छा के अनुसार पंचायत घर के पास ही कमरा बनवा दिया गया, जो 19.6×8.10 फीट का है । अब 100 मीटर की दूरी पर बच्चे जाकर पढ़ने लगे । यह कमरा शिक्षा विभाग की ओर से नहीं बनवाया गया था, यहां तक मेरी जानकारी है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, 10 हजार रुपया स्कूल की मरम्मत के लिए दिया गया था और इसमें बेसिक शिक्षा परिषद् से कोई अनुमति नहीं ली गयी । यह पैसा एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अंतर्गत दिया गया था । श्री तिवारी जी का कहना यह है कि मरम्मत के लिए दिये गये पैसे का दुरुपयोग हुआ । मंत्री जी के पास जो सूचना है, वह गलत है, तो क्या इस तथ्य की जानकारी करायेंगी कि 10 हजार रुपये का गलत इस्तेमाल किया गया और उसके जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मेरा सविनय निवेदन है कि 10 हजार रुपये का एक कमरा, शिक्षा विभाग से बिना पूछे, ग्राम प्रधान ने ग्रामीण लोगों की राय से बनवाया और उसमें अब बच्चे पढ़ रहे हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि एक बात तो कमरे के पैसे की है, दूसरा प्रश्न यह है कि बिना बेसिक शिक्षा परिषद् की पूर्व अनुमति के नया विद्यालय के स्थान पर दूसरा विद्यालय बनवाने के लिए स्थान परिवर्तन इनकी स्वीकृति के बिना हो ही नहीं सकता और मंत्री जी दोनों को मिलाकर उत्तर दे रही हैं । मेरा कहना यह है कि पैसा मरम्मत के लिए दिया गया था, उसका उपयोग ही नहीं किया गया, प्रधान इस पैसे को खा गया । तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, प्रधान पैसा खा गया, इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है लेकिन 10 हजार रुपये का एक सुन्दर बड़ा कमरा 19.6×8.10 फीट का बना, जिसमें ऊंची क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं । वर्ष 1947 में ब्रह्मसनाय किसलपुरा, कीबरहा में एक स्कूल लग रहा है, छोटे बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वह दूर नहीं जा सकते, वहां से कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया है । जो दूसरा कमरा बन गया, वहां बड़े बच्चों के क्लास लग रहे हैं ।

श्री अमिताभ लवानियां–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उनको रख रखाव के लिए एन0 आर0 ई0 पी0 या किसी अन्य बजट का 10 हजार रुपया मिला, तो क्या शासन की ऐसी कोई नीति है, या बनाने जा रहे हैं कि जो प्राथमिक विद्यालयों के रख-रखाव के लिए धन आवंटित किया जाता है, क्या उसे प्रधान के खाते में जमा कर, प्रधान उसे अन्य कार्य में प्रयोग कर सकते हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया कि जो शिक्षा विभाग से पैसा दिया जाता है वह रख-रखाव के लिए दिया जाता है । उसमें ग्रामीण शिक्षा समिति के अनुमोदन के बाद प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान मिलकर, यदि हजार रुपए से कम है, तो, उसे मरम्मत के काम को करते हैं । यह पैसा ब्लाक की तरफ से प्रधान को दिया गया था । उसने अपने विवेक के अनुसार और ग्रामवासियों की इच्छानुसार एक कमरा बनवा दिया । बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं । पहली दूसरी व तीसरी कक्षा के बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं जहां 1947 में सेन्टर था । 70 करोड़ रुपए के लगभग हमने बजट में स्कूलों को बनवाने के लिए निर्धारित किया है । अगर आपका यह सुझाव है कि 1947 में जहां सेन्टर था, वहां पर कमरा नहीं है तो इस विषय पर हम अवश्य विचार करेंगे । हम ग्रामीण शिक्षा समिति से कहेंगे कि जिलों से जो धन आवंटित हो रहा है, उसमें से धन लेकर यहां पर भी एक प्राथमिक विद्यालय का भवन बना दिया जाय ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर, यह 10 हजार रुपए मरम्मत के लिए दिया गया है । माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि वह एन0 आर0 ई0 पी0 से गया है । मरम्मत की योजना भी चल रही है और निर्माण की योजना भी चल रही है। दोनों कामों को आर0ई0एस0 के माध्यम से ब्लाक द्वारा कराया जा रहा है। हमें यह जानना है कि यह 10 हजार रुपए मरम्मत के लिए मिला था या निर्माण के लिए मिला था। अगर मरम्मत के लिए मिला था, माननीय मंत्री जी की ही बात को सही मान लिया जाय कि एक अन्य जगह नया कमरा बना दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ग्राम प्रधान की अपने विवेक से सारे नियमों/कानूनों व शासकीय निर्देशों को ताक पर रखकर काम करने की अनुमति दी जायेगी । दूसरा, माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि अगर एक हजार रुपए से ज्यादा का काम है तो शिक्षा समिति के प्रस्ताव और उस पर बी0 एस0 ए0 की पूर्व स्वीकृति होगी । परन्तु ये दोनों काम नहीं किए गये । क्या माननीय मंत्री जी को यह भी मालूम है कि जो नया मकान बनाया हुआ दिखाया गया है, वह पंचायत घर था और दूसरी गांव सभा में था और दूसरे की भूमि पर है । इसलिए मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । जब गांव वालों ने लिखित शिकायत कि तो उस भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है । जो लोग इसमें दोषी हैं, क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, यह 10 हजार रुपए ब्लाक की तरफ से ग्राम प्रधान को मिले थे। जहां तक मुझे जानकारी है पैसा शिक्षा के लिए दिया जाता है । इतना विवेक ग्राम प्रधान के ऊपर है कि वह सुद्धीकरण करें । यह भी हो सकता है कि जो भवन पुराने व जर-जर हो गये हैं तो ग्राम प्रधान ने नया कमरा बनाना उचित समझा हो । हो सकता है कि उस समय 10 हजार रुपये में कमरा बना जाता हो । अगर माननीय श्री तिवारी जी को कोई शंका है तो हम इसकी जांच करवा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस तरह से माननीय मंत्री जी उत्तर दे रही हैं, उस हिसाब से देखा जाय तो आर0 ई0 एस0 द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं, शासन के जो नियम हैं, उनका क्रियान्वयन भ्रष्टाचार में बदल जायेगा । माननीय मंत्री जी ने खुद बताया कि एक नियम है । 10 हजार रुपए पर शिक्षा समिति का प्रस्ताव होना चाहिए था और उसका एक नजरिया नक्शा बनना चाहिए और उस पर शिक्षा विभाग की स्वीकृति होनी चाहिए थी । शासन ने यह अच्छा काम इसलिए किया कि ग्राम प्रधान किसी की जमीन पर भवन न बना दे और उससे कहीं अनावश्यक विवाद पैदा न हो जाय । माननीय श्री तिवारी जी ने बताया कि जिस स्कूल का माननीय मंत्री जी जिक्र कर रही हैं, वह एक पंचायत घर था, परन्तु स्कूल के नाम पर उसका भुगतान कर दिया गया । क्या माननीय मंत्री जी किसी को मुख्यालय से भेजकर इस पूरे प्रकरण की जांच करवायेंगी । ताकि भविष्य में इस तरह से नियमों की अवहेलना न हो सके इसको रोकने का वह कोई प्रयास करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैंने तो पहले ही निवेदन कर दिया कि जांच करवा ली जायगी । मुझे बहुत खुशी

है कि भ्रष्टाचार दूर करने में आप दिलचस्पी ले रहे हैं। यह मेरा काम है लेकिन आप मार्ग दर्शन कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है।

नगर महापालिकाओं के चुनाव से पूर्व इलाहाबाद में गृह मूल्यांकन कार्य रुकवाने की कार्यवाही

**2–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शेष नगर महापालिकाओं के चुनाव कब तक कराये जाने की योजना है तथा क्या चुनाव पूर्ण होने तक इलाहाबाद नगर का गृह मुल्यांकन कार्य रुकवाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास, जल सम्पूर्ति एवं क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री (श्री श्रीनाथ सिंह)–

प्रदेश की शेष दो नगर महापालिकाओं इलाहाबाद तथा लखनऊ में शीघ्र चुनाव कराया जाना प्रस्तावित है। इलाहाबाद नगर के गृह मूल्यांकन का कार्य चुनावपूर्ण होने तक रोकना सम्भव नहीं है क्यों कि इससे महापालिका की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

इलाहाबाद और लखनऊ नगर महापालिकाओं के चुनाव को छोड़कर प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों के चुनाव सम्पन्न हो गये हैं। इलाहाबाद में कुम्भ के कारण और लखनऊ में वार्डों के परिसीमन के न हो पाने के कारण, ये चुनाव स्थगित किये गये थे। कुम्भ मेला पूर्ण हो चुका है, वार्डों का परिसीमन पूर्ण हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तो अब किस तारीख को चुनाव करायेंगे ? दूसरी बात, यदि चुनाव नहीं होता तो चूंकि कर लगाने का अधिकार जनतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को होता है, ऐसी स्थिति में यदि शीघ्र ही चुनाव करवाने जा रहे हैं तो इलाहाबाद नगर महापालिका द्वारा जो कर मूल्यांकन का काम हो रहा है क्या उसको रुकवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्या जनतांत्रिक व्यवस्था में जन-प्रतिनिधियों का जो अधिकार है, उसको नकारना चाहते हैं ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

माननीय, चुनाव 30 जून के पहले करा लिये जायेंगे। जहां तक कर मूल्यांकन का सवाल है, इस सम्बन्ध में माननीय विधायक जी ने एक रिट दाखिल की थी, जिसमें "स्टे" भी मिला था, बाद में वह "स्टे" "वैकेट" भी कर दिया था। विश्व बैंक से धन लेकर सारे विकास के कार्य चले रहे हैं। चूंकि लौटाना भी पड़ता है, इसलिये मूल्यांकन का कार्य नहीं रोक सकते।

श्री मुहम्मद आजम खां–

चूंकि आपने धन की बात कही है, क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि कितने सालों से महापालिका कर्जदार है और "मैचिंग ग्राण्ट" कितने साल से आपने उसे नहीं दी है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो एक अलग सवाल हो गया।

श्री मुहम्मद आजम खां–

यह अलग नहीं है, मान्यवर । होता यह है कि जो ग्राण्ट सरकार से मिलती है, अगर मैचिंग ग्राण्ट न मिले, तो वह लैप्स हो जाती है । मेरा कहना यह है कि आप इसलिये एसेसमेण्ट करा रहे हैं कि माली हालत अच्छी नहीं है । यह जानना जरूरी है कि पहले आपकी माली हालत क्या थी, अगर पहले खराब थी तो बहुत पहले एसेसमेन्ट होना चाहिये था ।

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में माननीय विधायक जी को उच्च न्यायालय से "स्टे" मिला था मूल्यांकन का कार्य रुकवाने के सिलसिले में, लेकिन शासन ने "वैकेट" कराने में जो तर्क लिया था कि जो योजनायें चल रही हैं, वे रुक जायेंगी, इसको देखते हुए और मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एसेसमेण्ट नहीं रोका जायगा।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी का सीधा प्रश्न था कि जब चुनी हुई समिति आ जायगी तो कर का निर्धारण करेगी क्योंकि कर का निर्धारण चुने हुए लोगों के माध्यम से ही होता है, आपने अभी कहा भी कि 30 जून से पहले चुनाव करा लिये जायेंगे । नगरमहापालिका, वाराणसी का चुनाव नहीं हुआ था, वहां का कर मूल्यांकन रोक दिया था, तो क्या माननीय मंत्री जी इलाहाबाद जनपद का गृह मूल्यांकन 20 जून तक स्थगित करा देंगे और उसके बाद जो संस्था आयेगी वह कर को निर्धारित करेगी। चूंकि 14 जून के बाद मानसून आ जाता है, मैं समझता हूं कि अगर जून के पहले सप्ताह तक यदि तारीख नहीं मुकर्रर कर देते हैं तो फिर कठिनाई हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कह तो दिया है कि जून तक चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने याचिका का प्रश्न उठाया, याचिका में जहां तक मेरे संज्ञान में है इस प्रकार का कोई भी आदेश नहीं दिया गया था कि गृह मूल्यांकन वसूल किया जाय। मैंने जो याचिका दाखिल की थी, हाईकोर्ट का निणय हुआ था कि जब तक चुनाव न हो जायं, गृह कर न लगाया जाय। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ल्ड बैंक से लोन लेना था और उसकी प्रक्रिया चल रही थी तो इन्होंने उच्च न्यायालय से याचना की फिर वर्ल्ड बैंक हमें लोन नहीं देगा अगर हम गृह मूल्यांकन नहीं करेंगे। इसीलिये गृह मूल्यांकन की प्रक्रिया को चलने दिया जाय हम केवल सुनवाई ही करेंगे और फिर चुनाव के बाद जब नये प्रतिनिधि आयेंगे तभी हम उसे लगायेंगे। जहां तक मुझे स्मरण है कि उच्च न्यायालय का आदेश यह था कि ये गृह-कर नहीं लगायेंगे। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इलाहाबाद में वर्ल्ड बैंक की कौन-कौन सी योजनायें कार्यान्वित की गयी हैं और उस पर कहां तक कार्य किया गया है?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, इस पर सूचना की आवश्यकता है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न 30 जनवरी का है और इसको आप इतने हल्के ढंग से ले रहे हैं, यह नीतिगत प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करायेंगे टैक्स न लेने के सम्बन्ध में?

श्री अध्यक्ष–

अब इसमें निर्णय को देखना पड़ेगा कि क्या जजमेन्ट हुआ है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इसका उत्तर आप दिलवा दें।

श्री श्रीनाथ सिंह–

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी से अनुरोध है कि वे मेरे यहां आ जायें। जहां तक चुनाव की बात है, वह मई तक करा देंगे। बीच में एक-डेढ़ महीने का समय है। उच्च न्यायालय का निर्माण तो सर्वमान्य है, इसके विपरीत तो किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है कि निर्णय के विरुद्ध जाय। उसके निर्णय का निश्चित रूप से पालन किया जायेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

शिक्षक दिवस पर सम्मानित शिक्षकों की सूची में प्रदेश के शिक्षकों के नाम न होने के कारण एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु शासन द्वारा किये जा रहे उपाय

*1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार को जानकारी है कि गत वर्ष शिक्षक दिवस पर देश भर के एक सौ इकसठ सम्मानित किये गये शिक्षकों की सूची में उत्तर प्रदेश के एक भी शिक्षक का नाम नहीं है? यदि हां, तो प्रदेश में शिक्षा के इस गिरते हुए स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है और वर्तमान स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार के लिये नाम भेजे गये थे किन्तु केन्द्रीय सरकार ने और अधिक अध्यापकों के नामों की अपेक्षा की है, जो भेजे जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि यहां से कितने अध्यापकों के नाम भेजे गये थे? क्या उनमें से किसी पर विचार हुआ या नहीं? या विचार करने के बाद योग्यता के मानक के अनुरूप वे नहीं आये जिसके कारण आपने पूरी लिस्ट को अस्वीकार कर दिया। क्या स्थिति है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जब से यह योजना प्रारम्भ हुई है तब से उनका जो क्राईटेरिया था कि दस प्राथमिक पाठशालाओं के नाम और 6 माध्यमिक विद्यालयों के नाम और 6 माध्यमिक

शिक्षा के तथा संस्कृत उर्दू और अरबी के अलग, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही एक पत्र भी लिखा था 2 फरवरी, 1988 को जिसको उन्होंने इतने ही नाम मांगे थे फिर 1-5-88 को दूसरा पत्र आया जिसमें कुछ नाम और मांगें, वह हमने फिर भेज दिए, उनका कोई रिजेक्शन हमारे पास आया नहीं जिससे हमें पूरा विश्वास है कि हमारे अध्यापकों को पूरी तरह से सम्मानित किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, शिक्षा विभाग पर भगवान ही कृपा करें, सवाल इधर से यह पूछा गया था कि गत वर्ष शिक्षक दिवस पर देश भर के एक सौ इकसठ सम्मानित किये गये शिक्षकों में उत्तर प्रदेश का एक भी शिक्षक का नाम नहीं आया है। मान्यवर होता यह है कि पूरे देश के तमाम राज्यों में नाम शिक्षकों के आते हैं, और जो उनमें अच्छे पाये जाते हैं, उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है, लेकिन यहां (उत्तर प्रदेश) का एक भी शिक्षक इस योग्य नहीं समझा गया और माननीय मंत्री जी जो उत्तर दे रही हैं कि और नाम मांगे गये, वह तो अगले वर्ष के लिए नाम मांगें जा रहे हैं, उसका पुरस्कार अगले वर्ष मिलेगा, लेकिन पिछला वर्ष ऐसे ही निकल गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है हमारे इस गिरते हुए शिक्षा का कौन जिम्मेदार होगा और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार कोई विचार कर रही है या नहीं ताकि कुछ गुणात्मक सुधार आ सके।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

हमारे यहां की शिक्षा स्तर में कोई गिरावट आयी है, ऐसा कोई प्रपोजल कंसीडर तो उन्होंने किया नहीं है, बल्कि यह सूचना मिली है कि और नाम भेज दिए जाएं और न ही उन नामों का कोई रिजेक्शन हमारे पास आया जो पहले भेजे गये थे, इसलिए हमें पूरा विश्वास है हमारे विकास के लिए हमारे शिक्षकों को पूरी तरह से सम्मानित अवश्य किया जायेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह स्वयं और उनकी सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान का स्तर बहुत अच्छा है और राष्ट्र के पटल पर इसकी तस्वीर रखने वाली है और इसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं यदि इसमें वह परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझती हैं तब तो मुझे कुछ कहना नहीं है और यदि वह स्वयं यह समझती हैं कि इसमें और सुधार लाने की आवश्यकता है और शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आ रही है, उस पर शीघ्र ही नियंत्रण करने की जरूरत है, तो उसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, यह बता दें?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

गुणात्मक सुधार का मान्यवर कोई अंत ही नहीं है, वैसे हमारे यहां प्रयास तो दिन पर दिन हो रहा है कि हम आगे की ओर बढ़ते रहें और विकास की ओर बढ़ते ही रहें और श्रीमन् वह हम बढ़ते चले जा रहे हैं इस ओर, और यही प्रयास हमारा आगे भी रहेगा . . . (हंसी)

श्री जवाहर लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवरिया में दफ्तरी के पद पर कार्यरत युवक को जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों के बावजूद वेतन का भुगतान

*2–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक (श्री राम आधार राव देवरिया) द्वारा श्री जवाहर लाल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिरासों, पो0 भागलपुर जनपद देवरिया में दफ्तरी के पद पर नव नियुक्त श्री बृजेश्वर यादव के वेतन भुगतान निरस्त करने संबंधी जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 27-8-87 के बावजूद भी वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया ने माह नवम्बर, 87 से वेतन भुगतान कराना प्रारम्भ कर दिया है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी उक्त वेतन भुगतान को तत्काल रोकवा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करते हुए न्याय दिलायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री राम अधार राव ने दिनांक 27-8-87 को इस संबंध में एक पत्र भेजा था किन्तु उक्त तिथि को श्री राव जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया नहीं थे बल्कि सहायक निदेशक के पद पर इलाहाबाद में कार्यरत थे। अतः उनके पत्र पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री वृजेश्वर यादव को वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री फरीद महफूज किदवई–

माननीय, पहली बात माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो उन्होंने उत्तर दिया है, उसमें कमी है। 27 तारीख को जो पत्र लिखा है उसमें श्री राय ने स्पष्ट किया है कि 26 तारीख को मैंने पत्र लिखा है लेकिन वह डाक से गायब कर दिया गया है तो इससे स्पष्ट है कि 26 तारीख को एक पत्र प्रधानाचार्य को लिखा है लेकिन वह गायब कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो सरकार का शासनादेश है उसमें स्पष्ट है कि पहले मौका अगर तरक्की होनी है तो जो उस विद्यालय में काम कर रहा है उसको देना चाहिये। जिस आदमी के बारे में मैं बात कर रहा हूं वह 17 साल से उस स्कूल में चपरासी के पद पर है तो उसको न लेकर बाहर के आदमी को ले लिया गया है, तो इसलिये तनाजा है क्या उसकी वह जांच करायेंगी कि 17 साल के आदमी को न लेकर बाहर से ले लिया है ऐसा क्यों किया गया है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

माननीय, विधायक जी ने 2 प्रश्न पूछे हैं तो एक प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रत्येक केन्द्र में और आफिस में 2 प्रकार से प्रोन्नतियां होती हैं एक सीधी भर्ती के द्वारा दूसरी प्रोन्नति के कोटे से। जहां तक प्रबंधक महोदय का कथन है उनका कहना है कि जो कुछ समय डी0 आई0 जी0 ओ0एस0 थे, उन्होंने यह कहा कि यह सीधी भर्ती का कोटा है, उनके कहने से सीधी भर्ती के द्वारा श्री यादव की नियुक्ति कर ली गयी और श्री राय ने यह भी लिखा कि उनको पेमेन्ट कर दिया जाय, उनको वेतन दिया जाये, इसका उन्होंने पत्र लिखा है। 18-8-87 का यह पत्र है कि श्री यादव को पेमेन्ट कर दिया जाये। श्री रामधार राय जो डी0 आई0 ओ0 एस0 थे।

जिन्होंने उनकी नियुक्ति की थी और जिन्होंने आर्डर किये थे कि पेमेन्ट किया जाय, 27-8-87 को लिखा कि पेमेन्ट न किया जाय, लेकिन तब वह डी0 आई0 ओ0 एस0 नहीं थे और अपना चार्ज 21-8-87 को दे चुके थे और प्रारम्भिक शिक्षा के निदेशालय में उनका प्रमोशन हो गया था । वह अब प्रारम्भिक पाठशाला निदेशालय में कार्यरत थे, उनको कोई अधिकार नहीं था कि डी0 आई0 ओ0 एस0 के अधिकार को लेकर कहते कि पेमेन्ट न किया जाय वह आर्डर जो उन्होंने दिया है वह नल एण्ड वायड है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहूंगा कि उन्होंने 3 पत्रों का जिक्र किया एक तो 20-9-86 का दूसरा 26-7-87 का और 3-11-87 का है। इनमें कहा गया है कि नियुक्ति गलत की गयी है इसको रद्द कर दिया जाय, तो ऐसे पत्र हैं या नहीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है? रुपया 11,144.60 उसको 1-1-88 को दिया गया है । चार साल गुजर गये हैं, इसमें कौन सा ऐसा कानूनी आधार था जिस पर ये साहब काम करते रहे बगैर किसी तनख्वाह के ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जो आपने कहा, वह पत्र श्री राम अधार राय ने लिखा । मैंने निवेदन किया कि वह पत्र उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 27-8-87 को लिखा कि पेमेंट न किया जाय । आप कह रहे हैं कि उसके बाद भी उन्होंने पत्र लिखे तो यह मेरे संज्ञान में नहीं है । यह 27-8-87 का ही पत्र है। उनको कोई अधिकार नहीं था जो उन्होंने डी0 आई0 ओ0 एस0 की हैसियत से नियुक्ति की थी और पेमेंट आर्डर दे दिया तो उसके पेमेंट को वे रोकते । उन्होंने गैर कानूनी तरीके से आर्डर भेजा । मान्यवर, यह मामला सब जुडिस है । श्री सत्तार ने ट्रिब्युनल में केस दायर किया हुआ है और विभाग ने भी हाईकोर्ट में रिट की हुई है । जो भी कोर्ट का निर्णय होगा, उसके अनुसार काम किया जायेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा था । मेरा प्रश्न यह था जिसमें मैंने तीन पत्रों का हवाला दिया था। मैं 27-8-87 के पत्र का हवाला नहीं दे रहा हूं । मैं पूछ रहा हूं 20-9-86, 26-7-87 और 3-11-87 के पत्रों के बारे में । दूसरा मैं यह पूछ रहा हूं कि जो उनको 15,144.60 रुपये दिनांक 1-1-88 को दिया गया वह कैसा दिया गया । इन चार सालों में बगैर तनख्वाह के किस अधिकार से ये साहब काम करते रहे । यह मेरे सीधे दो सवाल है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जो व्यक्ति काम करेगा और जिसका अप्वाइन्टमेंट हो चुका है तथा जिसका पेमेंट श्री राम अधार राय की लेखनी से हुआ है उसको तो पैसा मिलेगा ही चाहे प्रति मास मिले या वर्ष भर में मिले । उसको काम करने का पैसा मिलना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं अपने सारे सवाल वापस ले रहा हूं यदि मंत्राणी जी इस तरह के उत्तर दे रही हैं फिर सवाल पूछना ही बेकार है । यदि इनकी सरकारें इसी तरह से चल रही है तो हमें कुछ नहीं पूछना है ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

जो मैनेजमेंट कमेटी का रिजौल्यूशन हुआ है कि यह कोटा बाहर का है तो उसके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकती है कि यह कोटा बाहर से क्यों हुआ, अन्दर से प्रमोशन से क्यों नहीं किया जा रहा है ? मान्यवर, कुछ रिक्तियां ऐसी होती हैं जो बाहर से भरी जाती है और कुछ रिक्तियां काम करते हुए लोगों से ही भरी जाती हैं । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करेंगे कि जो रिक्त बाहर से भरी गई है वह शासनादेश के अनुसार है या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैंने निवेदन किया कि यह केस ट्रिब्यनल में है और हाई कोर्ट में भी चल रहा है । जो वहां से फैसला होगा वह हमें मंजूर है । अभी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब इस पर काफी सवाल हो गये ।

प्रदेश में जनपदीय/मण्डलीय कार्यालयों में कार्यरत सहायक कृषि पर्यवेक्षकों/सहायक पर्यवेक्षकों को एल0 टी0 वेतन क्रम से उप विद्यालय निरीक्षक वेतन देने का प्रस्ताव

*3–कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित पुनर्व्यवस्था योजना के अंतर्गत जनपदीय/मण्डलीय कार्यालयों में कार्यरत सहायक कृषि पर्यवेक्षकों/सहायक पर्यवेक्षकों को एल0 टी0 वेतन क्रम से उप जिला विद्यालय निरीक्षक वेतन क्रम देने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है तथा कब तक इस पर शासन निर्णय ले लेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद बांदा में भौरा नाले में चैक डैम बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

*1–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री छोटे लाल तिवारी ग्राम प्रधान रोली (कल्याणपुर) तहसील नरैनी जनपद बांदा का पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 1986 सिंचाई सुविधा के लिए भौरा नाला में चैक डैम बनवाने के सम्बन्ध

में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या भौरा नाला में चैक डैम बनवाने के लिए सर्वे करा कर रूप रेखा तैयार की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

जी हां ।

भौरा नाला पर रौली–1 चैकडैम का निर्माण (कल्याणपुर के समीप) वर्ष 1987-88 में कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव

*1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में चतुर्थ श्रेणी के कई पद रिक्त होने के बावजूद 17, 18 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित न करने व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रोन्नति दफ्तरी आदि पदों पर न किये जाने के क्या कारण है ? क्या इन लोगों को रिक्त पदों पर नियुक्ति करने व पदोन्नति करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी पद पर नियमित करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

पदोन्नति दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का कोई प्राविधान नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियुक्त करने का औचित्य क्या है और दूसरे उस समय कितने पद रिक्त थे, कितनों को प्रोन्नति दी गई और इस समय कितने पद रिक्त हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जब कभी-कभी काम बढ़ जाता है और जितने पद क्लीयर वैकेंसी में हैं उनसे अधिक काम हो जाता है तो उसके लिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते हैं और उनसे काम लिया जाता है ।

दूसरा यह कि कितने पद इस समय रिक्त हैं और कितने दैनिक भोगी हैं तो इस समय 35 दैनिक भोगी हैं । 1-1-88 से पूर्व के हैं यानी 1980 से 1-1-88 तक के हैं । आपने पूछा कि कितने खाली हैं तो 9 दफ्तरी थे जो प्रमोट

किये गये और एक क्लास फोर में से दफ्तरी के पद पर प्रमोट किया गया । इस तरह से 9+1=10 पद खाली हैं और चपरासी के 10 पद खाली हैं कुल मिला कर 29 पद रिक्त हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने अपने उत्तर में कहा है इस समय कुल 35 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी काम कर रहें हैं और निदेशालय में 29 पद रिक्त हैं । जब कि उनको जानकारी है कि लगातार 3 वर्ष तक जो काम कर रहे कर्मचारी हैं उनको नियमित कर दिया जाता है । तो मैं जानना चाहता हूं कि 29 रिक्त पदों में इन 35 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने में क्या कठिनाई है जो लम्बी सेवा से काम कर रहे हैं । तो कम से कम इन 29 पदों पर इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की कृपा करेगी और कब तक कर देंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जब भी कोई पद होता है जिसमें नियुक्ति करनी होती है उसमें ऐसा नहीं होता है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को रख दें । उसके लिये नियम बना है, उसकी प्रक्रिया होती है, पहले पोस्ट एडवरटाइज होती है उसके बाद सलैक्सन कमेटी द्वारा चयन होता है और जो चयनित हो जाता है वह चपरासी के पद पर नियुक्त होता है ।

दूसरी जो मैंने बात कही वह यह है कि चयन समिति नहीं बैठ रही है क्योंकि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने ट्रिब्युनल में चयन के अगेन्स्ट स्टे आर्डर लिया है और कोई भी चयन नहीं किया जा सकता है । इसलिए यह 29 पोस्टें नियमित रूप से नहीं भरी जा सकती हैं क्योंकि केस ट्रिब्युनल में है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1980 से लेकर 1988 तक 35 दैनिक भोगी कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं । तो जब शासनादेश है कि 3 वर्ष तक या लगातार 240 दिन तक कोई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है तो उसे नियमित किया जाना चाहिए । तो उस नियम का पालन इनके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं और इनके विभाग के कर्मचारी अदालत में गये और उन्होंने इनकी चयन प्रक्रिया को नल एण्ड वाइड ठहरा दिया है । तो जो 29 पद रिक्त हैं उनको शासनादेश की उस प्रक्रिया के अनुसार कब तक पूरा कर देंगी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, ऐसा कोई नियम नहीं है कि दैनिक वेतन भोगी को जो 3 साल से काम कर रहा है उसको नियमित रूप से चपरासी कर दें । ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है । लेकिन आप लोग इस विषय पर जितने चिंतित हैं स्वाभाविक भी है हमें भी इस बात की चिंता है जितनी आपको चिंता है चिंतायें समान हैं, लेकिन यह कोर्ट में केस है, इसलिए वहीं से जो भी आर्डर होंगे उनका पालन करेंगे ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मंत्री जी शासनादेश को देखते हुए और चूंकि वह स्वयं चिंतित हैं, तो जो अदालत में वाद दायर किया है उनसे समझौता करके शीघ्र जनहित के हित में पदों को भरेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

एक केस कोर्ट में और एक ट्रिबुनल में विचाराधीन है, जैसे ही स्टे आर्डर वैकेट होगा हमारी समिति न्याय करेगी ।

लखनऊ महिला डिग्री कालेज के छात्रावास में भोजन की व्यवस्था

*2–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ महिला डिग्री कालेज में छात्राओं को छात्रावास में अत्यन्त रद्दी भोजन दिया जाता है तथा समय के अंदर आने वाली छात्राओं को भी ठीक से भोजन नहीं मिलता है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रतिमाह भोजन हेतु छात्राओं से कितना रुपया लिया जाता है ? भोजन व नास्ते का निश्चित समय क्या है ? एक दिन में भोजन में क्या दिया जाता है ? क्या मंत्री जी छात्रावास में भोजन व उसकी व्यवस्था की उच्चस्तरीय जांच करायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

छात्राओं से प्रतिमाह भोजन हेतु 200 रु0 प्रति छात्रा से लिया जाता है । सुबह का नाश्ता 7 से 8 बजे तक, दोपहर का भोजन साढ़े दस से साढ़े बारह तक, शाम का नाश्ता साढ़े चार बजे से साढ़े पांच बजे तक, शाम का खाना सात बजे से साढ़े आठ बजे तक दिया जाता है ।

रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दही, सलाद अथवा चटनी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर की साधन सहकारी समिति मानीकलां विकास खण्ड सोधी के कर्मचारियों द्वारा निकाली गई धनराशि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

*3–श्री दीनचन्द्र सोनकर–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति मानीकलां विकास खण्ड सोंधी जनपद जौनपुर के दिनांक 22-12-82 के चेक नं0 194135 द्वारा प्रश्नकर्ता के नाम 491 रुपया 05 पैसा का गलत ढंग से बीज व खाद के नाम पर धन निकाला गया है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी व अधिकारी के खिलाफ जिला रीजस्ट्रार साधन सहकारी समिति जौनपुर को जो शिकायत माह जनवरी, 1988 में की गयी थी उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समर पाल सिंह)–

जी हां । जांच में श्री सिद्ध नाथ दुबे सचिव को उत्तरदायी ठहराया गया चूंकि श्री दुबे को इसके पूर्व ही अनियमितताओं/अपहरण तथा समिति कार्य क्षेत्र से गैर

हाजिर रहने के आरोप में दिनांक 21-3-1985 को सेवाच्युत कर दिया गया था इसलिए इस प्रकरण में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री दीपचन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैंने प्रश्न क्या किया और उत्तर दूसरा दिया । प्रश्न मेरा था कि क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति मानीकलां विकास खण्ड सैदी, जौनपुर के दिनांक 22-12-82 के चेक नं0 194135 द्वारा प्रश्नकर्ता के नाम 491.05 रुपये का गलत ढंग से बीज व खाद के नाम पर धन निकाला गया है ? तो मैं जानना चाहता हूं कि जो 491.05 रुपये खाद और बीज के नाम निकाला गया, इस पर क्या कार्यवाही मंत्री जी करेंगे ?

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, ज्योंही शिकायत मिली थी उसकी जांच कराई गयी और जांच में वही पाया गया जो मैंने पढ़कर सुनाया कि वह रुपया सोनकर साहब की तरफ वाजिब नहीं होता है, चूंकि न एप्लीकेशन, न उस चेक पर हस्ताक्षर है और न वह चेक समायोजित हुआ है । लेकिन एक कट्टा यूरिया, एक डी0 पी0 ए0 और पोटाश का 491.05 रुपये होता है दिखाया गया है किन्तु जांच में इनकी तरफ जाना नहीं पाया गया तो उसके लिए माननीय सदस्य देने के लिए बाध्य नहीं है ।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 491.05 रुपये जो माननीय सदस्य के नाम निकाला और जांच में सचिव दोषी पाये गये जिसको आपने 1985 में पदमुक्त कर दिया, तो क्या पद मुक्त करने से धन की वसूली हो गयी ? यदि नहीं, तो उसके खिलाफ कोई एफ0 आई0 आर0 कराई गयी और क्या धन उससे वसूला जायेगा ?

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य इस रुपये के देनदार नहीं है । यह मामला साधन सहकारी समिति और समिति के वेतन भोगी कर्मचारी के बीच में है और रुपया वसूल करने की जो भी कार्यवाही उचित होगी अवश्य की जायेगी ।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद जौनपुर में 1982-85 में साधन सहकारी समिति के भवन बनाने के लिए विश्व बैंक से पैसा गया था और उसमें 32 भवनों हेतु जितने सचिवों द्वारा पैसा निकाला गया था उससे कहीं नींव और कहीं दीवाल बनायी गयी लेकिन आजतक वह भवन निर्माणाधीन पड़े हैं, तो सचिवों को निकाल देने से भवन नहीं बन पा रहे हैं । तो सन् 1982-83व 83-84 में जिन साधन सहकारी समीतियों के भवन बनाने के लिए धन गया था किन्तु वह विभिन्न सचिवों द्वारा निकाल लिया गया, क्या उनके भवन बनवाने के लिए मंत्री जी नया धन आवंटन करेंगे और उन सचिवों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री समर पाल सिंह–

यह प्रश्न मौजूदा प्रश्न की परिधि में नहीं आता है, लेकिन यदि ऐसे भवन नामुकम्मल हैं, तो उन्हें अवश्य मुकम्मल कराया जाएगा ।

श्री दीप चन्द्र सोनकर–

वर्ष 1980 से 88 तक, अब तक मानीकलां साधन सहकारी सीमित में खाद और बीज के नाम पर कितना धन निकाला गया, उसके नाम और पते आप दे दें ?

श्री समर पाल सिंह–

यह तो इतनी बड़ी सूची है, सारे जिले की सूची एकत्रित करेंगे तो मुश्किल होगी और इस प्रश्न के अंतर्गत यह आता भी नहीं है ।

(अगले प्रश्न संख्या 4, 5, 6 व 7 क्रम के लिये जाने पर सभी के मूल प्रश्नकर्ता अनुपस्थित पाए गए । तदुपरांत सदन में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के आने पर माननीय अध्यक्ष ने पुन: प्रश्न संख्या 4 लिया)

जनपद फैजाबाद में ब्लाक कर्मचारियों तथा बैंक कर्मचारियों के मिली भगत से करोड़ों रुपये का गबन

*4–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में भीटी ब्लाक में आई0 आर0 डी0 समेत विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को ऋण देने के नाम पर तथा कथित लाभार्थियों ब्लाक के कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के परिणाम स्वरूप केवल वर्ष 1987-88 में करोड़ों रुपये का गबन कर लिया गया है जिसका सत्यापन आई0 आर0 डी0 योजना के लिए ब्लाक में स्वीकृत दुकानों के क्रय विक्रय तथा बिक्रीकर के अभिलेखों की जांच से आसानी से किया जा सकता है जिनमें सामानों की खरीददारी किये बिना ही सम्बन्धित दुकानदारों द्वारा फर्जी तौर पर उनका बिक्री किया जाना दिखाया गया है और वर्ष भर में दर्शायी गयी बिक्री पर सेल्स टैक्स भी नहीं जमा किया गया है और फर्जी बाउचर बनाकर लाभार्थियों, बैंक कर्मियों और ब्लाक कर्मचारियों ने बिना कुछ किये ही सरकारी धन को बन्दर बांट कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त ब्लाक द्वारा वर्ष 1987-88 में विभिन्न बैंकों द्वारा आई0 आर0 डी0 योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बांटे गये ऋणों का भौतिक सत्यापन कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों में अक्सर जो जवाब आ रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है, अब तक एकत्र न कर पाने का कारण क्या है ? ऐसी कौन सी परेशानी है, जिनकी वजह से यह सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

इसमें कई जगह से सूचना आवश्यक है और तिवारी जी को मालूम है कि एक महीने से कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कागजात नहीं मिल पाते, सूचना नहीं तैयार होती है, इसीलिए विलम्ब हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न संख्या 5, 6 व 7 के सदस्य अब भी नहीं हैं । अब प्रश्न संख्या–8 ।

भूगर्भ जल विभाग द्वारा लाखों रुपए की रिग मशीन की खरीदारी के पश्चात भी बिना काम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर कार्यवाही

*5–कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि भूगर्भ जल विभाग की 6 रिग मशीनों द्वारा वर्ष 1987-88 में एक भी नलकूप (डिपाजिट पर) नहीं बनाया गया एवं कर्मचारियों को बिना कार्य के वेतन दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि निदेशक ने केन्द्रीय सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत सत्ताइस लाख की नई रिग मशीन का क्रय कर लिया है ? यदि हां, तो नई रिग मशीन के क्रय करने का क्या औचित्य है एवं क्या सरकार विभाग की मशीनों द्वारा लघु सिंचाई विभाग के नलकूपों का निर्माण कराये जाने की नीति अपनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं, वर्ष 1987-88 में डिपाजिट पर एक नलकूप बनाया गया तथा लक्ष्य के अनुसार अन्य अन्वेषणात्मक छिद्रण कार्य किये गये । अतः यह सही नहीं है कि कर्मचारियों को बिना कार्य के वेतन दिया गया ।

केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत भूगर्भ जल विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत नई डीप रिग मशीन का क्रय प्रदेश के समस्या ग्रस्त एवं खारे पानी वाले क्षेत्रों जहां अधिक गहराई पर ड्रिलिंग की आवश्यकता है, अन्वेषणात्मक छिद्रण कर नलकूपों के सफल निर्माण के उद्देश्य से किया गया है ।

भूगर्भ जल विभाग का मुख्य कार्य अन्वेषणात्मक छिद्रण है । विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार प्रदेश के समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में लघु सिंचाई विभाग एवं अन्य विभागों के नलकूपों का निर्माण भी कराया जाता है ।

जिला परिषदों के गठन के सम्बन्ध में शासन का निर्णय

*6–श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषदों के गठन के बारे में शासन ने क्या निर्णय लिये हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

अधिसूचना संख्या-8446 बी/33-2-185-जीं-88 दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 एवं अधिसूचना संख्या-81बी/33-2-185-जी-88 दिनांक 14 जनवरी, 1989 के अनुसार प्रदेश की 47 जिला परिषदों का गठन/पुनर्गठन किया जा चुका है । शेष जिला परिषदों का गठन/पुनर्गठन शासन के विचाराधीन है ?

जनपद बलिया में प्रत्येक विकास खण्ड में नवनिर्मित बेसिक शिक्षा विद्यालयों की संख्या

*7–श्री मैनेजर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष बलिया जनपद में प्रत्येक विकास खण्ड के अंतर्गत आठ बे0 शि0 विद्यालय भवन ग्रा0 अभि0 सेवा द्वारा नया बनाने की स्वीकृति थी ? यदि हां, तो प्रत्येक ब्लाक में कौन-कौन विद्यालय भवन निर्मित हुए और कितने नहीं हुए और क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य के प्राइमरी स्कूलों में प्रवेश के प्रतिशत में आई कमी के निवारण हेतु योजना

*8–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य में प्राइमरी स्कूलों में प्रवेश का प्रतिशत पिछले पांच सालों में घटा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या में बृद्धि क्यों नहीं हो रही है ? क्या सरकार के पास वर्तमान प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था के विकल्प का कोई प्रारूप विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

इसके अनेक कारण है जिसमें निर्धनता तथा सामाजिक परिस्थितियां प्रमुख हैं । इसके अतिरिक्त बहुत से अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश निजी विद्यालयों में करवाते हैं ।

जी नही ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मेरा प्रश्न था कि राज्य में प्राइमरी स्कूलों में प्रवेश का प्रतिशत पिछले 5 सालों में घटा है या नहीं और बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में प्राइमरी स्कूलों के छात्रों की संख्या में वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है ? जिसमें दूसरे के जबाब में इन्होंने कहा है कि निर्धनता और सामाजिक परिस्थितियां इसमें आड़े आ रही हैं । तो सरकार स्वीकार करती है कि निर्धनता और सामाजिक परिस्थितियों के कारण प्रवेश घट रहा है, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई विचार कर रही है जैसे कि उन्होंने माना है कि अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश निजी विद्यालयों में करवाते हैं, यह छोटे-छोटे विद्यालय जो निजी दुकानों के तरह चल रहे हैं, आपके विद्यालयों में प्रवेश न करा-कर निजी विद्यालयों में प्रवेश क्यों करवाते हैं ? क्या सरकार ने इसकी कोई जांच की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

एक तो यह निजी विद्यालय जो संस्थागत विद्यालय मान्यता प्राप्त हों या गैर मान्यता प्राप्त, इनके खुलने में कोई रोक नहीं है, कोई भी दानवीर अपने क्षेत्र में बच्चों में शिक्षा प्रसार हेतु अपना योगदान करना चाहे तो स्वेच्छा से कर सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है । अगर हम रोक लगा दें तो यह शिक्षा के प्रति अन्याय होगा और वह ऐसे ही विद्यालय हैं । . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बीच में खड़े न हों वह उत्तर दे रही हैं पहले उनका उत्तर सुन लें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, हमारे जो परिषद् के विद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् के जो विद्यालय हैं, और इसके अलावा मैंने कहा कि किसी महिला में, या नवयुवक में इच्छा है कि हम अपने आस-पास के गांव के बच्चों को पढ़ायें, तो उसको रोकना हम अच्छा नहीं समझते हैं, अगर अभिभावक अपने बालक-बालिकाओं को परिषद के स्कूल में न भेजकर, उनके घर के पास किसी महिला या नवयुवक ने स्कूल खोल रखा है, वहां भेजना चाहते हैं तो यह अभिभावक के ऊपर है, इसमें हम रोक नहीं लगा सकते हैं। जहां तक गुणबत्ता का सवाल है, तो जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनकी और जो परिषद् के विद्यालय हैं उनकी आप तुलना कर लें। लगभग 75 हजार प्राथमिक पाठशालायें परिषद की चल रही हैं और लगभग 17 हजार प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, तो शिक्षा में हम पूरी जनता का सहयोग चाहते हैं।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी विद्यालय जो हैं उनकी शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि आपके प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को भर्ती न कराकर निजी स्कूलों में भर्ती कराया जा रहा है, तो प्राइमरी स्कूलों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या कोई कार्यवाही कर रही हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

आप पहले यह तो देखें कि कितने बच्चे परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मान्यवर इस समय लगभग 1 करोड़ 37 लाख बच्चे, डेढ़ करोड़ के लगभग बच्चे प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ रहे हैं और जूनियर हाई स्कूल में अलग पढ़ रहे हैं, तो डेढ़ करोड़ बच्चे कोई कम नहीं हैं। मुझे अभिमान है कि इतने बच्चे प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

श्री गौरी शंकर भइया–

आपसे प्रश्न मैंने कुछ और पूछा और उत्तर कुछ और दे रही हैं। मैंने कहा कि आपके प्राथमिक स्कूलों का स्तर इतना गिर गया है कि कोई भी अध्यापक अपने स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल नहीं कराता है वह निजी स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, तो बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों के शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने की कार्यवाही की जाए।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैं मानती हूं कि जब विशाल यज्ञ के रूप में पढ़ाई का कार्य होता है तो कुछ कमियां भी होती होंगी। घुड़सवार मैदाने जंग में गिरता भी है, तो जब कोई काम करेगा तो गल्तियां भी होंगी। जिन प्राइमरी पाठशालाओं की बात आप कर रहे हैं यह वही पाठशालायें हैं जिसमें से आप जैसे दीपक निकले हैं, हमारे मा0 सदस्य जो पूछ रहे हैं यह टाट पट्टी वाले ही हैं जो नेता बनकर निकले है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने अभिमान में कुछ बातें कहीं है। मैं कैसे कहूं कि वह बातें झूठी हैं। लेकिन यह सही है कि बनिये की दूकान की तरह से जैसा

कि दीक्षित जी ने कहा, प्राइमरी शिक्षा मंहगी होती जा रही है । लखनऊ के भीतर ही सिटी मांटेसरी स्कूल है वहां पर बच्चों के लिए डेढ़ सौ रुपये फीस ली जाती है । तो मेरा कहना है कि इस तरह से आर्थिक शोषण हो रहा है । तो शिक्षा जगत में प्राइवेट स्कूलों द्वारा यह जो शोषण किया जा रहा है इस पर रोक लगाने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष–

यह इस प्रश्न से परे है ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं विश्वविद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक विद्यार्थियों को जगह न होने के कारण प्रवेश नहीं मिल पा रहा है । इसी तरह से बेसिक शिक्षा में प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं । एक दिन ऐसा आयेगा जब आपको छात्र मिलेंगें नहीं । मांटेसरी और कान्वेंट विद्यालयों में अधिक फीस देकर, 2 गुनी फीस देकर लोग अपने बच्चों का प्रवेश कराते हैं । बेसिक शिक्षा का स्तर गिर रहा है यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मैं मानता हूं कि इसमें हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है । तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी यह सर्वेक्षण करायेंगी कि आखिर शिक्षा का स्तर इतना क्यों गिर रहा है और इस स्तर में सुधार लाने के लिए कोई योजना बनायेंगी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा कि माननीय पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना है, हम इस दिशा में पूरा प्रयास कर रहे हैं और यह कौन कह सकता है कि स्तर नहीं ऊंचा उठना चाहिए । मैं तो चाहती हूं कि जो बच्चों की लाइनें उन विद्यालयों में लग रही है वह लाइनें हमारे विद्यालयों में लगें । तो इसीलिए 7वीं तथा 8वीं कक्षा तक फीस माफ कर दी गयी है । यह 1947 से लेकर आज तक नहीं हो पाया । पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में यह एक साहसिक कदम उठाया गया है । इसी तरह से आपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्कीम प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए लागू की गयी है । जो भवनहीन विद्यालय थे, भवन न होने से जो बच्चों को परेशानी होती थी तो उसके लिए 70 करोड़ रुपये नियत कर दिया है जिससे भवन बनाये जायेंगे । इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर उठायें । मैं मानती हूं कि निरीक्षण होना चाहिए उसके लिए हम प्लान बना रहे हैं कि निरीक्षण हो ताकि अध्यापक लोग समय पर स्कूल आयें ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मेरी बात को सत्य मानते हुए कि प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति बहुत कम रहती है जिससे पठन पाठन नहीं हो पाता है । तो क्या इस स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

उसके लिए अध्यापक और अध्यापिकाओं का समायोजन होना चाहिए। जहां पर बच्चे ज्यादा हैं, वहां पर अध्यापक और अध्यापिकाएं ज्यादा होनी चाहिए।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, जो माननीया मंत्री जी का उत्तर है, आपसे अनुरोध है कि उसको आप पढ़ने की कृपा करें। मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि निर्धनता के कारण बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने नहीं जा रहे हैं । मान्यवर, जितने भी सवाल इधर से और उधर से किये गये, माननीया मंत्री जी ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह निर्धनता का जो उन्होंने कारण बताया, जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूलों में बच्चे नहीं जाते हैं, वह गलत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस शिक्षा की व्यवस्था की जगह पर कोई नया ढांचा सरकार बनाने जा रही है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि निर्धनता का तात्पर्य यह है कि कुछ घरों में बच्चे लेबर का काम करते हैं और कन्याएं अपनी मां के साथ घर में चौका-बासन में सहायता देती हैं। इसके निराकरण के लिए, सप्तम् एवं अष्टम् कक्षाओं के बच्चों की फीस माफ कर दी गयी है। शिक्षा के माध्यम से हम उसको करने का प्रयास कर रही हैं। यह हमारा काफी सफल प्रयास है। अनौपचारिक शिक्षा का मैं बताऊं कि इस समय ढाई लाख बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, यह प्राइमरी स्कूलों का मामला है, और माननीया मंत्री जी उसको घुमाकर उत्तर देना चाहती हैं। जैसा अधिकारियों ने लिखकर दे दिया है, वैसा ही वह उत्तर दे रही हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों के अन्तर्गत चर्चा की मांग कर लीजिए, मैं देखूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरी प्रार्थना है कि इसे आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं तो कह रहा हूं कि आप नियमों के अन्तर्गत मांग कर लीजिए, मैं उसे देखूंगा।

(व्यवधान)

मैं देखूंगा, तभी फैसला करूंगा।

(श्री हृदय नरायन दीक्षित के खड़े होने पर व्यवधान)

यह तरीका नहीं है, आप इस तरह से अध्यक्ष से बात करेंगे, तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। आप नियमों की दुहाई देते हैं और फिर नियमों के विपरीत काम करते हैं। यह तरीका नहीं है कि आप लड़कर मुझसे कोई चीज मनवा लें। (व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की यह आकांक्षा है कि सही उत्तर आये। उनके प्रश्नों का उन्हें सही उत्तर मिले। मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दिया जाय, मैं भी उसके पक्ष में समर्थन करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तो कहा कि मैं उसको देखूंगा।

उ0 प्र0 जल निगम में क्रय की गई सामग्री में सरकारी धन का दुरुपयोग

*9–डाक्टर बंगाली सिंह, श्री भोपाल सिंह तथा श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पिछले वित्तीय वर्ष में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत उ0 प्र0 जल निगम को हैण्ड पम्प एवं अन्य सामग्री की खरीद हेतु लगभग 15 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे? क्या यह सही है कि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रस्तावित एवं स्वीकृत सामग्री की खरीद न करके 1500 फेलिंग रिंग मशीन डी0 जी0 एस0 एन0 डी0 रेट पर रुपये 32,00,000 में खरीदी गयी जो इसके पहले टेन्डर द्वारा रुपये 19,00,000/- में मिल रही थी? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीनाथ सिंह–

पिछले वित्तीय वर्ष में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 1407 लाख स्वीकृत किये गये थे।

जी नहीं, रिंग व अन्य सामग्री के लिए शासन द्वारा रु0 53.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसका उपयोग भारत सरकार के डी0 जी0 एस0 एण्ड डी0 विभाग नई दिल्ली के माध्यम से दो डी0 सी0-1500 रिंग मशीनें रु0 28.657 लाख की दर से क्रय हेतु किया गया। पहले टेण्डर में दर रु0 30.817 लाख आयी थी न कि रु0 19.00 लाख।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि धन का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर में जो भी पैसा दिया गया उसका पूरी मात्रा में दुरुपयोग किया गया तो क्या माननीय मंत्री जी इसका भौतिक सत्यापन करायेंगे?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं सवाल सुन नहीं पाया।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कोई धन का दुरुपयोग नहीं किया गया है तो क्या माननीय मंत्री जी जो सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्ड पम्प लगाने में जो भी चोरी की गयी, उसकी जांच करायेंगे और उसका भौतिक सत्यापन करायेंगे?

श्री श्री नाथ सिंह–

आप जहां समझते हैं कि ठीक नहीं लगाये गये हैं, वहां की जांच अवश्य करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

लखनऊ गोमती नगर आवास योजना हेतु भूमि के नीचे जल स्तर ऊपर होने के पश्चात् भी भूमि भवन निर्माण की कार्यवाही

*10–श्री भगौती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की उर्जास्वल आवास योजना (गोमती नगर) में भूमि के नीचे जलस्तर क्या है ? क्या उक्त विशालतम महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ करने से पूर्व भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा अधिकारिक सर्वेक्षण कराकर यह राय ली गयी थी कि उक्त भूमि भवन निर्माण योग्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना में भूमिगत जल स्तर 103 से 105 मी0 के मध्य है ।

प्राधिकरण द्वारा किसी भी योजना का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व मृदा परीक्षण कराया जाता है । भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग तथा केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड से सर्वेक्षण कराना आवश्यक नहीं है, भवन निर्माण हेतु मृदा परीक्षण कराना पर्याप्त है ।

शिक्षकों के पेंशन मुहैया हेतु सरकार की दोहरी नीति

*11–डाक्टर दिनेश जोहरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासन द्वारा डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट कालिजों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों को पेंशन की सुविधा दी गई थी और जो शिक्षक पेंशन लेना चाहते थे सरकार ने उनके प्रोविडेन्ट फण्ड के योगदान को सूद समेत जमा करने के आदेश दिए थे जबकि इण्टरमीडिएट कालेज के शिक्षकों से यह सूद नहीं लिया गया था ? यदि हां, तो इस विषमता का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी इण्टरमीडिएट शिक्षकों की भांति सम्बद्ध डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट कालिजों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों के प्राविडेन्ट फण्ड के सरकार के योगदान पर लिए गए सूद की वसूली समाप्त करने के और लिए हुए सूद को वापस करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोटः–नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या-9 के उपरांत प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रश्नगत शिक्षकों से भी अंशदायी भविष्य निधि के योगदान को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराने के आदेश हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू0 पी0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा विभिन्न पदों हेतु विज्ञापन के पश्चात् प्राप्त आवेदकों में से सभी आवेदकों को न बुलाने के सन्दर्भ में कार्यवाही

*12–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा विभिन्न पदों हेतु कोई विज्ञापन जनवरी, 1987 में विज्ञापित कराया गया था ? यदि हां, तो टेक्निकल असिस्टेंट पद हेतु कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ? इसमें उक्त विभाग को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? इसमें से कितने आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया तथा कुल कितने छात्रों का चयन विधिवत् चयन समिति द्वारा किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सभी छात्रों को साक्षात्कार हेतु न बुलाए जाने का मुख्य कारण क्या था ? इस हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

हां । एक विज्ञापन जनवरी, 1987 में विज्ञापित कराया गया था । टेक्निकल असिस्टेन्ट पद के लिए कुल 200 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । निगम को इससे रु0 2,000/- की धनराशि प्राप्त हुई । इसमें से 21 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था , जिसमें से 8 का चयन किया गया । चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण किया गया और योग्य पाए गए 21 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया । सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाना सम्भव न था और न ही उचित था । अतः सब अभ्यर्थियों को न बुलाने के लिए किसी का दोष नहीं सिद्ध होता है । इस कारण से शासन द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा में ट्राइसेम योजना में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण काल के धन के भुगतान न होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

*13–श्री औसान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1986-87 व 1987-88 में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत इटावा जनपद में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण काल का धन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी प्रशिक्षार्थियों को धन न देने के लिए दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह धन डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा शिक्षार्थियों को कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं । वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत इटावा जनपद में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण काल के धन का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

भारतीय खाद्य निगम कानपुर द्वारा गेहूं ढुलाई के क्रय कोटेशन को अस्वीकार कर अधिक कोटेशन को स्वीकृति का कारण

*14–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम विकास अभिकरण, कानपुर देहात द्वारा भारतीय खाद्य निगम चन्दारी (कानपुर) स्थित गोदाम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना/सूखा राहत मद का 50,000 कुन्तल गेहूं कोपरगंज (कानपुर) स्थित गोदाम तक ढुलाई कराने हेतु किराए के सील बन्द कोटेशन 11 मार्च, 88 को आमंत्रित किए गए थे ? क्या ग्राम विकास मंत्री को ज्ञात है कि यह कोटेशन 2.98 रु0 प्रति कुन्टल पर न देकर 5.70 प्रति कुन्टल पर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने के आदेश पारित करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कानपुर देहात द्वारा भारतीय खाद्य निगम, चन्दारी, कानपुर स्थित गोदाम तक एन0 आर0 ई0 पी0/आर0 एल0 ई0 जी0 पी0/सूखा राहत मद का 50,000 कुन्टल गेहूं ढुलाई कराने हेतु किराए के सीलबन्द कोटेशन कार्यालय के पत्र संख्या–1794, दिनांक 11-3-88 द्वारा आमंत्रित किए गए थे । प्राप्त कोटेशनों में यद्यपि मे0 न्यूटन ट्रेडर्स कानपुर का कोटेशन रु0 2.98 पैसे प्रति कुन्टल न्यूनतम था लेकिन उसमें उतराई और भण्डारण कराना शामिल नहीं था जबकि कोटेशन ट्रांसपोर्टेशन, ढुलाई, उतराई और भण्डारण को सम्मिलित करते हुए आहूत किए गए थे। इसके अलावा मे0 न्यूटन ट्रेडर्स ने कुछ शर्तें भी लगा रखी थीं जो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को मान्य न थी । इसलिए समान प्रकृति के कोटेशनों में न्यूनतम कोटेशन मे0 मिश्रा एण्ड कम्पनी कानपुर का रु0 5.70 प्रति कुन्टल की दर से स्वीकृत किया गया था ।

चूंकि मामले में कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई है, इसलिए रोककर जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

राजकीय महिला बेसिक विद्यालयों तथा राजकीय बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों के सेलेक्शन ग्रेड में सरकार की दोहरी नीति

*15–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय महिला बेसिक एवं राजकीय बेसिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को किन कारणों से सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि उनके समकक्ष जिला परिषद् एवं नगरपालिका के अधीन कार्यरत अध्यापकों को शासन द्वारा सेलेक्शन ग्रेड दिया जा रहा है ? यदि हां, तो

क्या मंत्री जी इस विषमता को अविलम्ब समाप्त करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

राजकीय महिला बेसिक विद्यालयों तथा राजकीय बेसिक विद्यालयों में कार्यरत बी0 टी0 सी0 अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया जा रहा है, केवल आदर्श विद्यालयों के बी0 टी0 सी0 अध्यापकों को दिया जा रहा है ।

जी हां ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

निर्णय यथाशीघ्र ले लिया जायेगा ।

श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर के आडिट द्वारा अनियमितताओं को रिपोर्ट पर कार्यवाही

*16–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर की वर्ष 1982-83 से 1984-85 के आडिट में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा विशेष गम्भीर अनियमितताओं के बारे में कोई रिपोर्ट दी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर का आडिट स्थानीय निधि लेखा परीक्षक उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1982-83, वर्ष 1983-84 तथा वर्ष 1984-85 की अवधि का किया गया था और उनसे उपर्युक्त वर्षों के संबंध में आडिट आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिसमें विशेष रूप से गम्भीर आडिट आपत्तियों के बारे में जिलाधिकारी चमोली को जनपद के किसी अतिरिक्त जिलाधिकारी के द्वारा जांच कराने के आदेश दिए गये थे । जिलाधिकारी चमोली की रिपोर्ट अपेक्षित है ।

*17–श्री राज किशोर सिंह–

[7वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा जिला मुरादाबाद की टांडा रोड झाद वाली मिलक की सड़क का मजदूरी के भुगतान में अनियमितता तथा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*18–कुंवर रेवती रमण सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0–57 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा रोड से झाद वाली मिलक ब्लाक भगतपुर टाण्डा जनपद मुरादाबाद की मजदूरी का फर्जी मस्टर-रोल बनाकर भुगतान करने में परियोजना निदेशक मुरादाबाद श्री बलराज सिंह तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के लिप्त होने के संबंध में किस अधिकारी से जांच कराई गई और इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध क्या जांच रिपोर्ट दी गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद द्वारा जांच कराई गई । जांच में उक्त दोनों अधिकारियों को दोषी नहीं पाया गया ।

जिला पंचायत अधिकारी और जिला पशुधन अधिकारी इत्यादि के वेतन मानों के अन्तर को समाप्त करने की मांग

*19–श्री त्रिभुवन प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला पंचायत राज अधिकारी वेतनक्रम 770–1600 में कार्यरत हैं जबकि समकक्ष पद के अन्य अधिकारी जैसे जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, जिला कृषि अधिकारी, जिला पशुधन अधिकारी तथा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई आदि 850–1720 के वेतनक्रम में कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी इस अन्तर को समाप्त करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला पंचायत राज अधिकारी वेतनक्रम रु0 770–1600 में तथा जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, जिला कृषि अधिकारी, जिला पशुधन अधिकारी तथा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई रु0 850–1720 के वेतनक्रम में कार्यरत हैं । जिला पंचायत राज अधिकारी के वेतन पुनरीक्षण के प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हुए हैं, जो शासन के विचाराधीन हैं।

जनपद फतेहपुर में सर्वेक्षण के पश्चात ग्रामों में खारे पानी के कारण गहरे नलकूपों की असफलता एवं जलापूर्ति की व्यवस्था

*20–श्री अचल सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर के 745 ग्रामों में खारे पानी का सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराया गया है एवं 14 गहरे नलकूप खारे पानी के कारण असफल हो गये हैं ? यदि हां, तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रहा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

समस्याग्रस्त ग्रामों में खारे पानी के लिए अभिज्ञापित 181 ग्रामों का सर्वेक्षण जल निगम द्वारा कराया गया है ।

जी नहीं । कोई भी गहरा नलकूप खारे पानी के कारण असफल नहीं हुआ है ।

जिन ग्रामों में पानी खारा पाया गया है, उनमें पाइप द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है।

अतारांकित प्रश्न

कुम्भ मेला के दौरान बांदा से चित्रकूट जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधा तथा यात्रियों के सुविधा हेतु विभिन्न मदों पर व्यय की कार्यवाही

1–श्री राम सजीवन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगामी प्रयाग कुम्भ मेला के दौरान बांदा जिले में चित्रकूट पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की सुख-सुविधा आदि प्रबन्ध हेतु जिलाधिकारी, बांदा ने शासन के पास कोई प्रस्ताव अभी हाल में भेजा है ? यदि

हां, तो वह क्या है ? उस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? प्रस्ताव की कौन सी मदें स्वीकार की गईं और उनके लिये कितना धन आवंटित किया गया? विभिन्न मदों के लिये अभी तक कोई धन अवमुक्त न करने तथा कोई निर्माण कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं ? निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिये जायेंगे तथा उन्हें कब तक पूरा करा दिया जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

चित्रकूट में कुम्भ मेले के समय आने वाले यात्रियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न मदों के अन्तर्गत धनराशि की मांग की गई थी । प्रस्ताव पर विचारोपरान्त शासन द्वारा सड़क मरम्मत हेतु रुपये 5 लाख, मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु रुपये 4 लाख, सफाई व्यवस्था हेतु रुपये 1 लाख, पेयजल व्यवस्था हेतु रुपये 5 लाख तथा सफाई रोशनी आदि व्यवस्थाओं हेतु रुपये 2 लाख का अनुदान अर्थात् कुल 17 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता, क्यों कि धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

निर्माण कार्य शुरू कर दिये गये हैं, जिसके इसी वित्तीय वर्ष में समाप्त होने की आशा है ।

2–श्री राम सजीवन–

[दि0 27-2-89 को अता0 प्र0 सं0 151 द्वारा उत्तरित]

बांदा जिले में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

3–श्री राम सजीवन–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में कर्वी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? क्या महाविद्यालय का अधूरा भवन निर्मित हो गया है ? यदि नहीं, तो भवन कब तक पूर्ण हो जायेगा ? कक्षायें कब तक शुरू हो जायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

कर्वी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना शिक्षा सत्र 1988–89 से ही की जा चुकी है।

दान में प्राप्त तीन अधूरे कक्षों का निर्माण पूर्ण हो गया है।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर भवन का निर्माण कराया जायेगा ।

कक्षायें सितम्बर, 1988 से शुरू हो चुकी हैं।

चित्रकूट धाम नगर पालिका द्वारा तीर्थ यात्रियों को पानी की सुविधा हेतु हैण्ड पम्प की सुविधा की कार्यवाही

4–श्री राम सजीवन–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में चित्रकूट धाम नगर पालिका कर्वी के अन्तर्गत तीर्थ यात्रियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने

हेतु 8–10 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगाने की योजना है ? यदि हां, तो कितने हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे और कब तक ? क्या माघ मेला से पूर्व हैण्ड पम्प लग जायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

8 हैण्ड पम्प लगाया जाना प्रस्तावित है जिसका अधिष्ठापन शीघ्र कर दिया जायेगा ।

सुल्तानपुर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा विभिन्न सड़कों का निर्माण

5–श्री राज किशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चांदा क्षेत्र, सुल्तानपुर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अन्तर्गत कितनी सड़कें किन-किन स्थानों की निर्माणाधीन हैं और किन-किन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

चांदा क्षेत्र सुल्तानपुर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अन्तर्गत कोथरा हाजीगंज से राजा उमरी मार्ग, नेशनल हाइवे से सोनावा मार्ग, चांदा क्षेपाप से लोटिया सम्पर्क मार्ग, वेदूधारा से खुदौली सम्पर्क मार्ग (मरम्मत) शम्भूगंज शिवगढ़ वाया सकरसी मार्ग, उत्तरी कन्हईपुर से सेमरी पुरुषोत्तमपुर मार्ग, कोइरीराजापुर मार्ग से ग्राम सभा राजपुर मार्ग एवं असरदन से ज्ञानीपुर मार्ग निर्माणाधीन है तथा छपरे मार्ग एवं अमियाकला मार्ग का कार्य पूर्ण है ।

6–नवाब सिकन्दर अली खां–

[दि0 27-2-89 को अता0 प्र0 सं0 6 द्वारा उत्तरित]

बद्री विशाल डिग्री कालेज, फर्रुखाबाद में एम0 ए0 (अंग्रेजी) द्वितीय वर्ष की छात्रा के प्राप्तांक शून्य को पचास में परिवर्तित करने विषयक कार्यवाही

7–श्री चेतराम–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1987 में बद्रीविशाल डिग्री कालेज, फर्रुखाबाद से एम0 ए0 (अंग्रेजी) द्वितीय वर्ष में सम्मिलित छात्रा कु0 निरूपमा शर्मा के चतुर्थ प्रश्न पत्र में प्राप्तांक शून्य को अनियमित तरीके से पचास अंक में बदल दिया गया ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख नष्ट कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

कु0 निरूपमा शर्मा, एम0 ए0 (द्वितीय वर्ष) अंग्रेजी, वर्ष 1987 की चतुर्थ प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका में प्राप्त अंकों के विरुद्ध विश्वविद्यालय को प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर जांच से यह स्पष्ट हुआ कि केन्द्र स्तर पर इस तरह की हेराफेरी की गयी कि उत्तर पुस्तिका में उत्तर के स्थान पर अन्य लिखित उत्तर, जिसका सम्बन्ध पूछे गये प्रश्न से नहीं था ,, लगा दिए गये तथा उसे ही परीक्षक को प्रेषित किया

गया । परीक्षक द्वारा उक्त प्रश्न पत्र में शून्य अंक प्रदान किया गया । यह प्रकरण दिनांक 14 मार्च, 1988 को परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया। परीक्षा समिति ने पूरी छान-बीन तथा अन्य उत्तर पुस्तिकाओं में प्राप्त अंकों का अवलोकन करने के उपरान्त निर्णय लिया कि चतुर्थ प्रश्न-पत्र में 50 अंक (औसत) मानकर संशोधित परीक्षाफल घोषित किया जाय ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका बुलन्दशहर में दैनिक वेतन सफाई कर्मचारियों के स्थायी किये जाने की मांग

8–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका बुलन्दशहर में दैनिक वेतन पर कितने सफाई कर्मचारी हैं जो नगर पालिका में 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष की अवधि से कार्य करने के पश्चात् आज भी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ? क्या उपरोक्त को स्थायी नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

165 सफाई कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं। इनमें से 4 सफाई कर्मचारी 10 वर्ष पुराने, 58 सफाई कर्मचारी 5 वर्ष पुराने और 103 सफाई कर्मचारी 5 वर्ष से कम कार्यकाल के हैं। 15 एवं 20 वर्ष पुराना कोई भी कर्मचारी नगरपालिका में दैनिक वेतन पर कार्यरत नहीं है।

जी नहीं ।

पदों के सृजन के अभाव में स्थायी नियुक्ति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

9–श्री राज किशोर सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उप विकास आयुक्त व सी0 डी0 ओ0, गोरखपुर को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

10–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, ग्राम्य विकास, लखनऊ का पत्रांक एम-3/स्था0 प्रथम/ए-43/78 दि0 लखनऊ, 21 जनवरी, 1987 उप विकास आयुक्त व सी0 डी0 ओ0, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । प्रश्न में वर्णित पत्र के साथ श्री हुबलाल व अन्य का शिकायती पत्र उप विकास आयुक्त, गोरखपुर को प्राप्त हुआ था । उक्त शिकायती पत्र में श्री अमरेश नन्दन राय, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, सरदारनगर के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये थे वही आरोप श्रीमती शारदा देवी, सदस्य, विधान सभा के शिकायती पत्र दिनांक 24-9-86 में भी लगाये गये थे और इनकी जांच पहले से की जा रही थी । अतः श्री हुबलाल व अन्य द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र की अलग से जांच

की आवश्यकता नहीं पाई गयी । श्रीमती शारदा देवी, सदस्य, विधान सभा के शिकायती पत्र दिनांक 24-9-86 पर प्राप्त हुई जांच आख्याओं का अग्रेतर परीक्षण किया जा रहा है ।

जिला गोरखपुर में इन्दिरा आवासों के साइड डेवलपमेंट स्वीकृत धनराशि से बायो गैस, गोबर गैस प्लांट लगाने में धन के दुरुपयोग से सम्बन्धत कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही

11–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड सरदार नगर, जिला गोरखपुर में इंदिरा आवासों में साइड डेवलेपमेंट हेतु प्रति इंदिरा आवास 3,000 रुपये की दर से प्राप्त 50 इंदिरा आवासों में वर्ष 86–87 में साइट डेवलपमेन्ट कार्य न कराकर उक्त धन से गोबर गैस व वायो गैस लगाने के नाम पर धन का दुरुपयोग और गबन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त मामले में दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

विकास खण्ड सरदारनगर, जिला गोरखपुर में वर्ष 86–87 में इन्दिरा आवासों के साइट डेवलपमेन्ट कार्य हेतु 3,000 रु0 प्रति आवास की दर से 50 आवासों के लिए धन आवंटित किया गया था ? आवंटित धन में से वर्ष 1986-87 में निर्मित इन्दिरा आवासों में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था हेतु बायोगैस के निर्माण पर रु0 11,297,30 व्यय किया गया । धन के दुरुपयोग/गबन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरख लाल, लेखा लिपिक का स्थानान्तरण

12–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के निर्देश के क्रम में विकास आयुक्त, उ0 प्र0 लखनऊ ने अपने पत्रांक 3434/स्था0–3 दिनांक लखनऊ 3-11-1987 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर को लेखा लिपिक श्री गोरख लाल का असामयिक स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने हेतु निर्देश दिया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश का पालन सी0 डी0 ओ0 गोरखपुर द्वारा अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । सरदारनगर विकास खण्ड से स्थानान्तरित होने के पश्चात् श्री गोरख लाल लेखा लिपिक ने विकास खण्ड मिठौरा में दिनांक 1-9-87 को योगदान कर लिया था, अतएव उनका स्थानान्तरण तब निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं समझा गया ।

जनपद बाराबंकी के कतिपय घाटों पर समिति द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जाना

13—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में नौकाघाट टिकरा धौरहरा, राजघाट लकड़िया, महरूपुर के पट्टे वर्ष 88-89 हेतु जिला परिषद् बाराबंकी द्वारा श्रम संविदा सहकारी समिति लि0 निन्डूरी, हैदरगढ़ को दिये गये हैं तथा पूरा पैसा भी जमा करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इन नौका घाटों पर उपरोक्त समिति ने काम करना शुरू कर दिया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जी हां ।

जी हां, दिनांक 23-11-88 से ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आदर्श विद्यालय, शाहजहांपुर पर गबन के आरोप के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही

14—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि श्री ए0 आई0 गौहर शिल्प शिक्षक राजकीय आदर्श विद्यालय, शाहजहांपुर जिन पर गबन के कई आरोप हैं का स्थानान्तरण बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) की संस्तुति पर प्रशासनिक आधार पर देहरादून माह जुलाई, 1988 में किया गया था तथा स्थानान्तरण के उपरान्त गबन की जांच करके उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित थी ? यदि हां, तो स्थानान्तरण निरस्त करने के क्या कारण हैं ? शासन द्वारा उनका स्थानान्तरण कर गबन का दण्ड उन्हें कब तक दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जी हां ।

स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया गया है बल्कि संशोधित किया गया है।

जांच की जा रही है । जांच पूर्ण होने पर ही दण्ड दिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्राइमरी स्कूल शाहजहांपुर के भवन निर्माण में विलम्ब

15—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ददऊ भावल खेड़ा, शाहजहांपुर में गत (4) चार वर्ष पूर्व प्राइमरी स्कूल खोला गया था जिसके भवन हेतु शासन द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण आज तक क्यों नहीं कराया गया ? विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

पी0 एल0 ए0 में जमा धनराशि निकाले जाने पर लगी रोक के फलस्वरूप निर्माण में विलम्ब हुआ अब निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर की नगरपालिका द्वारा शिकमी किरायेदारों की सूची

16–नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 4-7-88 बाबत शिकमी किरायादारी नगरपालिका, शाहजहांपुर प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वल्देव सिंह आर्य–

जी हां । यथावांछित शिकमी किरायेदारों की पुनरीक्षित सूची मा0 विधायक महोदय को उपलब्ध करायी जा चुकी है। जिन दुकानों में शिकमी किरायेदार मौजूद है, उनके मूल एवं शिकमी किरायेदारों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही नगर-पालिका द्वारा की जा रही है ।

शाहजहांपुर, सरदार पटेल हिन्दू इण्टर कालेज के भूतपूर्व प्रधानाचार्य की पेंशन निस्तारण में विलम्ब पर कार्यवाही

17–नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सरदार पटेल हिन्दू इण्टर कालेज, शाहजहांपुर के भू0पू0 प्रधानाचार्य (श्री कैलाश चन्द्र सक्सेना) ने दिनांक 30-6-83 को अवकाश प्राप्त किया लेकिन उनके पेंशन प्रकरण का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ ? यदि हां, तो पेंशन निस्तारण में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे । ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री कैलाश चन्द्र सक्सेना की पेंशन दिनांक 2-1-85 को स्वीकृत की जा चुकी है, केवल पेंशन में संशोधन का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रधानाचार्य, जनता उ0 मा0 विद्यालय, गाजियाबाद द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

18–श्री कनक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-12-87 को जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद को सम्बोधित था और प्रतिलिपि मंत्री जी को प्रेषित की गई थी जिसमें प्रधानाचार्य, जनता उ0 मा0 विद्यालय, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद गाजियाबाद के द्वारा अध्यापकों को वेतन न देने, परीक्षा में धन बटोरने तथा अपनी पुत्री धर्मशीला की टी0 सी0 में जन्म तिथि अलग-अलग दो बार एक ही

संस्था में जमा कर जालसाजी करने के सम्बन्ध में था, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जांच कराई गई तथा प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये प्रबन्धक को लिखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले में प्रा0 पाठशाला तथा जूनियर हाई स्कूल में लड़के/लड़कियों/अध्यापकों की संख्या

19–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कुल कितने प्रा0 पाठशाला तथा जूनियर हाईस्कूल लड़कियों व लड़कों के हैं उन विद्यालयों में कुल कितने छात्र हैं तथा कुल अध्यापक और अध्यापिकाओं की संख्या कितनी है ? जुलाई, 1988 तक का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जुलाई, 1988 तक का वांछित विवरण निम्नवत है :—

पाठशालाओं की संख्या

प्राइमरी पाठशाला मिश्रित—2103
जूनियर हाई स्कूल (बालक)–199
जूनियर हाईस्कूल (बालिका)—39

छात्र/छात्राओं की संख्या

प्राइमरी पाठशाला—250393
जूनियर हाईस्कूल—19583

अध्यापकों की संख्या

प्राइमरी पाठशाला—6759 (पुरुष)
—880 (महिला)
जूनियर हाईस्कूल—1037 (पुरुष)
—150 (महिला)

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बस्ती के गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु ऋण अनुदान की मांग

20–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत विकास क्षेत्र बस्ती सदर में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए कितने व्यक्तियों को कितने रुपये का ऋण वर्ष 86-87, 87-88 व 88-89 जुलाई, 1988 तक दिया गया तथा कितना अनुदान दिया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

बस्ती जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड बस्ती में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए आई0 आर0 डी0 पी0 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 (जुलाई 1988 तक) में लाभार्थियों की संख्या और स्वीकृत ऋण/अनुदान की सूचना निम्नवत् है :—

आई0 आर0 डी0 पी0 योजना

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या	ऋण की राशि (रू0)	अनुदान की राशि (रू0)
1986–87	873	27,14,700	11,27,856
1987–88	910	40,65,242	16,86,983
1988–89 (जुलाई, 1988 तक)	161	9,21,500	4,00,750

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना

1986–87	239	16,82,196	6,85,348
1987–88	141	10,34,900	4,23,500
1988–89	10	95,900	39,000

जिला बस्ती में प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों के विरुद्ध मामलों पर निर्णय तथा कृत कार्यवाही

21–श्री सुख पाल पाण्डे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की स्वीकृति के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग, इलाहाबाद, में 85-86, 86-87, 87-88 व जुलाई, 1988 तक कुल कितने मामले किन-किन तारीखों में प्राप्त हुए ? कितने मामले अस्वीकृत हुए कितनों मामलों पर आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वर्ष 85-86, 86-87 तथा 87-88 में बस्ती जिले का एक भी प्रकरण प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्वीकृति के लिए आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

केवल एक मामला 11 मई, 1988 को प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करने की स्वीकृति के लिए आयोग में प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है ।

जनपद फर्रुखाबाद में वन विभाग की भूमि पर वृक्षारोपण का विवरण

22–श्री सन्तोष चतुर्वेदी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद की तहसील छिबरामऊ में वन विभाग के नाम कुल कितनी भूमि है ? वन विभाग ने अपनी कितनी भूमि पर वृक्षारोपण कर दिया है ? शेष भूमि पर कब तक वृक्षारोपण हो जायेगा ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)–

जनपद फर्रुखाबाद की तहसील छिबरामऊ में वन विभाग की कुल 2,472·20 हेक्टेयर भूमि है ।

उपरोक्त भूमि में से वर्ष 1988-89 (वर्षाकाल 88) तक 414·75 हेक्टेयर क्षेत्र में वन विभाग ने वृक्षारोपण कार्य कर लिया है ।

शेष वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य आगामी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में उप विकास आयुक्त के पद का सृजन

23–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 9162/38-1-2645/84 दिनांक 21-5-85 द्वारा एस0 के0 टी0 कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में पूर्व सृजित उप विकास आयुक्त (मुख्यालय) का एक पद आई0 ए0 एस0 संवर्ग का वरिष्ठ वेतनमान रु0 1200–2000 व रु0 150 का विशेष वेतन सहित 28 फरवरी, 1986 तक की तिथि तक के लिए (यदि इसमें पूर्व बिना सूचना के समाप्त न कर दी जाय) स्वीकृत किया गया था जिसकी वार्षिक स्वीकृति यथानुसार जारी की जाती रही है ? यदि इसमें कोई परिवर्तन किया गया है तो क्या शासनादेश संख्या और दिनांक सहित एक प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करते हुए स्थिति स्पष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1984 में नियुक्ति विभाग द्वारा श्री प्रेम नारायण श्रीवास्तव को कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में उप विकास आयुक्त (मुख्यालय) के रूप में नियुक्त किया गया था । चूंकि इस नाम से उस समय कोई पद उपलब्ध नहीं था, इसलिए प्रश्न में संदर्भित कार्यालय ज्ञाप द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त उ0 प्र0 के कार्यालय में उप विकास आयुक्त (मुख्यालय) का एक अस्थाई पद आई0 ए0 एस0 के सीनियर वेतनमान रु0 1200–2000 में रु0 150 प्रतिमाह विशेष वेतनमान सहित कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 28 फरवरी, 1986 तक के लिए सृजित किया गया था । इस पद के सृजन के फलस्वरूप उप विकास आयुक्त (प्रशासन) का पद आस्थगित किया गया । इस अस्थाई पद की क्रमागत स्वीकृति वर्ष 1986-87 से प्रति वर्ष निर्गत की जाती रही है । इस पद पर श्री श्रीवास्तव 14-8-84 से 8-7-85 तक तथा श्रीमती ऊषा कंसल 1-8-85 से 8-10-86 तक कार्यरत रहे, तदुपरान्त इस पद पर कोई आई0 ए0 एस0 अधिकारी तैनात नहीं रहे । आई0 ए0 एस0 संवर्ग में उप विकास आयुक्त (मुख्यालय)

के पदनाम से कोई पद नहीं है । वर्ष 1987 में इस पद के सापेक्ष ग्राम्य विकास संगठन के अधिकारी कार्यरत हैं ।

मानीटरिंग सेल का ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य निदेशालय में स्थानान्तरण तथा निदेशालय के कर्मचारियों की सेल में तैनाती

24—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बतायेंगे कि शासन के ग्राम्य विकास विभाग में मानीटरिंग सेल जो अब ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज के निदेशालय पर स्थानान्तरित कर दिया गया है, का क्या निदेशालय मे विलीन (मर्जर) कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो मानीटरिंग सेल में स्वीकृत अल्प वेतनमानों के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नतियां न देकर इन रिक्त पदों पर निदेशालय के कर्मचारियों को पदोन्नति देकर बगैर प्रतिनियुक्ति स्वीकृत किए, जाने का क्या कारण है ? इस अनियमितता के लिए कौन दोषी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जुलाई 1987 से ग्राम्य विकास विभाग के मानीटरिंग सेल को सचिव, ग्राम्य विकास के नियंत्रण से पृथक करके आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज के नियंत्रण में स्थानान्तरित किया गया है ।

मानीटरिंग सेल के पद निसंवर्गीय है । कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए दक्ष एवं कुशल कर्मचारियों की सेवा प्राप्त करने हेतु मात्र उपयुक्तता के आधार पर पद धारकों को सेल में लिया गया है । निदेशालय के कर्मचारियों की मानीटरिंग सेल में तैनाती के लिए प्रतिनियुक्ति आदेशों के जारी करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती मायादेवी पत्नी श्री सूर्यपाल सिंह, अध्यापक प्राइमरी पाठशाला सराय सुल्तान, हरदोई के पुत्र की नियुक्ति तथा पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही

25—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के तीसरे सोमवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—34 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मृतक के आश्रित डा0 शिवसिंह को सेवा में लिए जाने एवं पेंशन आदि के भुगतान में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मृतक आश्रित श्री शिव सिंह को सेवा में लिया जा चुका है तथा पारिवारिक पेंशन का भी भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चुनाव आयोग नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव

26–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चुनाव आयोग नई दिल्ली द्वारा हाल में ही इस आशय का कोई सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है कि सहायक जिला चुनाव अधिकारी का पद राजपत्रित कर दिया जाय ? यदि हां, तो सुझाव क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं ।

पिटीशनर सर्वश्री हजारी लाल तथा परागी लाल के क्लेम का भुगतान

27–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि यू0 पी0 पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल जवाहर भवन लखनऊ द्वारा दिनांक 20-3-87 को विद्वान सदस्य सर्वश्री डी0 पी0 बरूआ चेयरमैन तथा मदन मोहन लाल जुडीशियल मेम्बर के हस्ताक्षर से निर्णीत क्लेम पिटीशन सं0 394/1/84 में पिटीशनर सर्वश्री हजारी लाल तथा परागी लाल का क्लेम स्वीकारते हुए तत्काल भुगतान का आदेश सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (प्रतिपक्षी) को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या क्लेम का भुगतान अब तक कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् बरेली में कार्यरत 19 शिक्षकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

28–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को बेसिक शिक्षा परिषद् बरेली में कार्यरत 19 शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 8-10-88 का प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

29–डाक्टर दिनेश जौहरी–

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद बरेली में महानगर योजना के अन्तर्गत अविकसित नगरिया परीक्षित तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

30–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को जनपद बरेली में महानगर योजना के अन्तर्गत अविकसित कालोनी नगरिया परीक्षित के तलपट मानचित्र स्वीकार किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-9-88 को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीनाथ सिंह–

जी हां। सन्दर्भगत कालोनी का तलपट मानचित्र महायोजना में वर्णित भू-उपयोग के विपरीत होने के कारण स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

बरेली शाहजहांपुर मार्ग पर नकौटिया ब्रिज के निकट दुकानदारों व व्यवसायियों से महापालिका व जिला परिषद् द्वारा टैक्स वसूली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

31–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली शाहजहांपुर मार्ग पर नकौटिया ब्रिज के निकट स्थित दुकानदारों व व्यवसायियों से महापालिका व जिला परिषद् दोनों द्वारा टैक्स वसूल किये जाने के विषय में प्रश्नकर्ता का दिनांक 18-9-88 को कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में विकास प्राधिकरण व जिलाधिकारी को भूमि पर अनधिकृत निर्माण रोकने के निर्देश

32–श्री राजकिशोर सिंह तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी नगर महापालिका की आराजी 10/6 तथा 8/1 स्थित हुकुल गंज वाराणसी नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 से प्रभावित होने पर भू-धारकों ने 5-38 एकड़ अर्थात् 21772-10 वर्ग मीटर भूमि का विवरण सीलिंग अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी न0 भू0 सी0 के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर सीलिंग अधिनियम की धारा 4(4) के अन्तर्गत बिना विचार किये और तथ्यों की प्रमाणिकता की जांच किये बिना तत्कालीन सक्षम अधिकारी ने अपने दि0 27-2-81 के निर्णय में केवल 4638 वर्गमीटर रिक्त भूमि घोषित किया था? क्या यह सही है कि इस संबंध में सचिव नगर विकास उ0 प्र0 लखनऊ के निर्देश वाराणसी मंडल के आयुक्त ने शासन को प्रेषित अपने अर्ध-

शासकीय पत्रांक 3703/23-107/85-88 दि0 18 सितम्बर, 1986 के अनुसार जांच आख्या में उक्त तथ्य की पुष्टि की है तथा निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण उ0 प्र0 ने भी अपने पत्रांक-1253/सात/(सा) 44/82, दि0 3-10-86 में स्वीकार किया है कि नियमत: शासन को मिलने वाली 13343-70 वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त घोषित की जानी चाहिए थी? यदि हां, तो भू-धारकों के लिए अवैधानिक ढंग से छोड़ी गयी करोड़ों रुपये मूल्य की प्रश्नगत भूमि को बचाने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत भूमि के संबंध में भू-धारकों ने सक्षम प्राधिकारी के धारा 8(4) के आदेश के विरुद्ध नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा–33 के अन्तर्गत जिला जज के सम्मुख अपील प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर रखा है, अतएव सीमाधिक्य रिक्त भूमि के बारे में शासन को धारा–34 के अन्तर्गत पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है। जिला जज के सम्मुख विचाराधीन अपील में शासन की ओर से क्रास आब्जेक्शन दाखिल करा दिये गये हैं। यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, मुख्य नगर अधिकारी/उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी वाराणसी को भूमि पर अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण रोकने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं।

जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा की जा रही अनियमितताएं

33–श्री राज किशोर सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के प्रथम गुरूवार के लिए पूछे गये अता0 प्र0 सं0 56 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर वाराणसी के मुहल्ला हुकुलगंज में निरस्त कंठ नगर कालोनी में बिछाई गई पानी की पाइप कितनी मोटी है ? कंठ नगर कालोनी दिनांक 1-1-86 को निरस्त होने के बाद उसमें 4 इंच के पानी की पाइप बिछाने की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर तत्कालीन प्रशासक/नगर महापालिका वाराणसी ने दिनांक 12-4-86 तथा 25-6-86 के आदेश द्वारा पाइप बिछाए जाने पर रोक लगा दिया था परन्तु उनके स्थानान्तरण के बाद नियम के विरुद्ध 4 इंच की पानी की पाइप बिछाकर उसमें बिना मीटर लगाए जल संयोजन दे दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

शहर वाराणसी के मुहल्ला हुकुलगंज में विवादित कण्ठनगर कालोनी के लिए जल संस्थान द्वारा कोई भी मेन पाइप लाईन नहीं बिछायी गयी है । एस-1016, हुकुलगंज, बाराणसी के दक्षिण-पश्चिम भाग मुहल्ले में पेयजल की आपूर्ति हेतु 4 इंच की मेन पाईप लाईन वहां के नागरिकगण विवादित कण्ठ नगर कालोनी के नवनिर्मित मार्ग से होते हुए अपने प्लाटों तक ले गये हैं। मकान नम्बर एस-1016 पर 6 प्लाटों का एक भू-विन्यास वर्ष 1961 में महापालिका द्वारा स्वीकृत हुआ था और यह पानी की लाईन भी उन्हीं के द्वारा डाली गयी है। यह स्वीकृत भू-विन्यास विवादित कंठनगर कालोनी के अतिरिक्त है जिसके निवासी गण विवादित कंठ नगर कालोनी के रास्ते से

आते जाते हैं और इसी मार्ग से उनकी पाइप लाइन भी उनके द्वारा बिछवाई गई है। इस बिछायी गयी 4 इंच की मेन पाइप लाइन का जल संस्थान की मेन पाइप लाइन से अन्तसंयोजना जल संस्थान द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए नियमानुसार किया गया।

कंठनगर कालोनी हेतु वाराणसी जल संस्थान द्वारा 4 इंच की कोई मेन पाईप लाईन नहीं बिछायी गयी है और न ही 4 इंच का कोई व्यक्तिगत जल संयोजन कंठनगर कालोनी को प्रदान किया गया है। तद्नुसार प्रशासक, नगर महापालिका, वाराणसी के आदेश की न तो कोई उपेक्षा की गयी है और न ही वाराणसी जल संस्थान स्तर से कोई नियम विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

जनपद जौनपुर में खण्ड विकास अधिकारी सिफरारा के विरुद्ध लगाये गये गम्भीर आरोपों की जांच

34–श्री राम सजीवन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विजय कुमार यादव, अध्यक्ष जिला नौजवान सभा जौनपुर ने जून व जुलाई, 1988 में जिलाधिकारी जौनपुर व अन्य उच्च अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र देकर खण्ड विकास अधिकारी सिफरारा के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की शिकायतें की हैं? यदि हां, तो उन पर कोई प्रभावी कार्यवाई न किये जाने का क्या कारण है ? प्रार्थना-पत्र जांच के लिए कब और किस अधिकारी को दिया गया? जांच पूर्ण न होने तथा बी0 डी0 ओ0 को दंडित न करने के क्या कारण हैं? क्या जांच किसी अन्य उच्च अधिकारी से अति शीघ्र ही करा ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री विजय कुमार यादव, अध्यक्ष, नौजवान सभा जौनपुर का खण्ड विकास अधिकारी सिफरारा के विरुद्ध शिकायती पत्र दिनांक 2-4-88 को प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायती पत्र तत्कालीन जिला विकास अधिकारी जौनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था। अंतत: इस प्रकरण में जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 जौनपुर को जांच के आदेश दिये गये। सहायक निबंधक की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। जांच में इंगित संदिग्ध बिन्दुओं के सम्बन्ध में विस्तृत जांच परगनाधिकारी (सदर) जौनपुर से कराई जा रही है।

सिंचाई विभाग बांदा के अभियन्ताओं के विरुद्ध गम्भीर आरोप

35–श्री राम सजीवन–

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में एसोसियेशन, बोरिंग टेक्नीशियन, लघु सिंचाई बांदा के संगठन मंत्री श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव ने श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के नाम एक खुला पत्र 31-7-88 को वितरित किया है जिसमें लघु सिंचाई विभाग बांदा के अभियंताओं के विरुद्ध गम्भीर आरोप

लगाये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या उस सम्बन्ध में कर्मचारियों द्वारा क्रमिक अनशन किया गया है ? अनशन कितने दिनों तक चला और उसके क्या परिणाम निकले ? उस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

उक्त पत्र मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया।

जी नहीं । उक्त पत्र के क्रम में लघु सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई अनशन नहीं किया गया । अतः उसके परिणाम निकलने एवं उसके संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में राजकीय बालिका इण्टर कालेज कर्वी के भवन निर्माण की कार्यवाही

36–श्री राम सजीवन–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में चित्रकूट धाम नगरपालिका कर्वी के अंतर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज कर्वी के भवन निर्माण हेतु जमीन देने के लिए जिला परिषद् बांदा सहमत हो गई है ? यदि हां, तो जिला परिषद् बांदा द्वारा जमीन हस्तांतरण के लिए कितनी कीमत मांगी जा रही है ? जिला परिषद् की जमीन खरीदने में शिक्षा विभाग कोताही क्यों कर रहा है? जिला परिषद् बांदा ने जमीन हस्तांतरित करने की सूचना शिक्षा विभाग को कब भेजी थी और अभी तक जमीन खरीदने के लिए साधारण धन की व्यवस्था न करने के क्या कारण है ? धन की व्यवस्था करके जमीन कब तक खरीद ली जायगी और भवन निर्माण कब तक करा दिया जायेगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

हां।

जिला परिषद् ने दिनांक 20-1-87 को भूमि के लिये 86,000 रुपये की मांग की थी। तद्नुसार भूमि क्रय कर ली गयी है तथा भवन निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के नगर अभियन्ता (भवन विभाग) द्वारा भवन निर्माण कर्ता को नक्शा पास होने की सूचना

37–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-4-76 को श्रीमती बन्नो निवासी पुराना महानगर, लखनऊ का अपने भूखंड सं0 815, बन्दोबस्त सन् 1928 के अनुसार, पर बने भवन का नक्शा पास कराने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर कोई प्रार्थना पत्र नक्शे सहित नगर अभियंता (भवन) लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नजूल विभाग ने श्रीमती बन्नो द्वारा

दिये गये उक्त प्रार्थना-पत्र पर "कोई आपत्ति नहीं की है", लिखकर अपने पत्रांक सं0 840 (एन0 एस0 ओ0) 1976, दिनांक 25-8-76 द्वारा नगर अभियंता (भवन विभाग) को दिनांक 3-9-76 को डाक रजिस्टर पर चढ़ा कर प्राप्त कराया गया था? यदि हां, तो अब तक नक्शा पास होने की सूचना न भेजने का क्या कारण है? क्या नक्शा पास होने की सूचना भवन निर्माण कर्ता को शीघ्र भेजने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीनाथ सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद उन्नाव के जिला विकास कार्यालय में कार्यरत बजट लिपिक श्री राज नारायण पाण्डेय को निलम्बन के स्थान पर प्रोन्नति के संबंध में मांगी गयी जांच रिपोर्ट एवं कृत कार्यवाही

38–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राज नारायण पाण्डेय बजट लिपिक, जिला विकास कार्यालय को लघु विकास अभिकरण के कार्यकाल में अनेक अनियमितताओं के फलस्वरूप तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (परियोजना) ने निलम्बित कर दिया था तथा जांचोपरान्त आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए सेवा मुक्त करने का आदेश जिला विकास अधिकारी, उन्नाव को दिया था? क्या यह सच है कि श्री पाण्डेय को सेवा मुक्त न कर प्रोन्नति कर दी गई है? क्या मंत्री जी पूरे प्रकरण की पुनः जांच करा कर दोषी कर्मचारी को दण्डित करने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां। श्री राज नारायण पाण्डे, ज्येष्ठ लिपिक, विकास कार्यालय, उन्नाव को अपर जिलाधिकारी (परियोजना) उन्नाव के आदेश संख्या-677/पी0 एफ0/प्रा0 लि0 दिनांक 5-5-82 द्वारा निलम्बित कर अपर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उन्नाव को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। जांचोपरान्त अपर जिलाधिकारी (परियोजना) ने जिला विकास अधिकारी, उन्नाव जो श्री पाण्डेय के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, को श्री पाण्डेय को सेवामुक्त करने की संस्तुति की, किन्तु तत्कालीन जिला विकास अधिकारी, उन्नाव ने अपने आदेश दिनांक 20-4-84 द्वारा श्री पाण्डे को अनन्तिम रूप से बहाल करते हुये श्री पाण्डे के विरुद्ध जांच चलते रहने के आदेश जारी किये। वर्तमान जिला विकास अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20-10-86 द्वारा उक्त मामले में श्री पाण्डेय की भर्त्सना करते हुये इन्हें कठोर चेतावनी दी थी। कालान्तर में श्री पाण्डे को वरिष्ठ लिपिक के पद से सहायक लेखाकार के पद पर प्रोन्नत भी किया गया है। इस प्रकरण में जिला स्तर पर अधिकार क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट न हो पाने के कारण अपेक्षित समन्वय स्थापित नहीं हो सका था। जिलाधिकारी उन्नाव को सम्पूर्ण तथ्यों की विवेचना कर आख्या प्रेषित करने के लिये निर्देशित कर दिया गया है।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों के निर्माण में मिट्टी की खुदाई पर सहायक अभियन्ता द्वारा व्यय की गयी धनराशि की जांच

39—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या नगर विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत इस्पात नगर में वर्ष 1986 से लेकर अब तक किये गये सड़कों के निर्माण में मिट्टी कार्यों पर 5 लाख से अधिक का भुगतान करने तथा मिट्टी सप्लाई में निर्धारित मात्रा से 40 प्रतिशत कम मिट्टी लगाकर कार्य कराये गये हैं जिसमें 10 लाख रुपये से अधिक लाभ नाजायज रूप से सहायक अभियन्ता तथा विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्राप्त किया ? यदि हां, तो क्या इस सन्दर्भ में जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस गम्भीर घोटाले की जांच अविलम्ब कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं । प्रश्नगत योजना में सड़कों के निर्माण में मिट्टी खुदाई कार्यों पर कुल 4.06 लाख रुपये का ही भुगतान किया गया है जो स्थल पर किये गये कार्यों के अनुसार है तथा मिट्टी की आपूर्ति नहीं करायी गयी है अतः नजायज लाभ का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि प्रश्नगत कार्य मानक के अनुसार है ।

जिला कार्यालय मथुरा में नियमावली के विपरीत लिपिकों की सूची में हेरा-फेरी

40—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास कार्यालय मथुरा में शासनादेश एवं विभागीय नियमावली के विपरीत लिपिकों की ज्येष्ठता सूची में दिनांक 18-1-88 को हेराफेरी की गई ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं । जिला विकास कार्यालय मथुरा के अन्तर्गत ग्राम विकास विभाग के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची वर्ष 1970, 1977, 1986 एवं 1987 में प्रकाशित हुई थी, के विरुद्ध प्रत्यावेदन लम्बित थे । विभागीय नियमावली के अनुसार जिला विकास कार्यालय, मथुरा के कर्मचारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 18-1-88 को जारी की गई । उक्त ज्येष्ठता सूची में हेरा फेरी नहीं की गई है । अतः इसकी जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

भू-गर्भ जल विभाग द्वारा स्ट्रेनर डिजाइन पर शोध कार्य पर वित्तीय दुरुपयोग को रोकने की नीति

41—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भू-गर्भ जल विभाग द्वारा नलकूपों की जाली के डिजाइन एवं शोध हेतु आगामी तीन वर्षों हेतु 3.46 लाख की योजना प्रस्तावित की गई है एवं वर्ष 1988–89 में 131 लाख का प्राविधान किया गया है? यदि हां, तो विभाग में कौन सा खण्ड स्ट्रेनर डिजाइन पर शोध का कार्य कब से कर रहा है तथा आज तक वर्ष वार क्या विशिष्ट कार्य किया गया ? यदि नहीं, तो शोध के नाम पर होने वाले वित्तीय दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या नीति अपनाई जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां, निदेशक, भू-गर्भ जल विभाग द्वारा "स्ट्रेनर्स के अध्ययन एवं अभियन्त्राण परिकल्पन" के लिए एक प्रायोजना प्राकलन प्रस्ताव किया गया था ।

वर्ष 1988–89 हेतु उक्त प्रायोजना में धनराशि का कोई प्राविधान नहीं किया गया है । विभागीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत ही स्ट्रेनर्स डिजाइन का प्राथमिक अध्ययन व सर्वेक्षण किया गया था ।

विभागीय के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979 में विशिष्ट अध्ययन हेतु सृजित खण्ड–पंचम में स्ट्रेनर डिजाइन का अध्ययन प्रारम्भ किया गया था तथा प्राथमिक अध्ययन व सर्वेक्षण के आधार पर 10 जनपदों के लिए तकनीकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई तथा एक प्रदेश स्तर की रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें स्ट्रेनर व कैविटी नलकूपों के निर्माण हेतु क्षेत्रों का सीमांकन किया गया । इसके अतिरिक्त बोरिंग कार्य में संलग्न व्यक्तियों को तकनीकी जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु हिन्दी भाषा में "हैण्डबोरिंग की आवश्यक जानकारी" व "हैण्डबोरिंग गाइड" नामक मैनुअल भी प्रकाशित किये गये । अतः शोध के नाम पर वित्तीय दुरुपयोग होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रदेश में जलधारा योजना के अन्तर्गत जनपदों में कुओं के निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु धनराशि का प्राविधान

42—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1988-89 में प्रदेश में जलधारा योजना के अन्तर्गत किन जनपदों में कितने कुओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं प्रति कुआं कितनी धनराशि का प्राविधान है ? क्या बुन्देलखण्ड में उक्त स्वीकृत धनराशि में कुंए का निर्माण हो सकेगा ? भविष्य में पड़ने वाले सूखे से, उक्त निर्मित कुंओं को बनाने हेतु भूगर्भ जल विभाग द्वारा विधिवत् सर्वेक्षण हेतु प्रति कुंआ कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 88-89 में जीवन धारा योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार जनपदों में कुओं का निर्माण प्रस्तावित है।

क्रमांक	जनपद का नाम	आर0एल0ई0 जी0पी0	एन0आर0ई0 पी0	योग
1	रामपुर ..	12	13	25
2	बरेली ..	16	16	32
3	अलीगढ़ ..	25	25	50
4	जालौन ..	25	25	50
5	इलाहाबाद ..	85	85	170
6	फर्रुखाबाद ..	105	105	210
7	वाराणसी ..	225	225	450
8	जौनपुर ..	60	60	120
9	गाजीपुर ..	25	25	50
10	खीरी ..	63	62	125
11	गोरखपुर ,	62	63	125
12	बस्ती ..	50	50	100
13	आजमगढ़ ..	100	100	200
14	फैजाबाद ..	75	75	150
15	बहराइच ..	108	107	215
16	बाराबंकी ..	40	40	80
17	गोण्डा ..	72	72	144
18	प्रतापगढ़ ..	37	38	75
19	सुल्तानपुर ..	12	12	24
	योग ..	1197	1198	2395

जनपदों को यह विकल्प भी दिया गया है कि यदि लक्ष्य निर्धारण के पश्चात् भी यह समझा जाय कि कुएं सफल नहीं होंगे अथवा लागत के सापेक्ष उनकी लाभप्रदता सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी । तो इस कार्य हेतु निर्धारित धन किसी अन्य अनुमन्य योजना में व्यय कर दिया जाय । प्रति कुंआ रुपया 12,000/- का औसत प्राविधान है । नाबार्ड से अनुमोदित लागत के अनुसार चट्टानी क्षेत्र के लिए यह धनराशि पर्याप्त है ।

कुंओं को बनाने हेतु भू गर्भ जल विभाग द्वारा विधिवत् सर्वेक्षण हेतु किसी भी धनराशि का प्राविधान नहीं किया गया है क्योंकि योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्गत निर्देशों में यह व्यवस्था की गयी है कि कुंओं का निर्माण भू गर्भ जल संस्थान से भू गर्भ जल की उपलब्धता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके ही किया जाय ।

जिला फर्रुखाबाद की किसान सेवा सहकारी समिति सिकन्दरपुर के अध्यक्ष व सचिव पर गबन के आरोप की जांच

43–श्री दीप नारायण–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-फर्रुखाबाद की किसान सेवा सहकारी समिति सिकन्दरपुर जिला-फर्रुखाबाद के अध्यक्ष व सचिव के विरुद्ध विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1973–74, 1972–73, 1971–72, 1979-80 में प्रदर्शित गबन के आधार पर थाना-छिबरामऊ में वर्ष 1983 में दफा 409 जा0 फे0 मु0 इ0 नं0 300, 300ए 300बी/83 जयनरायन दीक्षित तत्कालीन प्रशासक द्वारा दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की जांच (विवेचना) विवेचना अधिकारी विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता एम0 आई0 जी0 182 डब्लू ब्लाक उस्मानपुर जुही कानपुर के पास ही है ? यदि हां, तो जांच में क्या हुआ ? क्या जांच पूरी हो गयी है? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ? यदि जांच पूर्ण नहीं हो सकी है, तो जांच कब तक पूरी होकर विभाग कार्यवाही पूर्ण करेगा ?

श्री समर पाल सिंह–

किसान सेवा सहकारी समिति सिकन्दरपुर, जिला फर्रुखाबाद के वर्ष 1971-72 के विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में गबन का कोई अभियोग किसी के द्वारा पंजीकृत नहीं कराया गया है और न ही इस संबंध में इस वर्ष के प्रकरण की जांच (विवेचना) ही विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता, कानपुर द्वारा की जा रही है । अपितु वर्ष 1972-73, 1973-74, 1974-75 के विशेष लेखा प्रतिवेदन के आधार पर श्री जय नरायन दीक्षित तत्कालीन प्रशासक किसान सेवा सहकारी समिति सिकन्दरपुर, जिला फर्रुखाबाद ने उक्त समिति के अध्यक्ष राम विलास तिवारी, सचिव बनवारी लाल के विरुद्ध अ0 सं0 300, 300ए व 300 बी/83 धारा 409 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया है तथा वर्ष 1979-80 के विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के आधार पर अ0 सं0 300सी/83 केवल अध्यक्ष राम विलास तिवारी के विरुद्ध धारा 409 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत थाना छिबरामऊ, फर्रुखाबाद में पंजीकृत कराया है ।

उक्त अभियोगों की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता, अपराध अनुसंधान विभाग, कानपुर को सुपुर्द की गयी है ।

उक्त अभियोगों की जांच (विवेचना) के वर्ष 1989 में पूर्ण होने की आशा है ।

अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर कारखाना जनपद देवरिया के प्रधानाचार्य द्वारा हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण कराने हेतु पैसा वसूली की जांच

44–श्री मित्रसेन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर कारखाना जिला-देवरिया के प्रधानाचार्य द्वारा वर्ष 1986 की हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के लिए प्रति छात्र/छात्रा से पैसा वसूला गया और इस अनियमित

कार्यवाही की शिकायत पर उक्त विद्यालय के व्यवस्थापक द्वारा प्रधानाचार्य का स्पष्टीकरण मांगा गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी विस्तृत जांच कराकर प्रधानाचार्य को दण्डित करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

नहीं ।

नहीं ।

जांच हो चुकी है, प्रधानाचार्य दोषी नहीं पाये गये ।

जिलाधिकारी मथुरा के सभापतित्व में किसान इण्टर कालेज सौंखखेड़ा (मथुरा) की प्रबन्ध समिति का चुनाव

45–श्री मित्रसेन–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी मथुरा के सभापतित्व में किसान इण्टर कालेज सौंखखेड़ा (मथुरा) की प्रबंध समिति का चुनाव अलोकतांत्रिक तरीके से होता चला आ रहा है तथा जिलाधिकारी मथुरा भी राजाज्ञा एवं शासनादेश की मंशाओं के खिलाफ उक्त प्रबंध समिति/साधारण सभा के सभापति बने हुए हैं ? यदि हां, तो क्या शासन जिलाधिकारी को उक्त पद से त्यागपत्र देने को बाध्य कर लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव कराने का कष्ट करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

प्रबंध समिति का चुनाव प्रशासन योजना के अनुसार दिनांक 8-12-88 को विधिवत कराया गया है ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 (वर्ष 1980 तक संशोधित) के विनियम-16 तथा प्रशासन योजना के अधीन जिलाधिकारी मथुरा संस्था की साधारण सभा के पदेन सभापति रहते आये हैं ।

नहीं ।

इसका कोई औचित्य नहीं है ।

अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर कारखाना जिला देवरिया के प्रधानाचार्य द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में अन्य तिथि के संशोधन किये जाने की जांच

46–श्री मित्रसेन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर कारखाना जिला देवरिया के प्रधानाचार्य जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी हैं, द्वारा उक्त विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सर्वश्री राम देव व मुन्नर यादव, की सेवा पुस्तिकाओं में दर्ज जन्म-तिथि में संशोधन कर दिया गया है, ताकि उनकी सेवा की अधिवर्षता की तिथि के उपरांत सेवा का लाभ उन्हें मिल सके ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री रामदेव नहीं अपितु श्री श्याम देव तथा श्री मुन्नर यादव की सेवा पुस्तिकाओं में अंकित जन्म तिथियों में संशोधन किया गया था ।

दोषी प्रधानाचार्य श्री जगन्नाथ सिंह दिनांक 30-6-81 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा श्री श्यामदेव अब स्वर्गवासी हो चुके हैं ।

अवर अभियन्ता/अपर मुख्य अधिकारी जिला परिषद् चमोली के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कार्यवाही

47–श्री राम शरण दास–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद् चमोली से अवर अभियंताओं/अभियन्ता/अपर मुख्य अधिकारी के विरुद्ध जनवरी, 1988 में आरोप पत्र बनकर आये थे जो अभी तक शासन के विचाराधीन हैं? इस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला परिषद् चमोली में वर्ष 84-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित सड़क/पुल/भवनों के निर्माण में बरती गयी अनियमितता पर मुख्य प्राविधिक परीक्षक टैक्निकल आडिट सेल, ग्राम्य विकास विभाग लखनऊ द्वारा जांच की गयी थी। जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए जिला परिषद् चमोली के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री लीलाधर पाठक, तत्कालीन अभियन्ता श्री रमेश चन्द्र आर्य व अवर अभियन्ता सर्वश्री चक्रधर डिमरी, श्री आर0 एस0 कठैत, श्री गोविन्द बल्लभ खण्डूरी तथा भूतपूर्व अवर अभियन्ता मनमोहन डिमरी तथा रघुनाथ सिंह नेगी के विरुद्ध अलग-अलग आरोप पत्र तैयार कर शासन को भेजने हेतु जिला परिषद् चमोली को लिखा गया था । प्रकरण में सर्वश्री लीलाधर पाठक तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी व श्री रमेश चन्द्र आर्य तत्कालीन अभियन्ता जिला परिषद् चमोली के विरुद्ध आरोप पत्र प्राप्त होने पर सितम्बर, 1986 में निलम्बित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश पारित कर दिए गये थे। सर्वश्री चक्रधर डिमरी, गोविन्द बल्लभ खण्डूरी तथा आर0 एस0 कठैत के विरुद्ध आरोप पत्र शासन को जनवरी, 1988 में प्राप्त हुआ था। आरोप पत्र की गम्भीरता के आधार पर शासन के आदेश दिनांक 4-11-88 द्वारा निलम्बित किया जा चुका है तथा प्रकरण में उप विकास आयुक्त पौड़ी गढ़वाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

इस प्रकार संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र पर शासन द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

प्रदेश की प्रत्येक तहसील में चुनाव का कार्य किये जाने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

48–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग की इस सिफारिश को हाल में ही स्वीकार कर लिया है कि प्रदेश की प्रत्येक तहसील में चुनाव का कार्य करने के लिए 2 लिपिक तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जाय? यदि हां, तो नियुक्ति कब से की जायेगी? यदि नहीं, की जायेगी, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की टाउन एरिया पुवायां के कतिपय कर्मचारियों के आयु संबंधी फर्जी प्रमाण-पत्रों के आरोप की जांच

49—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद—शाहजहांपुर की टाउन एरिया पुवायां में कार्यरत कर्मचारियों श्री बंशी लाल पुत्र श्री बल्देव, श्री नरेन्द्र शर्मा पुत्र बृज किशोर, श्री प्रसादी पुत्र गुलजारी, श्री थम्मन पुत्र मोहकम की पत्रावली में आयु संबंधी सभी संलग्न प्रमाण-पत्रों से उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए परन्तु इसके बावजूद इनको निर्धारित तिथि को क्यों नहीं सेवा निवृत्त किया गया?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इन सभी मामलों की विस्तृत जांच करायी जा रही है।

जिला पीलीभीत में जयहिन्द कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के घोटाले की प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच

50—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित जयहिन्द कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी ग्राम-खिरका जिला—पीलीभीत में किये गये घोटाले व अनियमितताओं के विषय में प्रश्नकर्ता को कोई पत्र दिनांक 23 मई, 1988 का प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या इस पर कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री समरपाल सिंह—

जी हां। प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-5-88 के साथ संलग्न श्री चन्द्र मोहन भसीन के शिकायती पत्र दिनांक 12-3-88 पर जांच कराई गई। जांच में शिकायतकर्ता के तथाकथित मुख्तारनामे पर उनकी जमीन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुभाष भसीन, जो शिकायतकर्ता के रिश्तेदार हैं, द्वारा बेचने का प्रकरण प्रकाश में आया है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

भूगर्भ जल विभाग में प्राविधिक सहायकों को तदर्थ नियुक्ति प्रदान किया जाना

51—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि भू-गर्भ जल विभाग में 24-1-83 को विनियमित किये गये प्राविधिक सहायकों को उस समय संवर्ग क्यों नहीं दिया गया जबकि संवर्गबार प्राविधिक सहायक के पदों का सृजन पहले ही हो चुका था? इन विनियमित प्राविधिक सहायकों में से कितने को कब-कब श्रेणी—2 के पद पर तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गयी? शेष अन्य को कब तक पद दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल विभाग में 24-1-83 को विनियमित किए गए प्राविधिक सहायकों की तदर्थ नियुक्ति के समय संवर्ग निर्धारित नहीं था। इसलिए नियमितीकरण करते समय उक्त कार्मिकों के संवर्ग का उल्लेख नहीं किया गया था।

उक्त विनियमित किए गए प्राविधिक सहायकों में से तीन कार्मिकों को श्रेणी–2 के पद पर उनकी अर्हता एम0 एस0 सी0 (ज्योलाजी/जियोफिजिक्स) होने के कारण कार्य हित में दिनांक 31-1-77 एवं 26-3-77 को तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गयी। शेष बचे एक कार्मिक की अर्हता बी0 एस0 सी0 होने के कारण नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी। वर्तमान सयय में पद उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल पद दिया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद फर्रुखाबाद में जिला परिषद् द्वारा संचालित आयुर्वेदिक औषधालय एवं मरीजों की औसत संख्या

52–श्री ब्रह्म दत्त द्विववेदी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में जिला परिषद् द्वारा संचालित कितने औषधालय आयुर्वेदिक व यूनानी हैं और कितनी डिस्पेंसरी एलोपैथिक हैं? इन अस्पतालों में मरीजों की औसत संख्या प्रतिदिन क्या रहती है और कितने चिकित्सक हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्तमान समय में जिला परिषद् फर्रुखाबाद द्वारा केवल 17 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित किये जा रहे हैं। इस परिषद् द्वारा कोई भी यूनानी व एलोपैथिक औषधालय संचालित नहीं किया जा रहा है। इन आयुर्वेदिक औषधालयों में मरीजों की औसत संख्या प्रतिदिन प्रति औषधालय 13 है। इन चिकित्सालयों में 6 वैतनिक चिकित्सक तथा 11 अवैतनिक चिकित्सक कार्यरत है।

जिला परिषद् फर्रुखाबाद द्वारा खरीदी गयी कुर्सियों के मूल्य में विषमता

53–श्री ब्रह्म दत्त द्विववेदी–

क्या पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् फर्रुखाबाद में 13000 रुपये की प्लास्टिक की कुर्सियां बगैर कोटेशन्स व मंडलायुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए 275 रुपये प्रति कुर्सी क्रय की गई हैं जबकि यही कुर्सियां ए0 डी0 एम0 परियोजना द्वारा 250 रुपये प्रति कुर्सी की दर से क्रय की गयी हैं? एक ही फर्म की कुर्सियों में इतने अधिक मूल्य का औचित्य क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला परिषद् फर्रुखाबाद में 50 कुर्सियां क्रय करने तीन फर्मों से कोटेशन प्राप्त किये गये जिसमें से श्रृंगारी एण्ड सन्स बिरहाना रोड, कानपुर का रेट सबसे न्यूनतम होने के कारण उस फर्म से 275 प्रति कुर्सी की दर से 50 कुर्सियां

13,750 रुपये में क्रय की गयीं तथा व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति मण्डलायुक्त कानपुर के पत्र दिनांक 12-9-88 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। जो कुर्सियां अपर जिला अधिकारी परियोजना द्वारा खरीदी गयी हैं, वह भिन्न स्पेसीफिकेशन की हैं जिनका रेट रु0 250 प्रति कुर्सी है । इसी कारण से मूल्यों में भिन्नता है ।

वाराणसी नगर अन्तर्गत पाण्डेपुर में कचहरी से पाण्डेयपुर तक जल भराव समाप्त करने की व्यवस्था की मांग

54–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर अन्तर्गत पाण्डेपुर में कचहरी से पाण्डेयपुर जाने वाली रोड के उत्तरी भूभाग में जल भराव को समाप्त करने के लिए कोई व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत क्षेत्र में एक पोखरी है जिसमें आस-पास का पानी इकट्ठा होता है। उक्त पोखरी के स्वामित्व के सम्बन्ध में न्यायालय में एक वाद विचाराधीन होने के कारण जल-भराव की समस्या के समाधान हेतु कोई योजना बनाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालय के निर्णय के बाद ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही सम्भव होगी।

जनपद वाराणसी के कतिपय मोहल्लों में सीवर लाइन बिछाने की व्यवस्था

55–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वाराणसी नगर अंतर्गत किन-किन मुहल्लों में सीवर लाइन पाइप बिछाये जाने का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है? क्या उक्त क्षेत्रों में सीवर पाइप लाइन की व्यवस्था किये जाने हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वाराणसी नगर के सरायनंदन, बजरडीहा, खोजवां एवं ट्रान्स बरूणा क्षेत्र के शिवपुर, भोजूबीर एवं पाण्डेयपुर के मुहल्लों में कोई सीवर लाइन नहीं डाली गयी है।

ट्रान्स बरूणा क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य सीवर पाइप बिछाये जाने हेतु गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक योजना अनुमानित लागत रु0 15.10 करोड़ की बनाई गई है। इस योजना पर गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत धन उपलब्ध न होने के कारण निकट भविष्य में कार्य प्रारम्भ कराये जाने की आशा नहीं है। धनाभाव को देखते हुए शेष मुहल्ले सरायनन्दन, बजरडीहा एवं खोजवा में सीवर लाइन बिछाये जाने हेतु कोई योजना अभी विरचित नहीं की गई है।

56–श्री कनक सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक लखीमपुर खीरी के वरिष्ठ सहायक (श्री नरेश चन्द्र सक्सेना) के पूर्व अंतिम पेंशन का भुगतान

57–नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि श्री नरेश चन्द्र सक्सेना, (सेवा निवृत्त दिनांक 31-8-86) वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक लखीमपुर खीरी को केवल अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करने के उपरान्त उनके लंबित पेंशन प्रकरण के निस्तारण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री नरेश चन्द्र सक्सेना के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है। उक्त कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व अन्तिम पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकता।

शाहजहांपुर जनता इण्टर कालेज के भूतपूर्व प्रधानाचार्य की पत्नी को आर्थिक अवशेषों का भुगतान

58–नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि जनता इण्टर कालेज चौक शाहजहांपुर के भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री हरिनाथ भिंगरन (जिन्हें स्वर्गवासी हुए आठ वर्ष होने जा रहे हैं) की पत्नी श्रीमता कुसुम लता भिंगरन को उनके पति के समस्त आर्थिक अवशेषों का भुगतान हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें शिथिलता बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां । भुगतान हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के पूर्व कर्मचारियों के उत्पीड़न की मूलभूत कठिनाइयों के निवारणार्थ कार्यवाही

59–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को मा0 विधायक श्री काशी सिंह ऐरी के पत्रांक प्र0 सं0/432-3/88 दिनांक 18-3-88 द्वारा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान-उत्तरकाशी के पूर्व कर्मचारियों के उत्पीड़न की सूचना प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो इन मूलभूत कठिनाइयों के निवारणार्थ सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित कर्मचारी श्री वी0 पी0 बडूनी की पेंशन की स्वीकृति के आदेश जारी किए जा चुके हैं ।

प्रदेश में ग्राम सभाओं की आय बढ़ाने की मांग

60–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या पंचायती राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 115-डी के मुकदमों के जुर्माने से प्राप्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के खातों में स्थानान्तरित किये जाने का नियम है ? यदि नहीं, तो इस धनराशि का क्या उपयोग किया जाता है ? प्रश्नकर्ता निर्वाचन क्षेत्र पुरवा (उन्नाव) में ऐसे मुकदमों के जुर्माने से कितनी धनराशि वर्ष 1986–87, 1987-88 में वसूल की गयी है ? कितनी धनराशि ग्राम सभाओं को स्थानान्तरित हो चुकी है ? कितनी धनराशि स्थानान्तरित नहीं हुई और क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला सहकारी बैंक उन्नाव पर गबन के आरोप की जांच

61–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिला सहकारी बैंक में गम्भीर अनियमितताओं व लाखों रुपये के दुरुपयोग विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 2/ज0पा0/88, सचिव, सहकारिता निबंषक सहकारिता विभाग, तथा प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक को 24-11-88 को मिला है ? यदि हां, तो सन्दर्भित मामले की जांच किसने की और क्या जांच अधिकारी ने प्रश्नकर्ता से भेंट की है ? जांच के निष्कर्ष क्या हैं दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों पर विभागीय क्या कार्यवाही की गयी है ? भा0 द0 वि0 की किन धाराओं में मुकदमा दायर किया गया है ?

श्री समर पाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के गांव सभाओं के नवनिर्वाचित प्रधानों की हत्या/मृत्यु से रिक्त पद हेतु चुनाव की कार्यवाही

62–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के कितनी गांव सभाओं के नवनिर्वाचित प्रधानों की हत्या अथवा मृत्यु हो गयी है ? ऐसी सभी गांव सभाओं में प्रधान पद का चुनाव शीघ्र कराने में सरकार को क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नव-निर्वाचित प्रधानों को विभागीय अधिकारियों के कारण चार्ज न दिलाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

63–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में अभी तक बहुत सी ग्राम सभाओं के नव-निर्वाचित प्रधानों को पुराने प्रधानों तथा विभागीय कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के कारण चार्ज नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और ऐसे सभी मामलों में नव-निर्वाचित प्रधानों को चार्ज दिलाने तथा इसमें हुए विलम्ब के लिए दोषी लोगों को दण्डित करने के लिए सरकार क्या कर रही है और यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टाउन एरिया कमेटी रिसिया, बहराइच पर भ्रष्टाचार का आरोप

64–श्री विष्णु देव एवं श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि टाउन एरिया कमेटी रिसिया जिला बहराइच में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं द्वारा शोषण किये जा रहे नागरिकों के सम्बन्ध में सचेतक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा (श्री शेर बहादुर सिंह) ने स्थानीय निकाय निदेशक, सचिव नगर विकास, जिलाधिकारी बहराइच, नगर विकास मंत्री एवं मुख्य मंत्री आदि को आवश्यक जांच हेतु शिकायती पत्र माह जून, 1988 में प्रेषित किया है ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ? क्या वांछित जांच करायी गयी ? यदि हां, तो वस्तुगत जांच रिपोर्ट क्या मंत्री जी सदन के पटल पर रखकर कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी नगर महापालिका की भूमि पर अवैध निर्माण पर कृत कार्यवाही

65–श्री विष्णु देव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका क्षेत्र में नाटोइमली धूप मण्डी मुहल्ले में मकान नं0 जे 12/78 तथा जे 12/79 के बीच 13×39 फुट सार्वजनिक नगर महापालिका की भूमि पर किसी व्यक्ति ने अवैध निर्माण कार्य करा लिया है ? यदि हां तो अवैध निर्माण कार्य गिराने के लिए नगर महापालिका ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मकान नं0 जे0 12/78 तथा जे0 12/79 के बीच 13×39 फुट की गली है । उस भूमि पर वर्ष 1980 में 19 फीट 9 इंच×12 फीट 7 इंच का एक टिन शेड व कमरे का निर्माण कराया गया था, जिसे विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1983 में शमन शुल्क (कम्पाउंडिंग फीस) लगाकर नियमित कर दिया गया है ।

जिला बस्ती के बांसी, मिठवल और खेसरहा विकास खण्डों में कृषकों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधा

66–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985–86 तथा 86–87 में बस्ती, मिठवल तथा खेसरहा में जिन किसानों को फ्री-बोरिंग की सुविधा दी गई है उनमें से कितने कार्य नहीं कर रहे हैं ? उनके कारण क्या हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्तमान सूचनाओं के आधार पर वर्ष 85-86 तथा 86-87 में विकास खण्ड बांसी, मिठवल एवं खेसरहा में क्रमशः 1, 1 एवं 2 फ्री बोरिंग कार्य नहीं कर रही है । उक्त सभी बोरिंग भूमिगत स्ट्राटा में बदलाव आने तथा कैविटी फट जाने के कारण कार्य नहीं कर रही है ।

डी0 ए0 बी0 इण्टरमीडिएट कालेज बलिया में पदों के सृजन हेतु कार्यवाही

67–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सर्वाधिक छात्र संख्या वाले डी0 ए0 बी0 इण्टरमीडिएट कालेज, बिल्थरा रोड, जिला बलिया में कितने-कितने शिक्षकों लिपिकों व चपरासियों के पदों के सृजन हेतु आवेदन पत्र प्रबन्ध समिति ने शासन को भेजे हैं ? क्या सरकार इस इण्टरमीडिएट कालेज की छात्र संख्या के अनुरूप पद सृजन की स्वीकृति देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रबन्ध समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निम्नांकित पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा था :–

1–प्रवक्ता	4 पद
2–विज्ञान प्रदर्शक	3 पद
3–प्रशिक्षित स्नातक	10 पद
4–सी0 टी0 वेतन क्रम	2 पद
5–लिपिक	3 पद
6–परिचारक	6 पद

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए पद सृजन पर रोक लगी है । पद सृजन संबंधी रोक हटने पर ही सृजन सम्भव हो सकेगा ।

68–श्री मैनेजर सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में वेदान्त के रीडर को पदोन्नति से वंचित रखा जाना

69—श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में वेदान्त विभाग के रीडर को सितम्बर, 1988 में पदोन्नति से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उनकी सेवा सातत्य एवं पदोन्नति के प्रकरण पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिये जाने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पुनरीक्षित वेतनमान में अध्यापकों के वेतन निर्धारण एवं पदोन्नति हेतु इस विश्वविद्यालय में गठित समिति विचार कर रही है ।

विश्वविद्यालय के स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण शासन उसके आन्तरिक मामलों के संबंध में आदेश देने के लिए सक्षम नहीं है।

गोरखपुर मण्डल के उपविद्यालय निरीक्षक तथा सहायक बलिया विद्यालय निरीक्षकों के यात्रा भत्ता की मांग

70—श्री सुख पाल पाण्डे—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के प्रत्येक जिले के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षकों के लिए यात्रा-भत्ता की मांग कितने रुपये की 1986-87 व 1987-88 को की गई थी ? उसमें से कितना धन दिया गया है तथा कितना धन देना शेष है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिलेवार मांग, स्वीकृत धनराशि तथा अवशेत का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 238 पर)

भूतपूर्व प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या उ0 माध्यमिक विद्यालय, उत्तर काशी पर शिक्षा निदेशक द्वारा कृत कार्यवाही

71—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0 एन0 द्विवेदी संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ पत्र संख्या—5598/15-1-3/41/6/66 दिनांक 24-9-87 शिक्षा (1) अनुभाग बाबत कु0 इंदिरा जंगपामी (30-6-76 को सेवा निवृत्त) भू0पू0 प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या उ0 मा0 विद्यालय उत्तर काशी, पर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

भुगतान के लिये एक अधिसंख्यक पद के सृजन की आवश्यकता थी जिसको स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है । अब शिक्षा निदेशक द्वारा इस भुगतान की कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

बस्ती जनपद के बढ़नी विकास खण्ड में वृक्षारोपण पर हुए व्यय का विवरण

72–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 और 87-88 में बस्ती जनपद के बढ़नी विकास खण्ड में विकास खण्ड के माध्यम से कहां-कहां और किन-किन आराजी नम्बरान पर वृक्षारोपण किया गया है ? उनका क्षेत्रफल क्या है तथा कितने मजदूरों द्वारा यह कार्य कराया गया एवं इस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बढ़नी में वर्ष 86-87 में और 87-88 में विकास खण्ड के माध्यम से वृक्षारोपण कराये गये ग्राम सभाओं, आराजी नम्बरान, क्षेत्रफल एवं लगाये गये मजदूरों की संख्या तथा इस पर हुए व्यय का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 240 पर)

73–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[दि0 17-3-88 को अता0 प्र0 सं0 40 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा श्रीमती तारा देवी को आवंटित भवन के निरस्तीकरण एवं धनराशि वापस करने की सूचना

74–श्री राजकिशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ के पत्रांक 6411/सं0 प्र0-3 दिनांक 10-7-87 के सन्दर्भ में श्रीमती तारा देवी को तथा कथित आवंटित भवन संख्या 4/8 के निरस्तीकरण एवं धनराशि वापस करने की सूचना भेजी गयी है ? क्या उक्त पत्र का परिपालन विभाग द्वारा किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् फर्रुखाबाद के पंचायत प्रशिक्षण के स्टोर में हजारों रुपया मूल्य के सामान के गोल माल की जांच का निष्कर्ष

75–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या पंचायत राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् फर्रुखाबाद के पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र का सारा सामान तथा स्टाक रजिस्टर जिला परिषद् में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि जिला परिषद् स्टोर में हजारों रुपया मूल्य के सामान का गोल माल है और उसकी जांच 6 वर्ष से चल रही है ? यदि हां, तो जांच का निष्कर्ष क्या है एवं उसके लिए उत्तरदायी कौन है ? अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला परिषद् फर्रुखाबाद के पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र के समाप्त होने के पश्चात् प्रशिक्षण भवन को जिला परिषद् द्वारा क्रय कर लिया गया था । प्रशिक्षण केन्द्र प्रान्तीय सरकार द्वारा संचालित था, इसलिए परिषद् में उक्त सामान के रजिस्टर/अभिलेख उपलब्ध नहीं है । प्रशिक्षण केन्द्र की दस थालियां, गिलास, चिमटा, तबला व टूटी हुयी चारपायी उपलब्ध है । जिला परिषद् स्टोर के सभी रजिस्टर उपलब्ध है, सत्यापन जिला परिषद् के अभियन्ता व कर अधिकारी द्वारा किया जा चुका है । सन् 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के फलस्वरूप जो सामान जिला परिषद् के प्रयोग में था वह जिला परिषद् के पास है और जो सामान शिक्षा परिषद् के प्रयोग में था वह बेसिक शिक्षा परिषद् के पास है । दोनों अधिकारियों द्वारा सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त यदि परिषद् को क्षति की स्थिति आती है तो यथा स्थिति संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए क्षतिपूर्ति हेतु यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी ।

बलिया जनपद के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों व सीमान्त किसानों को आई0 आर0 डी0 स्कीम से लभान्वित किया जाना

76–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर व नगरा में वर्ष 1985-86, 86-87 व 1987-88 में कितने-कितने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों व सीमान्त किसानों को आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत लाभान्वित कराया गया है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलिया के सीयर व नगरा विकास खण्डों के ग्राम प्रधानों के पूर्ण चार्ज सुनिश्चित कराना

77–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद के सीयर व नगरा विकास खण्डों के कितने-कितने ग्राम प्रधानों को अब तक पूर्ण चार्ज नहीं प्राप्त हो सका है? क्या सरकार पूर्ण चार्ज सुनिश्चित कराने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

बलिया जनपद के किसान को फ्री बोरिंग स्कीम से लाभान्वित किया जाना

78–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सीयर व नगरा विकास खण्डों में वर्ष 1985-86, 86-87 व 1987-88 में कितने-कितने किसान फ्री बोरिंग स्कीम के अन्तर्गत लाभान्वित हुए हैं तथा कितने आवेदक किसानों के मामले लम्बित हैं और उसके जिम्मेदार कौन है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि फ्री बोरिंग स्कीम के अन्तर्गत कितने किसानों को छूट स्वीकृत नहीं की गयी है और उनको कब तक छूट स्वीकार कर दी जाएगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1985-86, 86-87 व 87-88 में बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर में क्रमशः 77,115 तथा 151 एवं विकास खण्ड नगरा में क्रमशः 49,50 तथा 86 कृषकों को फ्री बोरिंग योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है। उक्त वर्षों में किसी भी आवेदक कृषक का मामला लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड सीयर में वर्ष 85-86, 86-87 एवं 87-88 में निःशुल्क बोरिंग पर अनुदान समायोजन क्रमशः शून्य, 64 एवं 164 पर किया गया है तथा नगरा विकास खण्ड में वर्ष 85-86, 86-87 एवं 87-88 में क्रमशः 1,32 एवं 69 पर अनुदान समायोजन किया गया है शेष पत्रावलियों पर कार्यवाही वर्ष 88-89 में हो रही है।

हरदोई बेसिक शिक्षकों के वेतन से बीमा धनराशि की कटौती तथा मृतकों को धनराशि का भुगतान

79–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के बेसिक शिक्षकों के वेतन से बीमा की धनराशि की कटौती की जा रही है? यदि हां, तो विगत वर्ष सेवा से अवमुक्त अथवा मृतक की स्थिति में कितने शिक्षकों को बीमा की धनराशि का भुगतान कराया गया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

67 शिक्षकों की।

नगर विकास क्षेत्र निचलौल गोरखपुर में जल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत जल सम्पूर्ति न किये जाने का कारण

80–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर विकास क्षेत्र निचलौल गोरखपुर में जल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत 1980 में करीब 3 लाख रुपये के लागत के दो पम्प स्टेशन बनाये गये किन्तु अभी तक जल सम्पूर्ति नहीं हो रही है? इसके क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वर्ष 1980 में कोई कार्य नहीं हुआ था।

वर्ष 1981-82 में दो ट्यूबवेल का निर्माण एवं तत्सम्बन्धी पम्प हाउस का कार्य ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ हुआ था जिस पर रुपये 3.18 लाख व्यय हुआ है।

धनाभाव के कारण उक्त योजना का कार्यान्वयन अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है।

81–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

अधिशासी अभियंता ग्रा0 अभि0 सेवा गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कृत कार्यवाही

82–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित और अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिमंडल गोरखपुर कैम्प वाराणसी को पृष्ठांकित श्री संकठा प्रसाद यादव, प्रान्तीय अध्यक्ष पिछड़ा अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति का पत्र दि0 4-11-88 प्राप्त हो गया है जिसमें अधिशासी अभियंता ग्रा0 अभि0 सेवा गोरखपुर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं? यदि हां, तो अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिमण्डल-गोरखपुर द्वारा की जा रही है।

वाराणसी जनपद के विभिन्न मुहल्लों में प्रस्तावित कच्चे नालों का पूर्ण किया जाना

83–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के अन्तर्गत विभिन्न मुहल्लों में विभिन्न कच्चे नालों का निर्माण वर्ष 1986-87, 87-88 में किया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो अब तक कितना कार्य पूरा किया गया है और कितना कार्य अवशेष है और वह कब तक पूरा कर लिया जायगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वाराणसी नगर महापालिका क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में दो कच्चे नालों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित था, जिसे पूर्ण कर लिया गया था। अब कोई कार्य अवशेष नहीं है।

कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता विद्युत यांत्रिक तृतीय शाखा उ0 प्र0 जल निगम के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर लाखों रुपया घोटाले की जांच

84–श्री मयंकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा सदस्य श्री नेक चन्द्र पाण्डेय द्वारा कार्यकारी अधिशासी अभियंता विद्युत/यांत्रिक तृतीय शाखा उ0 प्र0 जल निगम के विरुद्ध लगभग 15 लाख सरकारी रुपये के घोटाला किये जाने से सम्बन्धित लिखित शिकायत को दिनांक 30-3-87 को भेजी गई थी? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र में किन-किन बातों की मांग की गई थी तथा उसका सम्पूर्ण विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा उक्त मामले पर कोई जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? यदि जांच नहीं करायी गयी तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

शिकायतकर्ता ने मुख्य रूप से कालम पाइप, सीसल रोप, प्रेशर हौज पाइप, रबर शीट, टेंट, तिरपाल, केबिल, ट्रांसफार्मर, आयल स्टार्टर, चेन बेरिंग आदि सामग्री के अधिक दरों पर क्रय करने, बिना आपूर्ति प्राप्त किये फर्जी भुगतान करने एवं बिना वित्तीय औपचारिकतायें पूर्ण किये सामग्रियों का क्रय करने एवं बिटो के मरम्मत में अनियमितता करने के सम्बन्ध में जांच कराने की मांग की है।

शिकायत की जांच मुख्य अभियन्ता (मध्य), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ से कराई जा रही है।

जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल निगम मध्य जोन के पन्द्रहवें सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभि0 (तृतीय) लखनऊ के विरुद्ध विधायकों एवं सांसदों के पत्रानुसार लाखों रुपया के घपले की शिकायत

85–श्री मयंकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 जल निगम के मध्य जोन लखनऊ के अन्तर्गत पन्द्रहवें सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता तथा तृतीय शाखा के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध दिनांक 5-1-87, 6-1-87, 7-1-87 को पृथक-पृथक माध्यमों द्वारा कई विधान सभा सदस्यों व सांसदों द्वारा लगभग 54 लाख रुपये (सरकारी धन) के घपले की शिकायत शासन को लिखित पत्र द्वारा दी गई थी? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार कृत कार्यवाही के विवरण को सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। प्रश्न में सन्दर्भित अधिकारियों के विरुद्ध श्री हर प्रसाद सिंह, सदस्य भ्रष्टाचार समिति, कानपुर का शिकायती पत्र दिनांक 5-1-87, श्री शिवनाथ सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 6-1-87 एवं श्री संकटा प्रसाद, विधायक का पत्र दिनांक 7-1-87 प्राप्त हुआ है।

शिकायती पत्रों में उल्लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर ही कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल निगम तथा उ0 प्र0 पाताल कूप के अधिशासी अभियन्ता कानपुर पर प्रश्नकर्ता के पत्रानुसार लाखों रुपया के घोटाले की जांच

86–श्री मयंकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 जल निगम के मध्य जोन के अन्तर्गत चतुर्थ अस्थाई निर्माण शाखा कानपुर के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (1981 से 1984 तक) एवं वर्तमान अधिशासी अभियन्ता तृतीय शाखा कानपुर के विरुद्ध उ0 प्र0 पाताल कूप कर्मचारी संघ कानपुर की शिकायत विधान सभा सदस्यों की संस्तुति पत्र क्रमशः दिनांक 25-11-87, 15-9-88, 16-9-88, 24-9-88 व 25-9-88 को लाखों रुपये के घोटाले से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को एवं अध्यक्ष उ0 प्र0 जल निगम को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शासन द्वारा उन शिकायती पत्रों के संबंध में कोई जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच का निष्कर्ष क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

उत्तर प्रदेश पाताल कूप कर्मचारी संघ, कानपुर का शिकायती पत्र दिनांक 25-11-87 एवं विधान सभा सदस्यों के पत्र दिनांक 15-9-88, 16-9-88 एवं 24-9-88 प्राप्त हुए हैं। पत्र दिनांक 25-9-88 जल निगम व शासन स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

प्राप्त शिकायती पत्रों में उल्लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (मध्य), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के माध्यम से जांच करायी जा रही है।

जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद मथुरा के मांट, छाता, नौहझील व चौमुहा ब्लाकों में प्राइमरी पाठशालाओं की व्यवस्था की मांग

87–श्री कुशल पाल सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0 27 के उत्तर के सन्दर्भ में शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जनपद के ब्लाक छाता, नौहझील, माट व चौमुहा की अनेकों गांव पंचायतों में प्राइमरी पाठशाला प्राथमिकता के आधार पर खुलवाने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जिला योजना के अन्तर्गत प्राइमरी विद्यालय कहां खोला जायेगा इसका निर्णय जिला शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा लिया जाता है, शासन द्वारा नहीं। अतः शासन द्वारा विचार किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जनपद के ब्लाकों को नियमित मूल्य के सीमेन्ट के कोटे का एलाटमेन्ट

88–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 व 86-87 में मथुरा जनपद के मांट व नौहझील ब्लाकों को नियमित मूल्य के सीमेन्ट का कोई कोटा एलाट किया गया था? यदि हां, तो प्रत्येक ब्लाक को कितना-कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, विकास खण्ड मांट को वर्ष 85-86 में 2231 बोरी तथा वर्ष 86-87 में 2237 बोरी व विकास खण्ड नौहझील को वर्ष 85-86 में 2259 बोरी तथा 86-87 में 1613 बोरी नियमित मूल्य के सीमेन्ट के कोटे का एलाटमेंट किया गया था।

गढ़वाल विश्वविद्यालय के कार्यरत अध्यापकों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को योग्यतानुसार नियुक्तियों की मांग

89–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1982 से 1986 के बीच गढ़वाल विश्वविद्यालय में कार्यरत कितने अध्यापकों की उनके कार्यरत रहते हुए मृत्यु हुयी? इनमें से किन-किन मृतकों के आश्रितों को उनकी योग्यतानुसार पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं? किन-किन के आश्रितों को अभी तक किन-किन कारणों से नियुक्तियां नहीं दी जा सकीं ? क्या सरकार आश्रितों के शैक्षिक तकनीकी (खेलकूद, योग-प्रशिक्षण आदि) योग्यताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विश्वविद्यालय में उचित पद पर नियुक्ति देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मात्र एक अध्यापक की। मृतक की आश्रिता द्वारा लिपिक पद पर नियुक्ति को अस्वीकार कर दिये जाने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी।

परिनियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार शिक्षणेत्तर पदों पर ही नियुक्ति की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट अन्तर्गत पट्टी अठीगांव क्षेत्र में मोटर मार्ग की मांग

90–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट अन्तर्गत पट्टी अठीगांव क्षेत्र में बनकोट मांखाल से काकड़पानी फतेहपुर होते हुए ढनोलासेरा देवस्थली-खांईइजर-खतड़वाधार व कीड़ा तक एवं बनकोट मांखाल से बनकोट बरगेरी सत्येश्वर होते हुए बागेश्वर तक मोटर मार्ग बनाने की मांग इस पिछड़े क्षेत्र की जनता वर्षों से करती आ रही है? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

इन मोटर मार्गों की मांग प्राप्त होनी प्रतीत नहीं होती है।

अतः प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल विश्वविद्यालय में अध्यापनरत मृत अध्यापकों के देयों का भुगतान लम्बित होने का कारण

91–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्यरत रहते हुए 1982 से 1986 के बीच कुल कितने अध्यापकों की मृत्यु हुयी? इनमें से किन-किन के मृतकों के आश्रितों को जी0 पी0 एफ0, पारिवारिक पेंशन, व अन्य नकदी लाभ का भुगतान किया जा चुका है ?किन-किन मृतकों के उपरोक्त प्रकरण किस-किस आधार पर लम्बित हैं? इन लम्बित प्रकरणों को कब तक पूर्ण रूपेण निस्पादित कर दिया जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मात्र एक अध्यापक की, जिसकी नियुक्ति अवकाशकालीन रिक्ति में हुई थी। मृतक की आश्रिता को प्रश्नगत भुगतान अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मानक नगर दौदा खेड़ा लखनऊ स्थित तालाब पाटने एवं अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही

92–श्री राज किशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मानक नगर दौदा खेड़ा, लखनऊ स्थित तालाब पाटने हेतु पड़ रहे कूड़े को ऋसर द्वारा समतल करवा कर मिट्टी डलवाने तथा पार्क को रेलिंग लगवाने तथा पार्क की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को हटवाने हेतु सरकार तत्काल कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत तालाब को कूड़े से भरवाने की कार्यवाही चल रही है। जब कूड़ा ऊपर तक पड़कर सेट हो जायेगा तब रेलिंग लगाने का कार्य किया जा सकेगा। अवैध कब्जों को न हटाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है।

कूड़ा सेट हो जाने तथा स्थगन आदेश निरस्त हो जाने के बाद ही कोई कार्यवाही सम्भव है।

जिला शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा जूनियर हाई स्कूल नेहरू नगर मौंठ को बड़ोखरी स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय

93–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में जिला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक में जूनियर हाई स्कूल नेहरू नगर मौंठ को बड़ोखरी स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो उक्त स्कूल को अब तक बड़ोखरी स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार उक्त परिषदीय स्कूल को शीघ्र बड़ोखरी ग्राम में स्थानान्तरित कराकर नेहरू नगर के महर्षि बाल्मीकि विद्यालय का भवन खाली कराने के आदेश करेगी ताकि नेहरू नगर व ग्राम बड़ोखरी दोनों स्थानों पर जूनियर हाई स्कूल सुचारु रूप से चल सके?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

जिला शिक्षा सलाहकार समिति को इस प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं, है, केवल जिला शिक्षा समिति की संस्तुति पर ही उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।

जी नहीं।

94–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

झांसी नगर पालिका गुरसराय के कुछ मोहल्लों में प्रश्नकर्ता के अनुसार पेयजल व्यवस्था की कार्यवाही

95–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें झांसी जिले की नगरपालिका गुरसराय के कतिपय मोहल्लों में पेयजल समस्या के समाधान किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–342, दिनांक 9 जून, 88 संलग्नक सहित मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा इन मोहल्लों में पेयजल सुविधा शासन कब तक उपलब्ध करा देगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

वर्तमान में लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था जल संस्थान द्वारा की जा रही है। शेष मोहल्लों में कुंवें व हैण्ड पम्प आदि हैं जिससे इस क्षेत्र के नागरिक पेयजल प्राप्त करते हैं। धनाभाव के कारण शेष मोहल्लों में पेयजल व्यवस्था पाइप द्वारा नहीं की जा रही है। धन की उपलब्धता के अनुसार शेष मोहल्लों में भी पेयजल व्यवस्था पाइप द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

बेसिक शिक्षा विभाग जालौन के उरई कार्यालय में चेकों की चोरी से हजारों रुपया निकाले जाने की जांच

96–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि वर्ष 87-88 में बेसिक शिक्षा विभाग जालौन के उरई कार्यालय से हजारों रुपये की चेकें गायब हो गई थी और उन पर हजारों रुपया निकाल लिया गया था? यदि हां, तो कुल गायब हुई या फर्जी बनायी गयी चेकें कितने रुपयों की थी और उस सम्बन्ध में अब तक क्या किया जा रहा है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत 36 चोरी गयी चेकों में से 31 चेकों से रू0 42,135/- की धनराशि निकाल ली गयी थी। दिनांक 22-9-87 को कोतवाली उरई में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गयी थी एवं तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उरई के विरुद्ध शिक्षा निदेशक द्वारा आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है।

शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित लिपिकों की सेवायें उपनिदेशालय निरीक्षक द्वारा समाप्त किया जाना

97–डाक्टर संगमली सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1987 के चौथे सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–16 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी के आदेश संख्या-शि0 बे0/नियुक्ति/72-73 दिनांक 19 फरवरी, 1973 द्वारा कितने लिपिकों की नियुक्ति की गई थी? क्या उन लिपिकों की सेवायें बिना किसी उपयुक्त कारण के समाप्त कर दी गयी थी और उसके बाद उसी कार्यालय में क्या पुनः कोई नियुक्ति की गई? यदि हां, तो उन निकाले गये कर्मचारियों को क्यों समायोजित नहीं किया गया था? क्या मंत्री जी इन सेवा समाप्त किये गये कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिये जाने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

चार लिपिकों की नियुक्ति की गयी थी।

जी नहीं। नियुक्तियां अनियमित होने के कारण समाप्त की गयी थी।

जी हां।

अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के समायोजन का कोई औचित्य नहीं था।

जी नहीं।

क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग तथा पंचायत राज विभाग द्वारा प्रदेश के गांव सभा क्षेत्रों में खड़ंजा एवं सड़क निर्माण

98–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि वर्ष 85-86, 86-87 तथा 87-88 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग तथा पंचायतराज विभाग को गांव सभा क्षेत्रों में खड़न्जा लगाने तथा सड़क बनाने के लिए कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत करके जिला पंचायतराज अधिकारी लखनऊ के वैयक्तिक लेखे में जमा करायी गयी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ के वैयक्तिक लेखे में जो धनराशि उल्लिखित तीन वर्षों में जमा की गई उसमें से सड़क तथा खड़न्जा निर्माण के लिए किस-किस जनपद को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी? आवंटित धनराशि के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों के किन-किन गांव सभा क्षेत्रों में कितनी-कितनी सड़क बनायी गयी तथा कितने मीटर खड़न्जा लगाया गया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

पंचायतराज निदेशालय में निदेशक पंचायतराज की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश सामान्य लाभ निधि के कर्तव्य, आय एवं कार्य के विवरण की जानकारी

99–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पंचायतराज निदेशालय लखनऊ में निदेशक पंचायत राज की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पंचायत सामान्य लाभ निधि गठित है? यदि हां, तो इसके क्या-क्या कर्तव्य हैं और निधि में कित-किन स्रोतों से आय होती है और उसे किन-किन कार्यों पर व्यय किया जा सकता है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निधि के खाते में 31 मार्च, 1984 को किस-किस मद की कुल कितनी धनराशि उपलब्ध थी। उपलब्ध धनराशि को एक अप्रैल, 1985 से लेकर 30 नवम्बर, 1988 तक किस-किस मद पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी

और क्या व्यय की गयी धनराशि निधि के नियमावली में दिये गये नियमों के अन्तर्गत आती है? यदि नहीं, तो धन के नियम विरुद्ध व्यय के लिए कौन अधिकारी दोषी है और क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में सम्पर्क मोटर मार्ग के चालित दिनों की संख्या एवं यातायात बन्द रहने के कारण

100–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में गूनियागाड़ से बनकोट मौखाल तक जाने वाले सम्पर्क मोटर मार्ग में पिछले तीन वर्षों से वर्षवार कुल कितने दिनों मोटर यातायात चालू रहा? शेष दिनों मोटर यातायात बन्द रहने के क्या-क्या कारण थे? इस सघन आबादी वाले आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र को जाने वाले एक मात्र सम्पर्क मार्ग को वर्ष में अधिकतम दिनों मोटर यातायात के लिए खुला रखने, इसे कंकरीट-कोलतार/डामर करने हेतु वरीयता निर्धारण के लिए स्थानीय प्रशासन व राज्य सरकार ने क्रमश: क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

विकास खण्ड गंगोलीहाट में गूनियागाड़-बनकोट मोटर मार्ग पिछले तीन वर्षों में निम्नांकित दिवस में यातायात हेतु चालू रहा:–

वर्ष 1986	310 दिवस
वर्ष 1987	318 दिवस
वर्ष 1988	295 दिवस

मुख्य कारण कच्ची चट्टानों का खिसकना, सड़क धंसना तथा नालों में वर्षा के कारण अत्यधिक पानी आने से काजवे एवं सड़कों के किनारे की दीवालों का क्षतिग्रस्त होना। उपलब्ध साधनों के अनुसार क्षतिग्रस्त स्कपरों, काजवे का पुन: निर्माण तथा रिटेर्निंगवाल ब्रस्टवाल आदि की मरम्मत एवं सफाई का कार्य सा0 नि0 वि0 द्वारा प्रत्येक वर्ष किया गया है।

शासन/प्रशासन, नगर महापालिका लखनऊ द्वारा स्वीकृत मानक नगर दौदाखेड़ा स्थित तालाब को पटवाकर पार्क निर्माण में विलम्ब के दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

101–श्री राज किशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मानव कल्याण परिषद्, उ0 प्र0 और स्थानीय जनता द्वारा प्रस्तावित एवं शासन/प्रशासन, नगर महापालिका लखनऊ द्वारा स्वीकृत मानक नगर दौदाखेड़ा स्थित तालाब को पटवाकर पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

प्रश्नगत तालाब को कूड़े से भरवाने की कार्यवाही चल रही है । जब तक कूड़ा ऊपर तक पड़ कर सेट नहीं हो जायेगा, तब तक तकनीकी दृष्टि से किसी प्रकार का निर्माण सम्भव नहीं है । अतः इस कार्य में हुये विलम्ब के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

जिला सहकारी बैंक लि0 गोण्डा के कतिपय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सेवा मण्डल द्वारा अनुमोदन न करने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

102–श्री सूखपाल पाण्डे–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0 गोण्डा के चतुर्थ श्रेणी के चार स्थानों का चयन 1985 व 1986 में किया गया था और उक्त चारों कर्मचारियों की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु सेवा मण्डल लखनऊ को भेजा गया था ? यदि हां, तो सेवा मण्डल कार्यालय में कब प्राप्त हुआ ? क्या माह जुलाई, 1988 तक उक्त कर्मचारियों का अनुमोदन सेवा मण्डल लखनऊ द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ? और उक्त नियुक्तियों का अनुमोदन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां ।

जनवरी, 1986 में पांच चतुर्थ श्रेणी पदों का चयन किया गया और सेवा मण्डल लखनऊ को अनुमोदनार्थ भेजा गया ।

फरवरी, 1989 में प्राप्त हुआ ।

अनुमोदन सेवा मण्डल द्वारा दिनांक 23-3-88 को किया गया। विलम्ब के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है । शासन की आरक्षण संबंधी नीति के अनुसार तीन पदों का अनुमोदन किया गया है तथा ये पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए अंग्रेतीत किया गया ।

नगर महापालिका गोरखपुर की सड़कों नालियों के निर्माण में किये गये व्यय का विवरण

103–श्री सूखपाल पाण्डे–

क्या नगर विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर महापालिका में कितनी सड़कों तथा नालियों के निर्माण होने के लिए 1986-87 व 1987-88 में कितना धन प्रत्येक वर्ष में स्वीकृत किया गया ? कितना धन खर्च हुआ ? कितना मैक्सफाल्ट विभाग द्वारा दिया गया तथा कितना ठेकेदारों द्वारा स्वयं क्रय किया गया ? कितना कार्य निर्धारित समय में पूरा हुआ और कितना निर्धारित समय के बाद पूरा हुआ ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

गोरखपुर नगर महापालिका की सड़कों व नालियों के निर्माण हेतु वर्ष 1986-87 व 1987-88 में क्रमशः रु0 1,44,60,000/-व रु0 2,04,65, 000/- स्वीकृत किया गया जो उन्हीं वर्षों में व्यय किया गया । वर्ष 1986-87 व 1987-88 में क्रमशः 21.84 कि0 मी0, 30.91 कि0 मी0 सड़कों एवं 37.55 कि0 मी0, 53.15 कि0 मी0 नालियों का निर्माण कराया गया।

उपर्युक्त निर्माण के सम्बन्ध में ठेकेदारों को मैक्सफाल्ट विभाग द्वारा नहीं दिया गया है । ठेकेदारों ने स्वयं कितने मैक्स फाल्ट का क्रय किया इसके बारे में विभाग को कोई जानकारी नहीं है ।

सभी कार्य शासनादेश में निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण कराये गये ।

बस्ती टाउन एरिया में प्रकाश व्यवस्था हेतु खर्च धनराशि पर कोटेशन का विवरण

104–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या: नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद बस्ती के टाउन एरिया बांसी में 1986 से फरवरी, 1988 तक कितनी धनराशि का सामान प्रकाश व्यवस्था हेतु खरीदा गया ? कौन-कौन से सामान क्रय किये गये तथा किस कम्पनी के तथा उसकी कीमत क्या है ? यह सामान क्या टेन्डर या कोटेशन द्वारा क्रय किया गया है ? यदि हां, तो टेन्डर या कोटेशन किन-किन लोगों द्वारा दिया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 241 पर ।

105–श्री कनक सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

वर्ष 1980 से 1985 तक के वर्षों में जिला बरेली के विकास खण्ड मीरगंज शेरगढ़ बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में समुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन

106–श्री जगदीश सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड, मीरगंज, शेरगढ़, बहेड़ी तथा फतहगंज (पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

107—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड, मीरगंज, शेरगढ़, बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

108—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1981-82 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्डों मीरगंज, शेरगढ़, बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

109—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1982-83 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड, मीरगंज, शेरगढ़ बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

110—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1983-84 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्डों मीरगंज, शेरगढ़, बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर, मंडाव, धोसी व दोहरीघाट में हैण्ड पम्प की व्यवस्था का आधार

111–श्री विष्णु देव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव व धोसी व दोहरीघाट में स्वच्छ पेयजल हेतु किन-किन ग्रामों में कितने हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं तथा हैण्ड पाइप लगाने का आधार क्या है? शेष ग्रामों में कब तक हैण्ड पम्प लगाने की शासन की योजना है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

31-1-1989 तक लगाए गए हैण्ड पम्पों की सूची संलग्न है।

प्रत्येक समस्याग्रस्त ग्राम में स्वच्छ जल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 250-300 तक जनसंख्या वाले ग्राम में एक हैण्ड पम्प तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में अधिकतम 2 हैण्ड पम्प लगाए जा रहे हैं, जिसमें से एक हरिजन बस्ती में लगाया जा रहा है। वैसे अन्ततः प्रत्येक समस्याग्रस्त ग्राम में जनसंख्या के आधार पर इस सीमा तक हैण्ड पम्प लगाए जाने प्रस्तावित हैं कि प्रत्येक 250-300 व्यक्तियों के उपयोग हेतु एक हैण्ड पम्प उपलब्ध रहे।

प्रश्नगत विकास खण्डों के शेष समस्याग्रस्त ग्रामों में मार्च, 1990 तक हैण्ड पम्प लगाए जाने का प्रस्ताव है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 242 पर) ।

प्रदेश के मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षकीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिकीय वर्ग का अन्य मण्डलों में स्थानान्तरण

112–श्री मैनेजर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका कार्यालयों में कार्यरत लिपिकीय वर्ग का स्थानान्तरण एक पद से दूसरे पद एवं अन्य मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका कार्यालयों में किया जा सकता है? यदि हां, तो मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका कार्यालय गोरखपुर में कार्यरत लिपिक श्री बृजभूषण मेहता को गत दस वर्षों से एक ही पद पर रखने का क्या औचित्य है? उक्त लिपिक का स्थानान्तरण करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

श्री बृजभूषण मेहता का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर भी क्षेत्र विकास अधिकारी ब्लाक असमौली मुरादाबाद में रिटायरमेंट के पश्चात भी पेंशन आदि का भुगतान न किया जाना

113–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री रघुवंश नारायन सिंह, क्षेत्र विकास अधिकारी ब्लाक असमौली, जनपद-मुरादाबाद ने दिसम्बर, 1983 में सेवा से नियमानुसार रिटायरमेंट लिया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 2-1-87 के आदेश रिट नं0 15532 सन् 1983 द्वारा उ0 प्र0 सरकार को उक्त अधिकारी की पेन्शन, ग्रेच्युटी, जी0पी0एफ0 और अन्य बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए थे? यदि हां, तो अब तक उक्त अधिकारी को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार पेन्शन आदि न देने का क्या कारण है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री रघुवंश नारायन सिंह, क्षेत्र विकास अधिकारी, ब्लाक असमौली जनपद मुरादाबाद को उनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरांत 31-12-83 को सेवा निवृत्त किया गया। मा0 उच्च न्यायालय ने रिट संख्या–15532/83 रघुवंश नरायन सिंह बनाम जिलाधिकारी मुरादाबाद में दिनांक 2-1-87 के निर्णय में श्री सिंह को 1 जून, से 31 दिसम्बर, 83 की अवधि का वेतन रु0 11,316-00 का भुगतान किये जाने के आदेश दिये थे। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2-1-87 के अनुपालन में श्री सिंह को उक्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। श्री सिंह को देय जी0 पी0 एफ0 का अन्तिम भुगतान रु0 21,743-20 व अर्जित अवकाश की धनराशि अंकन 9955-20 रु0 का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका था।

श्री सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है। उक्त कार्यवाही में अंतिम निर्णय होने के उपरान्त इनको अंतिम पेंशन/ग्रेच्युटी की धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जा सकेगा।

मांट क्षेत्र जनपद मथुरा के गांवों में सरकार द्वारा हैण्ड पम्प लगवाने की योजना की कार्यवाही

114–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट क्षेत्र जनपद-मथुरा में अप्रैल, 1985 से 15 नवम्बर, 1988 तक ग्रामीण क्षेत्र में कहां-कहां पर कौन-कौन सी पेयजल योजनायें शुरू की गई तथा कितनी पूरी हो चुकी हैं? क्या यह सही है कि मांट क्षेत्र में शुरू की गयी योजनाओं के बावजूद मांट क्षेत्र में अभी कई गांव ऐसे हैं जहां पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या उक्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार हैण्डपम्प लगवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद मथुरा के मांट क्षेत्र में अप्रैल, 1985 से 15 नवम्बर, 1988 तक निम्नलिखित पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ किया गया है:–

(1) मांट ग्राम समूह पेयजल योजना
(2) सावल ग्राम समूह पेयजल योजना
(3) हरनोल ग्राम समूह पेयाजल योजना
(4) कराहरी ग्राम समूह पेयजल योजना
(5) जेसवा ग्राम समूह पेयजल योजना

उपर्युक्त में कोई योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है।

जी हां।

मांट क्षेत्र में 43 गांव है जिसमें से 32 गांवों को पाईप लाईन/हैण्ड पम्प द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 11 में से 10 गांव भी उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित हो जायेंगे। अवशेष एक ग्राम नगलादेह में लगाये गये हैण्ड पम्प का पानी खारी पाया गया है। अतः वैकल्पिक व्यवस्था हेतु योजना विचाराधीन है।

उपरोक्त सभी गांवों को मार्च, 1990 तक पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

प्रश्न नहीं उठता।

मोतीलाल नेहरू स्मारक इण्टर मीडिएट कालेज निशातगंज द्वारा प्राइवेट अभ्यार्थियों को उत्तीर्ण प्रमाण पत्र न दिए जाने की कार्यवाही

115–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में मोती लाल नेहरू स्मारक इण्टर मीडिएट कालेज निशातगंज लखनऊ के माध्यम से इण्टर मीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण प्राइवेट अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा दे दिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों? अब तक प्रमाण पत्र न देने के क्या कारण हैं ? क्या रोल नम्बर 509499 के अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र अब तक क्यों नहीं दिया गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

हां।

मोती लाल नेहरू इण्टरमीडिएट कालेज, निशातगंज, लखनऊ के माध्यम से इण्टर-मीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा 1980 में उत्तीर्ण प्राइवेट अभ्यर्थियों के समस्त 47 प्रमाण पत्र उनके पंजीकृत केन्द्र राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातगंज, लखनऊ को जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के माध्यम से दिनांक 9-3-88 को परीक्षार्थियों के वितरण हेतु विशेष वाहक द्वारा प्राप्त कराये जा चुके हैं।

अनुक्रमांक 509499 का मूल प्रमाण पत्र भी उक्त 47 प्रमाण पत्रों के साथ वितरण हेतु भेजा जा चुका है।

जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की प्रश्नकर्ता के प्रश्न पर जांच

116—श्री शिव बख्श सिंह राठौर—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने श्री राम नरेश सुमन, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाते हुए दिनांक 16-11-87 को प्रमुख सचिव, शिक्षा को तथा दिनांक 11-4-88 को शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 को इस संदर्भ में पत्र लिखे और मांग की थी कि इन आरोपों की जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाय? यदि हां, तो किसके द्वारा जांच कराई गई तथा जांच में कौन-कौन आरोप सत्य पाये गये तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

मंडलीय उप शिक्षा निदेशक आगरा से प्रारम्भिक जांच कराई गई थी जिसमें मेजर जगराज सिंह इण्टर कालेज जासमई (मैनपुरी) में एक परिचारक की नियुक्ति के संबंध में की गई अनियमितता प्रकाश में आई।

उक्त जांच के फलस्वरूप श्री सुमन को आरोप पत्र दे दिया गया तथा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

117—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[करण सं0 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित हो जाने के कारण निरस्त]

आर0 एस0 के0 इण्टर कालेज सम्भावली गाजियाबाद के अध्यापकों व कर्मचारियों से काटी गयी पेरोल की धनराशि के संबंध में जानकारी

118—श्री कलक सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0 78 के उत्तर में यह स्वीकार किया गया था कि आर0 एस0 के0 इण्टर कालेज, सिम्भावली जनपद-गाजियाबाद के अध्यापकों से दस रुपया प्रतिमाह तथा कर्मचारियों से पांच रुपया प्रतिमाह पेरोल का काटा गया जो कि रु0 6,670 रहा जिसको किसी बैंक व डाकखाने में जमा नहीं किया गया बल्कि तत्कालीन प्रधानाचार्य खा गये? तथा इस राशि को वापस कराने हेतु मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ व जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद को निर्देश दिए गये थे? क्या उन निर्देशों पर कार्यवाही की गयी तथा क्या अध्यापकों और कर्मचारियों को उक्त धन वापस कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों क्या मंत्री जी आदेशों का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां,

जी हां,

जी हां,

जी नहीं।

सम्बन्धित प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो गये हैं। उन्होंने धनराशि वापिस नहीं की है।

प्रधानाचार्य की पेंशन तथा जी0 पी0 एफ0 का भुगतान रोक दिया गया है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे प्रधानाचार्य के विरुद्ध पुलिस में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दें।

प्रश्न नहीं उठता।

119–श्री कनक सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

पंचायतीराज विभाग में जिला पंचायतीराज अधिकारियों की नियुक्ति में विलम्ब का कारण

120–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या पंचायतराज मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि पंचायतीराज विभाग में जनवरी, 1988 से 30 नवम्बर, 1988 तक जिला पंचायतीराज अधिकारियों के कितने पद रिक्त हुये और उनमें से कितने पदों पर नियुक्तियां की गयीं और कितने पद अभी भी रिक्त हैं? इन पदों पर नियुक्त न किये जाने एवं विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जनपद में पंचायत निर्वाचन से एक दिन पूर्व एक दर्जन निर्वाचन अधिकारियों के स्थानान्तरण

121–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में पंचायत निर्वाचन के तृतीय चक्र में पर्चा दाखिल के एक दिन पहले करीब एक दर्जन निर्वाचन अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया इनमें प्रश्नकर्ता का निर्वाचन क्षेत्र का विकास क्षेत्र परतावल भी है? यदि हां, तो संदर्भित रिटर्निंग आफीसर का स्थानान्तरण क्यों एवं किसके आदेश से किया गया और उसका स्थानान्तरण का औचित्य क्या था?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं, केवल चार विकास खण्डों के निर्वाचन अधिकारी का स्थानान्तरण उन अधिकारियों के अवकाश पर चले जाने के कारण 21-6-88, 22-6-88 तथा 25-6-88 को किया गया था, जिसमें परतावल भी सम्मिलित हैं। निर्वाचन अधिकारी परतावल की लड़की का तिलक 27-6-88 को निश्चित होने के कारण अवकाश पर रहने से दिनांक 25-6-88 को अन्य अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था।

ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा के सहायक अभियंता के विरुद्ध गबन भ्रष्टाचार की जांच अधिकारी निलम्बित

122–श्री राम संजीवन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा के सहायक अभियंता के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं से संबंधित रिपोर्ट बांदा कोतवाली में अपर जिलाधिकारी की ओर से जुलाई, 1988 में दर्ज कराई गयी? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई? क्या सहायक अभियंता द्वारा निर्मित चेकडैमों से संबंधित जांच अपर जिलाधिकारी प्रशासन, करवी श्री मिश्रा ने की थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? क्या यह सही है कि चेकडैमों के लिए निर्माण सामग्री की सप्लाई बिना टेन्डर किये वर्क आर्डर के आधार पर ली गयी थी? यदि हां, तो उसके लिए कौन दोषी है? उसके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही न करने के क्या कारण है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

मुख्यत: रिपोर्ट में योजना के विभागीय मदों में रु0 10,18,931 के अनुमानित गबन का तथा स्टाक बुक तथा अन्य अभिलेखों को अपने पास अनाधिकृत रूप में रखने का आरोप है। रिपोर्ट पर पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

जांच रिपोर्ट में पाया गया कि सरैया चेक डैम के निर्माणार्थ उपयोग किये गये सामानों के आपूर्ति आदेश में अनियमितताऐं बरती गई है।

जी हां।

इस प्रकरण में दोषी पाये गये श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, सहायक अभियंता लघु सिंचाई, बांदा को शासन द्वारा निलम्बित किया जा चुका है।

सीतापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित पाठशालाओं के अध्यापक/प्रधानाचार्य के रिटायरमेंट के पेन्शन का भुगतान

123–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं तथा जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत जो अध्यापक/प्रधानाध्यापक वर्ष 1987 में रिटायर हुए उन्हें अभी तक पेंशन मिलना न प्रारम्भ होने का क्या कारण है? सभी को पेंशन मिलना कब से प्रारम्भ हो जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सभी प्रश्नगत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को पेन्शन का भुगतान हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता।

124–श्री त्रिभुवन प्रसाद–

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

स्वामी राजतीर्थ स्नातकोत्तर महाविद्यालय टिहरी में रसायन शास्त्र के प्रवक्ता स्व0 श्री शूरसिंह रावत की पत्नी को शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की मांग

125–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि स्वामी राज तीर्थ स्नातकोत्तर महाविद्यालय टिहरी में रसायनशास्त्र के प्रवक्ता डा0 शूर सिंह रावत की मृत्यु रक्त कैंसर के कारण दिनांक 1 मार्च, 1985 को हुयी थी? यदि हां, तो उनकी पत्नी श्रीमती मिथिला रावत को उनकी उच्च शैक्षिक योग्यता (स्नातक शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा, योग में डिप्लोमा के साथ-साथ एन0 सी0 सी0 प्रशिक्षण व विश्वविद्यालय की वालीबाल दल में अन्तर्-विश्व-विद्यालय प्रतियोगिताओं में वर्षों तक शानदार प्रदर्शन व तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के अनुभव) को ध्यान में रखते हुए इनकी योग्यतानुसार शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्त करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक-पि/शि/88, दिनांक 25-2-88 पर क्या कार्यवाही की गयी है? श्रीमती मिथिला रावत को नियुक्ति देने में अत्यधिक देरी होने के क्या कारण हैं? कब तक इन्हें नियुक्ति दे दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-2-88 नहीं अपितु दिनांक 22-2-88 प्राप्त हुआ था। परिनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मृतक के आश्रित को नियुक्ति शिक्षक के पद पर नहीं की जा सकती।

विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती ।

शिक्षक के पद पर नियुक्ति अधिनियम एवं परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही की जा सकती है ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड चम्पावत के अन्तर्गत चल्थी लमसाड़ी के मार्ग के विश्राम स्थल पर पेयजल तथा मलमूत्र विसर्जन सुविधा हेतु प्रस्ताव

126–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ को टनकपुर तक मिलाने वाले मोटर मार्ग में तहसील व विकास खण्ड चम्पावत के अन्तर्गत चल्थी लमसाड़ी में सभी यात्री बसों और भारवाहन विश्राम करते हैं ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण स्थान में पेयजल आपूर्ति तथा मलमूत्र विसर्जन की सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या स्थायी प्रबन्ध जुलाई, 1988 तक किये गये हैं ? वहां उपरोक्त सुविधायें प्रदान न करने के क्या कारण हैं ? उपरोक्त सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां । इस स्थान पर पेयजल आपूर्ति तथा मलमूत्र विसर्जन की स्थायी व्यवस्था जुलाई, 1988 तक नहीं कराई गई है ।

ग्रामीण क्षेत्र में आने के कारण ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत पेयजल की आपूर्ति के लिये जिला योजना में सम्मिलित करने हेतु जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

यह स्थान ग्राम सभा बमनजौल के अन्तर्गत है, अतः मलमूत्र विसर्जन की सुविधा उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व स्थानीय ग्राम सभा का है। तद्नुसार जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ।

पिथौरागढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काण्डे-किरौली के उत्तीर्ण छात्रों के प्रमाण-पत्र विलम्ब के विरुद्ध कार्यवाही

127–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काण्डे-किरौली में वर्ष 1980 से 1988 तक के हाईस्कूल उत्तीर्ण छात्रों के प्रमाण-पत्र क्या संबंधित विद्यालय को भेजे गये हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? लम्बे समय से प्रमाण-पत्र न भेजने के क्या कारण हैं ? इस विलम्ब के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है ? सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद पिथौरागढ़ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काण्ड-किरौली के वर्ष 1980 से 1988 तक के हाईस्कूल के उत्तीर्ण छात्रों के प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं ।

विवरण संलग्न ।

कुछ अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हो गया था । इसके लिये कोई अधिकारी विशेष उत्तरदायी नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 247 पर)

सहकारी समिति करतला जनपद एटा द्वारा अनु0 जाति एवं निर्बल सदस्यों पर किए गये शोषण पर प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

128–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि सचिव, क्षेत्रीय सहकारी समिति करतला जनपद एटा द्वारा अनु0 जाति एवं निर्बल वर्ग सदस्यों पर किये जा रहे शोषण से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 नवम्बर, 1988 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित शिकायतों की जांच कब और किस अधिकारी द्वारा करायी तथा जांच के निष्कर्ष क्या हैं ? क्या यह सही है कि उक्त समिति के सचिव 11 वर्षों से सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां ।

उपरोक्त शिकायती पत्र की जांच हेतु श्री एस0 पी0 शुक्ला अपर जिला सहकारी अधिकारी एटा को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है । जांच चल रही है ।

सचिव के स्थानान्तरण का मामला जनपदीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्रीमती बेलपतिया देवी धर्म पत्नी स्वर्गीय प्रवक्ता कृषक इण्टर कालेज गडैया इलाहाबाद के प्रार्थना-पत्र में उनके आश्रितों को सेवा में रखने की कार्यवाही

129–श्री राम संजीवन–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि श्रीमती बेलपतिया देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री धर्म सिंह जारी बाजार इलाहाबाद ने 4-4-88 को जिला विद्यालय निरीक्षक इलाहाबाद को प्रार्थना-पत्र देकर मांग की है उनके पति कृषक इण्टर कालेज गडैया जारी इलाहाबाद की प्रवक्ता के पद पर सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी है, जिनको आश्रित होने के नाते उन्हें सेवा में रख लिया जाय ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? क्या उन्हें अविलम्ब सेवा में समाहित किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

श्रीमती बेलपतिया देवी ने अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना की थी किन्तु वर्तमान शासनादेश के अनुसार मृतक आश्रित की नियुक्ति केवल शिक्षणेत्तर पद पर ही की जा सकती है ।

अतः श्रीमती बेलपतिया देवी को उनकी इच्छानुसार सेवा में समाहित किया जाना सम्भव नहीं है ।

130–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बरेली के विकास खण्ड मीरगंज शेरगढ़ बहेड़ी फतेहगंज पश्चिम में सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन एवं वर्ष 1985 से 1989 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया गया व्यय

131–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1985-86 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड, मीरगंज, शेर गढ़, बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

132–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड, मीरगंज, शेर गढ़, बहेड़ी तथा फतेहगंज-(पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

133–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1987-88 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड, मीरगंज, शेर गढ़, बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

134–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1988-89 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड, मीरगंज, शेर गढ़, बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना-कितना व्यय अब तक किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

135–श्री कनक सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गाजियाबाद के ब्लाकगढ़ के श्री रामहेत द्वारा फ्री बोरिंग एवं इन्जन सप्लाई में घपले का आरोप विषयक पत्र

136–श्री कनक सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-8-88, जो जिलाधिकारी गाजियाबाद को संबोधित था जिससे श्री रामहेत पुत्र श्री टीकाराम ग्राम दोलपुर ब्लाक गढ़ जनपद गाजियाबाद के फ्री बोरिंग करने में तथा इंजन सप्लाई में 1900.00 रु0 डीलर द्वारा हड़प करने की जांच की मांग की गयी थी, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-8-88 की जांच हेतु जिला विकास अधिकारी गाजियाबाद को नामित किया गया जिला विकास अधिकारी की उपस्थिति में डीलर एवं कृषक को वार्ता न हो सकी परिणाम स्वरूप जिला विकास अधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी गढ़ को डीलर एवं कृषक का आमना सामना कराकर परिणाम से अवगत करने हेतु निर्देशित किया खण्ड विकास अधिकारी/अवर अभियन्ता (ल0 सिं0) द्वारा सूचित किया गया कि कृषक को डीलर द्वारा उनकी उपस्थिति में हिसाब समझा दिया गया है जिससे कृषक संतुष्ट है। अब कोई शिकायत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1984 से 1986 के बीच गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों के मृत शिक्षकों की संख्या एवं आश्रितों की नियुक्ति

137–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 से 1986 के बीच गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों में किन-किन विषयों के प्राख्याता वर्ग (शिक्षक) में कार्यरत कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई? इन कर्मचारियों की मृत्यु के उपरान्त उनके प्रथम आश्रितों को उनकी योग्यतानुसार स्थायी सेवा लेने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? इन सभी आश्रितों को अत्यन्त लम्बे समय में भी नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ? इस विलम्ब के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है ? सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत अवधि में गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों में अर्थशास्त्र, हिन्दी तथा रसायन शास्त्र के एक-एक अध्यापक की मृत्यु हुई थी।

अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन नहीं किया गया।

हिन्दी के प्रवक्ता के आश्रित का आवेदन-पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय को प्राप्त नहीं हुआ।

रसायन शास्त्र के प्रवक्ता की पत्नी शिक्षणेत्तर पद पर कार्य करने के लिये सहमत नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के थल एवं गर्जिला तोक में हो रहे भू स्खलन को रोकने की मांग

138–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत थल, नामक महत्वपूर्ण केन्द्र में गर्जिला तोक में वर्षों से भयंकर भूमि धसाव व भूस्खलन चल रहा है जिसमें कम से कम पचास हेक्टेयर भूमि अनुपयोगी हो रही है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र की भूगर्भीय/भूमि संरचना की पूर्ण जांच करते हुए इसकी क्षति को रोकने के लिये आवश्यक चौड़ी पत्ती वाली भूमि को रोकने वाली पेड़ प्रजातियों का रोपण व पानी निकासी का प्रबन्ध अति शीघ्र युद्धस्तर पर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत थल, नामक महत्वपूर्ण केन्द्र में गार्जिला तोक में भू-स्खलन की समस्या दो छोटे-छोटे नालों में विद्यमान है जिसका क्षेत्रफल 2·10 हैक्टेयर है । उक्त स्थल की भूमि धसाव व भू-स्खलन का निरिक्षण भू-वैज्ञानिक अभियन्त्रण, जियोलोजी सर्वे, कुमायूं मण्डल, अल्मोड़ा द्वारा किया गया । इस क्षेत्र का उपचार सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्र से सम्बन्धित सिंचाई विभाग, भूमि संरक्षण कृषि विभाग तथा सिविल सोयम विभाग की समिति गठित कर दी गयी है । ये विभाग सर्वेक्षण एवं समस्या के अनुरूप आगणन तैयार कर रहे हैं जिन पर उक्त समिति द्वारा शीर्ष प्राथमिकता निर्धारित करने पर क्षेत्र का उपचार आगामी वर्षों में सुनिश्चित कर लिया जायेगा ।

पुस्तकालयों को ज्ञान का आधारभूत श्रोत मानते हुए पुस्तकालयों में नियुक्ति, प्रोन्नति व नियन्त्रण के लिये स्वतंत्र मंत्रालय खोलने की मांग

139–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुस्तकालय को ज्ञान का आधारभूत स्रोत मानते हुए पुस्तकालयों में नियुक्ति प्रोन्नति व नियंत्रण के लिये शिक्षा मंत्रालय से अलग एक स्वतंत्र मंत्रालय खोलने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं । इसका कोई औचित्य नहीं है ।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में स्थित राजकीय पुस्तकालय में कैटलागर की नियुक्ति की मांग

140–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में स्थित एक मात्र राजकीय पुस्तकालय में अभी तक कैटलागर का पद सृजन/नियुक्ति न होने के कारण पुस्तकों का अंकीकरण/चिन्हांकन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इस आधारभूत पद के सृजन/नियुक्ति के लिये अतिशीघ्र कार्यवाही करते हुए, पुस्तकालय में कैटलागर व्यवस्था तुरन्त प्रदान कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

पुस्तकों के वर्गीकरण तथा सूचीकरण का कार्य काफी पिछड़ा हुआ है, किन्तु इसका कारण कैटलागर का अभाव नहीं है ।

अभी कैटलागर के पद का सृजन विचाराधीन नहीं है ।

नगरपालिका फर्रुखाबाद एवं छिबरामऊ जलकल विभाग को वाटर लिफ्टिंग मशीन की खरीद में अनियमितता

141–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद की नगरपालिकाओं फर्रुखाबाद एवं छिबरामऊ में जलकल विभाग द्वारा इस वर्ष दो वाटर लिफ्टिंग पम्प खरीदे गये जो समान हार्स पावर के और एक ही कम्पनी के खरीदे गये थे किन्तु नगरपालिका फर्रुखाबाद द्वारा छिबरामऊ की तुलना में 3000 रु0 (तीन हजार रुपये) अधिक का भुगतान दिखाकर इस धनराशि का दुरुपयोग कर लिया गया ? क्या इस संबंध में जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा कोई जांच प्रारम्भ की गई थी और किन्हीं विशेष कारणों से रोक दी गई ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

जी नहीं । नगरपालिका छिबरामऊ द्वारा वाटर लिफ्टिंग पम्प के साथ-साथ पम्प से संबंधित अन्य सामान (एसेसरीज) क्रय न किये जाने अथवा भिन्नता के कारण मात्र रु0 1,420 का अन्तर है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

142–डाक्टर दिनेश जौहरी–

[दि0 3-3-89 को अता0 प्र0 सं0 64 द्वारा उत्तरित]

बरेली नगर महापालिका की टाउन हाल स्थित दुकानों के आवंटन में अनियमितताएं

143–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर महापालिका के उप प्रशासक ने महापालिका की ही टाउन हाल स्थित दुकान नं0–6 जो बाम्बे मास्टर वाच कम्पनी के पास थी, को अवैध रूप व अनियमित रूप से किसी और को आवंटित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देवसिंह आर्य–

टाउन हाल स्थित नगर महापालिका की दुकान नं0–6 का आवंटन श्री निहाल-उद्दीन, पार्टनर्स मेसर्स बाम्बे मास्टर वाच कम्पनी के नाम वर्ष 1973 से था । श्री निहालउद्दीन द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर कि वह अपने हिस्से का समस्त पैसा लेकर अलग हो गये हैं, उक्त दुकान को उप प्रशासक के आदेश दिनांक 13-5-88 द्वारा सर्व श्री करतार सिंह, मनमोहन सिंह को आवंटित किया

गया । इस प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं हुई है, इस लिये जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के सुरक्षा दस्ता में नियुक्त पदों की संख्या एवं पदों को समाप्त करने के आदेश

144—श्री जर्नादन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने सुरक्षा दस्ता के रूप में लगभग चालीस लोगों की नियुक्ति की है ? यदि हां, तो इनके ऊपर जो व्यय हो रहा है, उसे कौन वहन करता है ? क्या यह सच है कि जो लोग नियुक्त किए गए हैं उनके आपराधिक इतिहास हैं एवं जिलाधिकारी इलाहाबाद ने इस संबंध में शासन को भी लिखा है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, 40 नहीं 32 कर्मियों की नियुक्ति की है जिनमें 29 कार्यरत हैं । इस समय कार्यरत किसी भी सुरक्षा कर्मी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है ।

जी हां ।

पदों को समाप्त करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

हरदोई मल्लावां माधोगंज बिलग्राम विकास खण्डों के प्राइमरी तथा जूनियर विद्यालयों के भवनों की मरम्मत की जानकारी

145—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लावां माधोगंज एवं बिलग्राम विकास खण्डों में वर्ष 1986-87 एवं चालू वर्ष के दौरान किन-किन प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों के भवनों की मरम्मत की गई , और यदि मरम्मत नहीं की गई तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

किसी भी विद्यालय भवन की मरम्मत नहीं की गयी ।

प्रश्नगत विकास खण्डों से भवन मरम्मत हेतु आगणन प्राप्त न होने के कारण मरम्मत कार्य नहीं कराया जा सका ।

हरदोई के जूनियर हाई स्कूल कुरसठ के अध्यापक श्री सूबेदार सिंह की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी को पेंशन सम्बन्धी भुगतान अथवा सेवा में लिए जाने विषयक जानकारी

146—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के जूनियर हाई स्कूल, कुरसठ में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री सूबेदार सिंह की मृत्यु 29 जून, 1980 को सेवा अवधि के दौरान हुई थी ? यदि हां, तो उनकी आश्रित विधवा श्रीमती उषा देवी निवासिनी-मंझारखेड़ा डाकखाना कुरसठ जिला हरदोई को पारिवारिक पेंशन कब तक दे दी जायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अध्यापक के किसी आश्रित को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत सेवा में लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

जी नहीं ।

पेंशन विकल्प पत्र उपलब्ध न होने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई ने पेंशन स्वीकृत करने में आपत्ति की थी ।

पेंशन शीघ्र स्वीकृत करने हेतु अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

निर्धारित अर्हता पूर्ण न होने के कारण ।

मथुरा किसान भवन में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र से किसानों के ठहरने के स्थान में कमी

147–श्री कुंवर पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में सह0 बैंक मथुरा द्वारा किसान भवन का निर्माण जनपद के किसानों के ठहरने की सुविधा हेतु किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त किसान भवन मथुरा की आधी इमारत में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र मथुरा का कार्यालय खोल दिया गया है जिससे किसानों को ठहरने के लिये स्थान की कमी हो गई है और रात को किसानों को किसान भवन के बजाय सड़कों पर सोना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त कार्यालय को इस भवन से हटाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रूमर पाल सिंह–

जी हां । सहकारी किसान निवास, जनपद के किसानों व जनपद एवं जनपद के बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए बनवाया गया है ।

उक्त निवास का प्रथम तल सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु उ0 प्र0 सहकारी यूनियन लि0 लखनऊ को अस्थाई रूप से किराये पर दिया गया, और इस निवास का भू-तल अभी भी किसानों एवं बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है।

उ0 प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लखनऊ द्वारा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र मथुरा के भवन निर्माण हेतु जमीन खरीदने की कार्यवाही की जा रही है । भवन बनते ही प्रशिक्षण केन्द्र सहकारी किसान निवास से हट जायेगा ।

ग्राम जुटाया, विकास खण्ड कलसी, जिला देहरादून के सम्पर्क मार्ग के निर्माण की जांच कार्यवाही

148– श्री लल्लराम यादव तथा श्री रमाकान्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम-जुटाया, विकास खण्ड-कलसी, जिला देहरादून के सम्पर्क मार्ग के गलत निर्माण के सम्बन्ध में की गयी जाच में उक्त मार्ग का निर्माण जनहित में परगना अधिकारी द्वारा विपरीत पाया गया है तथा उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दण्डित करने के आदेश देगी ? और सरकारी धन का जो दुरुपयोग किया गया है उसकी रिकवरी संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्राम जुटायां, विकास खण्ड कलसी, जनपद देहरादून में निर्मित सम्पर्क मार्ग की जांच आख्या परगनाधिकारी चकराता ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देहरादून को प्रस्तुत की थी । जांच रिपोर्ट में सड़क निर्माण में कोई अनियमितता नहीं पायी गई । अतएव धन के दुरुपयोग एवं किसी सरकारी कर्मचारी से वसूली का प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम जुटाया विकास खण्ड कालसी जिला देहरादून के सम्पर्क मार्ग पर प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

149–श्री बलराम यादव तथा श्री रमाकान्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-जुटाया, पोस्ट-कलसी, विकास खण्ड-कालसी, जिला देहरादून के सम्पर्क मार्ग जिसका निर्माण झंझरेट पुल से सैरो गांव के नीचे होते हुए 4 कि0मी0 होना था, के गलत निर्माण के संबंध में श्री मुलायम सिंह यादव का पत्र दिनांक 6 सितम्बर, 88 तथा दिनांक 1 अक्टूबर, 88 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जांच की गई और यह पाया गया कि ग्राम जुटाया पोस्ट-कालसी, जिला देहरादून में झंझरेट पुल से जुटाया तक सेरी गांव के नीचे होकर कोई सम्पर्क मार्ग स्वीकृत नहीं किया गया था ।

ग्राम सभा सुलेमापुर वाराणसी में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने हेतु सैचुरेशन योजनान्तर्गत हैण्ड पम्प लगाने की योजना

150–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सुलेमापुर विकास खण्ड हरदुआ जिला वाराणसी में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु "सैचुरेशन" योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प आदि लगाये जाने की कोई योजना बनाई गई है ? क्या यह सही है कि सूखा राहत के अन्तर्गत जिलाधिकारी वाराणसी ने दिनांक 27 मार्च, 1987 को स्थानीय अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम को श्री अरविन्द कुमार शर्मा, युवक मंगल दल अध्यक्ष, सुलेमापुर के पत्र पर हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु आदेश दिया था ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं,

जी नहीं । किन्तु इस प्रकार का एक पत्र जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 27 जून, 1987 को जल निगम के स्थानीय अधीक्षण अभियन्ता को भेजा गया था, जिसके आधार पर 2 हैण्ड पम्प लगा दिये गये थे । तदन्तर परगनाधिकारी की संस्तुति पर एक अतिरिक्त हैण्ड पम्प भी लगा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला वाराणसी की हरिजन बस्ती हेतु भवन निर्माण की योजना की कार्यवाही

151–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सुलेमापुर विकास खण्ड हरहुआ जिला वाराणसी में हरिजन बस्ती के समीप इन्द्रा आवास योजना बनाकर सभी परिवारों हेतु भवन निर्माण कराने की कोई योजना बनाई गयी है? क्या इस सम्बन्ध में उक्त ग्राम सभा द्वारा परियोजना निदेशक कार्यालय में कोई प्रस्ताव भी दिया गया है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सुलेमापुर में इन्दिरा आवास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई लाभार्थी चयनित नहीं किये गये हैं परन्तु एक वैकल्पिक योजना में ग्राम सभा के प्रस्ताव पर 10 पात्र परिवारों की समिति बनाकर उनके आवास निर्माण का कार्य कराया जा रहा है जो मार्च 1989 तक पूर्ण किया जायेगा।

वाराणसी में विकास खण्ड हरहुआ के ग्राम पंचायत चुनाव की गड़बड़ियों संबंधी प्रश्नकर्ता के प्रश्न पर कार्यवाही

152–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद अन्तर्गत ग्राम सभा सुलेमापुर विकास खण्ड हरहुआ के अन्तर्गत हुए ग्राम पंचायत चुनाव में की गयी गड़बड़ियों के सम्बन्ध में उक्त गांव के श्री अरविन्द कुमार का शिकायती पत्र दिनांक 29-6-88 तथा श्री उमाकान्त का पत्र दिनांक 23 जून, 1988 जो जिला निर्वाचन अधिकारी, वाराणसी को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच की गई है? यदि हां, तो कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों और साधारण किसानों के कल्याण के लिए राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक व राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से लघु उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण की व्यवस्था

153–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों और साधारण किसानों के कल्याण के लिए राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक व राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से कौन-कौन सी योजनायें लागू की जा रही हैं? क्या सरकार उन लोगों को लघु

उद्योगों के लिए कम सूद पर छोटी-छोटी किस्तों में ऋण वापसी के आधार पर ऋण देने की व्यवस्था करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह–

युवक, युवतियों एवं साधारण किसान जो सहकारी समितियों के सदस्य हैं के कल्याण हेतु आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंकों/प्राइमरी समितियों के माध्यम से आई0 एस0 बी0 सेक्टर में ऋण की सुविधा दी जा रही है।

नान फार्म सेक्टर योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 14 जिला सहकारी बैंकों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु तीस हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के ऋण नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 22 उद्योग समूहों के निमित उपलब्ध कराया जा रहा है। इन ऋणों की अवधि 10 वर्ष तथा 30,000/- रु0 तक के ऋण पर 10% तथा 30,000/ रु0 से ऊपर पांच लाख तक के ऋण के लिए ब्याज की दर 12.5% है। भूमि विकास बैंक से भी लघु उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

मानक नगर दोदाखेड़ा लखनऊ के गांव के गन्दे पानी की निकासी हेतु नाले की मांग

154–श्री राज किशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मानक नगर दोदाखेड़ा लखनऊ स्थित गांव के गन्दे पानी की निकासी के लिए कोई नाला बनवाने का आदेश सरकार अथवा विभाग द्वारा किया गया था? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

155–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

पंचायती राज निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी के आश्रितों की पेंशन प्रकरण की कार्यवाही

156–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायती राज निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के अन्तर्गत कितने जिला पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) 1 जुलाई, 1988 तक जो सेवा निवृत्त हुए उनमें से कितने जिला पंचायत अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी हैं, जो सेवानिवृत्त हो गये और उनकी मृत्यु हो गई परन्तु उन्हें व उनके उत्तराधिकारी को पेंशन भुगतान नहीं की गई? उनके पेंशन भुगतान करने के विलम्ब में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 88-89 में जिला मेरठ, रामपुर, बरेली तथा मुरादाबाद के लिए आवंटित धन और खाद्यान्न का विवरण

157–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत उक्त स्कीम के प्रारम्भ से वर्ष 88-89 तक प्रत्येक वर्ष जिला मेरठ हेतु कुल कितना धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद मेरठ में ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत प्रारम्भ से वर्ष 1988-89 तक निम्नवत् धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया है :–

वर्ष	नकद (रु0 लाख में)	खाद्यान्न (मी0 टन में)
1984–85	307·96	--
1985–86	181·562	4070·50
1986–87	118·262	3840·00
1987–88	89·08	2944·00
1988–89	123·924	380·00

158–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत उक्त स्कीम के प्रारम्भ से वर्ष 88-89 तक प्रत्येक वर्ष जिला रामपुर हेतु कुल कितना धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद रामपुर में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत वर्ष 1984-85 से वर्ष 88-89 तक जनपद रामपुर हेतु निम्नानुसार धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया है :–

बर्ष	आवंटित धनराशि	आवंटित खाद्यान्न (मी0 टन मे)
1984–85	72,81,250	705
1985–86	64,75,700	898
1986–87	1,13,81,500	3370
1987–88	48,05,000	1444
1988–89	68,46,500	441

159–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत उक्त स्कीम के प्रारम्भ से वर्ष 88-89 तक प्रत्येक वर्ष जिला बरेली हेतु कुल कितना धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

160–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारण्टी स्कीम के अंतर्गत उक्त स्कीम के प्रारम्भ से वर्ष 88-89 तक प्रत्येक वर्ष जिला मुरादाबाद हेतु कुल कितना धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद मुरादाबाद में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ से वर्ष 88-89 तक नकद तथा खाद्यान्न निम्नांकित मात्रा में आवंटित किया गया है :–

वर्ष	धन (लाख रु0 में)	खाद्यान्न (मी0 टन में)
1984–85	101.11250	765.00
1985–86	170.24935	1966.00
1986–87	107.0490	4162.00
1987–88	109.7665	3140.00
1988–89 25.1.89 तक	142.7000	1201.00

जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी बाराबंकी के पद पर नियमित नियुक्ति

161–श्री मित्रसेन–

क्या युवक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर सेवानिवृत्ति के दो माह बाद पुनर्नियुक्त श्री मो0 बसी का कार्यकाल बढ़ाया गया ? यदि नहीं, तो नियमित रूप से इस पद को कब भरा गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, बाराबंकी के पद पर नियमित नियुक्ति 10 जून, 1988 से की गयी है।

उपाय निगम (पर्वतीय क्षेत्रों में) लिमिटेड की स्थापना, गठन के उद्देश्य एवं क्रियान्वयन

162–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लगभग पांच वर्ष पूर्व गठित उपाय निगम लि0 ने अपने गठन के उद्देश्य को क्रियान्वित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो गठन के बाद से अब तक की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उपाय लिमिटेड की स्थापना पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजना हेतु की गयी थी । अब तक प्राप्त प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय अभी नहीं हो पाया है इसलिए निगम के गठन के उद्देश्य का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो सका है ।

163–श्री सैयद जावेद अली–

[दि0 28-2-89 को अता0 प्र0 सं0-162 द्वारा उत्तरित]

पंचायत चुनावों में लगाये गये प्रान्तीय रक्षक दल के मानदेय और भत्ते के भुगतान की कार्यवाही

164–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हुए गत पंचायत चुनावों के समय ड्यूटी में लगाये गये प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों का मान-देय और भत्ते का भुगतान अब तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों के भत्ते का अविलम्ब भुगतान करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

प्रादेशिक विकास दल के वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक में इस प्रयोजनार्थ कोई प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण प्रादेशिक विकास दल के स्वयं सेवकों को मानदेय और भत्तों का भुगतान अब तक नहीं हो सका है ।

पंचायत चुनाव के समय ड्यूटी में लगाए गये प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों के मानदेय और भत्ते के भुगतान के लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से कराई जा रही है । विधान मण्डल द्वारा द्वितीय अनुपूरक मांग पारित हो जाने के उपरान्त इसी वित्तीय वर्ष में स्वयं सेवकों के भुगतान हेतु यथोचित कार्यवाही सम्पन्न हो सकेगी ।

जनपद सुल्तानपुर स्थित नहरपुर से खुनशेखपुर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव

165–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर स्थित नरहरपुर-खुनसेखपुर मार्ग पर मिट्टी लेपन व खड़ंजा बिछाने का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा पूर्ण रूप से कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखते हुए उक्त मार्ग पर मिट्टी लेपन व खड़ंजा बिछाने का कार्य पूर्ण रूप से कराने का कोई आदेश विभाग को सरकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद-सुल्तानपुर स्थित नरहरपुर से खुनशेखपुर मार्ग पर कुल 7.325 किमी0 लम्बाई पर मिट्टी का कार्य पूर्ण करा दिया गया है । नरहरपुर से बधूपुर तक खड़न्जा का कार्य जिला परिषद् द्वारा कराया जा रहा है । लेकिन उसके आगे खुनशेखपुर तक खड़न्जा निर्माण का कार्य स्वीकृत नहीं है । प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुल्तानपुर के अधिकार क्षेत्र में है ।

जनपद बलिया में नये विकास खण्ड भीमपुरा का सृजन

166–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर व नगरा के हिस्सों को लेकर जनहित में नया विकास खण्ड भीमपुरा का सृजन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

शासन के नीतिगत निर्णय के अनुसार सम्प्रति नये विकास खण्डों का सृजन न कर वर्तमान में विद्यमान विकास खण्डों को ही आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी कार्यक्षमता में सुधार किया जा रहा है । अतएवं नये विकास खण्ड सृजित नहीं किये जा रहे हैं ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में चिकित्सालयों के लिए भवन निर्माण की योजना

167–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में कितने चिकित्सालयों के लिए भवन निर्माण की योजनायें स्वीकृत हैं और अलग-अलग चिकित्सालयों के लिए कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत है और यह स्वीकृतियां किस-किस सन् में दी गईं तथा कितने भवनों का निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया ? निर्माण कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त कारणों को दूर करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

टिहरी गढ़वाल जनपद में 17 चिकित्सालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण की योजनायें स्वीकृत हैं । वांछित विवरण संलग्न है । जनपद में मात्र एक चिकित्सालय (उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिन्डोलाखाल) के भवन का निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है । इस निर्माण कार्य के लिए भूमि क्रय हेतु प्राप्त मांग के अनुसार रुपया 24,000 की धनराशि शासनादेश दिनांक 15 जनवरी, 1988 द्वारा स्वीकृत की गयी थी। अपर चिकित्सा निदेशक (पर्वतीय) ने अपने पत्र दिनांक 29-9-88 द्वारा शासन को यह सूचित किया है कि भूमि की कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण अब पूर्व में स्वीकृत रु0 24,000 में भूमि क्रय किया जाना सम्भव नहीं है । इस भूमि के लिए 17,145 रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी है । इस धनराशि की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में दी जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 248 पर)

बांदा जनपद के मटखाना चेकडैम, दोल, छतैनी चेक डैम के मरम्मत की मांग

168–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा निर्मित मटखाना चेकडैम तथा दोल तथा चेकडैम एवं छतैनी चेकडैम बनने के बाद पहली बरसात के पानी में ही जो अधिकांश क्षतिग्रस्त हो गये हैं जिससे लाखों रुपया धनराशि से निर्मित यह चेकडैम बेकार साबित हो रहे हैं ? यदि हां, तो इन चेकडैमों

की मरम्मत कराने में कितना धन खर्च होगा एवं किसानों की सिंचाई सुविधा को देखते हुए कब तक मरम्मत करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1986-87 में कुल 8 चेकडैमों का निर्माण कार्य कराया गया था जिनमें एक चेकडैम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया गया है, तथा 7 चेकडैम बुन्देलखण्ड कोर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत बनाये गये हैं जिसमें ढोलतजा एवं छतैनी चेकडैम भी सम्मिलित हैं, उक्त चेकडैम के निर्माण में से पहली बरसात में मट-खना व ढोलतजा चेकडैम के क्षतिग्रस्त होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) डी0 पी0 ए0 पी0 जिनके द्वारा वर्ष 1987 88 में चेकडैमों का निर्माण कार्य कराया गया है, वर्तमान समय निलम्बित है । अतः अधिशासी अभियंता (लघु सिंचाई) व सहायक अभियंता (लघु सिंचाई) को उक्त चेक-डैमों का सर्वे करने हेतु निर्देशित किया गया है । सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होते ही अग्रेतर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

आगरा जनपद की एत्मादपुर तथा फिरोजाबाद तहसीलों में फ्री बोरिंग योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण

169–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माँजूदा वित्तीय वर्ष 88-89 में आगरा जनपद की एत्मादपुर तथा फिरोजाबाद तहसीलों में फ्रीबोरिंग योजना में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी और उसमें से कितनी-कितनी धनराशि 1 दिसम्बर, 1988 तक खर्च की जा सकी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1988-89 में जनपद आगरा की एत्मादपुर तथा फिरोजाबाद तहसीलों में निःशुल्क बोरिंग हेतु क्रमशः रु0 23.70 लाख एवं 12.45 लाख की धनराशि स्वी-कृत हुयी थी, जिसके विरुद्ध एत्मादपुर तहसील में दिसम्बर, 1988 तक रु0 10.10 लाख तथा फिरोजाबाद में 5.66 लाख रु0 की धनराशि व्यय की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1988 तक एत्मादपुर में 335 पम्प सेटों के अनुदान समायोजन हेतु 5.61 लाख तथा फिरोजाबाद में 216 पम्प सेटों के अनुदान समायोजन हेतु 3.23 लाख रु0 की धनराशि व्यय की जा चुकी है ।

टिहरी गढ़वाल जनपद में विश्व बैंक की मार्फत बनाये गये गोदामों की लागत

170–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में विश्व-बैंक की मार्फत कितने बीज गोदामों का निर्माण किया गया है ? इन बीज गोदामों में से कितने गोदाम उपयोग में लाये जा रहे हैं ? जनपद के विकास खण्ड प्रतापनगर में मुकाम सिलारी में बनाया गया बीज गोदाम किस सन् में बनाया गया ? इसकी कितनी लागत आई है ? क्या सिलारी का बीज गोदाम उपयोग में लाया जा रहा है ? यदि

हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन गोदामों की देखरेख कौन अधिकारी करता है ? यदि कोई नहीं करता है, तो इनको बनाने का क्या औचित्य है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रज्जन यादव ग्राम प्रधान करारी ब्लाक नरैनी जनपद बांदा तथा प्रश्नकर्ता के पत्र पर राहत कार्य की मांग

171–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 1986 को श्री रज्जन यादव ग्राम प्रधान करारी ब्लाक नरैनी जनपद बांदा के संलग्न पत्र के साथ राहत कार्य के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

ग्राम करारी ब्लाक नरैनी जनपद बांदा में मु0 24790 रुपये की लागत से दो पुलियों का निर्माण एवं मु0 72670 रुपये की लागत से तालाब खुदाई का प्रस्ताव क्षेत्र समिति से प्राप्त नहीं हुआ, जिसमें कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गयी । प्रस्ताव को निर्णयार्थ जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शासी निकाय में प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद बाराबंकी नगर पालिका रुदौली के निलम्बित कर्मचारियों को निलम्बन अवधि के जीवन निर्वाह भत्ते की मांग

172–श्री मित्रसेन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अंतर्गत नगर पालिका रूदौली में माह अक्टूबर, 1986 में किन-किन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है ? उनके निलम्बन के कारण क्या हैं ? क्या उन्हें निलम्बन की अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना-कितना ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

केवल एक कर्मचारी श्री नागेन्द्र नारायण को निलम्बत किया गया था ।

पालिका धन के गबन के कारण ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय नियम संग्रह भाग–2 से 4 के मूल नियम 53 के उप नियम (2) के प्राविधान के अनुसार निलम्बित कर्मचारी द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नही किया गया ।

राजा रतन सेन चैरिटेबुल इन्डाउमेन्ट ट्रस्ट बांसी जनपद बस्ती के ट्रस्टियों के गायब पते के साथ ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति के विवरण की मांग

173–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजा रतन सेन चैरिटेबुल इन्डाउमेन्ट ट्रस्ट बांसी जनपद बस्ती के नाम वर्तमान समय में कितनी सम्पत्ति किस रूप में कहां स्थित है ? क्या मंत्री जी ट्रस्ट के संविधान की अद्यतन संशोधित प्रमाणित नीति ट्रस्टियों के नाम व पते के साथ ट्रस्ट की समस्त चल, अचल सम्पत्ति के ब्योरे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में संवर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा के अधीन वरिष्ठ प्रबन्धकों की सीधी भर्ती

174–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संवर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा के अधीन वरिष्ठ प्रबन्धकों की सीधी भर्ती का अनुपात कुल पदों का 25 प्रतिशत है ? यदि हां, तो कुल कितने पद हैं तथा अब तक कुल कितने पद सीधी भर्ती से भरे गये हैं ? वर्तमान में जिला सहकारी बैंक लि0 शाहजहांपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत वरिष्ठ प्रबन्धक श्री बाजपेयी की सेवायें संवर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा द्वारा आमंत्रित की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? सीधी भर्ती के स्थानों की पूर्ति होते हुए भी श्री बाजपेयी का आमेलन, जो सीधी भर्ती माना जाता है, क्यों किया जा रहा है ?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां । 251 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा विनियमावली लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती से चयनित 38 वरिष्ठ प्रबन्धक कार्यरत हैं ।

जिला सहकारी बैंक लि0, शाहजहांपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत वरिष्ठ प्रबन्धक श्री संत सागर बाजपेई की सेवायें सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा में आमेलित नहीं की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) जल निगम द्वारा लगाये गये नलकूप और हैण्डपम्प के लगाने की लागत के अपव्यय की तकनीकी जांच की मांग

175–डाक्टर बंगाली सिंह, श्री मयंकर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि मुख्य अभियंता (मध्य क्षेत्र) जल निगम के अधिकार क्षेत्र में वर्ष 1981 से अब तक कितने नलकूप व हैण्ड पम्प लगाये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेंगी कि इन सभी नलकूप एवं हैण्ड पम्पों पर सरकार द्वारा जल निगम के माध्यम से कितना रुपया व्यय किया गया ? क्या सरकार को यह

भी जानकारी है कि भारी मात्रा में नलकूप और हैण्डपम्प बनने के बाद असफल हो गये हैं जिससे न तो जनता का हित हुआ बल्कि सरकार की भारी धनराशि का अपव्यय हुआ ? क्या सरकार इस मामले की तकनीकी जांच कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मुख्य अभियंता (मध्य क्षेत्र) जल निगम के अधिकार क्षेत्र में वर्ष 1981 से अब तक 424 नलकूप तथा 62349 हैण्ड पम्प लगाये गये । नलकूपों के निर्माण पर लगभग रुपये 733.12 लाख तथा हैण्ड पम्पों के निर्माण पर लगभग 6594.00 लाख रुपये व्यय किये गये ।

केवल 13 नलकूप व 932 हैण्डपम्प असफल हुए हैं जो कुल संख्या का केवल क्रमशः 3.1 व 1.5 प्रतिशत है ।

जी नहीं ।

कुल अधिष्ठापित नलकूपों/हैण्ड पम्पों की संख्या की तुलना में असफल नलकूपों/हैण्डपम्पों की संख्या न्यून है । अतः तकनीकी जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

रतन सेन डिग्री कालेज बांसी जनपद बस्ती को बी0 एड0 की स्थायी मान्यता तथा वर्तमान में कालेज के नाम दर्ज सम्पत्ति का विवरण

176–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद बस्ती को शासन द्वारा बी0 एड0 की स्थायी मान्यता कब प्रदान की गयी तथा स्थायी मान्यता हेतु कौन सी इन्डाउमेन्ट प्रापर्टी कालेज के कागजात में दर्ज है ? क्या उक्त सम्पत्ति वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में कालेज के नाम दर्ज है ? यदि नही, तो फिर किसके नाम दर्ज है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

बी0 एड0 की स्थायी सम्बद्धता कुलाधिपति महोदय द्वारा वर्ष 1980 में प्रदान की गई थी ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार बी0 एड0 की स्थायी मान्यता हेतु निम्नांकित सम्पत्ति पर महाविद्यालय का पूर्ण अधिकार दिखाया गया था :–

(1) तीन लाख 50 हजार रु0 की मालियत की 41 बीघा 6 बिस्वा भूमि ।

(2) 8,000 रुपये मालियत की 2 बीघा भूमि । इसके अतिरिक्त निम्नांकित आय का भी उल्लेख किया गया था :–

(1) "राजा रतन सेन सिंह चैरिटेबुल ट्रस्ट से महाविद्यालय को 4500 रु0 प्रतिवर्ष मिला करता है ।

(2) महारानी साहिबा बांसी राज प्रति वर्ष लगभग 3500 रुपये रानीगंज बाजार से देती हैं ।"

महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार बी0 एड0 की स्थायी मान्यता हेतु प्राभूत के रूप में निम्नांकित सम्पत्ति दिखाई गई थी :-

1-क्रीड़ा क्षेत्र की 8 एकड़ भूमि

2-ग्राम मरवटिया की दो बीघा भूमि

3-महाविद्यालय के पुराने भवन के पास स्थित दस प्लाट जिनका क्षेत्रफल 4 बीघा 16 विस्वा है ।

4-ग्राम गोनहा-ताल में स्थित 10 बीघा भूमि ।

जी नहीं ।

केवल ग्राम मरवटिया में स्थित दो बीघा भूमि राजस्व अभिलेखों में कालेज के नाम अंकित है ।

उक्त सम्पत्ति में से क्रीड़ा क्षेत्र की 8 एकड़ भूमि तथा ग्राम गोनहा ताल की 10 बीघा भूमि रतनसेन इन्टर कालेज बांसी, बस्ती के नाम अंकित है ।

उपर्युक्त विवरण के क्रम सं0-3 पर अंकित दस प्लाट प्राचार्य द्वारा श्रीमती मोहभक्त लक्ष्मी रानी को बेच दिये गये है ।

जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र पर जिला परिषद् फैजाबाद द्वारा निर्माण कार्यों के भेदभाव एवं पक्षपात के कार्यों की कार्यवाही

177-श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक 16-5-88 का पत्र, जिसमें जिला परिषद् फैजाबाद द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन करके निर्माण कार्यों में भेदभाव एवं पक्षपात करने की शिकायत की गयी थी, मिल गया है ? यदि हां, तो शिकायतों और कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में मुख्य शिकायत इस प्रकार है कि शासन से वर्ष 1987-88 में बाढ़ वर्षा से क्षति ग्रस्त सड़कों की मरम्मत के जिला परिषद् फैजाबाद को प्राप्त 4,17 लाख रुपये का सड़क अनुदान का विधान सभा क्षेत्रवार बटवारा नहीं किया गया । केवल दो विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज एवं अयोध्या को दो सड़कों-किछोछा-शुकुल बाजार और देवकली-भीखापुर पर खर्च कर दिया गया । शिकायत कर्ता के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में विकवाजीतपुर-बसोहरी घाट मार्ग पर वांछित धनराशि खर्च करके उसे पूर्ण नहीं कराया गया ।

शासनादेश सं0 18 जी0 आई0/33-2-160/81 दिनांक 9-2-88 द्वारा वर्ष 1987 में जिला परिषद् फैजाबाद को वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों की जिला परिषद् की सड़कों की मरम्मत हेतु 4.17 लाख रु0 अनुदान प्राप्त हुआ था । शासनादेश में विधान सभा क्षेत्रवार धनराशि का बटवारा करके ही सड़कों के मरम्मत का कार्य कराना उल्लिखित नहीं था। आवश्यकतानुसार सड़कों का चयन कर प्रश्नगत धनराशि से सड़क निर्माण कार्य कराया गया है । इस प्रकार सड़कों के चयन में कोई भेदभाव एवं पक्ष-

पास नहीं किया गया है । विकवाजीतपुर-बसोहरी घाट मार्ग पर वर्ष 1984-85, 85-86, 87-88 में प्राप्त सड़क अनुदान में से 4 किमी0 सोलिंग तथा 6 पुलिया का निर्माण कार्य कराया गया है ।

सीतापुर जिले में सहायता एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अवकाश प्राप्त अध्यापकों/प्रधानाचार्यों के पेंशन भुगतान की मांग

178–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में सहायता एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से अवकाश प्राप्त अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को विगत 2 माह से पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? भुगतान न करने का क्या कारण है ? भुगतान कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के घोसी तहसील में घाघरा नदी से प्रभावित कतिपय ग्रामों में घर की पटाई की योजना

179–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी में घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित कुछ ग्रामों धर्मपुर विसुनपुर-सिसवा-नुरुल्लाहपुर में गत वर्ष कुछ घरों की घर पटाई का कार्य हुआ है, शेष होने वाला है परन्तु उसी से मिले बाढ़ से प्रभावित आबादी ग्राम दुलारी देवारा (बांध से उत्तर) भोलनपुर बांध से उत्तर कुंवरपुरवा (बांध के उत्तर) बहोहा (बांध से उत्तर) चक्की भूसाडोही ग्राम की घर पटाई अभी तक शासन ने स्वीकार नहीं किया है जबकि वर्ष 88 की भयंकर बाढ़ से व घर पटाई के अभाव में यहां तबाही पैदा हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्रामों में भी घर पटाई की योजना लागू करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनता पार्टी फैजाबाद द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए कथित ज्ञापन का क्रियान्वयन एवं जांच

180–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 4-7-88 को जनता पार्टी फैजाबाद ने जिलाधिकारी फैजाबाद के कार्यालय के सामने एक धरने का आयोजन किया था जिसके अन्त में प्रश्नकर्ता तथा अन्य कई पदाधिकारियों के हस्ताक्षर के एक 9 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें से किन-किन बिन्दुओं पर कार्यवाही का काम मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद को सौंपा गया है और उस पर अब तक की जांच और कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

दिनांक 4-7-88 को प्रश्नकर्ता तथा अन्य पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी फैजाबाद को जो 9 सूत्रीय ज्ञापन दिया था उसमें मांग संख्या–3 तथा 4 आंशिक रूप से ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित हैं । फर्जी ऋणों के वितरण तथा जिला प्रशासन विकास कार्य में भ्रष्टाचार एवं विभिन्न क्षेत्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार संबंधी मांगों के संबंध में विशिष्ट एवं स्पष्ट प्रकरण इंगित नहीं किए गए हैं । इसी कारण अस्पष्टता के फलस्वरूप इन पर जांच कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

जनपद गोण्डा में जरवा पत्थरों के निकासी आदि के कार्य बन्द होने से हजारों थारू व जनजाति के लोग भुखमरी के शिकार

181–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा में जरवा पत्थरों के निकासी आदि के कार्य बन्द हो जाने के कारण योजना में लगे हजारों थारू व जनजाति के लोग भुखमरी के शिकार हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गरीबों के रोजगार हेतु कोई योजना चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत वन क्षेत्र में बहने वाली नदियों/नालों के तल से पत्थर आदि की निकासी पर भी भारत सरकार की पूर्वानुमति अनिवार्य हो गई है । उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में स्थित जरवा नालों से बजरी, पत्थर आदि का निस्तारण न होने के कारण यद्यपि रोजगार के अवसर घटे हैं, परन्तु वन तथा अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं में थारूओं सहित स्थानीय श्रमिकों के रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं । उक्त नालों के पत्थरों आदि के निस्तारणार्थ भी भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दिए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 40 के अन्तर्गत मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित 1ले सोमवार के प्रश्न]

जनपद बलिया के कतिपय सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति हेतु पत्रावली जिलाधिकारी को भेजा जाना

55–श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भाखर श्रीनगर सम्पर्क मार्ग करमानपुर पक्की सड़क से आदर्शनगर सम्पर्क मार्ग, बुद्धन बाबा से दलनछपरा सम्पर्क मार्ग, बैरिया सिरसैनपुर मार्ग से बैरिया गांव होते हुए बैरिया रिविडगंज मार्ग तक सम्पर्क मार्ग तथा जयप्रकाश नगर संसार टोला सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति बलिया जनपद के गवर्निंग बाडी द्वारा किस तिथि को हुई और क्या उक्त सम्पर्क मार्गों से संबंधित पत्रावली 23-3-88 को जिलाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजी गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्रावलियों को पूर्व जिलाधिकारी श्री अशोक कुमार ने अपने कार्यकाल तक रोके

रखा ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध तथा अन्य दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव को निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बलिया के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 2-8-87 में स्वीकृत हुआ था । इन मार्गों से संबंधित पत्रावलियां जिलाधिकारी को स्वीकृत हेतु दिनांक 27-2-88 से 19-4-88 के बीच भेजी गयी थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जनपद के द्वाबा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम भराई योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय

84–श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 और 1987-88 से बलिया जनपद के दवाबा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन ग्राम–ग्राम भराई योजना में स्वीकृत थे किस-किस ग्राम में भराई हुई, और कितना-कितना धन व्यय हुआ ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत बलिया जनपद के द्वाबा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1986-87 में ग्राम सभा-नौरंगा, भुवालछपरा, उदई छपरा इब्राहिममाबाद, नौबरार, सीवनराय का टोला में ग्राम भराई का कार्य स्वीकृत था । ग्राम सभा उदईपुरा में कार्य प्रारम्भ हुआ किन्तु क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि द्वारा कुछ आपत्तियां उठाने पर कार्य को स्थगित कर देना पड़ा और कोई भुगतान नहीं हुआ । वर्ष 1987-88 में कोई ग्राम भराई हेतु स्वीकृत नहीं था ।

बलिया जनपद में बलिया ग्रामीण अभिकरण द्वारा सीमेण्ट पाइप पुल पुलिया निर्माण हेतु खरीदे गये भुगतान का विवरण

85–श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में बलिया ग्रामीण अभिकरण द्वारा 1985-86, 1986-87 और 1987-88 में कितने सीमेन्ट पाइप पुल-पुलिया के लिए खरीदे गये और उसकी दर क्या थी और किस-किस को कब-कब कितना रुपया भुगतान हुआ ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सम्पर्क मार्गों पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 1985–86 में 350 एम0 एम0 के 168, 600 एम0 एम0 के 188, एवं 900 एम0 एम0 के 55 ह्यूम पाइप तथा पाइपों को जोड़ने हेतु 207 कालर, वर्ष 86-87 में 350 एम0 एम0 के 46, 600 एम0 एम0 के 89 एवं 900 एम0 एम0 के 18 ह्यूम पाइप एवं 95 कालर तथा वर्ष 87-88 में 350 एम0

एम0 के 304, 600 एम0 एम0 के 468 एवं 900 एम0 एम0 के 91 ह्यूम पाइप एवं 458 कालर पुलिया निर्माण हेतु क्रय किये गये ।

ह्यूम पाइप की दरें उद्योग निदेशक, उ0 प्र0 द्वारा निर्धारित थी जो 350 एम0 एम0 की 316.00 रु0 600 एम0 एम0 की 395.00 रुपया एवं 900 एम0 एम0 की 1208.00 रुपया प्रति मीटर थी ।

वर्ष 85-86 में मैसर्स कृष्णा ह्यूम पाइप गोरखपुर को 3,28,586-85 रु0 मैसर्स इन्दिरा आर0 सी0 सी0 स्पन पाईप वाराणसी को 4,42,390-00 रुपया वर्ष 86-87 में मैसर्स रवि इण्डस्ट्रीज फैजाबाद को 1,97,498.95 रुपया, मैसर्स इन्दिरा आर0 सी0 सी0 स्पन पाईप वाराणसी को 77,644.00 रुपया तथा वर्ष 87-88 में मैसर्स इन्दिरा आर0 सी0 सी0 स्पन पाईप वाराणसी को 2,54,674-65 रु0, मैसर्स कृष्णा ह्यूम पाईप गोरखपुर को 8,70,673-70 तथा मैसर्स दीपक ह्यूम पाईप चौरा-चौरी गोरखपुर को 4,21,476-50 रु0 भुगतान किया गया ।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा आजमगढ़ के विरुद्ध फर्जी भुगतान एवं जाली कार्य हेतु श्री संकठा प्रसाद यादव के शिकायती पत्र पर जांच की कार्यवाही

111—श्री मैनेजर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा आजमगढ़ के विरुद्ध फर्जी भुगतान एवं जाली कार्य संबंधी श्री संकठा प्रसाद यादव का शिकायती पत्र दिनांक 4-8-87, 9-7-87 एवं 15-9-87, 3-11-87 मार्च, 1988 एवं 21-6-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? जांच आख्या क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जांच प्राविधिक परीक्षक टेक्निकल आडिट सेल, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कराई गई जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है ।

कनिष्ठ लिपिक ग्रामीण अभियंत्रण कार्यालय गोरखपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

112—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आरोपित अधिकारी जांच अधिकारी हो सकता है ? यदि नहीं, तो विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पहले सोमवार दिनांक 29-3-88 के अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के विरुद्ध अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिमण्डल गोरखपुर ने आरोपित अधिकारी अधि0 अभि0 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोरखपुर को जांच अधिकारी बनाया है ? यदि हां तो सदन को गलत जानकारी देने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरोपित अधिकारी द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं,

प्रसंगत शिकायती-पत्र में मुख्यतया अधिशासी अभियंता, गोरखपुर प्रखण्ड के कनिष्ठ लिपिक के बिरुद्ध विभिन्न आरोप लगाये गये थे । अधीक्षण अभियंता, गोरखपुर परिमण्डल द्वारा अधिशासी अभियंता, गोरखपुर से प्रश्नगत शिकायती पत्र के संदर्भ में वस्तु-स्थिति से अवगत कराने के आदेश 11-1-1988 को दिए गये थे । यह कार्यवाही मुख्य अभियंता को प्राप्त शिकायती पत्र की प्रतिलिपि के संदर्भ में की गयी थी । शासन द्वारा इस प्रकरण में मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की जांच करने के आदेश दिनांक 9-2-88 को पारित किये गये थे । विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पहले सोमवार दिनांक 29-3-88 को नियत अतारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर 9-2-88 के आदेश के अनुपालन में हुई कार्यवाही पर आधारित थी ।

इस प्रकार सदन को कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है ।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गयी प्रारम्भिक जांच स्वीकार नहीं की गयी है । इस प्रकरण में पुनः अधीक्षण अभियन्ता ने स्वयं जांच की है जिस पर यथोचित कार्यवाही की जा रही है ।

वर्तमान जिला विकास अधिकारी, बलिया द्वारा कार्यभार ग्रहण करने में विलम्ब का कारण

113–श्री मैनेजर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान जिला विकास अधिकारी, बलिया का स्थानान्तरण बलिया जनपद में कब हुआ और कब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और विलम्ब से कार्यभार ग्रहण करने का कारण क्या था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री जितेन्द्र नारायण चड्ढा को जिला विका/ा अधिकारी, बलिया के पद पर विज्ञप्ति संख्या–1436/38-1-88-1ई/87, दिनांक 23-2-88 द्वारा तैनाती की गयी और उन्होंने उक्त पद पर दिनांक 19-5-88 के अपराह्न में कार्यभार ग्रहण किया । प्रशासनिक एवं पारिवारिक कारणों से श्री चड्ढा के कार्यभार ग्रहण करने में विलम्ब हुआ ।

जिला बलिया के भूतपूर्व जिला परिषद् अध्यक्ष श्री तारकेश्वर पाण्डेय की मृत्यु पर शोक सभा न किये जाने विषयक कार्यवाही

134–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया के भूतपूर्व जिला परिषद् अध्यक्ष, सांसद एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 तारकेश्वर पाण्डेय की मृत्यु 25 जून, 1988 को लखनऊ में हुई और जिनका श्राद्ध कर्म के सभी कार्यक्रम उनके बलिया नगर स्थित मकान में हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 6 जुलाई को 2 बजे दिन तक उनके सम्मान में शोक सभा नहीं की गयी और कार्यालय एक दिन भी बन्द नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या उसके लिये दोषी जिलाधिकारी, अध्यक्ष, जिला परिषद् के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, स्व0 श्री तारकेश्वर पाण्डेय जी की मृत्यु की जानकारी होने पर दिनांक 6-7-88 को 12 बजे दिन में जिला परिषद् के सभा भवन में एक शोक सभा की गई और शोक प्रस्ताव की एक प्रति उनके परिवार को भेजी गई तथा परम्परानुसार शोक सभा के बाद कार्यालय बन्द कर दिया गया । अतएव जिला अधिकारी अध्यक्ष, जिला परिषद् के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सकेंठा प्रसाद पांडेय, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ0 प्र0 पिछड़ा अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति का अधिशासी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

159–श्री मैनेजर सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 6वें सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 संख्या 8 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सरकार को क्या परेशानी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत जांच पूर्ण हो चुकी है। शिकायती पत्र में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये ।

बलिया जनपद, निर्वाचन क्षेत्र द्वाबा में हरिजन परिवारों को इन्दिरा आवास की सुविधा

169–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जनपद के निर्वाचन क्षेत्र द्वाबा में कितने हरिजन परिवारों को इन्दिरा आवास की सुविधा में लिया गया और कितने का आवास पूर्ण हो गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

निर्वाचन क्षेत्र द्वाबा में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कुल 266 आवास निर्माण हेतु हरिजन परिवारों के लिये चयनित किया है जिसके विरुद्ध 250 आवास पूर्ण हो गये हैं।

बलिया जनपद, विकास खण्ड बेरिया, ग्राम नारायनगढ़ और गोन्हियां छपरा में निर्माणाधीन विद्यालय भवन का कार्य

170–श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा बलिया जनपद के विकास खण्ड बेरिया के ग्राम नारायनगढ़ और गोन्हियां छपरा में निर्माणाधीन विद्यालय भवन का कार्य कब प्रारम्भ हुआ और आज तक पूर्ण न होने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद बलिया के विकास खण्ड बेरिया के ग्राम नारायनगढ़ और गोन्हिया छपरा में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य वर्ष क्रमशः 9/79 एवं 3/78 में प्रारम्भ हुआ ।

इन दोनों भवनों के अब तक पूर्ण न होने का मुख्य कारण भूमि विलम्ब से प्राप्त होने के फलस्वरूप निर्माण कार्यों की लागत में वृद्धि तथा उससे उत्पन्न धनाभाव रहा है । फिर भी इन भवनों को उपलब्ध धनराशि में वरीयता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश विभागाध्यक्ष को निर्गत कर दिए गये हैं।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

अन्य प्रदेशों से आयुर्वेद स्नातक डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में चिकित्साधिकारी पद हेतु अर्ह न माने जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

आज नियम 301 के अन्तर्गत 22 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इसमें से 7 सूचनाएं शलाका द्वारा स्वीकार की गयी हैं, पहली सूचना श्री राज किशोर सिंह की, दूसरी डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा की, तीसरी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की, चौथी माननीय कुशल पाल सिंह की, पांचवीं माननीय हरिश्चन्द्र, हरीश जी की, छठवीं माननीय रमाशंकर कौशिक जी की और सातवीं माननीय राय लक्ष्मी नारायण सिंह जी की हैं ।

यह सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायें ?

(संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री राजकिशोर सिंह–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी अनेक छात्र अन्य प्रदेशों से आयुर्वेद स्नातक तथा पोस्ट स्नातक की उपाधि प्राप्त किये हैं और उ0 प्र0 में आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा हेतु अर्ह हैं किन्तु इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि उन्हें चिकित्साधिकारी पद के लिये योग्य नहीं माना जाता है।

अन्य प्रदेश के आयुर्वेद स्नातक उ0 प्र0 में चिकित्सक के रूप में पंजीकृत हैं । अन्य प्रदेशों के विश्वविद्यालयों से बी0 ए0 एम0 एस0 के अतिरिक्त अन्य सभी डिग्रियां उत्तर प्रदेश में राजकीय सेवा के लिये मान्य हैं। उत्तर प्रदेश में इसके समकक्ष डिग्रियां राजकीय सेवा हेतु उ0 प्र0 में मान्य है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आदेश सं0 31-3-69 कार्मिक–2 दिनांक 15-10-76 द्वारा लोक सेवा आयोग में राज्याधीन सेवाओं में भर्ती हेतु योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित वि0वि0 को डिग्रियां निर्धारित किया था किन्तु लोक सेवा आयोग द्वारा 6-3-88 को विज्ञापन सं0 6/87-88 में अन्य प्रदेशों के स्नातकों को अर्ह न मानकर संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का हनन किया है । ऐसी परिस्थिति में अन्य प्रदेशों से आयुर्वेद स्नातक डिग्री प्राप्त उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर शासन से ऊपर वर्णित समस्या के निदान के लिये आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला बांदा की नरैनी तहसील के अन्तर्गत रसिन बांध के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[मान्यवर, बांदा जनपद के नरैनी तहसील के अन्तर्गत रसिन बांध का निर्माण पूरा न होने से इस क्षेत्र के लगभग 50 गांवों की किसानों की फसल सूख गई है, लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं और यह स्थिति प्रतिवर्ष इस क्षेत्र की हो जाती है । इस क्षेत्र के अधिकांश लोग रोजी-रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों तथा बड़े शहरों में पलायन कर रहे हैं । इस क्षेत्र की भूमि अत्यधिक उपजाऊ होने के बावजूद भी सिंचाई की कोई भी व्यवस्था न होने के कारण भुखमरी की तबाही मची रहती है।

अतः मांग करता हूं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान करते हुए अविलम्ब रसिन बांध का पूरा निर्माण कराया जाय ताकि इस असिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मुहैय्या हो सके।]

जनपद सीतापुर के खैराबाद ब्लाक की क्षेत्र निधि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[मान्यवर, विकास खण्ड खैराबाद, सीतापुर में क्षेत्र निधि के धन का आवंटन शासनकीय नियमों के खिलाफ राजनैतिक आधार पर किया गया है। आवंटन की शर्तों के बारे में शासनादेश संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 पंचायती राज अनुभाग–3 के हस्ताक्षर से पत्र संख्या–932ग/33-3-63 पी0(11)86, दिनांक 26-2-88 में निर्देशित है कि 50 प्रतिशत धन खड़ंजा तथा 50 प्रतिशत स्कूल भवनों की मरम्मत होने में व्यय होगा । जो ग्राम सभायें प्रस्ताव करेंगी तथा अंशदान देने को तैयार हो वह प्राथमिकता पायेंगी । धनराशि क्षेत्र समिति की बैठक बिना बुलाये प्रस्ताव तथा अंशदान देने को प्राथमिकता दिये बिना क्षेत्र प्रमुख द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से मात्र 14 ग्राम सभायें ही राजनीतिक आधार पर आवंटित कर दी गई नियमों की स्पष्ट अवहेलना है ।

इससे पूरे क्षेत्र के प्रधानों एवं जनता में भीषण असन्तोष व्याप्त है। प्रधान आन्दोलन कर रहे हैं।

आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाकर मांग करता हूं कि धन के व्यय पर तत्काल रोक लगाकर मामले की जांच करा ली जाय । नियमानुसार धन का आवंटन कराने की व्यवस्था करें।]

जिला मथुरा के मांट क्षेत्र में सड़कों के खेपन स्तर तक पूरा कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुशल पाल सिंह–

[मान्यवर, मांट क्षेत्र, जनपद-मथुरा में बाजना से विरजूगढ़ी, एदलगढ़ी से

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जटपुरा, लोहई भालई, वाजना से अहमदपुर, मांट से नसीटी, एदलगढ़ी से सल्ल, सुरीर से भदनवारा, शेरगढ़ से दलौता, हसनपुर से पालखेड़र, शाहपुर से एंचे मार्गों पर कई सालों से पत्थर पड़े हुए हैं। अभी तक इन मार्गों पर लेपन स्तर तक कार्य न होने से पत्थर उखड़ गये हैं। वाहनों व पैदल यात्रियों का चलना मुश्किल हो गया है। ट्रैक्टर, बुग्गी व साइकिलों के टायर इन सड़कों पर चलने से फट रहे हैं। किसान अपनी उपज को बाजार तक नहीं ले जा पाते हैं। उक्त मार्गों की दयनीय दशा से सम्बन्धित गांवों की जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है। जनता ने दु:खी होकर आन्दोलन शुरू कर दिया है।

अत: मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका व सम्मानीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त मार्गों को लेपन स्तर तक पूरा कराने की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा की रेलवे कालोनी निवासी कुमारी नीतू चक्रवर्ती की गुमशुदगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[मान्यवर, श्री आर0 सी0 चक्रवर्ती क्वार्टर नं0 319 बी रेलवे कालोनी, बड़ागांव, गोण्डा की पुत्री कुमारी नीतू चक्रवर्ती जो कि कस्तूरबा बालिका इण्टर कालेज, रेलवे कालोनी, गोण्डा की कक्षा 10 की छात्रा थी। एक स्कूल रैली में भाग लेने के लिए अपनी प्रधानाध्यापिका के संरक्षण में दिनांक 20-11-88 को सुल्तीनपुर गयी थी, परन्तु आज तक उस लड़की का पता नहीं चल सका। श्री आर0 सी0 चक्रवर्ती ने गोण्डा कोतवाली में दिनांक 25 नवम्बर को धारा 279 व 304 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना दर्ज कराई है। परन्तु अभी तक कुमारी नीतू का पता नहीं चल सका जिसके कारण लोगों में भारी क्षोभ व्याप्त है और जन-मानस में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं मांग करता हूं कि इस मामले की जांच गुप्तचर विभाग से करवा कर कुमारी नीतू का पता लगाया जाय तथा दोषी जनों को दण्डित किया जाय।]

जनपद मुरादाबाद में गजरौला से नजीबाबाद आदि मार्ग पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशिक रमाशंकर—

[मान्यवर, मुरादाबाद जनपद में गजरौला नामक स्थान आवागमन-यातायात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं व्यस्ततापूर्ण स्थान है। रेलवे का जंक्शन है और अनेक स्थानों के लिए कई सड़क मार्ग हैं। 24वां राष्ट्रीय मार्ग यहां है। और बिजनौर, देहरादून, चन्दौसी, दिल्ली, लखनऊ आदि बड़े नगरों के लिए सड़क मार्ग हैं। गजरौला औद्योगिक क्षेत्र है और एक विकासशील उद्योग नगरी है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की सैकड़ों बसें वहां से गुजरती हैं। हजारों ट्रक प्रति दिन आते-जाते हैं। गजरौला से नजीबाबाद तथा दिल्ली रेलवे मार्ग और देहरादून चन्दौसी

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिल्ली आदि के सड़क मार्ग पर रेलवे क्रासिंग है, जहां अनेक मालगाड़ियों तथा सवारी गाड़ियों के आने-जाने से अनेक बार और बहुत देर तक सड़क मार्ग अवरुद्ध रहता है।

अतः श्रीमन्, सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर का शीघ्र निर्माण करायें ।]

जिला गाजीपुर के बाराचवर ब्लाक में अमहट से साधु की कुटिया तक के मार्ग को पक्का कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित अविलम्बनीय लोक महत्व की जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवर में अमहट से बाकी मऊंरा पैकोली होते हुए साधु की कुटिया तक मार्ग की ओर आकर्षित करता हूं । यह मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मिट्टी, पुलिया खड़ंजे स्तर तक बनाया गया है । इस मार्ग पर अधूरा कार्य किया गया जिसमें मिट्टी कम डाली गयी एवं गिट्टी भी खराब स्तर की एवं कम मात्रा में दी गयी । इससे यहां के हजारों कृषकों एवं जनता में रोष एवं क्षोभ है। इस कारण यहां के स्थानीय जनता ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया, लेकिन उस विभाग के अभियन्ताओं द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसकी जांच टेक्निकल सेल से करवाया जाय ।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित कर उपरोक्त मार्ग को लेपन स्तर तक बनाया जाय एवं अधूरे कार्यों को पूरा किया जाय जिससे इस मार्ग से उस क्षेत्र के जनता को लाभ एवं सुविधायें मिल सकें ।]

श्री भगौती सिंह विधायक पर हजरतगंज में सरकारी प्लेट लगी गाड़ी में सवार गुण्डों द्वारा हमला कर घायल करने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण के प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत आज 5 सूचनाएं मिली हैं पहली माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की दूसरी सूचना है माननीय हृदय नारायण जी की, तीसरी है माननीय बदन सिंह जी की, चौथी है माननीय राम आसरे वर्मा जी की और पांचवीं है माननीय हरिश्चन्द्र 'हरीश जी' की।

माननीय गुप्त जी, यह जो भगवती सिंह के सिलसिले में है, इसी सिलसिले में माननीय अंचल जी ने नियम 56 में दिया था, मैंने इसी में जोड़ दिया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ इस आदरणीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है.

*श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य जयदीप सिंह बरार ने आपको

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सूचित किया है कि उन्होंने जनता दल में ज्वाइन कर लिया है तो क्या आप दलबदल कानून के तहत इनको निष्कासित करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

अभी यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ यह बात सूचित करनी पड़ रही है कि इस सरकार के रहते माननीय सदस्यों का, जन प्रतिनिधियों का सम्मान किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। इस आदरणीय सदन में माननीय हरीश जी के नाम की चर्चा हुई और विधायकों के नाम की चर्चा हुई लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। यहां पर सरकार की ओर से कई बार घड़ियाली आंसू बहाये गये लेकिन कार्यरूप में कुछ भी नहीं हुआ है। मान्यवर, इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य भगवती सिंह, वरिष्ठ सदस्य हैं उनके व्यवहार आचरण से हम सभी लोग परिचित हैं। परसों 11 तारीख को एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास पेट्रोल पम्प है वहां वह अपनी जीप के साथ पेट्रोल लेने गये थे, उनके साथ श्री हीरा लाल यादव, जनता दल के प्रमुख कार्यकर्ता भी थे। एक सरकारी गाड़ी जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था, और उत्तर प्रदेश सरकार की उस गाड़ी का नम्बर है यू0ए0ई0 251, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार की नेम प्लेट लगी हुई थी। उस पर 12-14 नौजवान बैठकर आए। उन्होंने जानबूझ कर श्री भगौती सिंह की गाड़ी को धक्का दिया और उनको मारने की चेष्टा की। लेकिन उसके बाद चूंकि भीड़ इकट्ठा हो गयी थी, वह लोग वहां से भागे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि रास्ते में, जब भगौती सिंह जी घर से आ रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी को जीप से टक्कर देने की चेष्टा की गयी थी। जो जिस समय वहां पर जनता इन्वाल्व हो गयी तो ये लोग जीप लेकर भागे तो भगौती सिंह जी ने उसका पीछा किया। हजरतगंज में लाल बत्ती होने के कारण दोनों गाड़ियां रुक गयी। इन लोगों ने उस गाड़ी को रोका और पूछा कि यह किस अधिकारी की गाड़ी है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की नेम प्लेट लगी है। इतना पूछना था कि गाड़ी वालों ने श्री भगौती सिंह पर हमला कर दिया। वह बुरी तरह से घायल हो गये और इस समय बलरामपुर हास्पिटल में भर्ती हैं। इसमें सबसे गम्भीर बात यह है कि इस घटना की रिपोर्ट हजरतगंज थाने में लिखायी गयी।

आज प्रातःकाल मैं स्वयं हजरतगंज थाने गया और गाड़ी के बारे में पता करने का प्रयास किया कि कौन लोग गाड़ी में थे, किसकी गाड़ी थी, तो दरोगा ने कहा कि यह मामला महानगर थाने का है। वहां पर टेलीफोन किया, बात नहीं हो पायी है। सबसे गम्भीर बात यह है कि 11 बजे दिन में हजरतगंज थाने में एफ0आई0आर0 लिखाई जाती है और अब तक यह पता नहीं लग पाया कि वह जीप किसी की थी। उत्तर प्रदेश सरकार की नेम प्लेट उस पर लगी थी, कई नौजवान बैठे थे। विधायक पर हमला हुआ, उनको मारा गया, हास्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन सबसे गम्भीर स्थिति यह है कि आर0टी0ओ0 से जाकर यह पता नहीं लगाया जा सका कि गाड़ी किसकी है। इसी से पता चल जाता कि गाड़ी किसके चार्ज में थी। स्थिति स्पष्ट हो जाती। इससे ज्यादा सरकार की बदनीयती क्या हो सकती है कि इस मामले को संदर्भित करने के बाद भी

अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि श्री भगौती सिंह की जीवन रक्षा के लिये क्या काम किया गया? अभी तक हास्पिटल में उनकी रक्षा के लिये कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। इसके साथ ही मैं बल देना चाहता हूं कि सरकार का अगर यही रवैया रहा तो कोई भी विधायक हो, इधर का हो या उधर का हो, उसको मारा पीटा जायगा और उसका सामान लूटा जायगा और सरकार रक्षा करने में विफल है। मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, मैं मा0 गुप्ताजी के विचारों से अपने को जोड़ता हूं। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है। इस प्रकार की घटनाएं साल भर से हो रही हैं। मा0 विधायक रणजीत सिंह ने भी सरकार को लिखा था कि मेरे जीवन को खतरा है, पुलिस पीछे लगी है, लेकिन चूंकि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिये उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। मान्यवर, कत्याल साहब के साथ जो घटना घटी, उनकी हत्या हुई। मा0 डा0 दत्ता साहब के साथ घटना हुई। कई मा0 विधायकों के साथ घटनाएं हुई। इसके पीछे गम्भीर बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की इस छत्र छाया के अन्दर हम उत्तर प्रदेश की विधान सभा के अन्दर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर सकेंगे। सच कह सकेंगे या नहीं। केवल सच कहने के नाम पर अगर अधिकारी अपने गुण्डों द्वारा इस प्रकार हमला कराते हैं और इस प्रकार का वातावरण पैदा करते हैं तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश नहीं हो सकेगा। यह घटना 11 तारीख को 10.45 बजे पेट्रोलपम्प पर घटी। उसके पहले जब वे घर चले तो विधायक जी की गाड़ी का पीछा किया गया और दो बार टक्कर मारी गयी। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए कि टक्कर जानबूझकर मारी गयी या भीड़ के कारण टक्कर हो रही है। लेकिन पेट्रोल पम्प पर पहुंचने पर जब जब टक्कर लगी तब समझ में आया कि जानबूझ कर टक्कर मारी गयी है। इसमें हमला करने के लिये कुछ गुण्डे बैठे थे। पच सात गुण्डे बैठे थे। जिस समय मा0 विधायक भगौती सिंह जी अपने घर से निकले तब भी उनकी गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास किया गया। गुण्डे उनको मारना चाहते थे। जनता की भीड़ दौड़ी विधायक जी के सपोर्ट में । (समय 12 बजकर 30 मिनट) जब भीड़ देखकर गाड़ी भगी, तो इन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया। इतनी तेजी से कुचल कर वह गाड़ी भाग गयी। विधायक जी के सर पर और हाथ पर चोट आयी वे वहीं बेहोश हो गये। अखबारों में यह न्यूज छपी है, बयान आया है। मान्यवर, इस घटना से प्रदेश के अन्दर जनता पर क्या असर पड़ेगा? एक लाख डेढ़ लाख जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि पर, सदन में आवाज उठाने के नाम पर अधिकारी सरकारी गाड़ी में गुण्डे भेजकर हमला करायेंगे तो उनके बेचारे जो निरीह समर्थक हैं, जो निरीह जनता है, अगर वह कोई शिकायती पत्र देंगे, तो उन पर क्या होगा। एक शिकायती पत्र देंगे तो उनके ऊपर इनके गुण्डों का एकदम हमला होगा।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें अंचल जी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, यह अकेले माननीय भगवती सिंह जी का सवाल नहीं है जो रोज इस तरह की घटना हो रही है, उनको देखने का सवाल है। चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के सदस्य हों, सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिये हम लोग यहां आये हुए हैं। जनता ने इसीलिये हम लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है उनका दुख दर्द सुनाने के लिये यहां आये हुए हैं। मान्यवर, सरकारी गाड़ी सरकारी साधन द्वारा इस तरह से हमला कराया जायेगा। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। मेरा अनुरोध है कि सदन की आज की सम्पूर्ण कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, 11-3-89 की घटना है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि रिपोर्ट के बाद भी, गाड़ी का नम्बर देने के बाद भी आज तक पुलिस पता नहीं लगा पायी कि गाड़ी किस की थी। गाड़ी की नम्बर प्लेट पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। मान्यवर, सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग तो वैसे होता ही है, लेकिन सरकारी गाड़ियों से विधायकों पर हमला होगा, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। माननीय भगवती सिंह के साथ यह घटना हुई है। मुझे जानकारी हुई है कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने उन्हें ले जाकर शायद बलरामपुर हास्पिटल में एडमिट कराया। मान्यवर, इन स्थितियों में कोई सुरक्षित अपने को नहीं महसूस कर रहे हैं। मेरे पास आज भी दो दरख्वास्त हैं। रणजीत सिंह विधायक की हत्या की गयी, उनकी पत्नी की शिकायत आयी है, उनके घर में घुसकर अंगरक्षक के बावजूद जो मुल्जिमान छूट गये हैं, उन्होंने धमकाया। जो चश्मदीद गवाह हैं, उनकी हत्या करने की धमकी दी गयी। मान्यवर, विधायक को सरेआम मारा गया, सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग हुआ है। ऐसा लगता है कि पुलिस निष्क्रिय है, निरंकुश हो रही है, सरकार की उस पर कोई ग्रिप नहीं रह गयी है, उसकी अपराधियों से सांठ-गांठ हो गयी है। आपराधिक कारनामों में पुलिस सीधे-सीधे जुड़ी हुई है यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। इसमें अब सरकार से तो कोई आशा नहीं रही, हम आपसे संरक्षण की मांग कर सकते हैं। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन परिस्थितियों में जो यह प्रदेश में हो रही हैं, आये दिन विधायकों को अपमानित होना पड़ रहा है, पुलिस उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है, इन सारी स्थितियों में क्या करें? हम आपका मार्गदर्शन भी चाहते हैं और संरक्षण भी चाहते हैं यह भी आशा करते हैं कि शासन को आप इस बारे में कुछ इस तरह का निर्देश देंगे ताकि शासन की जो मौजूदा स्थिति है उसमें कुछ सुधार आ सके।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने, माननीय अंचल जी ने और माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो बात उठायी इससे पहले सूचना दी थी, यह हम सब लोगों के लिये चिन्ता का विषय है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि माननीय विधायक की अस्पताल में सुरक्षा के लिये व्यवस्था कर दी गयी है और यह आदेश दिये गये कि गार्ड पोस्ट कर दिया जाय ताकि कोई किसी प्रकार की बात न हो। जिस वक्त मैं आया था, उस वक्त तक मेरे पास सूचना नहीं थी. इसकी जांच हजरतगंज थाना कर रहा है। अभी यह निश्चित नहीं हुआ है कि यह गाड़ी किस की है, अभी थोड़ी देर बाद पता चल जायेगा, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग

या निर्माण निगम की गाड़ी है, यह निश्चित रूप से थोड़ी देर में सूचना मिल जायेगी, फिर मैं सदन को सूचना दे दूंगा। जिस अधिकारी की गाड़ी है उसको तुरन्त निलम्बित किया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। साथ ही साथ जो धारा में तफ्शीश हो रही है, उसके अन्दर जो लोग भी मुजरिम पाये जायेंगे उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जायेगी। चूंकि कल इतवार था इसलिये पूरी सूचना नहीं मिल सकी, परन्तु आज पूरी सूचना उपलब्ध करवाकर इस पर कार्यवाही करायेंगे। हमें अत्यन्त खेद है कि इस तरह की घटना हुई है और जो इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने भावनायें व्यक्त की हैं, उन सदस्यों को मैं आश्वस्त करता हूं कि इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं बहस में कुछ जोड़ना नहीं चाहता। सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भगवती सिंह की सुरक्षा में जो गार्ड्स भेजे गये हैं, वह मेरे द्वारा यहां सूचना देने के बाद भेजे गये हैं या उससे पहले ही एस0एस0पी0 द्वारा भेज दिये गये थे और अगर शासन द्वारा निर्देशित करने के बाद भेजे गये हैं, तो यह बात सही है कि यहां के जो उच्चपदस्थ पुलिस अधिकारी हैं, इससे उनका स्वयं का निकम्मापन प्रकट होता है। इस पर मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अम्मार रिजवी–

जो सुरक्षा की व्यवस्था करायी है, उसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि हमारे पास नोटिस आई थी, उसके बाद हमने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से भी बात की है और उसके बाद व्यवस्था कराई।

प्रश्नों के संबंध में उन्नाव के सहकारी निबंधक द्वारा लिखे पत्र के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैंने विधान सभा सचिवालय में कुछ प्रश्न दिये थे, जो उन्नाव जनपद में सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में थे। जब प्रश्न सचिवालय द्वारा स्वीकार हो जाता है, हम लोग तत्काल उत्तर पाने के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन उत्तर की तैयारी करते समय सरकार के अधिकारी अगर हम विधायकों से सहयोग लेंगे, तो यह विधान सभा की कार्यवाही में बाधा है और यह स्पष्ट रूप से सदन की अवमानना भी है। मान्यवर, मेरे जो 3-4 प्रश्न थे, वह उन्नाव जनपद में सहकारी बैंक के प्रशासक द्वारा जीप का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में, लाखों रुपये के गोलमाल के सम्बन्ध में थे। इसके अतिरिक्त मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र की साधन सहकारी समिति करहहा के चौकीदार के खाते में एक लाख रुपये पाये जाने के घपले के थे। इसी प्रकार साधन सहकारी समिति पारा, सेवा, खजुहा आदि में लाखों रुपये का गोलमाल पकड़ा गया, और सचिवों के खातों में लाखों रुपये पाये गये इन मामला से सम्बन्धित यह प्रश्न थे। जब सरकार को उत्तर तैयार करने की बारी आयी तो उन्नाव जनपद के सहायक निबन्धक ने मुझको पत्र लिखा जिसका अन्तिम पैरा आप देखने का कष्ट करें, जिसमें कहा गया है कि उन पत्रों की प्रतियां भेजने का कष्ट करें, ताकि उनकी जांच कराकर विधान सभा प्रश्नों के उत्तर दिये जा सकें। मैंने जो सूचना दी है, उसमें स0 निबंधक के इस पत्र की प्रति नत्थी की है।

मान्यवर, जो हम लोग पत्र मुख्य मंत्री को लिखते हैं, सचिव स्तर के उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों को लिखते हैं, उन पत्रों को सुरक्षित नहीं रखा जाता, जो इनकी अक्षमता का प्रतीक है। हम जन प्रतिनिधि जो लाखों लाख लोगों को रिप्रेजेन्ट करते हैं, उनके पत्र इस सरकार के सचिवालय में सुरक्षित नहीं है। अगर इन पत्रों को सुरक्षित रखा जाता तो इन पत्रों की प्रति हमसे न मांगी जाती। मान्यवर, इस तरह जो विधान सभा की प्रक्रिया है, कार्य संचालन की विधि है, उसमें भी अधिकारियों द्वारा जानबूझकर अड़ंगा डाला जाता है और इससे आपके द्वारा जो प्रश्न स्वीकार हुये हैं, उनका महत्व बेकार हो जाता है। श्रीमन् इस प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। अधिकारियों ने मुझे पत्र लिखकर एक तरह से धमकी भी दी है कि अगर आप पत्रों की प्रति उपलब्ध नहीं करायेंगे तो आपको उत्तर नहीं मिल पायेंगे, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी ने जो प्रश्न उठाया, उसे मैंने देखा और उसके साथ जो संलग्नक लगा है, उसको भी देखा। वैसे होना यह चाहिये कि माननीय सदस्य ने जो पत्र लिखे हैं, उनका पता लगाकर उसी से संबंधित उत्तर देना चाहिये था, लेकिन शायद इस पत्र के भेजने का आशय यह था कि जल्दी हो जाय, इसलिये लिखा गया। लेकिन मान्यवर, यह बात सही है कि उत्तर तैयार करने के लिये पत्रों की जानकारी की जानी चाहिये थी और माननीय सदस्य को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। हम इसको दिखवायेंगे और जांच भी करायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

श्री बदन सिंह जी की सूचना यमुना नदी पर जवाहर पुल के बारे में है। इस पर 15-3-1989 को वक्तव्य लगा हुआ है और यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है। श्री राम आसरे वर्मा जी की सूचना नक्सल पंथियों को रिहा किये जाने के सम्बन्ध में है, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। श्री हरिश्चन्द्र, हरीशजी की सूचना निर्वाचन अधिकारी से ताल्लुक रखती है, यह भी नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

(श्री बदन सिंह, श्री राम आसरे वर्मा व श्री गौरी भैय्या के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री बदन सिंह जी कृपा करके आप बैठ जायें। 15 तारीख को वक्तव्य तो लगा है।

(श्री बदन सिंह व श्री राम आसरे वर्मा एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

(इस समय 12 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

दो भूतपूर्व विधायकों सर्वश्री कैलाश सिंह (बलिया) व रणवीर सिंह यादव ललितपुर की मृत्यु की सूचना जिलाधिकारियों द्वारा न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, यह सरकार विधायकों के प्रति कितनी संवेदनहीन हो गई है, इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 23/25 को श्री कैलाश सिंह, जो एक भूतपूर्व विधायक थे, की मृत्यु हो गई, परन्तु उनकी मृत्यु के संबंध में यहां कोई

सूचना तक नहीं आई । इसी तरह से श्री रनबीर सिंह यादव जो ललितपुर के थे, 1977 में विधायक चुनकर आये थे, दो महीने पहले उनकी भी मृत्यु हो गई, किन्तु आज तक न जिलाधिकारी बलिया ने सूचना दी और न ही जिलाधिकारी ललितपुर ने सूचना दी । इन विधायकों की मृत्यु पर विधान सभा में शोक प्रस्ताव होना था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों विधायकों के बारे में आपको सूचना आ गई है ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी क्या सूचना आ गई है ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, थोड़ा सा समय चाहिए । मैं आज ही सदन को सूचित कर दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अब हमें शिकायत जिलाधिकारी से नहीं है, बल्कि शिकायत माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से है । जब यह मामला उनके संज्ञान में आ गया और इसे इतना अन्तराल भी हो गया है . . .

मैं जानना चाहता हूं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने "हाट लाइन" से डी0 एम0 से बात क्यों नहीं की? डी0 एम0 के साथ-साथ सेक्रेटरी और मन्त्रिमण्डल भी उतना ही उत्तरदायी है विधायकों के सम्मान की रक्षा न कर पाने में।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, उस दिन जैसे ही गौरी भइया ने प्रश्न उठाया था, मैंने तुरन्त ही जानकारी लेने के लिये सेक्रेटरी को लिखा था । मैंने थोड़ा समय इसीलिये मांगा था कि आज सुबह मैंने पूछा था कि सूचना आयी है या नहीं, अभी आने से पहले भी मैंने कहा है कि सूचना मंगाकर भेजी जाय ताकि आपके समक्ष रखी जा सके ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

जवाहर कुल के बारे में आपसे कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर 15 तारीख को वक्तव्य निर्धारित है, आप बैठें ।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मैंने नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी थी नक्सलवादी बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में । इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि . . .

श्री उपाध्यक्ष–

वह सूचना अस्वीकार हो चुकी है, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं सुनना है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

[xxx]

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ भी लिखा नहीं जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है, आप बैठें ।

(श्री राम आसरे वर्मा द्वारा अपना स्थान ग्रहण कर लेने के बाद)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

भारत के संविधान ने अधिकार दे रखा है कि 18 वर्ष की आयु . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो चीज समाप्त हो चुकी है, उसको नहीं उठा सकते हैं । श्री अध्यक्ष ने उसको आपके सामने अस्वीकार किया है, इसलिए मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, लिखा नहीं जायगा ।

दारुलशफा में शराबियों के उत्पात के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । दारुलशफा में विधायकों का निवास स्थान है। हम लोग 11 बजे से 5 बजे तक के लिए यहां विधान सभा में आते हैं। वहां पर 'ए', 'बी' और 'सी' ब्लाक हैं । वहां पर सुबह से ही शराब पीने वाले आ जाते हैं और शराब पी-पीकर हल्ला करते हैं । राज किशोर सिंह जी का भी प्रश्न है, आप डिप्टी स्पीकर हैं, वहां पर शराब पी-पीकर सुबह शाम हो-हल्ला होता है । क्या शासन वहां पर चहारदीवारी बनवायेगा ? पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, उनके यहां 50–50 लोग रहते हैं ।

(सत्ता पक्ष की ओर इंगित करते हुए)

ये लोग तो अच्छी-अच्छी जगहों पर रहते हैं, बटलर पैलेस कालोनी में रहते हैं, पार्क रोड कालोनी में रहते हैं । वहां पर शराब पीने वाले सुबह से लेकर एक दम नाक में दम किए रहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मा0 यदुनाथ सिंह बहुत कम बोलते हैं, इन्होंने जो प्रश्न उठाया है, आपको इस संबंध में जरूर कोई प्रबन्ध करना चाहिए ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय, मा0 यदुनाथ सिंह ने जो बात कही है, मैं सुन रहा था, मैं मा0 यदुनाथ सिंह जी से इस बारे में परामर्श करके अवश्य ही कोई हल निकालने का प्रयत्न करूंगा । इसमें माननीय, वहां पर रहने वालों का भी हमें सहयोग चाहिए ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत 16 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से निम्नलिखित 9 सूचनायें चयनित की गयी हैं :–

1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राज किशोर सिंह — तराई क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों को सरकार द्वारा नियंत्रित न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

2–श्री मुहम्मद आजम खां — स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन जनपद मऊ के प्रबन्धकों द्वारा मिल को बन्द किये जाने से मजदूरों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में ।

3–श्री इकबाल अहमद, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा — जनपद गोण्डा के इटिया थोक थानाध्यक्ष द्वारा ग्राम प्रधान एवं एक अन्य किसान को प्रताड़ित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

4–श्री विजय सिंह राणा, श्री रघुवर दयाल वर्मा — आगरा कालेज, आगरा के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

5–श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री गौरी शंकर भैया, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री सरदार सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह तथा श्री कुशलपाल सिंह । — करोड़ों रुपये की लागत से बन रहे टेहरी बांध के धंसने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6–श्री बदन सिंह — जनपद आगरा स्थित राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय में चालू कृषि मूल्य लागत परियोजना को वाराणसी ले जाने से पश्चिमी जिलों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में ।

7–श्री शारदा प्रताप — बेगार न करने पर सामन्तवादियों द्वारा एक हरिजन की हत्या तथा अनेक हरिजनों के गांवों को बर्बाद किये जाने के संबंध में ।

8–श्री सुन्दर लाल — सार्वजनिक निर्माण विभाग, बहराइच के अभियंताओं द्वारा पुल के कर का ठेका कम बोली वाले ठेकेदार को दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

9–श्री कौशिक रमा शंकर — सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियरों की अनिश्चितकालीन मूक हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आतंकवादियों का दुःसाहस और उनकी दुःसाहसिक गतिविधियां इतनी बढ़ गयी हैं कि उनको रोंदा जाय और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाय, इस विषय में विपक्ष पूरी तरह से शासन के साथ है । लेकिन यह सरकार पूरे तरीके से उनकी गतिविधियों का सामना करने में विफल रही है । हमारे तराई के जितने जिले हैं जैसे कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, नैनीताल और शाहजहांपुर, लोगों ने वहां से भागना प्रारम्भ कर दिया है इन लोगों के भय से । अफसोस की बात तो यह है कि सरकार ने जिन लोगों को इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए तैनात किया है, उनको सही प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और न उनको सही प्रकार के हथियार ही दिये गये हैं। आपका जो पुलिस फोर्स है मैं नहीं कहता कि सब पुलिस फोर्स ऐसा है, किन्तु अपवाद भी हो सकता है । लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि पुलिस फोर्स के नाम पर वह कलंक है, वह केवल अपनी सुरक्षा के लिए ही परेशान है, इस संबंध में यहां पर मैं एक घटना का उल्लेख करने जा रहा हूं कि 9/10 मार्च की रात में लखीमपुर में सिमरा फार्म पर उग्रवादी चीनी निर्मित आग्नेयास्त्रों से लैस पहुंचे और उस फार्म पर हमला बोल दिया । यद्यपि वहां से पहले वो लोग एक हजार रुपया वसूल कर चुके थे लेकिन उनको फिर बब्बर खालसा के नाम से सूचना मिली कि इतना रुपया और दो । वह रुपया न मिलने पर उन्होंने उस दिन वहां हमला करके सुरजीत सिंह और दलजीत सिंह की हत्या कर दी । लेकिन दरोगा शिवनाथ सिंह और सिपाही अखलेश कुमार वर्मा दोनों एक कमरे में घुस गये, वहां हादसे होते रहे और कमरे में बन्द यह लोग दुबके बैठे रहे फिर इसके बाद आतंकवादियों ने जहां यह लोग छिपे थे, उस कमरे की छत तोड़ दी और एक बोरे को पेट्रोल डालकर उसमें आग लगाकर अन्दर डाल दिया और जब वहां धुआं भर गया तो वह दरोगा और सिपाही दोनों वहां से अपने-अपने प्राण की रक्षा करते हुए भागे और राम आसरे सिपाही भी वहीं पर था । मान्यवर, मैं कल की प्रत्यक्ष सूचना के आधार पर यह जानकारी दे रहा हूं कि वह राम आसरे भी वहां से मारे दहशत के भागा और वह अपने होशो-हवाश आज भी खोये बैठा है, इतनी दहशत उसे है कि वह बयान देने की स्थिति में आज भी नहीं है ।

मान्यवर, यह केवल ऐसी एक घटना नहीं है, इससे पूर्व भी बहुत सी घटनाएं घट चुकी हैं, इन्हीं आतंकवादियों द्वारा इससे पूर्व भी 9 पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं, फरवरी में हरगांव-ओयल पर इन्हीं के द्वारा दो ट्रेनें लूटी जा चुकी हैं और मान्यवर, आये दिन इनके द्वारा हर जगह स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई कार्यवाही कर सकने में सक्षम नहीं हो पा रही है, इस घटना

के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी है, समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो रहा है और इससे पहले इस सदन में ऐसे मामलों में काफी चर्चा भी हुई है, सरकार की ओर से यही बताया गया कि ऐसे स्थानों पर जहा पर आतंकवादियों का जोर है, विशेष पुलिस दल लगा दिया गया है उन्हें विशेष प्रकार के औजार भी दिए गये हैं, लगता है मान्यवर, ऐसा ही है कि यह सब कागज पर कर दिया गया और एक डी0 आई0 जी0 को प्रभारी भी बना दिया गया होगा फर्जी तौर पर.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी अब आप आसन ग्रहण करें, बैठिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इन आतंकवादियों के द्वारा दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर जगह इनका आतंक फैलता जा रहा है, लेकिन मान्यवर, हर सरदार अकाली नहीं है और न हर अकाली आतंकवादी है, हमारे क्षेत्र में मान्यवर, एक बारात आयी, जिसमें मैं भी था और हमारे साथ एक सरदार जी भी थे, उस बारात में मान्यवर, सिर्फ 10–15 आदमी ही थे, जब उनसे पूछा गया कि इतने कम आदमी क्यों ? तो उन लोगों ने कहा आतंकवादियों के डर से हम लोग ज्यादा आदमी नहीं ला सके, क्योंकि लगभग 50 उग्रवादी हमारे तराई क्षेत्र में पंजाब से आकर बस गये है, जो हर समय पहरा देते और घूमते रहते हैं..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

खत्म कर माननीय गुप्ता जी....

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, आतंकवादियों के द्वारा जगह-जगह पर माहौल बड़ा दहशतजदा बना हुआ है, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं लेकिन इस ओर सरकार ने जब भी कोई उत्तर दिया है बड़ा गोल-मोल दिया है मान्यवर, जनपद लखीमपुर खीरी के थाना फूल बिहार क्षेत्र अन्तर्गत भूमि सिगरा स्थित महेन्द्र सिंह के फार्म पर दिनांक 1 मार्च की अर्धरात्रि में आधुनिक हथियारों से लैस होकर आतंकवादी घुस गये और वहां पर अपनी काफी शक्ति का प्रदर्शन किया और जाते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिए, जिससे पूरा क्षेत्र दहशतजदा हो गया । महेन्द्र सिंह के घर पर दो भाई थे एक सुजीत सिंह और दूसरे भाई दीदार सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी । इसकी जब खबर लगी तो महेन्द्र सिंह थाने पर गया और सूचना दी, लेकिन कोई पुलिस नहीं आई और न कोई दरोगा ही आया । नतीजा यह हुआ कि जो सुरक्षा गार्ड थे, सब इन्सपेक्टर चौहान और दूसरे सिपाही अखिलेश वर्मा, वह पोजीशन लेकर घर में घुस गए और जब आतंकवादियों को पता चला तो उन्होंने छत तोड़कर उसमें पेट्रोल बम फेंका और जब घटन हुई तो वे बाहर निकले आए। तो उनको भी उन आतंकवादियों ने मार डाला और उनके रिवाल्वर और हथियार लेकर चले गए ।

इसी प्रकार से नैनीताल जिले में सितारगंज में एक सिपाही को आतंकवादियों ने मार डाला । यह दूसरी घटना है । और भी घटनाएं हो सकती हैं । इसके बाद तराई में जो घटना हुई, उसके पहले महेन्द्र सिंह के परिवार वालों ने वहां की पुलिस

और अधिकारियों को लिखकर सूचित किया था कि बब्बर खालसा के गिरोह ने उनको धमकी दी है और धमकी भरे पत्र उनके पास आ रहे हैं, लेकिन न जिला अधिकारी ने और न पुलिस अधिकारियों ने उस पर ध्यान दिया और उसके परिणाम स्वरूप यह घटना हो गई, जो 9 को आधी रात में हुई । तराई के इलाके में दहशत है और वहां पर आतंकवादी छाए हुए हैं और अगर इस पर सरकार ने ध्यान न दिया तो जो वहां की पुलिस है उसके काबू के बाहर वहां की स्थिति हो गई है और वह आतंकवादियों का सामना कर ही नहीं सकती है । हर गांव के अन्दर हथियार दिए जाने चाहिए, उनको हथियारों से सुसज्जित किया जाना चाहिए जिससे गांव की जनता उन आतंकवादियों का मुकाबला कर सके । हम अखबारों में पढ़ते हैं कि जनता कहती है कि हमें हथियार दो, हम आतंकवादियों का मुकाबला कर लेंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उसी का यह नतीजा हुआ कि यह घटना घटी है । पंजाब में भी लोगों ने कहा कि हमें हथियार दो हम आतंकवादियों से निपट लेंगे, लेकिन उनकी बात पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, यह मामला केन्द्र से संबंधित था । यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है और सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए । इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए और जहां प्रदेश की सुरक्षा का प्रश्न है प्रदेश की सुरक्षा की भी चुनौती है, व प्रदेश ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां पर आतंकवादियों का खतरा पैदा हो गया है मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायें ।

*श्री रामशरण दास–

मान्यवर, मेरा दुर्भाग्य है कि एक दुर्घटना रेल में हो गई जिसके कारण हमारी ट्रेन लेट हो गई । मैं इस सूचना को देने वाला था, लेकिन हमारी गाड़ी 11·30 बजे पहुंची । शाहजहांपुर में गाड़ी लेट हो गयी, इसीलिए मैं अभी आया हूं । श्रीमन्, यह तराई का ही मामला नहीं है पूरे प्रदेश का मामला है । छोटे गृह मंत्री जी बैठे हैं, नोट करें। ऐसे काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

दफ्तर में नोट करवा दें ।

श्री रामशरण दास–

नहीं तो क्या फायदा । स्थिति यह है कि सहारनपुर, देहरादून, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर का तराई का एरिया, नैनीताल और जो तराई का एरिया है वहां पर आतंकवादियों के गढ़ बने हुए हैं और आप बैठे हैं । राजकिशोर सिंह ने ठीक ही कहा है कि पुलिस भाग जाती है, है ही क्या उसके पास ? जो गांव के लोग हैं वह शहर में आ रहे हैं । यह आपकी सरकार निहत्थे लोगों को मरवा रही है, लोग भयभीत हैं । पूरा प्रदेश भयभीत है लोगों के पास हथियारों के लाइसेंस नहीं है । पुलिस खुद आतंक फैलाए हुए है । शहर में वह क्या करती है । 4 बदमाश ले लिए और कहा कि मकान खाली कर दो । बदमाश थाने से मिले हुए रहते हैं और पुलिस गुण्डों से मिली हुई है । पुलिस का आतंकवादियों पर कोई कन्ट्रोल नहीं है पिछले साल देवबन्द में ट्रेन में बम निकले थे । नपुड़ तहसील में माईक लगाकर घुमाया गया था कि हम आ गए हैं, डरो मत । आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं एक रात जमुना के किनारे-किनारे जीप में घूमा। मैंने सरकार को सचेत किया लिख-कर दिया लेकिन आज तक मुझसे नहीं पूछा गया कि यह आप किस आधार पर बोलते हैं। जब ऐसा है तो हमारा यहां पर बोलना निराधार है। अभी नैनीताल में क्या हुआ। वहां पर एक सिपाही की हत्या हो गई। आपकी पुलिस कुछ न कर सकी, चली आई। उससे पहले वहां पर हरीश की हत्या हुई। इस तरह से नैनीताल, पीलीभीत, खीरी में डेली हत्याएं हो रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो उत्तरी भारत है उसमें सारा आतंकवाद फैला हुआ है। आप इसे मजाक समझें, यह आप पर है। लेकिन समझ लें कि हम भी मरेंगे और तुम भी मरोगे। हमेशा राज नहीं करोगे। हमसे पहले तुम ही मरोगे। कमा लो। तुम्हें आतंक वाले मारेंगे जनता भी मारेगी।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

माननीय, जिस घटना की तरफ आपने सदन का ध्यान दिलाया है वह बहुत ही गम्भीर है, दुखद है। इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा रही है और पूरी सतर्कता से सरकार इसको ले रही है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखद घटना है। और पुलिस फोर्स वहां पर लगा दी गई है ताकि जिन्होंने यह घटना की है उनको पकड़ने में हम कामयाब हो सके। साथ ही इस बात का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि वहां पर स्थिति न बिगड़ने पाए। सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से कायवाही की जा रही है। इस घटना में दो पुलिस कर्मी भी मौके पर मारे गए हैं। इसके अलावा यदि हम इस समय पूरे प्रकरण पर जायेंगे तो यह जांच के हित में नहीं होगा। सरकार इस सम्बन्ध में जल्दी ही कार्यवाही करके सदन को अवगत करा देगी। . . . . (व्यवधान)

*प्रधान प्रभु दयाल–

माननवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पकड़ने में यह सरकार और इनकी पुलिस फेल हो रही है। इनकी पुलिस के हाथ से गुण्डे बदमाशों और आतंकवादियों का नाम लेते ही बन्दूक छूट जाती है। गांव के आदमियों को लाइसेंस नहीं मिलते हैं। यदि लाइसेंस मिलते हैं तो उन्हें कारतूस नहीं मिलती है। जो कारतूस मिलती भी है तो बहुत ही घटिया किस्म की मिलती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो आप गांव के लोगों को हथियार दें। यदि आप उन्हें जिन्दा रखना चाहते हैं तो यह व्यवस्था आपको करनी होगी। आप जो कारतूस देते हैं उसमें एक चांटे के बराबर भी दम नहीं है। इसलिए कारतूस कम से कम डबल बी की आप दें जिससे कम से कम एक आतंकवादी तो मर सके।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि. . .

श्री उपाध्यक्ष–

इस समय सवाल नहीं हो रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मंत्री जी ने बड़े वेग से कहा कि हम सतर्क हैं और कार्यवाही कर रहे हैं । मान्यवर, जिस दिन यह घटना लखीमपुर खीरी में.....(व्यवधान) । जिस दिन से यह घटना घटी उसके बाद से अपराधियों को पकड़ने के लिए यह सरकार कहां तक सफल हुई और जो व्यवस्था इन्होंने वहां पर की है पुलिस बढ़ा दी है उससे आतंकवादियों में खतरा कम होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

इतना समय आप इसमें ले रहे हैं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जब मैं अपने इस कार्यस्थगन पर बोल रहा था तो उस समय मैंने कहा था कि आतंकवाद की यह पहली घटना नहीं है । सरकार द्वारा आतंकवाद पर काबू पाने की एक नीति होती है । उसी नीति के संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और सरकार के क्रियाकलाप जानना चाहता हूं । मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर दो घण्टे की चर्चा जरूर करा दें क्योंकि इसमें नीति संबंधी सवाल इन्वाल्व हैं ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह केवल जवाब देने के लिए जवाब दिया है । वास्तविकता यह है कि जो विषय माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उठाया है वह निहायत गम्भीर है क्यों तराई क्षेत्र में जिसमें शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, खीरी आदि यह जो चार जिले हैं इनमें पिछले डेढ़ साल से अंदर 9 पुलिस कर्मी मारे गये हैं और 25 जनता के लोग मारे गये हैं । राज्य मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं । आप कहेंगे कि हमने एक टास्क फोर्स तैयार कर रखी है जिसका जिक्र आपने नहीं किया । आप उस टास्कफोर्स का बहाना ले रहे हैं लेकिन उनके पास कोई आधुनिक सस्त्र आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए नहीं है । अभी कुछ समय पूर्व सितारगंज में दो सिपाही खेत में मार दिये गये पुलिस उनको घेरे रही आई0 जी0 बरेली वहां पड़े रहे लेकिन आतंकवादी चुनौती देकर भाग गये । आपको इसकी जानकारी होगी क्योंकि आप अपनी पुलिस को वह आधुनिक शस्त्र नहीं दे पा रहे हैं जो आतंकवादियों के पास हैं । आज प्रदेश की सुरक्षा का सवाल हो गया है यहां आतंकवादी गतिविधियां दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं और उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं इसलिए इस मामले पर चर्चा अवश्य स्वीकार कर लें ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त माननीय राज किशोर सिंह, माननीय रघुवर दयाल वर्मा एवं माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया है जो आतंकवादियों के सम्बन्ध में है मैं समझता हूं कि हम सब इस बात पर सहमत हैं कि इसको किसी न किसी तरह से चाहे जो भी तरीका अख्तयार किया जाय रोका जाना चाहिए । हर शांतिप्रिय आदमी इस घटना की निंदा करेगा और इसको रोकने के लिए सहयोग देता है । जो घटना आज इस सदन में कार्यस्थगन के रूप में आई है इसके बारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में राज्य मंत्री जी ने जो सूचना दी है उसके अनुसार दो सूचना हमारे पास है हम पूरी उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही आतंकवादियों को पकड़ने में कामयाब हो जायेंगे । आपको स्मरण होगा माननीय कत्याल साहब की जो दुर्घटना हुई वह बड़ी दुखद घटना थी । उसमें कितनी जल्दी पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ लिया था । तो यहां पर भी पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है कई कंपनियां लगी हैं मैं नम्बर नहीं बताना चाहता, सारा इंतजाम बताना जनता के हक में नहीं होगा माननीय नेता विरोधीदल तथा अन्य नेता इस बात से सहमत होंगे सार्वजनिक रूप से उसे बताना ठीक नहीं है कि क्या-क्या चीजें की गयी हैं उससे हमारा जो परपज है उसके अंदर रूकावट आयेगी ।

एक बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही वैपन्स के बारे में तो बताना चाहता हूं कि पुलिस के पास पूरी तरह से सौफिस्टिकेटेड वैपन्स हैं । जहां तक आतंकवादियों का सवाल है उनके पास के वैपन्स स्मगल हुये है, हम बराबर चौकस हैं, उनके पास चायनीज और एस0 एल0 आर0 आधुनिक रायफल आदि हैं लेकिन हमारी पुलिस के पास भी सारे आधुनिक हथियार एस0 एल0 आर0 आदि हथियार हैं, आधुनिक हथियारों से पुलिस लैस है किसी तरह की कोई कमी नहीं है । लेकिन आप जानते हैं आज के जमाने में दुनियां में कहीं अत्याधुनिक हथियार बन रहे हैं उनमें से कोई न हों, पुलिस के पास वह पहुंचने में देर हो सकती है लेकिन हमारी पुलिस पूरी तरह से सशस्त्र है, पूरी तरह से आर्मड है । हमें पूरा विश्वास है कि हम माननीय नेता विरोधी दल और सारे सदन को आपके माध्यम से जल्दी ही सूचित करेंगे कि इस घटना की जिस सतर्कता से और जिस तरह से घेराबंदी की है उससे हम घोषणा कर सकेंगे कि उन लोगों को पकड़ लिया हैं । मैं नम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले में ज्यादा चर्चा न कराकर जो कार्यवाही हो रही है उसकी थोड़ी प्रतीक्षा करें अगर उसके बाद संतुष्ट नहीं होंगे तो जो आपका आदेश होगा उसका पालन करने के लिए तैयार होंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह–

आपने कहा कि प्रतीक्षा करें । हम दो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसमें हमें दो वर्ष व्यतीत हो गये हैं । उसके बाद कम से कम एक दर्जन घटनायें हुई हैं । आपने कहा कि कत्याल साहब को मारने वालों को पकड़ लिया । मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि तराई में जितनी घटनायें हुई हैं उसमें एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया है । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप वह चीजें जो छिपाना चाहते हैं डिस्क्लोज करें । आप कह रहे है कि हमारे पास वह यंत्र हैं जो आतंकवादियों के पास हैं, उनसे मुकाबला कर सकते हैं । लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो घटनायें हो रही हैं, जो पुलिस के लोग मारे जा रहे हैं और अन्य निरीह लोग मारे जा रहे हैं और आपकी पुलिस उनको बचाने में निष्प्रभावी हो रही है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस पर चर्चा स्वीकार करें ताकि सरकार को आतंकवाद से निपटने के सम्बन्ध में अच्छे सुझाव मिल सकें ।

श्री उपाध्यक्ष–

स्टेटमेंट हो जाये फिर जैसा होगा वह देखा जायेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, जो उत्तर संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया है उसको सुनने के बाद बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर अधूरा है । कदाचित वह एक घटना की चर्चा करना चाहते हैं और उस घटना व संदर्भ में जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके सूचित करना चाहते हैं, यह मामला इतना हल्का नहीं है । मान्यवर, आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में पूरा तराई क्षेत्र धीरे-धीरे आतंकवाद की जकड़ में जा रहा है और कोई नहीं कह सकता है कि तराई क्षेत्र का यह आतंकवाद उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कब फूट पड़ेगा । इसलिए मैं समझता हूं कि सभी की इच्छा है कि आतंकवाद रुकना चाहिए । हमारी मान्यता है कि हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, हत्यायें दो तरह की होती हैं एक मामूली हत्या जिसका असर क्षेत्र विशेष में होता है । दूसरी वह हत्या जो आतंकवादियों द्वारा की जाती हैं जिसका प्रभाव इतना होता है कि देश और प्रदेश हिल उठता है । इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि कौन आतंकवादी किस की हत्या कब और कहा कर देगा । इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो जाये तो इससे सरकार को मदद मिलेगी और सरकार की जो खामियां होंगी उन पर प्रकाश पड़ जायेगा ।

आपका कहना है कि चर्चा से गोपनीयता भंग होगी और आतंकवाद फैलेगा, तो मेरा सुझाव है कि दर्शक दीर्घा खाली कराकर चर्चा करायें । प्रेस से छिपाना चाहते हैं तो पत्रकार दीर्घा खली करवा लें और तब चर्चा करायें । लेकिन आतंकवाद पर सदन में चर्चा न हो और जिससे लोकतंत्र पर खतरा बना रहे, देश और प्रदेश में खतरा बना रहे यह स्थिति ठीक नहीं होगी । जबकि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में आतंकवाद फैल चुका है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में कब और कहां फैला जायेगा, कहां नहीं जा सकता और यहां सदन में प्रश्न उठाये जांय और उस पर चर्चा भी न हो तो यह मामला इतना हल्का नहीं है। इसलिए आतंकवाद पर दो घंटे की ही चर्चा नहीं बल्कि मैं चाहता हूं कि इस सदन में पूरे एक दिन इस पर बहस कराई जाये तभी हम आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं । हम सरकार को इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहते हैं । हम आलोचना के लिए आलोचना नहीं करेंगे । जब आप इस बात को कह रहे हैं कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार कठोर से कठोर कदम उठायेगी और समूचा विपक्ष उसमें साथ देगा तो क्यों चर्चा नहीं कराते हैं । इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है कि इससे देश की एकता का संबंध है, इसलिए इस पर एक दिन चर्चा करानी चाहिए और बाकी कार्यवाही रोक दी जाये तो कोई हरज नहीं है । इसलिए एक दिन की इस पर चर्चा करायी जाये ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो शंका व्यक्त किया है कि आतंकवाद पर चर्चा होगी तो उससे उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति करने में रुकावट आयेगी . . . ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, कौशिक जी ने जो कहा, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आतंकवाद के बारे में मैंने नहीं कहा था बल्कि मैंने इस घटना के बारे में निवेदन किया था ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

वह गलत है । मान्यवर, वह बातें इसी से जुड़ी हैं । मेरा निवेदन है कि जैसा नेता विरोधी दल ने, श्री कल्यान सिंह जी ने, एवं अन्य साथियों ने कहा चर्चा से निश्चित रूप से सरकार को बल मिलेगा और कहां-कहां कमियां हैं, क्या करना चाहिए उस पर प्रकाश पड़ेगा, हम गोपनीयता को भंग नहीं करना चाहते हैं । किन्तु यह चर्चा सदन में हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश में सब लोगों को यह आश्वासन मिलेगा और वह इस बात से आश्वस्त होंगे कि सरकार हमारे लिए चिंतित है और सरकार सुरक्षा देगी ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, हम सब की राय है; ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिससे पूरे प्रदेश के प्रभावित होने का सवाल है और प्रदेश के लाखों व्यक्तियों के जीवन का और शान्ति का मामला जुड़ा हुआ है, उस पर गम्भीरता से यहां पर चर्चा होना परम आवश्यक है, जिससे हम सभी के निष्पक्ष विचार यहां पर आ जाएं और सरकार की ओर से उठाये जाने वाले कदमों की भी जानकारी हो जाए, और सरकार उनकी रोशनी में हमारे सहयोग के साथ आगे अपने कदम उठा सके । किसी भी प्रकार का आतंकवाद हो, वह प्रदेश और देश के लिए अहितकर है । इस आतंकवाद से निपटने की हम सबकी लालसा है । देश की एकता और अखण्डता के लिए सभी चिन्तित हैं । अगर चर्चा होती है तो विपक्ष की ओर से एक रचनात्मक सुझाव आ जाएगा और शासन निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होगा । ज्यादा से ज्यादा आप इन बातों को जो गोपनीय हैं, गोपनीय रख सकते हैं और उनको न बताएं । जिन उपायों से वह निपटना चाहते हैं उनको न बताएं, इतना तो हो सकता है । किन्तु यदि यह चर्चा होती है तो बहुत सी ऐसी बातें आएंगी, जिनसे शासन को ही बल मिलेगा ।

*श्री गौरी शंकर भइया–

इसकी सूचना को मैंने दफा 51 में दिया है । उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो अच्छा हो...

श्री उपाध्यक्ष–

उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा । मैं समझता हूं कि इसमें उचित यह रहेगा–पहले वक्तव्य देना । पहले इसमें वक्तव्य हो जाए ।...

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

कोई बात गोपनीय हो तो उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन इस पर चर्चा अवश्य हो जाय, यह सबकी हमारी राय है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आतंकवाद के बारे में जितना चिंतित वह हैं, उससे कम हम नहीं हैं । हमारा सहयोग उनके साथ है, लेकिन इस पर चर्चा आज अवश्य यहां करायी जानी चाहिए ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री राम शरण दास–

अम्मार साहब कौन सा ढिंढोरा पीट रहे हैं, यह क्यों भाग रहे हैं । आप इनसे क्यों पूछते हैं, यह आपका अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह हमारा अधिकार है, हम निर्णय लेंगे । आप आसन तो ग्रहण करें ।

श्री रामशरण दास–

मान्यवर, आप इनसे (श्री अम्मार रिजवी) आंख मिलाकर बात न किया करें । यह गलत परम्परा है और यह उस ऊंचे आसन का साफ अपमान भी है । आप निर्णय लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन इस तरह से आंख उनसे न मिलायें । (व्यवधान) इस तरह आप जो उनसे आंखें चमकाते हैं, वह चीज ठीक नहीं है ।

श्री अम्मीर रिजवी–

उपाध्यक्ष जी, इन्हें एतराज है कि हमारी और आपकी नजर न मिले । किन्तु हमारी तो नजर आपके सामने हमेशा नीची रहती है । मैं चेयर से नजर मिलाने की हिम्मत ही कैसे कर सकता हूं। यदि सभी लोग, सभी नेतागण इस पर चर्चा चाहते हैं तो इसी पार्टीक्युलर घटना के बारे में चर्चा न हो । लेकिन जहां तक आतंकवाद का सम्बन्ध है, यदि सदस्य और नेतागण चाहते हैं तो मुझे कोई अप्पत्ति नहीं है । लेकिन गृह विभाग का परसों बजट आ रहा है, उस समय परसों यह सारी बातें आ सकती है । वैसे आप चाहे जो करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अच्छा चर्चा एक घंटे की मैंने स्वीकार कर ली है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह मामला मैंने 7 मार्च को उठाया था और अगले ही दिन यह मिल खुल गई । मैं आभारी हूं । माजरत के साथ आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आज नोटिस गलत लगा दी मैं बीड़ी मजदूरों की लगा रहा था और यह गलत लगाया गया । मैं अब उस मिल के सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । यह मुझ से गलती हुई है।

श्री इकबाल अहमद–

मान्यवर, हम रोज इस सदन में बैठकर पुलिस के दमनात्मक कार्यों के बारे में चर्चा किया करते हैं । लेकिन इनका प्रशासन और पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ता है । मैं आज इसी तरह की एक घटना की यहां चर्चा करना चाहता हूं । जनपद गोण्डा में 26 व 27 फरवरी की रात में एक थानेदार गोपी सिंह अपने दो पुलिस के आदमियों के साथ पुरे सिथरी गांव में पहुंचे वहां भगवत लम्बरदार के यहां रुके । सुबह उठने के बाद चार आदमी, गोपी, केदार, नर्सिंग हनुमान को पकड़कर भगवत के दरवाजे पर ले आये उनकी निर्मम पिटाई की, उनको गालियां दीं, इसी बीच मान्यवर, गांव के लोग इकट्ठा हो गये, उन्होंने इस पर विवाद किया, इस पर उन लोगों को भी गालियां दीं । जब वहां के प्रधान

श्री सूर्यपाल पाण्डेय वहां पहुंचे और उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें भी गालियां दीं, उनको भी पुलिस ने मारा, इस तरह की कार्यवाही जब प्रधान के साथ हुई तो बहुत से लोग इकट्ठा हो गये और ढाई-तीन सौ आदमी जनपद गोण्डा पहुंचे वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से सारी बातें बताईं, जब वह उधर से लौट रहे थे तो उसी दिन थाना इटिया थोक के असलम खान दो सहायक दरोगा और पुलिस कर्मियों ने सूर्यपाल पाण्डेय प्रधान और राम फेर पाल वर्मा जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं --- को बन्दूक की नोक पर उठा कर गाड़ी जीप में डाल दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप चाहते क्या हैं ?

श्री इकबाल अहमद–

इनको बाजार में ले गये और इन पर थूकते हुए जूता सुंघाते हुए नंगा करके पूरे बाजार में घुमाया और दुबारा फिर उनको थाने लाया गया दूसरे दिन भी उनकी पिटाई की और उनका चालान कर दिया । वहां के लोगों से इसकी फिर एस0 पी0 को सूचना दी और दूसरे दिन 100 आदमियों ने जिला मजिस्ट्रेट के घर पर धरना दिया उसमें 50 आदमी गिरफ्तार किये गये । तीन तारीख को फिर करीब 100 आदमी धरने पर बैठे थे उसमें से 37 आदमियों को गिरफ्तार किया गया और ग्राम बैरथौली ले जाकर . . .

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें आप चाहते क्या हैं ?

श्री इकबाल अहमद–

निर्मम पिटाई की गई और फिर रात को उनको वहां से भगा दिया गया । तो मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के सवाल पर एक घण्टे की चर्चा कराई जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा तो आपने कर ली ।

श्री इकबाल अहमद–

इसको तफसील से सुना जाए ।

श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

इस सम्बन्ध में मान्यवर, काफी प्रयास किये लेकिन सूचना नहीं आ पायी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य दे दीजिएगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, 8 मार्च को आगरा में विद्यार्थियों के प्रति पुलिस ने जो लाठी-चार्ज किया मैं समझता हूं कि आगरा के इतिहास में यह पहली और अभूतपूर्व घटना है । मान्यवर, मैं स्वयं आगरा कालेज की स्टूडेन्ट्स यूनियन में आठ साल तक विभिन्न पदों पर आसीन रहा । आगरा कालेज में मेरी जिन्दगी में आज तक ऐसी

भयंकर घटना नहीं हुई । मान्यवर, आगरा के अन्दर ताजगंज में एक बस्ती है जहां अफीम, गांजा, हेरोईन आदि का विदेशी और असामाजिक तत्वों द्वारा बड़ा भारी व्यापार होता है । इसके विरुद्ध जनता ने ताजगंज थाने पर प्रागदर्शन किया जिसमें कुछ छात्र नेता भी सम्मिलित थे । इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया । मान्यवर, पुलिस ने छात्र नेता को देवेन्द्र चुल्लू को बूरी तरह पीटा और उसे थाने में बन्द कर दिया । आगरा कालेज के छात्रों ने देवेन्द्र चुल्लू के साथ जो घटना हुई इसका विरोध किया और इसी विरोध में उन्होंने धरना दिया, जब इस धरने से रास्ता जाम हुआ तो पुलिस ने छात्रों से बात करने के बजाए, महेन्द्र रावत जो यूनियन के अध्यक्ष हैं उसको समझाने के बजाए लाठी-चार्ज कर दिया और सैकड़ों लड़के टूटे-फूटे पड़े हैं।

मान्यवर, दर्जनों लड़कों के दोनों हाथ पैर टूट गये हैं उनको बहुत बर्बर तरीके से मारा गया है । लड़कों के होस्टल में और लड़कियों के होस्टल में पुलिस ने घुसकर बुरी तरह से मारपीट की गयी है । सड़क पर निकलने वाले लोगों जिनमें बैंक कर्मचारी हैं और दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी पुलिस ने पकड़-पकड़ कर मारा है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि लड़कों की हालत को खुद गृह राज्य मंत्री जी ने देखा है। मैं जेल में उनको देखने गया था, मैं वहां मौजूद था, आप भी लड़कों को देखने आये थे । वहां दो लड़के ऐसे बन्द हैं जो आर्मी वर्कशाप में बजाय फैक्ट्री में नौकर हैं यह लोग वहां से निकल रहे थे जिनको स्टूडेंट्स के नाम पर पकड़ लिया गया है । इसी तरह से कुछ लोग जो बजाज स्कूटर कम्पनी में काम करते हैं उनको भी पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया गया । इसके बावजूद भी लड़कों की एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गयी है और लड़कों के खिलाफ अंधाधुंध मुकदमें कायम किये गये हैं । आई0 पी0 सी0 और सी0 आर0 पी0 सी0 की लगता है कोई धारा छोड़ी नहीं गयी है जो लड़कों की पीठ पर न लाद दी गयी हो ।

पुलिस ने इस प्रकार से लड़कों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही की है और उनके खिलाफ केस रजिस्टर किये हैं । इतनी बड़ी घटना इससे पहले आगरा के इतिहास में नहीं हुई है । मेरी मांग है कि वहां के एस0 पी0 (सिटी) तथा सी0 ओ0 राठौर का ट्रांसफर किया जाय और इस मामले की जुडीशियल इन्क्वायरी करायी जाय तथा लड़कों पर जो फर्जी मुकदमें कायम किये गये हैं वह वापस लिये जायं । बंद छात्रों को तत्काल रिहा किया जाय । वहां पर इस घटना के विरोध में आमरण अनशन भी शुरू कर दिया गया होगा । मेरा निवेदन है कि यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है । माननीय मंत्री जी स्वयं देखकर आये हैं आप बतायें कि वहां के छात्रों ने जो मांगें की हैं उन पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं । अगर आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स यूनियन के साथ हमारा रिश्ता है उसको मैं अन्तिम समय तक निभाऊंगा । अतः इस गम्भीर घटना पर मैंने जो कहा है उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय राणा जी ने जिस घटना की ओर ध्यान आकर्षित किया है उस घटना को मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन जो दूसरी बातें हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, 8 तारीख को जब लड़कों का धरना हो रहा था अपनी मांगों को लेकर कि ताजगंज का जो लड़का बन्द किया गया है वह अपराधी नहीं था, उसके बाद यह परिस्थिति पैदा हो गयी । दो लड़के जो प्रयोगात्मक परीक्षा दे रहे थे उन छात्रों को पुलिस पकड़कर ले आयी और उनकी पिटाई की । इसी तरह से जिन लड़कों की प्रयोगात्मक परीक्षायें चल रहीं थीं उनको घरों से उठाकर बन्द किया जा रहा है । लड़कों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लगभग 39 छात्रों को जेल भेजा गया है । जिन छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा चल रही थी, उनकी आगे आने वाली परीक्षा को रोका जा रहा है जिससे गम्भीर संकट पैदा हो गया है । जिन लड़कों की परीक्षायें हो रही हैं उनको जेल भेजना यह कहां की बुद्धिमत्ता है ? अभिभावक परेशान घूम रहे हैं । यह जो परिस्थिति पैदा हो गयी है इससे आगरे के कालेज बन्द हैं । लड़कों को इतना मारा गया है कि उनके हाथ पैर टूट गये हैं और वह अपने घरों से भागे हैं क्योंकि पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है । इसमें जो राठौर सी0 ओ0 हैं यदि उन्होंने प्रयास किया होता तो यह स्थिति सामने न आती ।

आगरा कालेज के सामने महात्मा गांधी मार्ग है । वहां पर छात्रों को देखकर पुलिस ने असमाजिक तत्वों को प्रोत्साहन देकर उन पर पत्थर फिकवाये और बाद में मारपीट की । बहुत से लोग जो वहां से गुजर रहे थे और जो छात्र नहीं थे बल्कि सरकारी नौकर या कामकाज करने वाले लोग थे उनको भी पुलिस ने बन्द कर दिया । इससे समूचे आगरा में भय का वातावरण पैदा हो गया है । शिक्षण संस्थायें बन्द हैं अभिभावक इस बात से परेशान है कि उनके लड़कों को परीक्षा देने से रोका जा रहा है । आगरे में जो वातावरण पैदा हो गया है और पुलिस जिस प्रकार से बर्बर हो गयी है उसको देखते हुए मेरी मांग है कि छात्रों पर लगाये गये मुकदमें वापस लिये जायं, उनको अविलम्ब रिहा किया जाय और आर0 एस0 राठौर को सस्पेंड किया जाय और इस मामले की जुडीशियल इन्क्वायरी की जाय तथा छात्रों को न्याय दिया जाय । श्रीमन्, अभी तक उन लड़कों की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रों की रिपोर्ट लिखी जाय और जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । मान्यवर, देवेन्द्र कुमार, जिसने यह मांग की थी कि ताज में हीरोइन की बिक्री और तस्करी रोकी जाय, उससे जो परिस्थिति पैदा हुई, उसके लिए प्रशासन दोषी है, न कि स्टूडेन्ट । इसलिए मान्यवर, इसमें जुडीशियल इन्क्वायरी बहुत जरूरी है । इस पर मान्यवर, चर्चा करायें और सरकार को निर्देशित करें कि इसमें सरकार अविलम्ब कार्यवाही करे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री ब्रदन सिंह–

मान्यवर, यह महेन्द्र कुमार रावत कांग्रेस का समर्थक है, इससे लड़कों से कोई बातचीत नहीं हुई । इसमें एक अछूता प्वाइंट रह गया है कि पुलिस ने श्रीमती इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी की तस्वीरों को कालेज में घुस कर तोड़ दिया । यह पुलिस के लिए बड़ा शर्मनाक कार्य है । सरकार में कोई दम नहीं रह गया है, चाहे पुलिस कोई भी [xx] करे, लेकिन पुलिस इनके काबू में नहीं रह गयी है । वहां पर चुल्लू ने आन्दोलन चलाया, अगर पुलिस सरकार मौके पर बातचीत करती, तो बातचीत से यह समस्या हल हो सकती थी । लेकिन अनावश्यक रूप से यह समस्या उठाई गयी है । छात्रों का नुकसान हो ही रहा है । प्रयोगात्मक परीक्षा, वह दे नहीं पायेंगे । उनके अभिभावक इस समस्या से बहुत चिंतित हो गये हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार या तो इस्तीफा दे दे या तो यह शांति-व्यवस्था पर काबू करने के लिए प्रभावी कदम उठायें ।

श्री सईदुज्जमा–

यह जिस घटना के लिए सदन को अवगत कराया गया है, उस समय आगरा के पास ही मेरी गाड़ी जा रही थी, मैं वहां पर रुका, . . .

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर–

आप सदैव वहां पर रहते तो ज्यादा अच्छा था, . . .

(व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा–

वहां पर 4 बजे मैं पहुंचा, मुझे लड़कों ने यह बात बताई कि हमारे साथ यह अत्याचार हुआ है, तो मैं पहले उनके इसरार पर बगैर किसी अधिकारी से मिले, जेल पर चला गया, क्योंकि लड़के काफी तकलीफ और अपमान महसूस कर रहे थे । मैंने जेल पर जाकर उनकी बात सुनी । उन्होंने मुझे एक ज्ञापन और एक एफ0 आई0 आर0 दिया उसके बाद तत्काल मैंने एस0 पी0 और डी0 आई0 जी0 को बुलाया कि आप इनकी एफ0 आई0 आर0 नोट करें और इस संदर्भ में कार्यवाही करें । इससे पहले कि मैं इस घटना के बारे में बताऊं, 2-3 दफा और भी वाक्या हो चुके हैं और लड़कों पर मुकदमा कायम हो चुका था , जिसमें उन्होंने रास्ते रोके थे . . . .

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

श्रीमन् मैं सीधी बात पूछ रहा हूं कि मुकदमा वापस ले रहे हैं ? जांच करवायेंगे ?

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[xx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री बदन सिंह, श्री रघुवर दयाल वर्मा और श्री विजय सिंह राणा द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, हम लोगों ने तीन बातें रखी थीं–एक तो न्यायिक जांच की, लड़कों की रिपोर्ट लिखने, उनके खिलाफ मुकदमें वापस लेने और प्रयोगात्मक परीक्षाओं में से जो उठाकर पीटा है उसके बारे में जांच करायें इस पर कुछ कहना चाहें तो कहें । और दूसरा जो ताजगंज में लड़के को बन्द किया है (व्यवधान) इसके बारे में आप इसमें क्या करेंगे, इसमें जानकारी चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं मैं, उसी पर ही लौटकर आ रहा हूं । इससे पहले भी यह आगरा कालेज मान्यवर, साल में मुश्किल से 75 दिन ही चलता है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जो पर्टीकुलर घटना है, उसके बारे में मैंने कहा कि जो घटना वास्तव में हुई है और जिसके तथ्य इनके सामने आ चुके हैं उसमें पुलिस रिपोर्ट पढ़ने, उसको प्रकारान्तर से पूरे इतिहास के साथ घुमा देने की क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, उसी पर आ रहे हैं ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, मैं इनकी भावनाओं पर आ रहा हूं, इनका आदर कर रहा हूं । मान्यवर, उसमें मेरी कहने की दरख्वास्त यह है कि 4 तारीख में प्रिंसिपल ने कार्यवाही की थी और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि लड़कों ने कुर्सियां तोड़ दी हैं (व्यवधान) ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, यह क्या कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप कहते रहेंगे, उनको जवाब देने दें, इससे पता चलेगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

जवाब क्या उल्टा देंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जवाब देने दीजिए, क्या जबरदस्ती करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, हमने जो 3-4 बातें रखीं उसको बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

बात तो आपने कई बार कह दी, उनको जवाब देने दें ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, मैंने जो एफ0 आई0 आर0 लड़कों ने दी थी उसको दर्ज करने के आदेश दे दिये हैं दूसरे लड़कों को सुना उनके आत्मसम्मान की बात है तो इसमें एस0 पी0 और डी0 आई0 जी0 साहब मौजूद थे उनसे कहा कि इसकी जांच कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करें और लड़कों के साथ किसी प्रकार की उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय । लड़कों ने आग्रह किया था कि हम अभी भी परेशान हैं तो मैंने पुलिस की मौजूदगी में कहा कि लड़कों के साथ कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए तो उसमें उनकी बात को गम्भीरता से लिया जा रहा है और आप यह देखेंगे . . .

(श्री बदन सिंह और श्री विजय सिंह राणा के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप में से कोई एक बोल ले ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, पहली बात वहां यह हुई थी कि लड़कों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमें दर्ज किए गए हैं वह वापिस लिए जायेंगे, दूसरी है कि जुडीशियल इन्क्वायरी करायी जायेगी और इस बीच में जुडीशियल इन्क्वायरी हो वहां के एस0 पी0 सिटी और सी0 ओ0 राठौर का ट्रान्सफर कर दिया जायेगा । इन दोनों में क्या करना चाहते हैं ? अगर यह दोनों बातें नहीं मानी जाती हैं तो मैं यहीं बैठकर धरना दूंगा और मैं चाहता हूं कि मुझे सस्पेन्ड कर दें और जब तक चाहें तब तक सस्पेन्ड कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

धमकी नहीं दिया करते हैं । (व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, जैसे माननीय राणा साहब ने फरमाया है तो जो रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दे दिये, उसमें वाक्ये की जांच करने का तो मौका दें उसके बाद कार्यवाही की जायेगी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गृह मंत्री जी जांच के लिए कह तो रहे हैं ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा हूं, मा0 नेता विरोधी दल से भी अर्ज करना चाहता हूं कि कल तक मैं पूरी स्थिति से अवगत करा दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

जांच हो जायेगी ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, उनका ट्रान्सफर करके जांच होनी चाहिए । यह तो केस प्राइमाफेसी में साबित है कि वे लोग गलत हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जांच के बिना कैसे पता चलेगा ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, हमने तीन बातें कही हैं–एक तो झूठे मुकदमें वापस लिए जायं, दूसरी मांग जुडीशियल इन्क्वायरी की है और तीसरी जो रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है, लिखा दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

कह तो दिया कि रिपोर्ट लिखा दी है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मा0 रघुवर दयाल वर्मा जी, राणा जी और बदन सिंह जी ने जो छात्रों के बारे में बात कही, मा0 गृह राज्य मंत्री जी ने जो निवेदन किया, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, सारी बात वे बता चुके हैं । मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने मा0 नेता विरोधी दल से भी निवेदन किया, उनको कल तक का समय दे दें । कल तक वे कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होते तो जो चाहे करें । आज नगर विकास का बजट है । दूसरे मैं मा0 रघुवर दयाल वर्मा जी का मार्गदर्शन चाहता हूं कि जब किसी न्यायिक जांच के आदेश हो जायेंगे तो मुकदमों की वापसी या सारी कार्यवाही उसी से जुड़ जाएगी तो तीनों प्रकरण एक साथ होना कठिन हो जाएगा । आप कक्ष में बता दें । हम लोग बात कर लेंगे । यह ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो सके ।

श्री विजय सिंह राणा–

आपको छात्रों के प्रति सहानुभूति के साथ सोचना चाहिए । वहां विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है और गृह राज्य मंत्री जी ने कहा कि डी0 आई0 जी0, एस0 एस0 पी0 जांच करेंगे । यह हजारों विद्यार्थियों का मामला है । मेरा आपका घर का मामला नहीं है । जिस पुलिस अधीक्षक के सामने लाठीचार्ज हुआ, सारे अधिकारियों की मिली-भगत से हुआ । उसमें बहुत सारे लोग घायल हुए । आप यह बता दें कि जुडीशियल इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हैं या नहीं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया और इससे पहले गृह राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया । उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रति उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होगी । मैं समझता हूं कि छात्रों के प्रति जितनी उत्पीड़न की कार्यवाही हो चुकी है । राणा साहब बता रहे हैं कि बहुतों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं और बहुतों

को बन्द कर दिया गया है । मैं समझता हूं कि गृह राज्य मंत्री जी सहमत होंगे कि काफी उत्पीड़न की कार्यवाही हो चुकी है । तीन बातों की मांग की गयी है– एक यह कि छात्रों की एफ0 आई0 आर0 दर्ज होनी चाहिए, दूसरे जो छात्र बन्द हैं और पुलिस का सिलसिला जारी है छात्रों को पकड़ने का, आप कम से कम इस बात के लिए अधिकारियों से कह सकते हैं कि छात्रों को पकड़ने की जो बात है, जब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, छात्रों को पकड़ने की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए ।

तीसरे जिस घटना के अन्दर सी0 ओ0 और एस0 एस0 पी0 सब इन्वाल्व हैं, उसकी जांच के लिए एस0 पी0 या डी0 आई0 जी0 के लिए कह रहे हैं, तो एस0 पी0 और डी0 आई0 जी0 अपने लोअर स्टाफ के लिए कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । तो छात्रों के खिलाफ पकड़ने का सिलसिला बन्द होना चाहिए । जैसा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, हम कैसे निर्णय ले सकते हैं उन छात्रों को छोड़ने का, तो जुडीशियल इन्क्वायरी करवा लें और अगर जुडीशियल इन्क्वायरी के तहत छात्रों को छोड़ने का अधिकार नहीं रह जाता है तो हम मजबूर नहीं करेंगे । लेकिन यह बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच करनी होगी । दो बातें हैं–एक तो आप छात्रों को पकड़वायेंगे नही । दूसरे, आप जुडीशियल इन्क्वायरी की बात कह दीजिए । अब उसमें वह छोड़े जायं या जमानत करा लें, वह उनकी बात है ।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने इस प्रकरण पर कुछ सुझाव रखे हैं, मैं उसमें थोड़ा सा एमेंडमेंट करना चाहता हूं । वह ठीक है कि आगे फरदर एक्शन न हो विद्यार्थियों के खिलाफ, जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग आप इसमें स्वीकार करने जा ही रहे हैं । पुलिस जो सेक्शंस लगाती है, वह पूरे कमरतोड़ लगा देती है, उससे जमानत में बड़ी परेशानी आती है । सद्भावना, हमारे आपके बीच है, उसी तरह से बच्चों के बीच में भी होनी चाहिये । अम्मार साहब का तो विद्यार्थियों से काफी नजदीक का सम्बन्ध रहा है । अगर सेक्शंस कमरतोड़ लगेंगे, तो विद्यार्थियों को छोड़ने में परेशानी आती है । विद्यार्थियों की मेनटेलिटी होती है कुछ कर देने की । कम से कम दफा को करटेल कर दें ताकि जमानत में परेशानी न हो । नहीं तो यह कहेंगे कि जमानत पर कैसे छोड़ दें यह यह दफा लगी हैं । आपकी सद्भावना आनी चाहिये उनको बाहर लाने में । जो सेक्शंस हैं जो जरूरत से ज्यादा लग गये हैं, जितनी रियलटी है उस मुताबिक कम से कम लेगें ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय राजेन्द्र सिंह और अन्य माननीय सदस्यगण ने जो बात कही है, एक सद्भावना का वातावरण बनाना आवश्यक है । माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिये हैं, वह हमें मान्य हैं, एक रिपोर्ट दर्ज किया जाना और किसी प्रकार की उत्पीड़न की कार्यवाही न हो । मुझे सुने तो, अरेस्ट और उसमें सब चीज आ जाती है । जुडीशियल इन्क्वायरी या किस प्रकार से इन्क्वायरी करायी जाय, कल हम लोग इस पर बैठकर विचार कर लेंगे, अगर यह होगा कि जुडिशियल इन्क्वायरी से न्याय हो सकता है, तो उस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, पन्द्रह सौ करोड़ रुपये की लागत से बन रही टेहरी बांध परियोजना इस समय खतरे के दायरे में आ गयी है । विशाल टिहरी बांध निरन्तर ध्वस्त हो रहा है । वहां मलवा इतनी तेजी से गिर रहा है कि कोटला बन बांध और डिवीजन का रास्ता है वह प्रभावित हुआ । मलवा निरन्तर गिरने से उत्तर प्रदेश में भोपाल गैस काण्ड की पुनरावृत्ति की आशंका व्याप्त है । मलवा इतनी तेजी से गिर रहा है कि पावर हाउस के लिये जितनी सुरंगों पर खुदाई का काम हो रहा था, उसे बन्द करना पड़ा । जहां से पानी का निकास होता है वह रुक गया । डीजल पम्प हाउस से भागीरथी पुरम जाने वाला मुख्य मार्ग है वह भी ध्वस्त हो रहा है । इसमें लापरवाही रही है । सभी आशंकाओं के बावजूद, मलवे को कैसे निकाला जाय, परियोजना अधिकारियों ने कुछ नहीं किया । मलवा इतनी तेजी से गिर रहा है कि वहां कुछ भी हो सकता है । मशीनें कलकत्ता से मंगाये जाने के आदेश दिये गये हैं उनको आने में तीन महीने का समय लग जायेगा । अगर भूकम्प किसी प्रकार से आता है तो यह पूरा का पूरा बांध ध्वस्त हो जायेगा । 1500 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना को खतरा पैदा हो गया है । निहायत भ्रष्ट अधिकारी मिस्टर गोयल, जो गंडक परियोजना को ध्वस्त कर दिये, मुख्य अभियन्ता बनाकर टिहरी बांध भेजा गया है । अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता है तो उतराखंड में और तराई के इलाकों में भीषण बाढ़ आने की आशंका व्याप्त है । मैं चाहूंगा कि इस गम्भीर विषय पर आज सदन में चर्चा करायी जाय ।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मैंने जो सूचना कार्य स्थगन की दी है, जिस पर माननीय शाही जी ने बात बतायी है माननीय सदन को । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरे बिन्दु पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टेहरी बांध की शुरुआत से ही मुखालिफत वहां की जनता ने की थी वह इसलिए की थी कि वहां पर उसके दो पहलू थे । एक तो सामाजिक-आर्थिक पहलू था, जिसमें कम से कम 22-23 गांव पूरी तरह से डूबेंगे, 74-75 गांव आंशिक रूप से डूबेंगे और जो टिहरी ऐतिहासिक नगर है, वह पूरा का पूरा डूबेगा । प्रारम्भ में यह योजना 200 करोड़ रुपये की बनी थी, धीरे-धीरे यह 2400 करोड़ रुपये की हो गयी । अब स्थिति यह है कि अगर वहां पर भूकम्प आ गया तो यह पूरा पैसा जाया गया और बरबाद हो जायगा । दूसरी तरफ बिना वैज्ञानिक चेतावनी को ध्यान दिये सरकार द्वारा परियोजना को निरंतर जारी रखा गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज पूरी की पूरी घाटी धंस रही है, पूरा पहाड़ धंस रहा है, जिसके कारण प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का 24-25 सौ करोड़ रुपया बरबाद जा रहा है, लाखों-लाख लोग बेघर हो गये हैं और इतना ही नहीं, इससे भी अधिक जानमाल की क्षति होगी । लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । आज इस समय इससे अविलम्बनीय महत्व का कोई विषय नहीं हो सकता । अतः मेरी मांग है कि इस पर कम से कम 2 घन्टे की चर्चा स्वीकार की जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत मैंने जो विषय दिया है, उसके संबंध में निवेदन करना है कि पहले ही जो भूगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात की सूचना दी थी कि टिहरी बांध का जो क्षेत्र है, वह पूरा का पूरा भूकम्प प्रभावित क्षेत्र है और कभी भी भूकम्प आ जायगा, तो सब कुछ बरबाद हो जायगा, जन धन की हानि होगी । लेकिन इस सबके बावजूद भी यह बांध बनने लगा और इसकी स्थिति आज सामने आ गयी है कि बांध के बीच में बड़ी सी दरार पड़ गयी है तथा पूरा का पूरा बांध धंस रहा है । सुरंगे जो बना रहे हैं, सारा मलबा उन्हीं में अन्दर भर रहा है । मान्यवर, पहले ही विशेषज्ञों ने कहा था कि भूकम्प का क्षेत्र है, यहां का पत्थर भुरभुरा है इसलिये यह स्थान बांध बनाने लायक नहीं है लेकिन ध्यान न दिये जाने के कारण ऐसी आशंका है कि एक बार पुनः भोपाल गैस काण्ड की पुनरावृत्ति हो जायगी । इसलिये मेरा अनुरोध है कि सदन की एक समिति बनायी जाय, जिसमें दो विशेषज्ञ, तकनीकी अभियन्ता आदि शामिल किये जायें और उन्हीं के साथ जाकर यह समिति तत्काल मौके का निरीक्षण करे, वरना बड़ी जन धन की हानि होगी । साथ ही मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि इस गम्भीर विषय पर सदन में तत्काल सारे काम रोक कर चर्चा करायी जाय ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है और वहां की जनता ने बांध बनने से पहले ही और वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी थी कि बांध बनने से यह पहाड़ खोखला हो जायगा और पूरा पर्वतीय क्षेत्र खतरे में पड़ जायगा । आज यह आशंकायें सामने आने लगी हैं और तमाम मलबा नीचे गिर रहा है, पहाड़ की बेल्ट में दरार पड़ गयी है तथा जो वहां के रास्ते बांध क्षेत्र के अन्दर हैं, वह धसना शुरू हो गये हैं । सबसे ज्यादा चिन्ता की बात यह है कि जो अधिकारी वहां पर लूट खसोट में लगे हुये हैं, वह अधिकारी इन तथ्यों पर परदा डाल रहे हैं । पूरे पर्वतीय क्षेत्र की जनता आशंकित है तथा वहां पर भूकम्प की संभावनायें पैदा हो गयी हैं । पूरे बांध के धंसने के बारे में स्थिति सामने आ गयी है इसलिये मेरी मांग है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की कृपा की जाये, ताकि अन्य तथ्य भी सामने आ सकें ।

(श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी जी के खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपको भी साथ ले लूंगा, पहले नोटिस वालों का नाम हो जाने दीजिये ।

(बीच में श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े होकर अपनी बात कहने पर–व्यवधान)

*श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय उपाध्यक्ष जी, टिहरी बांध के संबंध में हमने भी सूचना दी है । इसमें एक चीज छूट गयी है, जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । नई-नई सुरंगें जो बनी हैं, उनमें ऊंचाई तक दरार पड़ गयी है और पूरे पहाड़ के नीचे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बैठ जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है । माननीय, जब भी इस तरह की योजना लागू की जाती है तो दो-तीन बातों का ख्याल रखा जाता है कि भूकम्प मापी यंत्रों का प्रयोग किया गया है या नहीं । दूसरे भूगर्भ सर्वेक्षण किया गया है या नहीं और तीसरी बात यह कि जो वहां पर काम होगा, उससे पर्यावरण को कौन सा खतरा होगा । और ये तीनों रिपोर्ट उसके विपरीत थीं, किन्तु कुछ राजनैतिक कारणों से वशीभूत होकर तत्कालीन सरकार ने यह फैसला ले लिया और जो भ्रष्टतम इंजीनियर थे, उनको वहां पर तैनात कर दिया गया । वहां पर जो निर्माण की सामग्री आपूर्ति की जानी थी, वह घटिया किस्म की आपूर्ति की गई और जो चेतावनी के प्रकोष्ठ थे, उनकी चेतावनी की अवहेलना की गई । आज इन्हीं परिस्थितियों के कारण सम्पूर्ण उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में भय व आतंक का वातावरण हो गया है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर शेष सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करवाई जाय ।

*श्री सरदार सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि मथुरा और आगरा में पानी का कितना अभाव रहता है । जब यहां पर सवाल उठाया जाता था तो यह कह दिया जाता था कि टिहरी बांध बन रहा है, जैसे ही यह बांध बन जायेगा आप लोगों को बिजली और पानी मिल जायेगा । आपकी समस्या दूर हो जायेगी । आज अखबारों में समाचार मिलता है कि यह डैम अभी से धंसना शुरू हो गया है । करोड़ों रुपए सरकार के खजाने से इसमें खर्च किये जा चुके हैं। जब यह डैम कल टूटेगा तो एक विनाशलीला होगी । सारा उत्तर भारत डूब जायेगा और यहां तक कि दिल्ली भी डूब जायेगी । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आज इस सदन में चर्चा करायी जाय ।

श्री सोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मैं उस निर्वाचन क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां टिहरी बांध बनाया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन के कुछ मा0 सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय जो इसकी जांच करे कि सूखों में आई बाधाएं क्या हैं। आज यह एक चिन्ता का विषय है । मेरा निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं अपितु सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की गन्जेटिक वैली सभ्यता को इससे खतरा हो गया है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं श्री शाही, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री गौरी शंकर भइया, श्री सकलानी जी व श्री सरदार सिंह जी ने जो यह टिहरी डैम के बारे में कार्य स्थगन प्रस्ताव का जिक्र किया है, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है । माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाकर जो गलत फहमियां थीं, उनको दूर करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं आपका और माननीय सदस्यों का ध्यान भारत सरकार की उस रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो 7-1-1981 को प्रकाशित हुई थी। जिसमें यह कहा गया है कि "दि प्रोजेक्ट हैज बीन इस्क्रूटिनाइज्ड बाई दि गवर्नमेंट फ्राम सेवेरल एंगिल्स इन ग्रेट डीटेल" ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार ने सारी बातों को सभी एंगिल्स से विस्तार से परीक्षण कराया है । आगे कहा गया है दीज इनक्लूड दि सेफ्टी एस्पैक्ट्स एण्ड आलसो मेजर्स नेसेसरी काउन्टरएक्ट दि एडवर्स इनवायरमेन्टल इमपैक्ट्स आफ दि टेहरी डैम प्रोजेक्ट ।

सुरक्षा ब अन्य आवश्यक पहलुओं तथा पर्यावरण से संबंधित सभी चीजों का परीक्षण कराया गया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, बांध धंस रहा है। इसके बारे में वह बता दें वह तो सर्वे रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर दिये हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं क्षमा चाहूंगा । श्री शाही जी ने भी यह प्रश्न उठाया था । आप तो हर एक चीज में डिटेल्स में जाते हैं । यह बात इसलिये रख रहा हूं कि दो बिन्दु इसमें उठाये गये हैं । एक तो यह कि भूकम्प की स्थिति को देखते हुए, यह डैम नहीं बनना चाहिये था, यह माननीय हरीश जी ने और शाही जी ने उठाया । एक उठाया गया कि राजनीतिक दबाव से बना दिया गया "टैक्नीकल आसपेक्ट" पर ध्यान नहीं दिया गया । ऐसी हालत में यह रखना जरूरी है कि किन-किन एजेन्सीज के द्वारा परीक्षण हुआ । माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि एक मिनट का समय दे दें तो मैं इसके आगे पढ़ दूं ।

"रिगार्डिंग दि सेफ्टी एसपेक्ट्स आफ दि डैम एण्ड दि सीसमिक स्टेटस आफ दि प्रोजेक्ट एरिया दि इशूज हैव बीन डिसक्स्ड विथ दि वेस्ट एवेलेबिल टेक्निकल आरगनाइजेशन आफ दि कन्ट्री ।"

जहां तक भूकम्प की स्थिति है, टैक्नोलाजीकल पहलू की बात है, जो देश में सबसे अच्छी एजेन्सीज थीं, माध्यम थे, उनके द्वारा इसकी जांच करायी गयी ।

इसके आगे कहा गया है कि–

"इनक्लूडिंग दि सेन्ट्रल वाटर कमीशन, दि डिपार्टमेन्ट आफ अर्थक्वेक इनजीनियरिंग, यूनिवरसिटी आफ रुड़की, जिओलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया वाडिया इन्स्टीट्यूट आफ हिमालियन जिओलाजी, नेशनल जिओफिजीकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट एण्ड दि इण्डिया मेट्रोलाजिकल डिपार्टमेन्ट।"

यानी उक्त विभागों ने इनका परीक्षण किया । अंत में कहा है कि जहां तक भूकम्प का सवाल है, वह एरिया भूकम्प से प्रभावित हो सकता है लेकिन जो डिजाइन बनाया जा रहा है और जिस तरह से वह "डैम" बनाया जायेगा, उसमें तमाम बातों का ध्यान रखा गया है कि भूकम्प से किसी प्रकार से प्रभावित न हो । यह एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है । दूसरी बात यह है कि जो इकालोजीकल बैलेंस तथा और चीजों के डिसबैलेंस होने का सवाल है, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । सारी चीजों का परीक्षण कराया गया है । अभी वहां "डैम" तो बना नहीं है, केवल 4 टनल्स बनी हैं, धसकी क्या चीज ? जब पहाड़ में डायनामाइट इत्यादि का काम होता है, तोड़-फोड़ करते हैं तो मलवे का गिरना तो स्वाभाविक है चाहे जितना सख्त पहाड़ हो । जब निर्माण कार्य प्रगति पर होता है तो यह तो होता ही है । टेहरी डैम के सम्बन्ध में सारे एक्सपर्ट्स की राय और इन्स्टीट्यूशन्स की राय ले ली गयी है । किसी प्रकार

का कोई खतरा टेहरी डैम बनाने में नहीं है । यह सवाल नहीं है कि हजारों रुपये और करोड़ों रु0 डूब जायगा । उससे बिजली बनेगी और पूरे प्रदेश का विकास होगा । इस पर कार्य स्थगन का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

प्रश्न यह था कि जब टेहरी डैम बनेगा तब बनेगा बांध का टूटना तो निश्चित है, लेकिन जो सुरंगे बनायी गयी हैं, उनसे मलवा गिर रहा है । अगर वह डैम टूटा तो कितना बड़ा कहर ढह जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी चिन्ता को मैं समझ रहा हूं. आप बैठें । मैं इस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़े होने से व्यवधान)

आप बैठें, मैंने चर्चा स्वीकार कर ली है ।

श्री बदन सिंह की जनपद आगरा के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं, श्री शारदा प्रताप शुक्ल तथा श्री सुन्दर लाल जी की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं, श्री रमाशंकर कौशिक की सूचना पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)

नगर विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास बिभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,81,89,29,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, दूसरे अनुदान को भी मैं इसी के साथ ही प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है ।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,66,58,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, यह हमारे प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है । सन् 1988-89 के वार्षिक वर्ष में कुछ विशेष उपलब्धियां हुई हैं, उनका उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूं । वैसे मैं चाहता तो यही हूं कि हमारे माननीय सदस्य अधिक से अधिक समय लें और उनके विचार तथा सुझाव से हम लाभान्वित हों, पर कुछ चीजों का उल्लेख कर देना मैं आवश्यक समझता हूं ।

मान्यवर, इस प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि जो गत कुछ वर्षों से हमारे प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए थे, वह इस वर्ष सम्पन्न करा दिए गए हैं । यह दो फेज में थे–पहला फेज यह था कि जो एक लाख से नीचे की आबादी के स्थानीय निकाय थे, जिनकी आबादी एक लाख से कम थी, उनका निर्वाचन कराया गया और यह निर्वाचन शान्तिपूर्वक तरीके से हुआ और उसमें अध्यक्ष का चुनाव भी साथ ही हुआ, वहां की जनता ने ही उसे चुना । दूसरे चरण में एक लाख से ऊपर की आबादी वाली नगरपालिकाएं थीं, वहां के स्थानीय निकायों के चुनाव सम्पादित हुए उनके अध्यक्ष का चुनाव या नगर प्रमुख का नगर महापालिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया । इस प्रकार से दो चरणों में ये चुनाव सम्पादित हुए ।

इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि 18 वर्ष के नवयुवकों को भी अपना मतदान करने का अवसर मिला और उनको भी आज के विकास के अन्तर्गत अपनी योग्यता के अनुसार आगे काम करने का मौका मिला । मान्यवर ये चुनाव सम्पन्न होने के बाद स्थानीय निकाय के कुछ चुनाव अभी भी शेष हैं जैसे इलाहाबाद नगर महापालिका में जहां पर महाकुम्भ हुआ, इसके कारण से यह रुक गया था । लखनऊ नगर महापालिका में, इसकी निर्वाचन सूची में कुछ कमियां रह गई थीं, इसके कारण यह भी रुका हुआ है । इसके अलावा और भी 8 स्थानीय निकाय हैं जहां पर चुनाव कराने अभी शेष हैं जिनमें से कुछ के लिए तो उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश हैं और कुछ के अन्य कारण भी हैं । इन आठ स्थानीय निकायों के चुनाव भी जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास किया जा रहा है । हमको लगता है कि चुनाव सम्पन्न कराने के बाद इस प्रदेश की जनता को चुने हुए प्रतिनिधियों को ही एक विशेष मौका मिल रहा है कि वह अपने विकास के कार्यों, नगर पालिकाओं की व्यवस्था संबंधी चीजों को स्वयं देखें और इस प्रकार से नगर महापालिकाओं के विकास के कामों को सुचारु रूप से चलाएं ।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात महा कुम्भ की है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष हमने जो व्यवस्था महा कुम्भ की की, उस व्यवस्था में इस वर्ष सर्वप्रथम कुम्भ के इतिहास में पहली बार डेढ़ करोड़ लोगों ने एक दिन में शुद्ध गंगा जल में स्नान किया और अपने को पवित्र मानकर अपने-अपने घरों को गए, इसकी सराहना न केवल माननीय उपाध्यक्ष जी अपने ही देश के अखबारों ने की बल्कि विदेशों में भी इसकी प्रशंसा की गई है इस प्रकार से मान्यवर यह हमारी दूसरी उपलब्धि हुई और तीसरी बात जो मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूं वह यह कि हमने एक सफाई अभियान चलाया, प्रदेश की आठों महापालिकाओं, नगर पालिकाओं, टाउन एरिया व नोटीफाइड एरियाज में हमने सफाई अभियान चलाया । इस प्रकार से मान्यवर, हमने तीन क्षेत्र इस प्रदेश के बांटे और हमारे सहयोगी साथी तीनों राज्य मंत्रियों ने एक-एक क्षेत्र की जिम्मेदारी लेकर रातों

दिन काम करके इस सफाई अभियान को पूरी तरह से कामयाब किया और मैं भी मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ आठों महापालिकाओं में घूमा और पूरे तौर पर सफाई अभियान को चलाया और इसीलिए हम यही चाहते भी हैं कि हर वर्ष इस अभियान को बनाये रखें ताकि सफाई का काम भी हर जगह हर शहरों में ठीक तरह से हो सके और इस प्रकार से हम लोगों को साल भर घूमने का अवसर भी मिल सके ।

इस प्रकार से मान्यवर बातें तो बहुत थीं और जिनका उल्लेख करना भी बहुत जरूरी था, वैसे तो कुम्भ के बारे में ही बातें काफी हैं, लेकिन मैं मा0 सदस्यों का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता परन्तु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस समय सदन चल रहा है और इस बीच जो भी हमारे पास शिकायतें आई हैं एक तो कुम्भ में आग लगने की और दूसरी शिकायत बिलों के भुगतान व एकाउन्ट के सिलसिले की हैं । इन शिकायतों के लिए मैंने एक जांच आयोग बैठा दिया है और यह भी कह दिया है कि अब तक जो भी भुगतान बिलों का हो, उनका सत्यापन संबंधित विभाग से अवश्य करा लिया जाए और दूसरी बात जिस दफ्तर में आग लगी, जहां के एकाउन्ट इत्यादि जल गए, इस मामले में भी जांच आयोग बैठा दिया गया है और यह कह दिया गया है कि जो भी दोषी अधिकारी व कर्मचारी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय और इस प्रकार से किसी को बख्शा नहीं जायेगा ।

अब मान्यवर, मैं आपके समक्ष आवासीय समस्या के संबंध में कुछ बातों की तरफ निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस प्रदेश की जन संख्या लगभग 12 करोड़ है और लगभग 2 करोड़ की आबादी शहरों की है । अब इन दो करोड़ लोगों के लिए आवासीय समस्या का मामला है, जिसमें काफी कुछ व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन अभी 9 लाख लोगों के लिए यह व्यवस्था करनी बाकी है, जब यह व्यवस्था पूरी हो जायेगी तो लोग अच्छी तरह से रह सकेंगे । इस प्रकार से अभी 9 लाख लोग गृह-विहीन हैं । इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए हमारी ओर से अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं, विशेष रूप से दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासों के निर्माण पर बल दिया गया है, इसी प्रकार से सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत 75 प्रतिशत से अधिक भवन इन्हीं वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्माण कराए जा रहे हैं । पानी है व फ्लश लैट्रीन सहित भू-खण्ड उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है ।

मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा हूं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे 12 हजार आवासों के लक्ष्य के विपरीत दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए 14 हजार 18 भवन एवं 5 हजार आवासों के लक्ष्य के विपरीत अल्प आय वर्ग के 5 हजार 978 भवनों का निर्माण हो चुका है । मान्यवर, प्रारम्भ से अब तक आवास एवं विकास परिषद द्वारा एक लाख दो हजार और विकास प्राधिकरण द्वारा 1 लाख 41 हजार 925 भवनों का निर्माण कराया गया है । कुल 2 लाख 43 हजार 932 भवन निर्मित हुए हैं ।

(इस समय 2 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

आवासों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने के पश्चात सबसे बड़ी आवश्यकता वित्तीय साधनों की होती है । वित्तीय व्यवस्था हेतु आवास विकास परिषद् उत्तर प्रदेश एवं विकास प्राधिकरण को हुडको, बीमा निगम और व्यापारिक बैंकों से ऋण प्राप्त करना

होता है । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 1987–88 में हुडको द्वारा आवास विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरण की 95 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी थी और वर्ष 1988-89 में 110 करोड़ की योजना स्वीकृत किये जाने की आशा है । मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि हुडको द्वारा जितना किसी अन्य प्रदेश को ऋण दिया गया है, उससे अधिक उत्तर प्रदेश को दिया गया है । इस समय प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में लगभग 9 लाख भवन /भूखन्ड की कमी का अनुभव किया जा रहा है । सरकार का यह प्रयत्न है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नगरीय क्षेत्र में आवासीय समस्या को काफी हद तक समाधान किया जाये । 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दुर्बल आय वर्ग के लिए भवनों एवं भूखन्डों का अधिक से अधिक लक्ष्य निर्धारित किया जाये, इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गयी है । दुर्बल आय वर्ग के लिए सस्ती एवं अच्छी भवन सामग्री उपलब्ध करने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक मंडल में कम से कम एक निर्मित केन्द्र (बिल्डिंग सेन्टर) बनाये जायें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

बुजर्ग मंत्री हैं ।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, मुझे करने दें । निर्मित केन्द्रों में किये गये अध्ययन के अनुसार ही भविष्य में आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्मित किये किये जायेंगे । मैं यह कहना चाहूंगा कि इन केन्द्रों में जो सामग्री उपलब्ध होगी वह कम मूल्य की होगी, सस्ती होगी जो भवन बनाये जायेंगे वह बड़ी तादात में बनेगे और गरीब लोगों को उपलब्ध कराये जायेंगे । केन्द्रीय निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से आवास एवं विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों के अधिकारी और अभियन्ताओं को नयी तकनीकी जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है और इस उद्देश्य से सी0 बी0 आर0 आई0 से लखनऊ में अपनी एक शाखा खोलने का भी अनुरोध किया गया है । 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियों के पर्यावरण के सुधार हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । यह योजना 65 नगरों में क्रियान्वित की जा रही है। 1988-89 में इस योजना के अन्तर्गत 1 लाख 50 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है जो 28-2-89 तक 1 लाख 71 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया है ।

मान्यवर, गंगा प्रदूषण के संबंध में उस रोज चर्चा में मैंने जिक्र किया था । उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि पिछले कई दशकों से औद्योगीकरण एवं नगरीयकरण के कारण गंगा नदी प्रदूषित होती जा रही है । जनवरी 1985 में माननीय प्रधान मंत्री के विशेष आह्वान पर केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है । गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य गंगा के प्रदूषण को कम से कम 75 प्रतिशत कम करना है । इस योजना के प्रथम चरण में

उत्तर प्रदेश के 6 ऐसे नगर आते हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं । इनके अलावा दो अन्य शहर रामनगर तथा ऋषीकेश जो वाराणसी तथा हरिद्वार के नजदीक हैं में इस कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है । गंगा प्रदूषण में 6 नगर आए हैं जहां हम यह कार्य कर रहे हैं–हरिद्वार–ऋषीकेश में 12 योजनाएं, कानपुर में 5, इलाहाबाद में 13, वाराणसी-रामनगर में 7, मिर्जापुर में 1, फरुर्खाबाद फतेहपुर में 1 योजना है । इस प्रकार कुल 39 हैं जिन पर 71 करोड़ 45 लाख रुपए के व्यय का अनुमान है । मान्यवर, मार्च, 1988 तक 37 करोड़ 78 लाख रुपए का व्यय हो चुका है और वर्ष 1988-89 में 12 करोड़ का व्यय और सम्भावित है । इसके लिए वर्ष 1989-90 में 20 करोड़ रुपए का व्यय सम्भावित है । मान्यवर, यह सारा प्रयास करने पर इलाहाबाद में कुम्भ के पहले संगम पर 84.5 प्रतिशत प्रदूषण कम करने का लक्ष्य था परन्तु वहां पर 86.8 प्रतिशत की पूर्ति हो गई । इसलिए यात्रियों ने गंगा स्नान शुद्ध जल से किया है ।

मान्यवर, प्रदेश में नगर जल सम्पूर्ति के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कुल स्थानीय निकाय 685 हैं और मार्च, 1988 तक सम्भावित लाभान्वित नगर 592 हैं और अवशेष नगर जहां पेयजल की व्यवस्था की जानी है वह 93 है ।

मान्यवर, 3 करोड़ रुपया गोकुल बैराज के लिए, 10 बड़े नगरों में पेयजल की व्यवस्था और महानगरों में 20 एम0 एल0 डी0 पानी की वृद्धि तथा उसके सुदृढ़ीकरण पर व्यय होगा । यह 1989-90 का वर्ष है इसमें 25 करोड़ रुपया 3 करोड़ गोकुल बैराज को छोड़कर शेष 10 नए नगरों में पेय जल की व्यवस्था होगी और महानगरों में 20 एम0 एल0 डी0 पानी की वृद्धि और सुदृढ़ीकरण पर व्यय होगा । अन्य कुछ महत्वपूर्ण नगर क्षेत्रों में जल सम्पूर्ति सुदृढ़ की जायेगी और उनके लिए पेय जल की सम्मुचित व्यवस्था की जायेगी ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कुल 685 स्थानीय निकाय में से मार्च 88 तक 592 को पेय जल से लाभान्वित किया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल सम्पूर्ति स्वच्छता दशक प्रोग्राम के लक्ष्यों के अन्तर्गत वर्ष 90 तक शत-प्रतिशत नगरों की जनसंख्या को पेय जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । वर्ष 1988-89 में निर्माणाधीन नगरीय जल सम्पूर्ति योजना को पूर्ण करने हेतु 24.70 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें 3 करोड़ रुपया गोकुल बैराज के लिए है ।

वर्ष 1989-90 में 27 करोड़ 85 लाख का आय व्ययक में प्राविधान प्रस्तावित है जिसमें से 3 करोड़ रुपए गोकुल बैराज हेतु प्रस्तावित है । अब तक लाभान्वित 82,486 में से लगभग 35 हजार ग्राम आंशिक रूप से 1-2 इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाकर लाभान्वित किए गए । मार्च, 1990 तक मैदानी क्षेत्र के 1972/1985 के सूची के समस्त समस्याग्रस्त ग्राम लाभान्वित कर दिए जायेंगे ।

पर्वतीय क्षेत्र के 755 ग्राम जो शेष रह गए हैं उनको आठवीं पंच वर्षीय योजना काल में लाभान्वित किया जायेगा ।

हरिजन बस्ती पेय जल योजना–यह योजना पहले ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही थी परन्तु वर्ष 1984-85 से मैदानी क्षेत्रों की हरिजन बस्तियों में हैण्ड पम्पों को लगवाने का कार्य जल निगम कर रहा है । वर्ष 1988-89 में जनवरी, 1989 तक 1581 हरिजन बस्तियों में हैण्ड पम्प लगवाए जा चुके हैं ।

वर्ष 1988-89 में 5,600 हरिजन बस्ती एवं 44 जनजाति ग्रामों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध जनवरी, 1989 के अन्त तक 8331 हरिजन बस्ती एवं 18 जनजाति ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है ।

वर्ष 1989-90 में 7,900 हरिजन बस्ती एवं 30 जनजाति ग्रामों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

सफाई कर्मचारियों को आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने हेतु 8 नगर महापालिकाओं की एक योजना शासन के विचाराधीन है । जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है । स्थायी सफाई कर्मचारियों को प्रथम चरण में 17 हजार भूखण्ड जो अरबन सीलिंग से बचे हैं उन्हें आवंटित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें उक्त कर्मचारी सहकारी समिति बनाकर, ऋण लेकर भवन निर्मित कर सकेंगे । यह नई योजना है इससे सफाई कर्मचारियों की आवास संबंधी समस्या हल हो सकेगी ।

मान्यवर, मलिन बस्तियों के सुधार हेतु भी एक योजना है और इसके अन्तर्गत 300 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च होगा । उसमें आवागमन की सुविधा हेतु खड़ंजा बिछाने, प्रकाश हेतु बिजली के खम्भे लगाने का, शौचालयों का निर्माण, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पार्क विकसित करने और जल भराव को रोकने की व्यवस्था की जायेगी ताकि कीड़े मच्छर पैदा न हों ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन को एक महत्वपूर्ण योजना और बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि 26-1-1989 से राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा पोषित घोषित सामूहिक बीमा योजना को लाइसेंस प्राप्त रिक्शा चालकों, तांगा चालकों के लिए लागू करने का निर्णय लिया है तथा इसके लिए निदेशक स्थानीय निकाय को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है । प्रारम्भ में यह योजना 2 वर्षों के लिए प्रदेश के 8 महानगरों में लागू की जा रही है और इन दो वर्षों के अनुभव के आधार पर अन्य निकायों में भी लागू करने पर विचार किया जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत ऐसे समस्त रिक्शा चालक तथा तांगा चालक लाभान्वित होंगे जिनकी अवस्था 18 वर्ष से 59 वर्षों की होगी । इसमें प्रिमियम की धनराशि 30 रुपए प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है जिसमें से 15 रुपए केन्द्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष से और 10 रुपए राज्य सरकार द्वारा तथा शेष 5 रुपए लाभार्थी द्वारा हर वर्ष जमा किए जाएंगे । योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की मृत्यु होने पर 3 हजार रुपए और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 6 हजार रुपए दिए जायेंगे । दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग होने पर 3 हजार रुपए और आंशिक अपंगता होने पर 1500 रुपए दिए जायेंगे । यह योजना उन्हीं लाभार्थियों पर लागू होगी जिनके पास नियमानुसार लाइसेंस है और जो निर्धारित प्रिमियम की धनराशि जमा करते हैं । प्रिमियम धनराशि लाइसेंस प्राप्त करते समय नगर महापालिका द्वारा जमा करने का प्रस्ताव है । इस योजना के लिए 1989-90 के बजट में 5 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है ।

मान्यवर, यह कुछ बातें हैं, कुछ बातों को छोड़ दिया है लेकिन, जो मैंने इस सदन के सामने रखीं मुझे उम्मीद है कि यह सदन इन मांगों को स्वीकार करेगा ताकि हमारे अधिकारी और हम लोग उत्साह से जो योजनाएं हमने यहां बतायी हैं उन पर कार्य कर सकें । मैं इन शब्दों के साथ इन दोनों अनुदानों को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मंत्री जी स्वयं जितना बड़ा अनुभव लेकर यहां बैठे हैं, मैं सोचता था कि उत्तर प्रदेश के नगर विकास को भी उसका लाभ मिलेगा, मैं सोचता था कि जो पूर्वनिर्धारित योजनायें हैं, जो स्थापत्य और संरचना उसके पीछे है, उसको एक नया रूप और कलेवर दिया जायेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है । इसमें मात्र पिष्ट-पेषण है, जो वर्षों से है और जो हमेशा बजट के अवसर पर सरकार की तरफ से कहते रहे हैं । आप लाइब्रेरी में बैठकर विभाग की कटौती का प्रस्ताव पढ़ लीजिए, बजट भाषण पढ़ लीजिए, उसमें आपको न 'आ' और 'ब' का, न एक लाईन का और न एक हरफ का फर्क मिलेगा । क्योंकि यह सरकार मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। जब तक शासन के दिमाग में नई-नई योजनाएं नहीं होंगी, योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए दिमाग नहीं होगा, तब तक न प्रदेश विकास कर सकता है, न देश विकास कर सकता है । मैं मंत्री जी से और दो-दो राज्य मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक पुस्तक निकली है चेतना प्रकाशन की, जिसमें भारतवर्ष के सभी पुराने नगरों का लम्बा इतिहास दिया हुआ है, और उसमें यह भी बहुत विस्तार से दिया हुआ है कि कौन-कौन से नगर उस समय किस रूप में स्थापित थे और उनके विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं थीं । सिन्धु नदी घाटी और मोहनजोदड़ो घाटी सभ्यता के संबंध में जो नगर विन्यास दिया गया है, उसको आप पढ़ लें और समझ लें तो हमें मालूम होगा कि हजारों वर्ष सभ्यता में आगे चलने के बावजूद हम आगे चलने के बजाए पीछे ही चले हैं । यह सरकार के मानसिक दीवालियेपन का द्योतक है। जिसके पास नई-नई और समुन्नत योजनाएं नहीं होंगी, वह प्रदेश नहीं चल सकता है । आज आवश्यकता इस बात की है कि नए परिप्रेक्ष्य में दूरदृष्टि से योजनाएं सामने लाई जाएं, जनसंख्या का जैसा विस्तार है उसको भी पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए । लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर जब हम उतरते हैं, तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों साल पहले जो यह स्टेशन बनाया गया था, इसके पीछे अंग्रेजों की, बनाने वालों की कितनी बड़ी परि-

कल्पना थी कि इतनी बड़ी आबादी बढ़ने के बावजूद, उसमें कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती है । इसके विपरीत आज जब हम अपने यहां की स्थिति के संबंध में देखते हैं, तो वह बहुत ही शोचनीय और निराशाजनक है । आज हर जगह पर यही स्थिति है । ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा चिन्तन सड़ गया है ।

मान्यवर, अब इस बजट में क्या कटौती करें । इसमें कटौती करने के लिए क्या है । इसमें जो धन सरकार स्वीकार करा रही है, मैं समझता हूं कि उसकी भी आवश्यकता नहीं है, जो स्थिति यहां की है । आप अभी आवास और नगर विकास के संबंध में लम्बी चौड़ी चर्चाएं कर रहे थे और अपनी तारीफ भी साथ में कर रहे थे । नगर विकास का काम क्या है ? नगर महापालिकाएं, नगर पालिकाएं नगर विकास का जो काम देखती थीं, उनका काम तो अब रह नहीं गया है । पानी चला गया है जल निगम और जल संस्थान के पास । सीवर चला गया है जल संस्थान के पास और भवन व नगर विकास चला गया है प्राधिकरण के पास । और स्कूली शिक्षा चली गई है बेसिक शिक्षा परिषद् के पास । अब आपके पास रहा ही क्या है ? मान्यवर, बस एक रह गया है टोल टैक्स, उसको अधिकारी कर्मचारी बांटकर खा जाते हैं जो कुछ काम हो रहा है वह विकास प्राधिकरण के माध्यम से हो रहा है उसकी स्थिति को देखें, इनके प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण जो हैं वह गरीब किसानों का खून पी रहे हैं, जैसे अजगर धरती के नीचे रहकर जमीन में से हवा खींचता है उसी तरह से विकास प्राधिकरण के अधिकारी अजगर की भांति गरीब किसानों का खून पी रहे हैं ।

मान्यवर 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सात कालोनियों की भूमि की अधिग्रहण की कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया, जहां से मंत्री जी चुनकर आये हैं। इसके बावजूद भी अधिग्रहण किया जा रहा है। समझ में नहीं आता कि क्यों यह ऐसा कर रहे हैं। आपने 1973 में मास्टर प्लान बनाया। 1976 में केन्द्रीय सीलिंग अधिनियम शुरू हो गया है मान्यवर, 1980 में म्यूनिस्पल कारपोरेशन बनाम किशनदास का मुकदमा दायर हुआ उसमें यह पाया गया कि जब तक भूमि का प्रयोग निर्दिष्ट न हो तब तक भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में एक मुकदमा चला। 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम भगवत, उसमें निर्णय दिया गया कि जब तक भूमि का अन्तिम उपयोग निर्धारित न हो जाए तब तक भूमि अध्याप्त न की जाए। मान्यवर, जोनल प्लान नहीं बना और मास्टर प्लान दौड़ रहा है। जोनल प्लान कहीं नहीं है। भयंकर स्थिति है जहां भूमि अधिग्रहण की जा रही है वहां कोई नियम कोई कायदा इस पर लागू नहीं होता है। अभी उस दिन मान्यवर आगरा की भूमि अधिग्रहण का मामला में सदन में उठा रहा था। आगरा में मास्टर प्लान 1974 में बना उसमें दो हजार तक की भूमि को मास्टर प्लान में दिया गया कि विकास किया जाएगा लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। और 2001 की भूमि को ले लिया है मास्टर प्लान में जिस भूमि को दिखाया गया हरित पट्टिका के नाम से, तो हरित पट्टिका की धारा और नियम जो हैं उसमें यह प्राविधान है कि हरित पट्टिका जब तक शासन के द्वारा आवासीय योजना में परिवर्तित नहीं की जाती तब तक हरित पट्टिका में कोई जमीन नहीं ली जाएगी। किसानों की हरित पट्टिका की जमीन अधिग्रहण की जा रही है और अधिग्रहण करके किसानों को दो हजार और तीन हजार बीघा का दाम दिया जा रहा है आप चाहें तो इसमें इन्क्वायरी करा लें

आगरा की ताज नगरी योजना चल रही है उसमें तीन प्लाटों का आवंटन हुआ है बड़े-बड़े होटलों के लिए ताज नगरी योजना आवासीय योजना में जिन होटल मालिकों ने यह जमीन खरीदी है उन्होंने अधिकारियों को जो दाम दिए हैं उसका चौथाई दाम भी नहीं दिखाया गया है उन्होंने अपना इन्कम टैक्स बचाया और अधिकारियों ने उससे अपनी जेबों भरी। इस तरह से धांधली हो रही है शहरों के नागरिकों को और सामान्य जनता को सस्ती दर पर मकान नहीं मिल पा रहे हैं और अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। न इन योजनाओं का लाभ किसानों को मिल पा रहा है और न योजना का लाभ नागरिकों को पहुंच रहा है इन योजनाओं का फायदा बड़े-बड़े अधिकारी उठा रहे हैं और वह गरीब जनता का खून पी-पी कर जंगली सुअर और सांड़ की तरह मोटे हो रहे हैं। लेने वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा है देने वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा है लेकिन अधिकारी जरूर बीच में फायदा उठा रहे हैं।

अगर आप आंकड़े देखें तो बड़ी हैरानी होती है। अधिकारियों के कारनामों से पूरा प्रदेश गर्क में जा रहा है। आप देखें कि ज्यादातर जो योजनायें होती हैं वह अपने लक्ष्यों के चरण तक नहीं छू पाती हैं लेकिन कुछ योजनायें ऐसी हैं जो लक्ष्य से ऊपर पहुंच गयीं हैं। यह वह योजनायें हैं जिनमें परसेन्टेज निश्चित होता है। जिन योजनाओं का परसेंटेज निश्चित होता है वह सब योजनायें लक्ष्यों को पूरा करके पंख लगाकर आगे बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि भूमि अधिगृहण के लिये 6ठी योजना में 41 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था और खर्च हुआ है 56.82 करोड़ रुपये। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य को इसलिये पार कर लिया गया है क्योंकि इसमें अधिकारियों का परसेंटेज निश्चित है। इसी तरह से 15650 भवन बनने थे और बने 27803। इसी तरह से 2 हजार हेक्टेयर भूमि का विकास करना था लेकिन हुआ 2092 हेक्टेयर का। तो यह आंकड़े अपने लक्ष्यों को पीछे छोड़ते हुये पंख लगाकर उड़ते जा रहे हैं इसका कारण क्या है इसको मंत्री जी को सोचना चाहिए। क्या माननीय मंत्री जी आपको कभी यह सोचने का मौका मिला है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण यह है कि इन योजनाओं में अधिकारियों को मुनाफा बंधा है इसलिए लक्ष्य से आगे निकल गये हैं। जबकि अन्य योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के चरण भी यह नहीं छू पाते हैं। जहां पर अधिकारियों की व्यक्तिगत जेब भरती है, मुनाफा होता है उसमें वह एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और लक्ष्यों के ऊपर पहुंच जाते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी जगहों पर जहां लक्ष्य पूरे हो गये दिखाये जाते हैं वह वास्तव में पूरे नहीं होते हैं केवल कागज पर पूरे कर दिये जाते हैं और आंकड़ों की खेती करके आंकड़ों की फसल उगायी जाती है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो भूमि अधिगृहण की कार्यवाही की जा रही है इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि धारा 4 और धारा 6 की कार्यवाही एक साथ नहीं हो सकती। मान्यवर, आगरा में भूमि अधिगृहण में मनमानी की जा रही है, नियमों और कानून का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आगरा के बिचपुरी विकास खंड के गांव मोहम्मद पर, दहतोरा, लखनपुर, सुगारी तथा बरौली वि0 खंड के गांव तोरा, बसई, नगला मेवाती, चमरौली, आदि

गांवों में भूमि अधिगृहण के लिये दफा-5 की कार्यवाही को बिल्कुल उड़ा दिया गया है। दफा-5 में किसानों से उनकी भूमि के अधिगृहण करने के संबंध में आब्जेक्शन मांगे जाते हैं और उनकी सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद कारण दर्शाये जाते हैं कि इस लिये आपकी जमीन इमरजेंसी काज के लिये अधिगृहीत की जा रही है। लेकिन वहां पर दफा-5 की कार्यवाही खत्म कर दी गयी है किसानों के आब्जेक्शंस लिये ही नहीं गये हैं। धारा-4 के बाद सीधे धारा 6 की कार्यवाही कर रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी यह सब क्या हो रहा है। मैंने इस चीज को पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं।

अगर किसानों के हित में आपके चिन्तन की एक कड़ी भी बाकी है, तो आप इस लैंड एक्वीजीशन की प्रक्रिया को खत्म करा दीजिए, वरना हिन्दुस्तान के प्रत्येक किसान के घर में एक-एक गहेन्द्र सिंह टिकैत पैदा हो जायेंगे और क्रांति का जो बीज अभी तक हमने पुस्तकों में लिखा और पढ़ा था, वह बीज किसानों के खेतों पर पहुंच जायगा। और जिस भूमि में अभी तक शस्य श्यामला, हरी-भरी फसलें पैदा होती थीं, वहां विद्रोह की चिनगारियां खेतों की बालों के रूप में फूट पड़ेंगी।

*श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, राणा साहब की आवाज तो वैसे ही बुलन्द है, वह इतने जोर से बोल रहे हैं कि उनकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं पड़ रही है और हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, अगर यह मंत्री जी कहे होते, तब तो ठीक-ठीक था।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राणा जी, आप जरा अपनी साउन्ड को थोड़ा नम करें।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, ये स्वभाव को नहीं बदल सकते। जिसके दिल में चोट लगी है, उस दर्द को वही जान सकता है, पीड़ा की अनुभूति उसी हृदय में हो सकती है, जिसने पीड़ा को स्वयं भोगा है। ये लोग तो स्वर्ण भवनों में पैदा हुए हैं, इन्होंने किसानों का दर्द न देखा है, न सुना है। इनके लिए मैं यही कहूंगा कि "सुख-दुख में उठता-गिरता संसार, तिरोहित होगा मुड़कर न कभी देखेगा, किसका हित-अनहित होगा"। जिसके शरीर के खून का एक-एक कतरा धूल भरे हुए खेतों में लुढ़क-लुढ़क कर बना है, किसानों की पीड़ा को वही पहचान सकता है। इनकी आदत बन गयी है, हर बात पर मजाक करना, दांत फाड़ना और बेशर्मी से हिनहिनाना। जो दूसरों की पीड़ा पर मजाक करते हैं, जो दूसरों के दर्दों से मनोरंजन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं क्या कहूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राणा जी, आप विषय पर आयें।

(व्यवधान)

कृपया शांति बनायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजय सिंह राणा–

इसके आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे लैंड एक्वीजीशन हुआ है, उसकी सारी कार्यवाही बिल्कुल विचित्र-विचित्र ढंग से हो रही है । मेरे क्षेत्र में जहां का मैं खुद भुक्तभोगी हूं, जो जमीन नहर के पानी से सींची जाती है, उसको असिंचित दिखाया गया है और नहर से लगी हुई जो जमीन है, जिसको एक-एक इंच में नहर का पानी जाता है, उसको असिंचित, ऊसर, बंजर और बीहड़ दिखाया गया है और किसानों को 3 हजार रु0 बीघा का दाम देकर उसकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है और खुद उसी जमीन को 1 हजार रुपया प्रति मीटर के हिसाब से बेंच रहे हैं । यह मान्यवर, बड़ी भयंकर स्थिति है । भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही जो अब तक की गयी थी, उसका पूरा विकास हो जाना चाहिए था । वहां पर पार्क, स्कूल, अस्पताल, सड़क, पोस्ट आफिस आदि बनाने हैं, वे सब बना दिए जायं । जो जमीन अभी एक खाली पड़ी है, उसमें आवासीय कालोनी स्थापित कराई जाय और इस प्रकार से जो भूमि अब तक अधिग्रहीत की गयी है, उसका पूरा विकास हो जाना चाहिए । तब आगे बढ़ना चाहिए ।

विकास प्राधिकरण का कार्य केवल भूमि अध्याप्ति करके डाल देना और उसमें से भ्रष्ट अधिकारियों की मुनाफाखोरी और लूट को खुला आश्रय देना शासन के हित में नहीं है और न किसी शासक को इसकी छूट देनी चाहिए, मगर दुर्भाग्य है कि इस शासन की छाया में भ्रष्टाचार पल रहा है, लूट और रिश्वत खोरी खुले आम हो रही है और भ्रष्ट अधिकारी दोनों हाथों से खाते भर रहे हैं और यह सरकार आंख बन्द करके बैठी है । मैंने उस दिन विधान सभा में कहा था कि प्रदेश की सरकार यह पस्ताव लावे कि किसानों की जमीन की किसी भी स्थिति में अधिग्रहण करने की सभी प्रतिक्रियायें और व्यवस्थायें समाप्त की जाती हैं और प्राधिकरण चाहे, तो बाजार मूल्य पर उनकी जमीनों का क्रय करे । सिवाय जो राष्ट्रीय लेविल के या प्रान्तीय लेविल के जन विकास के कार्य हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, नहरें हैं उन कामों को छोड़कर किसी कार्य के लिए कोई भूमि अध्याप्ति न की जायेगी । बाजार की दरों पर क्रय करने का सबको अधिकार है, वह क्रय करें यह प्रस्ताव लायें अगर आप सहमत हैं तो प्रस्ताव ले आइये, किसान का बहुत उपकारी कार्य होगा । मान्यवर, इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पानी की व्यवस्था, सीवर लाइन की व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था, इन सब में क्या हो रहा है, पानी के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है । पानी के लिए उन्होंने एक योजना दी थी तो उसके हिसाब से मान्यवर, 1991 तक 247.50 करोड़ घन लीटर पानी की आवश्यकता होगी इससे 70 से लेकर 400 लीटर तक प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1991 तक 247.50 करोड़ घन लीटर पानी की आवश्यकता होगी मान्यवर, यह तो पानी की आवश्यकता है । न मालूम और शहरों के आंकड़े क्या होंगे मैं आगरे का हिसाब दे रहा हूं आगरे को 163 मिलियन लीटर पानी की नित्य आवश्यकता है और उसके विरुद्ध आप सप्लाई दे रहे हैं 43 मिलियन लीटर कोई गणित का आदमी हो तो इसका हिसाब लगाकर बता दें कि कितना अनुपात पड़ा, आप बताइये कि क्या है ।

अभी मंत्री जी ने घोषणा की कि मथुरा में बैराज बनाया जा रहा है, हमारा पड़ोसी जिला है हमारे उनके रिश्ते हैं, वहां बनाया जा रहा है तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आगरा के बैराज का क्या हुआ ? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बीर बहादुर सिंह ने यहां पर यह कहा था कि गोकुल के बैराज का स्थापना दिवस और आगरा के यमुना नदी का स्थापना दिवस एक साथ होगा । गोकुल बैराज का तो उद्घाटन कर आये और उसमें ये चिड़ियाखाने के पक्षी भी ले गये थे। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी की जेब में रखे हुए हैं कि जहां चाहते हैं इनको साथ लेकर चले जाते हैं । (व्यवधान)

मान्यवर, जब यह बात तय थी कि साथ-साथ बनेगा तो क्यों आपने नहीं बनाया । गोकुल पर बैराज बनेगा तो वहां पानी मिल जायेगा मथुरा से आगरा को मिलने का सवाल नहीं है । मान्यवर, अगर मैं आंकड़े देने लगूं तो पूरा समय इसी में निकल आयेगा इसलिए आकड़े नहीं दूंगा ।

मान्यवर, हम ऋणी हैं उस अंग्रेज के जिसने आगरा कैनाल की योजना देकर वहां के लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया एक अकेली आगरा कैनाल ही ऐसी है जिसके सहारे आगरा और मथुरा की जनता जीती है इस आगरा कैनाल को पहले जानी एस्केप से पानी मिलता था और जब खतौली एस्केप से पानी मिल रहा है जानी मेरठ में है और खतौली मुजफ्फर नगर में है । जानी एस्केप के बारे में इंजीनियरों और ठेकेदारों के बीच में कुछ विवाद है इसलिए उस पर पुनर्निर्माण का जो कार्य चल रहा था वह इस विवाद के कारण उलझ गया और यही कारण है कि 10 वर्षों से इस एस्केप का पानी नहीं मिल पा रहा है । जानी एस्केप से हमको 2200 क्यूसेक पानी मिलता था और खतौली एस्केप से 900 क्यूसेक जो अब बढ़कर 1100 क्यूसेक हो गया है, पानी मिलता है । खतौली जानी से करीब 200 कि0मी0 दूर है इसलिए पानी की डेमेजेज भी ज्यादा होती है और मात्रा में कम पानी वहां से मिल पाता है इसलिए हमारी समस्या और बढ़ गयी है । यही नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त को मुख्यमंत्रित्व काल में दिल्ली सरकार के साथ समझौता करके हमारे हिस्से का 80 क्यूसेक पानी बिना किसी मुआवजे के दिल्ली को देना स्वीकार कर लिया था जो अब बढ़कर 200 क्यूसेक हो गया है तो एक तो हमारे पानी में कटौती हो गयी है और दूसरे डैमेजेज भी बढ़ गया और तीसरे दिल्ली हमारे पानी का शोषण कर रहा है । यही नहीं हमारी नहर हरियाणा से होकर जाती है और हमारे पानी का 65 प्रतिशत पानी हरियाणा ले लेता है इस प्रकार से हमारा हर प्रकार से शोषण हो रहा है और हम एक-एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं यह प्रदेश की सरकार दिल्ली की गुलाम, दत्तक पुत्र और जेब में रहने वाली सरकार है और आगरा और मथुरा पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं । आप कहते हैं कि मांट बांध से पानी देंगे, हमको 2200 की जगह केवल 900 क्यूसेक पानी मिल रहा है । आप मांट से व्यवस्था कर भी देंगे तो हमारी पूर्ति नहीं हो सकती । हम कहते हैं कि बैठिये, बात कीजिए तो आपके पास समय नहीं है । हम कहते हैं विचार कीजिए, आपके पास समय नहीं है । जो योजना सरकारी अधिकारी बनाकर आपको देते हैं, आप दस्तखत कर देते हैं। हमसे राय नहीं लेते और वहां से जो योजना

आ जायगी उसी पर विश्वास कर लेंगे, हमारा कहीं पर विश्वास नहीं करते । परसेंटेज वहां भी बंधा है और यहां भी बंधा है कोई काम नहीं होने पाता है। इन्होंने घोषणा की थी इसी सदन में. . . . .

श्री अधिष्ठाता–

राणा जी कितना समय और लेंगे ?

श्री विजय सिंह राणा–

मा0 पद्मा सेठ मंत्री थीं, यहीं पर खड़ी हुई थीं, उन्होंने कहा था कि हम यूनेस्को की सहायता से 1981 से लेकर 1990 तक के बीच में पूरे प्रदेश को स्वच्छ जल उपलब्ध करा देंगे । यह घोषणा की थी आपकी पूर्व मंत्री श्रीमती पद्मा सेठ ने । अब आप बतायें, मंत्री जी कहते हैं कि हम लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं । मैं झूठे आंकड़ों में विश्वास नहीं करता। जरा भी सच्चाई है तो कोई मंत्री बता दे कि स्वच्छता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का जो मानक है बायोकेमिकल आक्सीजन डिमाण्ड, केमिकल आक्सीजन डिमाण्ड और एम0 पी0 एन0 इन्डेक्स का, क्या आपका पानी उस मानक के अनुसार है। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि यह जो अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड है, उसके हिसाब से चौथा, आठवां, दसवां हिस्सा, किसी में आप ठहरते हैं तो मान लूंगा कि पानी साफ हो गया । जहां 21-21 लाख होना चाहिए, वहां 1500-1400 मिलता है। तो यह जो अन्तर्राष्ट्रीय मानक है, आप उससे जांच करावें । आपके झूठे आंकड़े नहीं मानूंगा । अगर अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मिल जाय तो आपकी बात मान लेंगे । मान्यवर, आगरा के सभी साथी बैठे हैं, पता नहीं क्यों इनको लकवा मार गया है । आगरा के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। आगरा में अभी से नल के पानी में कीड़े आ रहे हैं। हमारे साथी, आगरा नगर में रहते हैं, पूछ लें। पानी सड़ रहा है, कीड़े पड़ गये हैं। आगरा में एक बूंद पानी नहीं है। जो पानी आता है, आगरा मथुरा को मिलता है, वह दिल्ली का डिस्चार्ज का पानी है। जो पानी समझौते के अनुसार मिलना चाहिए, यह भी नहीं मिल रहा है। जब 80 क्यूसेक पानी दिल्ली को देने का समझौता हुआ था, वह डिस्चार्ज का पानी आगरा, मथुरा को मिलना था, लेकिन उसके बाद दिल्ली में जमुना में दो बैराज बना लिए, क्यों बना लिए। दो बैराज बना लिए और उसके बाद जो डिस्चार्ज का पानी भेजते थे, उसका भी उपयोग यमुना की तलहटी में उद्यान लगाकर उनमें उपयोग कर लिया अतः अब हमें बहाव का एक बूंद पानी नहीं मिल पा रहा है । आप आगरा मथुरा की बात करते हैं, मैं सच्चाई कहूंगा तो ऐसे कुछ अप शब्दों का प्रयोग होगा जो ससदीय गरिमा के अनुकूल नहीं होगा, परन्तु मुझे यथार्थ कहना ही पड़ेगा । और आगरा की जनता पानी के नाम पर जहर पी रही है, मल मूत्र का मिला हुआ पानी पी रही है । एक बूंद बहाव का पानी और शुद्ध पानी नहीं पी रही है । इसे मुझे कहने में दुख है पर जो सच्चाई है उसको मुझे कहना होगा । अब माननीय डाक्टर कौशल मंत्रिमंडल में पहुंच गये, अब हमारा उनका नाता टूट गया जब हमारी तरह इधर बैठते थे तो वह भी कई साल रोये इस समस्या को अब वह समस्याओं से दूर हो गये। कार के ऊपर जो लाल बत्ती लगती है उसमें इतनी ताकत है कि वह सारे खून को ऊपर से नीचे तक गरम कर देती है इसलिये नाता टूट गया है।

आगरा में सीवर की समस्या है, यह पूरे प्रदेश में समरूप है। वर्ल्ड बैंक की स्कीम के अन्तर्गत अगर हैण्ड पम्प की सहायता नहीं दी जाती तो आप जरा सोच-कर देखिये कि क्या स्थिति होती है। पानी की टंकी बनाने के लिये जो सहायता जल निगम को डच गवर्नमेंट से पुर्तगाली सरकार से मिली है, वर्ल्ड बैंक से मिली अगर यह सहायताएं न मिली होतीं तो आपकी क्या दुर्गति हुई होती आप खुद इसका अंदाजा लगा लें । यह कुछ भी तो नहीं कर पाये । सीवर की जो बात है, सीवर के लिये एक प्लांट बनना चाहिए उसमें जो नाले हैं नालियां हैं उनके लिये सारी की सारी व्यवस्था होनी चाहिये । सीवर की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है पानी के बहाव का डिजाइन नक्शा नहीं है वह जहां का तहां अवरुद्ध है । काम करने का तरीका यह है कि सीवर लाइन के अन्तर्गत कहीं पर भी योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं होता है । आगरा में 8 नाले निकलते हैं जिसमें पूरे आगरे की नालियों का बहाव 8 नालों में गिरता है । सन् 1972 में शाहजहां पार्क में बहुत बड़ा फिलिंग स्टेशन बन गया जहां से पानी निकालने की व्यवस्था थी । उसमें डालकर पानी खेती के लिये दिया जाता था । आपको सुनकर ताज्जुब होगा, माननीय वर्मा जी का गांव उससे सींच में आता था, उस नाले में 24 गुले निकलती थी पानी देने के लिए जो किसानों को खेती के लिए पानी दिया जाता था । अब राज्य मंत्री जी पूछ रहे हैं कि कितने गूले ? मुश्किल तो यह है कि आप गूल खिलाने वाले हैं, गुल क्या जानें । कौशल जी के नीचे वह सीवर लाइन है, 24 गुलें निकलती थीं सन् 1972 में आज 1989 है, 4 गुलें रह गयी हैं । जबकि आगरा की आबादी बढ़ गयी । पानी की खपत बढ़ी जब पानी की खपत बढ़ी तो नालियों का डिस्चार्ज बढ़ा और नालों में डिस्चार्ज बढ़ा । अगर उसी में सिस्टेमिटिक तरीके से काम किया गया होता तो आज उनकी गुलों की संख्या बढ़ी होती कम से कम 48 गुलें होनी चाहिये थी । बजाय बढ़ने के गुलें नष्ट हो गयीं और 4 गुलें रह गयीं । 4 गूलों में पानी चल रहा है । आज समस्याओं का क्या हिसाब है। मैं कहना चाहता हूं कि सीवर लाइन में यह स्थिति हो गयी है । मान्यवर, जितनी सीवर लाइन की संख्या बढ़नी चाहिए वह जगह-जगह टूट गयी हैं। सड़कों पर गड्ढे हो गये हैं और मान्यवर, वह पानी सीधा सड़कों पर आ रहा है । आज यह स्थिति सभी शहरों की है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, क्या मेरा टाइम खत्म हो गया ?

श्री अधिष्ठाता–

आपको 25-30 मिनट बोलते हो गये । राणा जी आप 2 बजकर 35 मिनट से बोल रहे हैं । अन्य सम्मानित सदस्य भी बोलेंगे । अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

(अन्य माननीय सदस्यों द्वारा बीच में टोकों)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्ति बनाये रखें तथा अपने आसन पर विराजें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मैंने आगरे को एक उदाहरण के रूप में पेश किया है । मुझे सारे प्रदेश के शहरों की जानकारी नहीं है, न ही मैंने सारे शहरों को देखा है । आज जो स्थिति आगरे में सीवर लाइन की है, पानी की है, पानी की स्वच्छता की है।

(सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा आपस में बातचीत करने पर)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इन लोगों को सहूर सिखाइये । मैं कह रहा था कि आप सफाई की स्थिति को किसी भी शहर में जाकर देख लें, पिछले 20 साल से सफाई कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुयी है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, नई-नई बस्तियां बढ़ रही हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की संख्या जहां की तहां है, मान्यवर, आप इसका पता लगा लें । ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने दूसरे-दूसरे डिपार्टमेंट्स में नौकरी कर रखी है और सफाई करने कभी नहीं जाते । दैनिक वेतन पर भी नियुक्तियां की जाती हैं तथा फर्जी मस्टर रोल बनाकर वसूली की जाती है । मैं आगरे के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं तमाम मोहल्ले ऐसे हैं, जहां के नागरिकों ने कभी झाड़ू लगते नहीं देखी । वहां पर 5–7 अस्पताल भी हैं, जहां न तो डाक्टर हैं, न नर्स है, और न दवायें ही हैं। कुल मिलाकर सारा का सारा इनका डिपार्टमेंट केवल लैंड एक्वीजीशन, किसान का शोषण, प्लाट बांटने, अधिकारियों की जेब भरने तक सीमित रह गया है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कटौती में जो एक रुपया दिया गया है, वह भी नहीं दिया जाना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हाफिज मो0 उमर–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज नगर विकास विभाग का बजट है और यह ज्यादातर महानगरों से सम्बन्धित होता है । आवास की जो योजनायें होती हैं वह भी महानगरों से सम्बन्धित होती हैं। सिंचाई, ग्राम विकास ऐसे विभाग हैं, जिनमें गांव के लोग बोल ही लेते हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि आज के इस बजट में नगरों से सम्बन्ध रखने वाले लोगों को ही ज्यादा मौका दें । उनके बोलने के लिये यह उचित बजट है ।

*श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, जल निगम जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी इसमें जुड़ा हुआ है । पूरे प्रदेश की पेयजल इसी विभाग से जुड़ी हुई है। इसलिये मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पीने के पानी के लिए कम से कम हम लोगों को बोलने का मौका दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कानपुर व माननीय सदस्य सीतापुर का सवाल नहीं है । सबको मौका दिया जायेगा । लेकिन जहां महापालिकायें व नगरपालिकायें हैं, उनको जरा मौका ज्यादा दिया जायेगा । (समय 3 बजकर 20 मिनट)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री महरम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिये मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं साथ ही कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैं जानता हूं कि नगर विकास मंत्री, राज्य मंत्री के नेतृत्व में समस्त अधिकारियों ने बहुत ही मेहनत से बजट को बनाया है और नगर विकास की समस्याओं की ओर पूरा का पूरा ध्यान दिया है । हम लोग जो रचनात्मक सुझाव देंगे, उनको पूरा करने में भी सरकार कोई कमी नहीं रखेगी । उत्तर प्रदेश सरकार का भी इरादा है कि जनता को सुविधायें दी जायं । अपने क्षेत्र फर्रुखाबाद की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । फर्रुखाबाद नगरपालिका मुख्यालय की नगरपालिका है । लोग जानते हैं कि हम नगरपालिका में नहीं रहते हैं ? उसमें बहुत सी ऐसी चीजों की कमी है जैसे रोड ग्रान्ट, लाइट ग्रान्ट और जनरेटर का अभाव, जिससे पानी तक मिलने में कुछ कठिनाइयां होती हैं, इसी प्रकार तमाम उपकरणों की आवश्यकता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि फर्रुखाबाद नगरपालिका को ये सभी सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाय । गुरुसहाय गंज को पिछले वर्ष नगरपालिका बनाया गया है । मान्यवर, आप भी भली भांति जानते हैं कि वह जी0 टी0 रोड पर स्थित है, परन्तु वहां पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है । उस नगर के बीच से एक नाला निकलता है, जिससे बहुत ही गन्दगी होती है, लोगों का वहां से निकलना दूभर हो जाता है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस नाले को ठीक कराया जाय तथा इस नगरपालिका को रोड ग्रान्ट व लाईट ग्रान्ट उपलब्ध कराई जाय । कमालगंज टाउन एरिया में भवन तक नहीं है, रोड नहीं है, इसलिए इस टाउन एरिया के लिये भवन बनाया जाय, रोड तथा लाईट हेतु ग्रान्ट उपलब्ध कराई जाय ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि नगरों में पानी का पर्याप्त अभाव रहता है, जिसे दूर करने के लिये नई टंकियां सरकार बनाती है । गुरुसहायगंज में पानी की टंकी बनायी जाय । फर्रुखाबाद नगरपालिका, गुरुसहायगंज, कमालगंज, टाउन एरिया में बड़े पावर के हैण्ड पम्प भी लगाये जायं उन सार्वजनिक स्थानों पर जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं । पानी के अभाव में बड़ी भगदड़ मचती है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नगरों में जहां भी ट्रकों, बसों का अड्डा है, इनसे यातायात में रुकावट पड़ती है । इसलिए जरूरी है कि इनका अड्डा शहर के बाहर बनाया जाय । ट्रकों का, प्राइवेट बसों का, रोडवेज की बसों का जरा कोई अड्डा कहीं नहीं है, कहीं न कहीं खड़ा कर देते हैं, जिससे अवरोध उत्पन्न होता है । इसकी तत्काल व्यवस्था की जाय । फर्रुखाबाद को गंगा प्रदूषण योजना में शामिल किया गया लेकिन नगर विकास विभाग की ओर से संचालन हो रहा है । अभी तक उचित मात्रा में सहायता नहीं मिली न कोई जानकारी करायी गयी । मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी । हमारी प्रार्थना यह है कि इस घोषणा के अनुसार फर्रुखाबाद के गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिये पर्याप्त मात्रा में प्रदेश और केन्द्र सरकार से धन दिलाया जाय ।

इसी के साथ ही माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का जोरदार समर्थन करता हूं और कटौती का विरोध करता हूं । अपने विरोधी मा0 सदस्य भाई से कहूंगा कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री विजय सिंह राणा द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय मंत्री जी ने ढाई अरब रुपये का बजट मांगा है । अगर यह रुपया शहरों, टाउन एरिया, नगरपालिका और नगरमहापालिका में रहने वाली जो जनता है, उसके विकास में लगाया जाता तो सचमुच बहुत काम हो जाता लेकिन इस रुपये का सदुपयोग की जगह दुरुपयोग होता है, जैसा कि पहले हमारा अनुभव रहा है । आज शहर की जो समस्यायें हैं, जो विकास कार्य है, सफाई का कार्य है, सड़कों के निर्माण का कार्य है, जो प्रदूषण हो रहा है, सीवर लाइन है, ये सारी समस्यायें शहरों से जुड़ी हुई हैं । ये समस्यायें ज्यों की त्यों हैं । हर शहर में यह हालत है कि खुली नालियों में पानी बहता है, सड़ता है, प्रदूषण पैदा होता है । प्रदेश में सीवर लाइन की योजना है ही नहीं । एक बनारस शहर है जहां पर सीवर लाइन बहुत बनायी गयी है । प्रदेश में बनारस शहर ऐसा है जहां की सीवर लाइन बहुत लम्बी है । अधिकांश नगरपालिकाओं और टाउन एरिया में तो व्यवस्था है ही नहीं । जहां पानी बह रहा है, बह रहा है । उसको निकालने की कोई योजना नहीं है। शहरों में गृह टैक्स और जल टैक्स बढ़ गया लेकिन उसके हिसाब से न तो पेयजल की व्यवस्था हो पा रही और न जो और समस्यायें हैं, उनको हल करने की दिशा में कोई योजना है ।

दूसरी बात सफाई का जहां तक प्रश्न है, हर शहर में जहां देखिये कूड़ा भरा हुआ है, उसको उठाने का, हटाने का कोई इन्तजाम नहीं है । बनारस शहर की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं जहां विदेशी पर्यटक आते हैं, गुदौलिया चौराहा शहर का दिल है । ठीक चौराहे के पास इतना बड़ा कूड़ादान है, इतना ढेर रहता है कि पूरी सड़क पर भरा रहता है और दुर्गन्ध इतनी उठती है कि दुर्दशा का बयान नहीं किया जा सकता है वहीं से हमारे विदेशी पर्यटक रोज निकलते हैं क्योंकि वहीं से होकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन को जाया जा सकता है । हमारे जो नगर प्रमुख हैं, नगर के मुख्य अधिकारी हैं, पहले तो इसका प्रशासन हुआ करता था, इन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है।

बनारस में मास्टर प्लान बनाया गया जिसमें गरीब किसानों की तमाम जमीन ले ली गयी, लेकिन आज तक कोई योजना नहीं बनी और बेचारे किसानों की जमीन की चकबन्दी भी नहीं हो पायी, कोई लाभ नहीं हुआ । जो किसानों से जमीन ले ली गयी अब उसे बड़े-बड़े लोगों को दे दिया गया जिस पर वे अपनी कोठियां बना रहे हैं, कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे तो दिया जो कि प्लाट बना कर लोगों को दे रही है । बनारस शहर में बड़े-बड़े लोगों के आवास बने हुए हैं और बहुत कम दामों में उनको यह प्लाट दिये गये हैं। वे आदमी अपने पेशे के बाद आकर

यही पर काशीवास करके अपने जीवन के अन्तिम दिन व्यतीत करते हैं । लेकिन जो गरीब लोग हैं, निर्बल वर्ग के लोग हैं उनकी मलिन बस्तियों को, उनकी आवासीय समस्याओं को दूर करने का इस विभाग ने कोई प्रयास नहीं किया है । आवास विकास परिषद् की हालत तो बहुत ही खराब है । इसका इतना गया गुजरा इन्तजाम है कि कह नहीं सकते । मान्यवर, आप ही उसके अध्यक्ष हैं, वहां पर इतना रुपया जमा है लेकिन जिनका रुपया जमा है उन्हें आज तक कोई मकान नहीं मिला है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, खान गुफरान जाहिदी एक सदस्य हैं और उसके बाद वहां के अध्यक्ष ।

श्री राज किशोर सिंह–

मैं चाहता हूं कि नगर विकास विभाग के मंत्री जरा इस ओर ध्यान दें । रैन बसेरा शहर में कहीं नहीं है जहां कि रिक्शा चलाने वाले, गरीब मजदूर जो कि आवास हीन हैं, अपनी रात वहां पर गुजार सकें । इसी प्रकार से महिलाओं के लिए कहीं कोई शौचालय या मूत्रालय नहीं है, वे बेचारी बहुत परेशान रहती हैं । पहले एक गुदौलिया में था लेकिन उसको भी तोड़-फोड़ कर खतम कर दिया गया है ।

(व्यवधान)

आवास की समस्या भी गम्भीर है यद्यपि दिन प्रति दिन नये मकान बनते चले जा रहे हैं । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में गंगापुर एक टाउन एरिया है जिसे कोई अनुदान नहीं दिया गया है । एक-एक साल से वहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे हैं । वहां पेय जल का भी संकट है, मैं पूछना चाहता हूं कि फिर यह बजट का सारा पैसा कहां जाता है ?

दूसरा इस विभाग का गांवों में हैण्ड पाइप लगाने का काम है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राज किशोर सिंह, अब आप समाप्त करिये, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री राज किशोर सिंह–

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बजट की चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया है। माननीय मंत्री जी ने नगर विकास का जो बजट सदन में रखा है यह एक सुनियोजित और सन्तुलित बजट है इससे मालूम पड़ता है कि हमारे शासन के तमाम इरादे और हौंसले विकासोन्मुख हैं जैसा कि एक अच्छे, कामयाब, वेलफेयर स्टेट में किसी जम्हूरी शासन के होना चाहिये । मैं माननीय राणा जी के कटौती के प्रस्ताव को सुन रहा था, उन्होंने पूरे विभाग पर कोई

चर्चा नहीं की उन्होंने नहीं बताया किस मद में कम किया जाय या किस मद में ज्यादा किया जाय बस सिर्फ आगरा का जिक्र करने में ही वे लगे रहे । लगता था कि कोई प्रदेश का नेता नहीं बल्कि आगरा का विधायक, वह भी नहीं बल्कि आगरे का एक कारपोरेटर बोल रहा है और जब आगरे में इलाज नामुमकिन था तो ऐसी सूरत में बरेली अवश्य जाना चाहिए था ।

(हंसी)

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि आवास एवं नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग के लिए जो बजट हमारी सरकार की तरफ से रखा गया है, अगर इस पैसे को दूना कर दिया जाए तब भी कम है क्योंकि नगरों व शहरों में प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास की आज बहुत जरूरत है, और इनमें आज ऐसे तमाम मसले हैं, जिनको आसानी से हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में अब तक जो प्रयास माननीय मुख्य मंत्री जी ने, आवास एवं नगर विकास मंत्री व अन्य सभी राज्य मंत्रियों ने किए हैं, उसके लिए यह सभी बधाई के पात्र हैं । वैसे हम लोगों के जो क्षेत्रीय मसले होते हैं, ऐसे मौके पर जब कुछ क्षेत्रीय विधायक द्वारा कुछ कहा सुना जाता है तो उससे काफी फायदा भी होता है और उसे कुछ धनराशि मिल भी जाती है, विकास के कार्यों के लिए, जिस तरह से आगरा के बारे में माननीय सदस्यों ने पीने के पानी के बारे में बताया, इसी तरह का बड़ा पानी का मामला हमारे यहां का भी है जितने क्यूसेक मिलियन लीटर पानी मिलना चाहिए था वह हमें नहीं मिल पा रहा है . . . (व्यवधान) पानी की जितनी सप्लाई होनी चाहिए हमारे वहां उतनी नहीं हो रही है, और जैसी सम्भावना है, अगर यह सप्लाई आधी कर दी गयी तो हालत और भी बुरी होगी, जिस तरह से मुहल्लों में लम्बी-लम्बी लाईनें लगती हैं और उनसे जो समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसे देखा नहीं जाता है, अगर समय रहते इस समस्या पर ध्यान न दिया गया और कुछ हैण्ड पाइप इत्यादि न लगाये गये तो समस्या और जटिल होगी ।

एक मसला हमारे यहां गंगा बैराज का बहुत दिनों से चल रहा है, जिसका टलना धीरे-धीरे मुश्तिकल एक मसला ही बनता जा रहा है और कोई हल सामने नहीं आ रहा है । इस बारे में एक सेन कमेटी और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की भी एक और कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि कानपुर जैसे बड़े शहर के पानी के मामले का हल बगैर इस बैराज के बनाए, नहीं हो सकता है, इसका बनना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बजट में भी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, जो बहुत ही अफसोस की बात है, सिर्फ इतनी बात कही गयी है कि अगली पंचवर्षीय योजना में इस बैराज को लिया जायेगा ।

साथ ही मान्यवर एक बड़ा मसला हमारे यहां के0 डी0 ए0 से सम्बन्धित है । 18–19 कालोनियां हमारे यहां ऐसी हैं, जो क्रमशः 4, 6 व 8 साल से बनी हुई पड़ी हैं, जिसमें पानी व्यवस्था, सीवर व बिजली आदि व्यवस्थाएं न होने के कारण लोगों को दी नहीं जा सकी हैं, बावजूद यह कि लोगों के पैसे भी जमा हैं, फिर भी उनको वह कालोनियों के मकान दिए नहीं जा रहे हैं, जिससे लोगों में काफी असंतोष व्याप्त है . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

बैठिए हाफिज मो0 उमर साहब, हो गयीं आपकी बातें ।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

मान्यवर, हमारा शहर बहुत बड़ा है, उसी हिसाब से उस में मसावल भी हैं, एक-एक मिनट में यदि कहा गया तो भी कम से कम 5 मिनट और लगेंगे...

मान्यवर तो मैं कह रहा था जिस तरह से हमारा शहर बड़ा है, उसी हिसाब से हमारी जरूरतें भी हैं । ग्यारह सौ कि0 मी0 तारकोल की सड़क हमको दी गई और 20 किलो0 मी0 हाट मिक्स की रोड यह तो कम से कम दूनी की जाए और दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा शहर एक इण्डस्ट्रियल राजधानी है, यहां पर रोड प्लान स्कीम में एक प्रकार से जो पैसा दिया जाता है साल भर में वह सड़कों के निर्माण के लिए बहुत कम है उसे बढ़ाया जाना आवश्यक है । मान्यवर, वहां अभी पिछले साल हम लोग मिलकर माननीय नगर विकास मंत्री जी से मिले थे और उनको प्रतिवेदन दिया था और 500 हैण्ड पम्पों मार्क 2 की मांग की थी और पता चला कि विश्व बैंक के माध्यम से कोई परियोजना चालू की जाने वाली है, जिसके माध्यम से 100–200 हैण्ड पम्प्स का इन्तजाम हो जायेगा लेकिन वह परियोजना अभी तक नहीं आयी है । पानी के मसले को लेकर अगर कोई प्रभावी कदम न उठाया गया, तो बड़ी समस्या आ सकती है । माननीय मंत्री जी हम सब को और वहां आप वहां के अधिकारियों को बुला लें और सीवर तथा पानी के मसले पर विस्तार से विचार करें और इसके लिये कोई योजना प्रस्तावित की जाये और उसको बहुत तेजी के साथ लागू किया जाये । तभी यह मसला खतम होगा । हमारे यहां पर जो अस्पताल हैं, डिसपेंसरियां हैं, उनका इन्तजाम ठीक नहीं है । वहां पर डाक्टर नहीं होते हैं, जिससे मरीजों को बड़ी परेशानी होती है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका विरोध करता हूं ।

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, अनुदान संख्या 2 और 3 के सिलसिले में जो धनराशि स्वीकृत करने के लिये माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह धन-राशि कैसे, कहां, कब और कितने तरीकों से खर्च होगी । यह सारे मसले एक्ट के तहत होने हैं । आज देखना है कि राणा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, वह क्यों रखा है और कटौती करना क्यों जरूरी है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बजट में कटौती करना इसलिए जरूरी है कि जो एक्ट है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरे समय का ख्याल रखें, बीच में बड़बड़ होती है, उस समय को मेरे समय से माइनस कर देंगे । माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो स्वायत्त शासी संस्थायें हैं, इनको अंग्रेजों ने कायम किया था । जब देश आजाद हुआ, तो 1916 में बने हुये नगरपालिका अधिनियम के बारे में यह सोचा जा रहा था, लोकतांत्रिक प्रणाली चालू होगी । स्वराज आया है, तो उस अधिनियम को बदला जायेगा और इस तरह से बदला

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जायेगा कि स्वायत्तशासी संस्थाओं को जो पुराना आइडिया सिटी स्टेट्स का था, उसके हिसाब से काम करेंगे । 1916 का जो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है, उसमें जितनी तरमीम हुई है, हमारे इस देशी शासन काल में, उन सब में बजाय उनमें आजादी का असर होता, उनमें ब्यूरोक्रेसी का ज्यादा से ज्यादा दखल लाने की कोशिश की गयी है । एक लम्बी लिस्ट है, लेकिन गौर से देखें, तो धारा 9, धारा 31, धारा 30 और धारा 32, पूरी लिस्ट है । अधिनियम वाली किताब है, उसको आप देखें । तो कहीं से नहीं मालूम होता कि डेमेक्रेटिक स्टेट, लोकतांत्रिक अधिकारों को देने वाला अधिनियम है ।

इसमें अगर माननीय मंत्री जी ने आज बेसिक परिवर्तन की बात की होती, तो हम समझते कि वह धनराशि मांगने के अधिकारी हैं और यह कटौती का प्रस्ताव न पेश होता । नगरपालिका के जिन अध्यक्षों का चुनाव डाइरेक्ट कराया जाता है, प्रधानों का चुनाव जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से इनका भी होता है । लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये वही पद्धति रखी है कि आधे मेम्बर जिधर हो जायेंगे, उधर वह पास हो जायेगा । प्रधानों वाली नीति अपनानी चाहिये । अगर डाइरेक्ट चुनाव हुआ है, तो उनका अविश्वास का प्रस्ताव भी जनता द्वारा होना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि इन्होंने सर्विसेज के दो तरीके बनाये हैं । एक बोर्ड के लोगों का और एक सेन्ट्रलाइज्ड सर्विसेज का । ठीक है, बहुत अच्छी बात है । आप सेन्ट्रलाइज सर्विसेज को ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में रखना चाहते हैं । माननीय मंत्री जी जो गांधी वादी विचारधारा के हैं उन्होंने इस नीति को अपनी बुद्धि से नहीं बनाया है । ब्यूरोक्रेसी यहां पर हावी है और उसने अपने को और ताकत देने के लिये इस नीति में तरमीम करायी है । ब्यूरोक्रेसी द्वारा बनाया हुआ ही उनका भाषण है । उनको एलान करना चाहिए था कि जहां इतनी सर्विसेज हैं जिनको आपने सेन्ट्रलाइज कर दिया है, उनके अधिकार भी नगरपालिकाओं को दिये जायेंगे । उनको एलान करना चाहिए था कि अगर कोई दिक्कत हो तो जितनी ऐसी सर्विसेज हैं नगरपालिकाओं के अधीन, हम उसको भी वैसे ही तनख्वाह देंगे जैसे प्राइमरी स्कूल के मास्टरों को दी जाती है । नगरपालिकाओं के पास जो आय के स्रोत हैं वह है टोल टैक्स, वाटर टैक्स और हाउस टैक्स । इसके अलावा और कुछ नहीं है और आप सारे काम उनसे लेंगे । इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मेरा पहला सुझाव यह है कि आप यह अधिनियम जिसके तहत ये नगरपालिकायें चल रही हैं उसको लोकतांत्रिक बनाइये । इसे ब्यूरोक्रेट्स के अख्त्यारात से निकालिये और खास तौर से धारा 30 से लेकर धारा 69 तक जितनी धारायें हैं उनमें लोकतांत्रिक तब्दीलियां लाइये ।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आपको जो परेशानी आई0ए0एस0 अफसरों के साथ कार्य करने में हो रही है वही दिक्कत नगरपालिकाओं को और उसके मेम्बरों को सेन्ट्रलाइज्ड सर्विसेज से हो रही है । इसलिए इसे आप तोड़िए । तीसरा मेरा सुझाव यह है कि जहां नगरपालिकाओं की डिस्पेंसरीज नहीं हैं जहां डाक्टरों की आवश्यकता नहीं है, वहां से आप उन डाक्टरों को वापस बुला लें । इससे नगरपालिकाओं पर आर्थिक बोझ अनावश्यक रूप से पड़ रहा है । चौथी बात यह है कि जहां बड़े

शहर हो गए हैं, आबादी ज्यादा हो रही है, जहां काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम है, वहां पर आप स्टाफ बढ़ाएं ताकि उनमें काम ठीक से हो सके । मान्यवर, पांचवीं और अंतिम बात कहना चाहता हूं । यह बड़ी अफसोस की बात है कि गांधी के नाम पर शासन करने वाले आप लोग नगरपालिकाओं से टोल टैक्स लगवाते हैं लेकिन शराब पर टोल टैक्स नहीं लिया जाता है । यह गांधी के नाम पर मद्य को बढ़ाने वाली यह दुराचार करने वाली सरकार है और कमीशन के बूते पर चलने वाली सरकार है । इसलिए शराब पर टोल टैक्स नहीं लेती है जिससे यह पता न चल सके रिकार्ड में न आए कि कितनी दारू शहर में आई । इससे इक्साइज की चोरी का मौका भी मिल जाता है शराब भी महंगी हो जाती है । इसलिए कम से कम एक रुपया प्रति लीटर प्रति बोतल शराब पर आप टैक्स लगाएं ।

जहां तक आवास विकास परिषद् का सवाल है, उसका चेयरमैन अगर कोई आई0 ए0 एस0 अधिकारी है तो उसको पूरा अधिकार है लेकिन अगर उसमें कोई राजनीतिक आदमी उसका चेयरमैन है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्दर हो, उसे कोई अधिकार नहीं है न उसे कैरेक्टर रोल इन्ट्री का अधिकार है और न ड्राइंग डिस्बर्सिंग का अधिकार है । जबकि आई0 ए0 एस0 चेयरमैन को यह अधिकार आपने दिया है । आई0 ए0 एस0 अधिकारी गाड़ी में घूमता रहता है, टहलता है और भत्ता बनाता है । इसलिए मेरा कहना है कि नगरपालिका के अध्यक्षों को और उसके प्रतिनिधियों को आप बेईमान न बनाएं । उनको भत्ता दीजिए ताकि वह अपना काम ठीक से चला सकें । जब नगरपालिकाएं अधिग्रहीत हो जाती हैं तो वही अधिकार आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को मिलते हैं और उन्हें तनख्वाह, भत्ता, धन का दुरुपयोग, कमीशन, बेईमानी और बदइन्तजामी का पूरा मौका मिल जाता है । इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर उन्हें बधाई देता हूं । माननीय मंत्री जी को और उनके अन्य दो मंत्रियों को जिन्होंने सफलतापूर्वक इलाहाबाद के कुम्भ मेले की योजना में नगर विकास विभाग की ओर से संचालन किया है और बड़ी सफलतापूर्वक डेढ़ करोड़ लोगों का आतिथ्य सत्कार किया है । श्रीमन्, मैं आज यह कहना चाहता हूं कि नगर विकास विभाग के पास मंत्रियों की और अधिकारियों की अच्छी टीम है । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं मिर्जापुर जनपद के लिए जब टैकनालाजी मिशन भारत सरकार को घोषित किया गया तो यह समझा जाने लगा था कि अब यहां पीने के पानी की समस्या समाप्त हो जायेगी लेकिन आज तक साढ़े तीन करोड़ रुपया टैकनालाजी मिशन से मिर्जापुर जनपद में खर्च हो चुका है और 5 करोड़ 40 लाख की एक और धनराशि भेजी जाने वाली है । यह भारत का पहला जिला है उत्तर प्रदेश में जहां टैकनालाजी मिशन के द्वारा 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए भेजी जा रही है । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मान्यवर, कि जिस समय टैकनालाजी मिशन का पैसा गया उस समय हमारे यहां कुल समस्याग्रस्त गांवों की सूची थी 5 सौ के लगभग अगर

इन 5 सौ को एक-एक लाख रुपया हैण्ड पम्प लगाने के लिए दे दिया जाता तो 5 करोड़ रुपए में सारी समस्यायें हल हो जातीं । लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि शासन द्वारा बताई गाइड लाइंस के अनुसार पैसा खर्च नहीं हो रहा है जिससे आज भी पूरे मिर्जापुर और सोनभद्र में पीने के पानी की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है । जनवरी में वहां कुएं सूख चुके हैं और गांवों में टैंकर लगाने की समस्या बनी हुई है । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पैसे का सदुपयोग करें तो पेय जल समस्या हल हो जायेगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जनपद सोनभद्र का राबर्ट्सगंज अस्थायी मुख्यालय घोषित किया गया है जहां सुलभ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री नरेन्द्र देव–

इसी तरह घोरावल, अहरौरा, चुनार में भी सुलभ शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं है । अतः तत्काल इस काम के लिए अनुदान दिया जाय और सुलभ शौचालयों की यहां पर व्यवस्था की जाय ।

दूसरी बात मैं हैदरगढ़ बाराबंकी के संबंध में कहना चाहता हूं । हैदरगढ़ के लिए 3 लाख रुपए देने की भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी ने घोषणा की थी । तीन साल हो चुके हैं आज तक वहां पैसा नहीं गया है और हैदरगढ़ में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वहां हैण्ड पम्प लगाए जायं । इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सबको समय मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी को बोलने दें उसके बाद गौरी भइया जी बोल लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यह स्वास्थ्य का बजट नहीं है नगर विकास का बजट है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप शान्ति बनाए रखें अब फिरोजाबाद अलग जिला बन गया है आगरा से जुड़ा हुआ नहीं है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो नगर विकास का बजट प्रस्तुत किया है और उस पर राणा जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है (व्यवधान) मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं हम यहां से बोल रहे हैं माननीय मंत्री जी आपस में बात कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी बुजुर्ग हैं लेकिन आपस में जिस तरह से हाथ मिला कर बात कर रहे हैं उससे हमारी बात कहां सुन रहे हैं...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य इधर से शान्ति बनाए रखें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

सदन जब तक व्यवस्थित नहीं होगा, मैं नहीं बोलूंगा ।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

. . .जो खेद का विषय है । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं नगर विकास विभाग को जो कार्य सुपुर्द किए गए हैं, वे हैं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, सड़कों में गली कूचों का निर्माण करना, सफाई करना, पानी भराव का निस्तारण करना और प्रकाश की व्यवस्था करना है । तो हम निवेदन करना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि क्या यह प्रकाश व्यवस्था करने में सक्षम हो गए, पानी भराव के निस्तारण में सक्षम हो गए हैं और जल निगम द्वारा जो हैण्डपम्प से पानी की व्यवस्था की गयी है वह कहां पूर्ण हो गयी है ? श्रीमन्, जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है तो स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के संबंध में आप पूरे प्रदेश के किसी नगर में चले जायं तो पायेंगे कि लोग नालियों में पाईप लाईन को काटकर पानी पीने का काम करते हैं जिनमें प्रदूषित जल भर जाता है, यह स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का परिणाम है । जो छोटी टाउन एरिया हैं उनमें गड्ढा करके पाईप लाईन से पानी लेते हैं । तो इस व्यवस्था की ओर सरकार ध्यान दे ।

मान्यवर, सफाई के संबंध में बताना चाहता हूं कि किसी नगर में जायें तो वहां कूड़े और टट्टी के ढेर पायेंगे ।

मान्यवर, सड़कों की बहुत ही दुर्व्यवस्था है और कहते हैं कि नगरों का विकास कर दिया है तो इससे बड़ा अफसोस होता है ।

स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारी आबादी का घनत्व बढ़ा है पुराने शहरों में और उनमें जो पाईप लाईन है वह एक या डेढ़ इंच पानी देती थीं लेकिन आज पानी का दबाव बढ़ा है इसलिए उस पाईप लाईन द्वारा पानी कम हो गया है । इसलिए नगरों में जो पुरानी पाईप लाईन हैं उनके स्थान पर नई पाईप लाईन की व्यवस्था करें । जितना नदियों के स्रोत से आप पानी लेते हैं वह स्वच्छता के नाम पर ब्लीचिंग पाउडर में भारी चोरी होती है । जहां टंकी से पानी शहरों में सप्लाई किया जाता है उसकी सफाई व्यवस्था दोषपूर्ण है । नलों में केंचुए निकलते हैं इससे शर्म से सर झुक जाता है । इसलिए इस संबंध में आप एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाकर नगरों में भेजें जो सर्वे कर अपनी रिपोर्ट दें कि पानी में केंचुए पड़ने के क्या कारण हैं ?

मान्यवर, जल की दो व्यवस्थाएं हैं । एक के अन्तर्गत जल निगम शहरों में जो हैण्ड पम्प लगाता है उसकी कीमत अधिक होती है और जल संस्थान जिनको लगाता

है वह सस्ते होते हैं । इस पर विचार करें । जल निगम द्वारा हैण्डपम्प लगाने पर जल्दी ही खराब हो जाते हैं तो इसका क्या कारण है । मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें आप एक इक्सपर्ट्स की कमेटी बनाकर सर्वे करायें ।

मान्यवर, हमारे फिरोजाबाद में पानी की निकासी की भयंकर समस्या है । जल निगम द्वारा पानी जो टंकी बनाकर सप्लाई किया जाता है उनमें 12 कुल चालू हैं और 7 खराब हो गए हैं । आबादी 4 लाख की है जिसको प्रति दिन 6 मिलियन लीटर पानी चाहिए लेकिन बहुत कम पानी दे पा रहे हैं । मैं चाहूंगा फिरोजाबाद की आबादी को ध्यान में रखते हुए 15 नलकूप दें तभी पेयजल समस्या का स्थायी हल निकल सकता है चूंकि जल का स्ट्रेटा नीचे गिरता जा रहा है । इसलिए जमुना नदी पर वाटर वर्क्स बनाकर फिरोजाबाद की पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

मान्यवर, शहर में एक नाला है जिसमें गंदा पानी जाता है । जबकि वहां 4 नालों की आवश्यकता है । कई सुझाव पहले रखे और फिर कहना चाहता हूं कि हमारे यहां चंदवार गेट के सामने 10 मोहल्ले हैं जो बरसात में पानी से घिर जाते हैं जिससे उनका संबंध फिरोजाबाद से टूट जाता है । एक नाला चन्द्रावल गेट पर बनवाएं, ताकि वहां की व्यवस्था ठीक हो सके । रसूलाबाद में, पूरब में भी कोई नाला नहीं है । वैसे ही पश्चिम में नाले की आवश्यकता है । उसमें भी एक नाला बने तो आवश्यक पानी की व्यवस्था हो सके । पानी निकलने की व्यवस्था हो जाए । वहां सीवेज जो 72 से बना है, उसमें चूड़ियां आदि के तमाम कैमिकल्स का पानी जाने से वह चोक हो गए हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस सीवेज को बन्द कराकर नया डलवाएं, उससे पानी निकासी की व्यवस्था का हल हो सकता है, वरना नहीं । अन्त में, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि सारे शहरों में जो नई आबादी शामिल हुई है, नए-नए गांवों में कालोनियां बनाई गई हैं, उनमें आप कोई भी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए हैं । फिर भी आप वहां के निवासियों से गृहकर और जलकर आदि वसूल कर रहे हैं, जो उनके साथ साफ ज्यादती है । तो इस संबंध में मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक उनको नागरिक सुविधाएं उपलब्ध न कराई जाएं, तब तक उनसे गृहकर या जलकर आदि न लिया जाए । इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, हमारी जनप्रिय सरकार ने जो आज नगर विकास विभाग का बजट रखा है, मैं उसके समर्थन में कुछ सुझाव रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, जो व्यवस्था, जैसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था आज इस देश में है, आज इन स्थानीय निकायों के माध्यम से हमारी सरकार ने इनके जो चुनाव कराए हैं, मैं इसके लिए अपनी प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं । आज इन निकायों में इस विभाग को संचालित करने में जनप्रतिनिधियों की जो भागीदारी बढ़ी है, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारा संबंध किसानों से है । मैं किसान परिवार से आता हूं । हमारे पास इस बात के एक नहीं अनेक प्रमाण हैं–चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे वाराणसी हो या आगरा हो और चाहे आवास विकास परिषद् हो या विकास प्राधिकरण हो, इन्होंने किसानों की जो जमीन अर्जित की है, उनको उस अर्जित भूमि का सही रूप से मुआवजा नहीं प्राप्त हुआ है । कानपुर में भी इस तरह की भूमि अर्जित की गई, किन्तु उसमें अभी किसानों को मुआवजा न मिलने के कारण, किसान लोग आन्दोलन-रत हैं । अत: मैं अपनी जनप्रिय सरकार से इस संबंध में मांग करता हूं कि सबसे पहले हमारे प्रदेश की जनप्रिय सरकार किसानों के हित में ऐसा कठोर निर्णय ले कि यह संस्थाएं–आवास विकास परिषद् और विकास प्राधिकरण किसानों की जो जमीनें लें उसका सही रूप में शीघ्र मुआवजा अदा किया करें । आप ऐसी व्यवस्था करें कि वह इसके लिए कानूनी तौर पर बाध्य हो जाएं ।

ऐसे ही मान्यवर, हमारे कानपुर नगर की बात देखें । वहां पर गंगा प्रदूषण योजना, जो केन्द्रीय सरकार की योजना है और जिसका निर्णय हमारे लोकप्रिय युवा नेता, युवा प्रधान मंत्री ने लिया है और जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं, के अन्तर्गत हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा निर्मित कराई गई सड़कें खोदी गईं और जो खराब हालत में अब भी पड़ी हैं । यदि उन्हें खोदना ही इन्हें था तो उनके बनाने की क्या आवश्यकता थी । यह सड़कें जिस माह बनवाई गईं, उसके अगले माह में ही वह सड़कें खोद डाली गयीं । मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, वहां एक वर्ष से सड़कें खुदी पड़ी हैं । कानपुर का वी0 आई0 पी0 रोड पूरी तरह खुदा पड़ा है, अब तक उसको बनवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है । मान्यवर, जल संस्थान और विकास प्राधिकरण अलग-अलग काम करते हैं, किन्तु उनमें सामंजस्य नहीं है । मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि इनमें परस्पर सामंजस्य स्थापित किया जाए । जब सड़कें निर्मित करनी हों तो जल संस्थान और सीवेज विभाग से पूछा जाए कि कहां सीवर लाइन ठीक कार्य कर रही है । सड़क बनवा दी जाती है दूसरे ही दिन हथौड़ा आदि सामान लेकर उन सड़कों को तोड़ दिया जाता है जिससे हमारे महानगर में रहने वाले निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है । मान्यवर, शिवराजपुर और शिवली दोनों टाउन एरिया में जो अनुदान घोषित किया गया

(व्यवधान)

था वह नहीं मिला है, वह दिलाया जाए । दूसरी बात जो मैथा और चौबेपुर है इसको टाउन एरिया घोषित किया जाए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना हूं, धन्यवाद ।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय विजय सिंह खशा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । मैं कुछ सुझाव नगर विकास के बजट पर देना चाहता हूं । नगर विकास से प्रदेश में नगर विनाश हो रहा है किसानों की भूमि अधिग्रहण की जाती है और उसका सही मुआवजा नहीं दिया जाता है । आवास विकास परिषद् हो या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विकास प्राधिकरण हो, प्लाटों की बन्दरबांट हो रही है । चाहे वह मुजफ्फरनगर हो चाहे गाजियाबाद हो । यह जमीनों का चार आने गज लेते हैं और बाद में इन्हीं जमीनों को चार हजार गज तक बेच दे रहे है । सही भुगतान किसानों को नहीं हो पा रहा है । सफाई कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं आप प्रदेश के किसी नगर में चले जाएं 1952-55 में जो सफाई कर्मी थे वही आज भी है तो किस प्रकार यह उनसे नगर की सफाई करायेंगे । मलिन बस्तियों के बारे में कहना चाहूंगा । मुजफ्फरनगर जनपद में कृष्णापुरी और प्रेमपुरी खादरवाला को मलिन बस्तियों में सम्मिलित किया गया है या नहीं ? यदि नहीं किया गया है तो इसको मलिन बस्तियों में सम्मिलित न करने के क्या कारण है ? इन दोनों को मलिन बस्तियों में सम्मिलित किया जाए और यहां का विकास किया जाए, यह मेरी मांग है ।

मान्यवर, पेयजल के बारे में कहना चाहूंगा ए0 आर0 बी0 में हमारे जिले के काजीखेड़ा ग्रामसमूह, मुंदभर ग्रामसमूह, मोहम्मदपुर रायसिंह ग्रामसमूह, सोरों ग्रामसमूह, काकड़ा ग्रामसमूह योजना स्वीकृत हुई थीं इसमें पैसा जिला सैक्टर प्लान से दिया गया । मुख्य अभियन्ता को सुविधा शुल्क नहीं दिया गया, इसलिए पेय योजनाएं फंसी हुई है । मान्यवर, 261 गांवों ए0 आर0 पी0 में अभावग्रस्त 1981 में घोषित हुए है । जिला मुजफ्फरनगर में शाहपुर बुढ़ाना विकास खण्ड मेरे क्षेत्र में पड़ते है वहां पानी की गम्भीर समस्या बनी हुई है । 1987 की सूची में केन्द्र सरकार ने इसको माना है उनको मान्यता दिलाएं ।

श्री श्रीनाथ सिंह जी बड़े सीधे आदमी है इन्होंने मेरे अनुरोध पर पेयजल की व्यवस्था अविलम्ब कराने के एम0 डी0 को निर्देश दिए है । जो योजनाएं है वह है हड़ौली ग्रामसमूह, पुरा ग्रामसमूह, गोयला ग्रामसमूह, टाण्डा माजरा ग्रामसमूह इन पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है जलनिगम में मिस्टर दयाल है चीफ इंजीनियर यह काफी भ्रष्ट है हर चीज में पैसा मांगते है वह चाहते है कि एम0 डी0 को परेशान करें और खुद एम0 डी0 बन जाएं । तो मेरा कहना है कि चीफ इंजीनियर पर अंकुश लगाया जाए । जिन योजनाओं में मंत्री जी ने आदेश दे दिए है उन पर तत्काल कार्य कराया जाए ।

मान्यवर, हमारे यहां के जो चेयरमैन है जिन्होंने मेरठ से अपना कार्य शुरू किया था मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपके भाषण का समय समाप्त हुआ ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसी के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां के जो समस्याग्रस्त, अभावग्रस्त ग्राम है उनमें पेयजल की सुविधा को उपलब्ध करायें । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, आपने कृपा करके मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं । मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और यह जो बेबुनियाद का कटौती का प्रस्ताव आया है इसका विरोध करती हूं ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि नगर विकास विभाग के केवल एक पक्ष को न देखें, इसके दोनों पक्षों को देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । नगर विकास विभाग द्वारा जो कार्य किये गये हैं उनको भी हमें देखना चाहिये । मान्यवर, वर्तमान सरकार के नेतृत्व में चुनाव हो चुके हैं कुछ जगहों पर रोके गये हैं जो हो जायेंगे इसकी मुझे आशा है । नगर विकास विभाग द्वारा एक बड़ी समस्या का बहुत अच्छी तरह से निदान हुआ है । सारे प्रदेश में आवास की एक समस्या थी जिन लोगों ने अपने घर बनाये थे, वह उनमें नहीं रहते थे, उनको किराये पर उठाकर एक आमदनी का एक जरिया बना लिया था और लोगों की मजबूरी में उन घरों में रहना पड़ता था । सरकार ने आवास विकास के माध्यम से और विकास प्राधिकरणों के माध्यम से भवनों की एक श्रृंखला फैला दी है जिससे आवास की समस्या का निदान हुआ है ।

मान्यवर, अभी मैंने परसों ही देखा है । लखनऊ विकास प्राधिकरण के जरिये इस सरकार के नेतृत्व में, गोमती नगर में 7-8 सौ घर बनाने थे लेकिन मंत्रिगण की सिफारिश से चतुराई से 7 सौ घरों की जगह साढ़े 4 हजार से अधिक घर उतनी जगह में बनाये जा रहे हैं इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देती हूं । इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि लखनऊ में जहां पर कालोनियां बनी हैं वहीं पर तमाम बाग बनाये गये हैं । लखनऊ शहर बागों का शहर रहा है । बागों को बनाने से लखनऊ की खूबसूरती बढ़ी है । लेकिन मैं क्षमा चाहती हूं कि एक दूसरा पक्ष भी है जिसकी ओर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में काम होने की आकांक्षा लोगों की है । जो पुरानी बस्तियां हैं जो पुराने मोहल्ले हैं वहां बहुत प्रयास किया गया है लेकिन अभी बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है । आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों के माध्यम से जिस अनुपात में काम हुये हैं उस अनुपात में पुरानी बस्तियों में काम नहीं हो पाये हैं । मान्यवर, कहा गया है कि–

रहिमन पानी राखिये, बिनु पानी सब सून,
पानी गये न ऊबरे मोती, मानुष, चून ।

तो मान्यवर, बहुत सी पुरानी बस्तियां ऐसी हैं जहां पर पानी की कमी है । पुरानी बस्तियों में अगर हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं तो मना नहीं करती हूं मुझे आपकी बात से अपनी बात मिलाने में कोई हिचक नहीं है कि वहां पर पानी की कमी है । इस पानी की कमी को पूरा करने की आवश्यकता है । मान्यवर, यह जो नगर विकास विभाग है इसका इतिहास मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं । 1956

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

में एक मास्टर प्लान बना था और उसमें एक योजना ननी थी कि शहर की सीमा 5 कोस बढ़ा दी जाय । पहले मान्यवर, कोस चला करते थे । उसके बाद शहर का हिस्सा 5 कोस और बढ़ा दिया गया । फिर 10 बरस बाद 5 कि0 मीटर और बढ़ा दिया गया। लेकिन इस बढ़ाने के पीछे कोई इस प्रकार की विकास की योजना अभी तक मेरी निगाह में नहीं आयी कि आखिर यह सीमा क्यों बढ़ाई गयी । मान्यवर, अगर उन बढ़ाये हुए गांवों में यह कालोनियां बनतीं आवास विकास द्वारा और विकास परिषद् द्वारा तो जो मलिन बस्ती का स्वरूप उभरकर आता है वह नहीं आ सकता था । मान्यवर, मैं सरकार से नम्रतापूर्वक कहना चाहती हूं कि जहां इस काम को करने की आवाज जिनके कानों में पड़ती है मान्यवर, विनम्र निवेदन से मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जिन मास्टर प्लान के रहते नगर विस्तार में गांव आ रहे हैं प्राय: उनकी उपेक्षा की जा रही है तो उनको उपेक्षित न किया जाय वहां भी योजना बनायी जाय क्योंकि वहां पर इन्सान रहते हैं और वह भी विकास की चेन से, कड़ी से जुड़ना चाहते हैं । मान्यवर, जहां तक सफाई की बात है जैसा कि हमारे कुछ भाइयों ने चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, ने कहीं, जिस तरह से आपके नगर का विस्तार हो रहा है उसके ऊपर उतनी सफाई की कमी है, वहां सफाई की जाय । एक बात मैं और कह दूं अपने साथियों से . . .

(श्री गौरी शंकर भइया का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, एक मिनट दे दें, आधा मिनट ही दे दें । मान्यवर, सीवर की एक बहुत बड़ी भारी समस्या है, इस सीवर की समस्या को समाप्त करने की भी योजना बने। मान्यवर, जो बात यहां पर कही जाय वह कहने के बाद कागजों पर ही न रह जाय, उस पर अमल होना चाहिए । इसके साथ ही, मैं पुन: बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । राणा साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, विकास की लम्बी चौड़ी बात करने के बावजूद मंत्री महोदय चाहे जितनी अपनी पीठ ठोंक लें और ठुकवा लें लेकिन यह बात भी सही है कि नगरों का विकास जितनी तेजी से 40 वर्षों के भीतर होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है और उसका एक ही कारण है कि प्रदेश शासन के स्तर से जिस ईमानदारी और मनोबल की आवश्यकता थी, जो हमारे मंत्री महोदय निर्णय लेते हैं उसमें इसका अभाव रहा है जो अधिकारी और कर्मचारी हमारे नगर विकास का काम देखते हैं उनसे जिस मनोबल और ईमानदारी की अपेक्षा थी वह उतनी ईमानदारी और मनोबल दिखा नहीं पाये । माननीय मंत्री जी ने यहां एक पद बनाया है महानगरों में उप नगर अधिकारी का इन पदों पर 2-2, 3-3 पी0 सी0 एस0 रखे जा रहे हैं, हर महापालिका में । हर महापालिका में अधिकारियों और कर्मचारियों की वैसी ही इतनी भीड़ है कि नगरपालिका की आय इनकी तनख्वाह वगैरा में चली जाती है वही इस पद के बढ़ जाने

से नगर पालिका का और भी शोषण हो रहा है कायदे से जो पद हैं उन्हीं में से इस पद को भरा जाना चाहिए था । मान्यवर, नगरपालिका में एक लम्बी फौज पहले से मौजूद है और ऊपर से यह पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को रखा जाना नगर पालिका का शोषण है ।

मान्यवर, मैं अपने जनपद की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :हमारे जनपद में आवास विकास का कार्यालय खुला था वहां पर लोगों को पैसा जमा किए हुए 5-7 वर्ष हो गए । वहां पर केवल बोर्ड लगाकर छोड़ दिया गया है न दफ्तर है, न बाबू है और न आफिस है । लोग मुंह उठाकर मंत्री जी की ओर देख रहे हैं कि मंत्री जी कब उनकी तरफ मुंह करके देखेंगे और उनको सस्ते मूल्य पर भूमि उपलब्ध करायेंगे । मान्यवर, हमारे जनपद बलिया में जो सीवरेज सिस्टम है उसका विकास किया जाय हम जब उसकी बात करते हैं तो वहां उसके एवज में छोटी-छोटी नालियों का निर्माण हो रहा है और इन नालियों के निर्माण में 2 नम्बर की ईंट और राखी सीमेन्ट का इस्तेमाल हो रहा है जब हम शिकायत की बात करते हैं तो वह कहते हैं कि क्या करोगे विधान सभा में अपनी बात कहकर ऊपर से नीचे तक हमको कमीशन देना पड़ता है और जब कमीशन देंगे तो स्वाभाविक है कि इतना ईंटा नहीं लगायेंगे जितना आप चाहते हैं, उतना सीमेन्ट नहीं लगायेंगे, जितना आप चाहते हैं । जहां तक विद्युत के प्रकाश का सवाल है, अन्डर-ग्राउन्ड सिस्टम विद्युत के लिए कई जगह तैयार कर लिया गया है लेकिन हमारे जिले में नंगे तार फैले हैं । बन्दर घुस जाता है, तार छू जाता है तो झोपड़ी में आग लग जाती है । बच्चा पकड़ ले तो जान चली जाती है । इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद आज तक उसकी कोई व्यवस्था करने की कोशिश नहीं की गयी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, मंत्री जी जरा सुन लें घर पर तो बात करते ही हैं, बुढ़ऊ मंत्री से कह रहा हूं, हमारे क्षेत्र में . .

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट में अपनी बात कह लें ।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, केवल दो मिनट और लूंगा । मैं स्टेट मिनिस्टर से अनुरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे यहां चितबड़ा गांव टाउन एरिया है, उसके विकास में न तो नालों के लिए, न खड़ंजे के लिए, न प्रकाश के लिए एक भी पैसा अनुदान आपकी ओर से पिछले 10 साल के अन्दर नहीं दिया गया है । मैं आपके माध्यम से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप वहां की सफाई, बिजली, पानी आदि के लिए कुछ अनुदान दे दें तो बड़ी कृपा होगी । इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इसका मैं समर्थन करता हूं और विपक्ष के साथी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं । माननीय राणा साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा, उन्होंने एक बात में बड़ा बल दिया कि कोई योजना नहीं बनी है, आज सरकार और विभाग योजना न बनाता तो, मैं मानता हूं कि आगरा में पेयजल का संकट है, लेकिन इससे कहीं और ज्यादा दुर्दशा होती । मान्यवर, आवास विकास और प्राधिकरण पर जो विशेष बल दिया गया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह आवास विकास परिषद् और विकास प्राधिकरण न होते तो आज जो आवासीय सुविधायें मिल रही हैं, उसमें कहीं ज्यादा दिक्कतें पड़ती और इतनी असुविधा होती कि शायद रहना दूभर हो जाता । लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो रेट आफ इन्टरेस्ट हैं, इस पर जो मकान बनाए जाते हैं, वे बड़े मंहगे पड़ते हैं। गोण्डा नगर में आवास विकास द्वारा जो निर्माण हुए हैं, उसमें इतनी लागत पड़ती है कि वही मकान निजी तरीके से आदमी बनाये तो संतुष्ट भी होता है और साथ ही साथ कास्ट भी कम पड़ती है । मैं चाहूंगा कि इसमें रेट आफ इन्टरेस्ट कम लगाया जाय । इसके साथ ही कुछ निजी संस्थायें, हमारे आवास विकास परिषद् और विकास प्राधिकरण के माध्यम से सभी आवासीय समस्यायें हल नहीं हो सकती हैं, तो जब तक इसके लिए कोई दूसरा तरीका न अपनाया जाय, निजी क्षेत्रों में हमारी समितियां हैं, ऐसी संस्थायें हैं जो सहकारिता के आधार पर मकान बनाना चाहती हैं तो उनको यह सुविधा मिलनी चाहिए । जो निजी मकान बनाना चाहे तो उसको रेट आफ इन्टरेस्ट कम करके मकान बनाने की सुविधा देनी चाहिए । मैं गोण्डा नगर महापालिका की ओर से सरकार और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी नगर पालिका के अन्दर जो पी0 डब्लू0 डी0 का मार्ग था, उसको बनाने के लिए 60 लाख का अनुदान दिया गया । इसके लिए आभार प्रकट करता हूं ।

लेकिन मान्यवर, एक सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सुलभ शौचालय महा नगरपालिकाओं में तो बनते हैं लेकिन हर नगर पालिका में या टाउन एरिया स्तर पर भी शुलभ शौचालय होने चाहिए । जो नितांत आवश्यक भी है । इसमें विशेष रूप से उनको दिक्कत होती है जब देहात के लोग नगरों में आते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है । जहां तक सीवर सिस्टम की बात है, इनके न होने से नाले कभी साफ नहीं हो पाते हैं । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में सीवर सिस्टम की मांग करता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सुलभ शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा दें और एक निःशुल्क चिकित्सालय भी नगर पालिका की सीमा के अन्दर स्थापित किया जाय । विपक्ष के साथियों ने यहां पर शिकायतों की हैं यह मैं मानता हूं कि उन्हें शिकायत करने का हक है । शिकायत वहीं होती है जहां काम होता है । माननीय राज्य मंत्री जी काम पर लगे हुए हैं, माननीय नगर विकास मंत्री जी अनुभवी हैं । लोगों को आशायें बंधी हैं, जब आशा बंधती है तो काम चलता है यह बात अलग है कि किन्हीं कारणों से पूरा काम न हो पाये । तो कुछ न कुछ तो शिकायतें होंगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं भाई विजय सिंह राणा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा नगर विकास के अनुदानों में जो कटौती की गयी है उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, यदि आप देखें तो पिछले वर्ष अनुदान संख्या 2 आवास और नगर विकास में 92 करोड़ 92 लाख 97 हजार रुपये का बजट था इस वर्ष माननीय मंत्री ने उसे घटाकर 60 करोड़ 60 लाख 66 हजार कर दिया। अनुदान संख्या 3 में जो आवास एवं नगर विकास का है पिछले वर्ष यह बजट 2 अरब 19 करोड़ 33 लाख 5 हजार का था और मान्यवर, इस बार माननीय मंत्री जी ने उसे घटाकर 1 अरब 81 करोड़ 29 लाख 29 हजार कर दिया । तो मान्यवर, आप देखें कि नगर विकास कितनी तेजी से विकास कर रहा है वह माननीय मंत्री जी के बजट से अपने आप प्रतीत हो रहा है। नगर महापालिका के चुनाव कराये गये (इस समय 4 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय पीठासीन हुए।) मजबूरी में। क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश हुआ था, माननीय मंत्री जी कई बार समय ले चुके थे, कानून के कठघरे में खड़े होने से पहले मजबूरी में चुनाव कराये। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो 18 वर्ष का मताधिकार कर दिया गया था, माननीय मंत्री जी अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे, लिखा हुआ पढ़ रहे थे। प्रतीत होता है, व्याख्या ठीक से नहीं कर पाये। हमारे प्रदेश में 48 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। वह 48 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो भूमिहीन हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, गरीब हैं, उनके पास रहने का कोई आवास नहीं है, तो मान्यवर, यह ऐसे लोग हैं जो या तो सड़कों के किनारे रहते हैं, रेल की पटरियों के किनारे रहते हैं, या मलिन बस्तियों में रहकर किसी तरह से अपना सिर छुपाये हैं। इनकी जो आवास योजना है, उस आवास योजना में सातवीं पंचवर्षीय योजना में, इनके बजट लिटरेचर में जो है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये। साइट एण्ड सर्विस भूखण्ड में इन्होंने सातवीं योजना में जो स्टेट प्लान में 3 हजार का लक्ष्य था करीब 1926 प्राप्त कर पाये । इस वर्ष का लक्ष्य यदि यह पूरा कर भी लेंगे तो भी यह लक्ष्य को प्राप्त कर पायेंगे । मान्यवर, अभी तो कुछ ही समय हुआ बोलने दें ।

इसी प्रकार भवन निर्माण ई0 डब्लू0 एस0 में 15 हजार भवन निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 13 हजार 6 सौ 8 कर पाये। इस साल अगर ध्यान देंगे तब यह लक्ष्य प्राप्त कर पायेंगे। मान्यवर, पूरा हमारा नगर क्षेत्र है वह एक ऐसी कांस्टीट्यूंसी है जो पूरे नगर में है बाकी और लोगों की कांस्टीट्यूंसी के साथ ग्रामों के ब्लाक भी हैं। अल्प आय वर्ग में 4 हजार लक्ष्य के विरुद्ध 3208 ही कर पाये। किसानों का पैसा नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, थोड़ा समय दे दें। इन मकानों में दुनिया भर की कानूनी दिक्कतें हैं मकानों के बनाने के लिए जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, शहरी भूमि हदबंदी अधिनियम का अगर उसका ठीक से पालन हुआ होता तो धर्म सिंह रावत को यहां अनशन पर न बैठना पड़ता उनका निलम्बन सरकार ने किया फिर किसी दबाव में उसे वापस लेना पड़ा। शहरी भूमि हदबंदी कानून 1976 में अब तक एक लाख 19

हजार 9 सौ 89 मामलों की विवरण फाइल की गई। एक अरब 13 करोड़ 3 लाख 59 वर्ग मीटर जमीन शहरी भूमि हदबन्दी अधिनियम में सरप्लस निकलनी चाहिए थी, लेकिन मान्यवर अभी तक केवल 2 प्रतिशत यानी, 2 लाख, 36 हजार, 656 वर्गमी0 भूमि ही सरप्लस निकली। जो बड़े-बड़े भूमिधर हैं, उनकी जमीन उनके पास ही है और वह लोग सहकारी आवास समितियों के माध्यम से मकान बनवा रहे हैं। धन दुगुना-चौगुना कर रहे हैं। आज 15 हजार करोड़ रुपया किसानों का लखनऊ विकास प्राधिकरण पर बकाया है, करीब 1 हजार करोड़ रुपया इलाहाबाद डेवलपमेंट एथारिटी का बकाया है और लगभग 50 हजार करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। यह विकास प्राधिकरण आज पूरा व्यावसायिक केन्द्र बन गया है।

नगरपालिका के चुनाव तो आपने करा दिये, लेकिन इन नगर महापालिकाओं के अन्तर्गत आय के जो प्रमुख स्रोत थे, जैसे वह नक्शा पास करते थे, अब नक्शा पास विकास प्राधिकरण करेगा। इसी तरह वाटर चार्ज अब विकास प्राधिकरण लेगा। इस तरह जो भी नगरमहापालिका के काम थे, वह सब विकास प्राधिकरण को दे दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि वह इस कानून में संशोधन करें। आपका जो यह जल निगम है। यह जल चर हो गया है। पानी में रहने वाले जीव कितना पानी पीते हैं इसका अंदाज लगाना सम्भव नहीं है वैसे ही जल निगम का भ्रष्टाचार भी है।

श्री अधिष्ठाता–

अनुग्रह जी, आप समाप्त करें। आपको काफी समय हो गया है। मैंने श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी को बुलाया है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, सरकार ने अभी सम्पन्न होने वाले कुम्भ में इस कदर पैसा दिया है, तो फिर ईश्वर भाई को बुलवाने की क्या जरूरत है?

श्री अधिष्ठाता–

माथुर जी, आप व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा न करें।

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, जैसा यह चाहते हैं, अब इलाहाबाद नगरमहापालिका का चुनाव होने जा रहा है, इनकी विकास प्राधिकरण वाली दिक्कत दूर हो जायगी।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी द्वारा बोलना शुरू कर देने पर घोर-व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इलाहाबाद, जहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू बैठे थे, उसके चुनाव करा दें और आज ही माननीय मंत्री जी चुनाव की तिथि की घोषणा सदन में करें। चुनाव न होने से लगभग 12,000 नक्शे लम्बित पड़े हैं। शोषण हो रहा है, मनमाने ढंग से धन दोहन किया जाता है। नागरिक सुविधायें दी नहीं जा रही हैं किन्तु गृह कर, जल कर, सीवर कर, समझौता शुल्क आदि अवैधानिक ढंग से बढ़ाया जा रहा है, वसूला जा रहा है।

(बीच में सत्ता पक्ष की ओर से अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

माननीय, जल कर भूतलक्षी प्रभाव से अवैधानिक ढंग से चार गुना बढ़ा दिया गया है, मनमाना सीवर टैक्स लगाया गया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय, यह लोग हमारा समय नष्ट कर रहे हैं क्योंकि यह जान रहे हैं कि तीर बिल्कुल निशाने पर पड़ रहा है। मैं सुलभ शौचालय की बात कर रहा था। इन सुलभ शौचालयों को बनाने के लिए बिहार की एक कम्पनी सुलभ इन्टरनेशनल को ठेका दिया गया जो डेढ़ लाख-ढाई लाख में एक शौचालय बना रही है, इतने में भवन निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार इनकी जो सूखे शौचालयों को जलयुक्त शौचालयों में बदलने की जो योजना है, वह भी पूरी की पूरी विफल रही है। मध्यम कमजोर वर्ग के हजारों भवनों को अनावश्यक घोषित करके शोषण किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें, आपको काफी समय हो चुका है।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी के पुनः अपनी बात शुरू करने पर शोर-व्यवधान)

अनुग्रह जी, आप समाप्त करें, दूसरों को भी मौका दें, मैंने ईश्वर शरण विद्यार्थी जी को बुला लिया है, आप समाप्त नहीं कर रहे हैं।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं श्री राणा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं तथा माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का जोरदार समर्थन करता हूं। अभी हमारे विपक्ष के साथी विधायक चुनाव के ऊपर जोर दे रहे थे। मान्यवर, हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, जिस चुनाव के लिए इधर से और उधर से भी बराबर अपने-अपने शासनकाल में वायदे किये गये।

भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव जी ने भी घोषणा की थी कि हम चुनाव करायेंगे, किन्तु उन्होंने चुनाव नहीं कराये। उनके वायदे को हमारी सरकार ने पूरा कराया। ये लोग पता नहीं क्या सोचते थे कि इस चुनाव को कराने से सरकार पर न मालूम क्या असर पड़ जायेगा। आने वाले दिनों में नगर महापालिकाओं के चुनाव कराने का प्रयास भी हमारी सरकार करेगी और एक कीर्तिमान और स्थापित करेगी। इतने बड़े महाकुम्भ मेले का आयोजन इस सरकार ने सफलतापूर्वक किया। विश्व की आंखें इस महाकुम्भ पर लगी हुई थीं । जहां पर करोड़ों लोगों ने स्नान किया । जिस महानगर-पालिका को भ्रष्टाचार का स्वरूप कहा जाता था, हमारी मंत्री जी ने और सेक्रेटरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बागला साहब ने बड़ी कुशलता से इस मेले को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। 83 कि0 मी0 लम्बी तीन मार्गों का सुदृढ़ीकरण किया, 53 कि0 मी0 तक पेन्टिंग की और 10 कि0 मी0 तक पी0 डब्लू0 डी0 से कराया। 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों को जो मत का अधिकार नहीं मिला था, हमने स्थानीय निकायों के चुनावों में इन नौजवानों को यह अधिकार दिया और हमारी सरकार ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया। हमारी सरकार ने प्रदूषण के मामले में, श्री गोपाल दास यादव जी तो इसके लिए बहुत जागरूक हैं, इनकी आवाज पर, जहां इन्होंने जो काम करने के लिए कहा, उसे किया। कौन सरकार ऐसा कर सकती है कि विपक्ष के विवेकानुसार काम करें।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सूखे की बड़ी भयानक स्थिति है। लोग प्यासे मर रहे हैं हैण्ड पम्प सूख गए हैं, जल स्तर नीचे चला गया है और कुंयें सूख गए हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी एल0 एस0 जी0 डी0 से हैण्ड पम्पों व पानी की व्यवस्था करायें। मेरे क्षेत्र में मंजनपुर व तराई टाउन एरिया हैं, यहां पर प्रकाश व्यवस्था, शौचालय व कार्यालय भवन आदि के लिए अनुदान दिया जाय। एक अहम् प्रश्न और कहना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष के लोग हरिजनों के लिए बहुत ढिंढोरा पीटते हैं। हरिजनों को शहरों में जमीन व दुकान देने की शासन की नीति है। चाहे वह इलाहाबाद हो, या लखनऊ हो, शहरों में अनुसूचित जाति के लोगों का 18 परसेन्ट का कोटा पूरा नहीं किया गया है। विकास प्राधिकरण, आवास विकास व अनुसूचित वित्त विकास निगम से रिपोर्ट मंगाई जाय कि कितने लोगों को शहरों में दुकानें दी गई हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि दुकानें नहीं दी गई हैं। शासन की नीतियों की अवहेलना की जा रही है। जिन लोगों ने अवहेलना की है, क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से गोरखपुर नगर महापालिका की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह पूर्वांचल की सबसे बड़ी नगर महापालिका है। आज तक विकास के नाम पर कोई भी काम वहां पर नहीं किया गया है। हमारे पश्चिमी जिलों में माननीय सदस्य यह समझते हैं कि गोरखपुर नगर पालिका में इतना विकास का काम हुआ कि उतना विकास का काम किसी और नगर पालिका में नहीं हुआ है, लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि गोरखपुर नगर महापालिका में विकास के नाम पर वहां एक भ्रष्टाचार का अड्डा है, राजगढ़ परियोजना। बजट में आपने दिखाया है। जो वहां पर मच्छरों का भीषण प्रकोप है, उसके सम्बन्ध में चन्द बातें कहना चाहता हूं। गोरखपुर में मच्छरों का इतना साम्राज्य है कि हजारों लोग इन्सीफिलाइटिस से मर गये हैं। पिछले सालों से पीने के पानी की भी वहां पर विकट समस्या है। वहां पर 8 सुलभ शौचालय बनाये गये हैं, वह भी कमीशनखोरी का अड्डा है, एक भी चालू हालत में नहीं है। माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा की टाउन एरिया बड़हलगंज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक भी नया पैसा विकास के नाम पर वहां पर खर्च नहीं किया गया है। इस बजट में भी वहां के लिए कोई पैसा नहीं

दिया गया है। इन्सीफिलाइटिस से वहां पर सैकड़ों लोग मरे, मैं आग्रह करता रहा, दोनों राज्य मंत्री बैठे हैं कि कृपया वहां पर पेयजल की समस्या का समाधान कर दें ताकि तमाम लोग जो असमय काल कवलित हो रहे हैं, उनका जीवन बचाया जा सके। बड़हलगंज के लिये नाली, सुलभ शौचालय, पेयजल और सड़कें बनाने की नितान्त आवश्यकता है जबकि बजट की इस पुस्तिका में कहीं उनका नाम ही नहीं है। बड़हलगंज में जो गाला मोहल्ला है, वहां मस्जिद के पास की पूरी आबादी में वहां इतनी गन्दगी है कि नाला बनवाना तथा उसकी सफाई कराना अति आवश्यक है। वहां पर नाला बनवाकर लोगों को बीमारी से बचायें। वहां पर विकास के अन्य कार्य जैसे सड़क, नाली, शौचालय बनवा दें ताकि उन्हें भी एहसास हो कि वे भी स्वतंत्र देश के ही नागरिक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती विमला सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया। नगर विकास पर राणा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं घोर विरोध करती हूं और माननीय नगर विकास मंत्री जी, जो कि विकास के कार्यों में सक्षम हैं, उनके विकास के बजट का समर्थन करती हूं। मैं विशेष रूप से नगर विकास की जो समस्यायें हैं, जिसमें कि सड़क, रोशनी नाली, सफाई आदि आती हैं, मैं उनकी व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी । मेरे यहां दो नगरपालिकायें हैं मोदीनगर और पिलखुआ, एक टाउन एरिया है फरीद-नगर, जिसमें सड़कों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है, पैसे का अभाव है । रोशनी के विषय में कहना चाहती हूं कि इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है, रोशनी और सीवर सिस्टम के लिए विशेष ध्यान दिया जाय इसलिए सभी के सम्बन्ध में मैं अनुदान की मांग करती हूं ।

जहां तक मलिन बस्तियों का सवाल है, यह बड़े शहर तक सीमित रह जाती हैं । मैंने इसी प्रकार का सवाल जिला की मीटिंग में भी उठाया था कि मलिन बस्तियां बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाती हैं । इस सम्बन्ध में, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि मोदी नगर और पिलखुआ इन दोनों जगहों पर भी मलिन बस्तियां हैं, इनके सुधार की ओर भी शासन ध्यान दें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा को छूता हुआ मेरा क्षेत्र है मोदी नगर और पिलखुआ इसलिए विकास क्षेत्र को यहां तक बढ़ा दिया जाय ।

तीसरी चीज मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि मेरे यहां नव-निर्वाचित चेयरमैन श्री राधेश्याम महेश्वरी थे जिनका निधन संदिग्ध रूप से हो गया है । इसलिए वहां पर उपाध्यक्ष और चेयरमैन दोनों का चुनाव शीघ्र कराया जाय । मैं इनके चुनाव शीघ्र कराये जाने की मांग करती हूं । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देती हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और माननीय राणा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं ।

*श्री गोपाल दास यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं ।

*श्री राम शरण दास–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे यहां का एक भी आदमी आपने नहीं बुलवाया । हमारी तरफ से माननीय महेन्द्र सिंह भाटी बार-बार खड़े हुए, या तो आप उन्हें पहचानते नहीं हैं या.....

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है परन्तु मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि नगरीविकास एक महत्वपूर्ण विषय है और सभी माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में रुचि ले रहे हैं हर सदस्य अपने जिले की समस्या को यहां रखना चाहता है । मेरा निवेदन है कि कम से कम एक घण्टा का समय इसमें और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी तो इस बजट का समय और शेष है । आगे सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए विचार हो जायेगा । अभी माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री गोपाल दास यादव–

मैं कह रहा था कि नगरों के अंदर जो मलिन बस्तियां हैं वहां न बिजली है और न पानी है ।

श्री नरेश चन्द्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए इस बजट के समय में आधा घण्टा का समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री विजय सिंह राणा–

नहीं, एक घण्टा बढ़ाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप सभी लोग आसन ग्रहण करें, मैं आप सब की भावनाओं का आदर करता हूं ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, नगर विकास का उद्देश्य होता है कि जहां बिजली की व्यवस्था न हो, जहां पानी की व्यवस्था न हो, जहां शौचालय की व्यवस्था न हो, यह विभाग वहां का विकास करता है । मैं इलाहाबाद के बारे में आपको बतला रहा हूं कि इलाहाबाद नगर-पालिका में 150 हरिजनों की आबादी ऐसी है जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है । जहां पर न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है और न बिजली की कोई व्यवस्था है, मान्यवर, इस सरकार को इलाहाबाद के विकास की कोई चिन्ता नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन मान्यवर यह नगरपालिकाओं व महापालिकाओं के अंदर मात्र विकास के नाम पर एक व्यापारी संस्था होकर रह गयी है । गरीबों और किसानों की जमीनें ले लेकर सिर्फ मकान बनाने की योजना बताते हैं और इन पर जिन मकानों के निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन उनके गन्दे पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है । इसी प्रकार से हमारे यहां की एक कंधईपुर की आबादी बसी हुई है, जिनकी जमीनें लेकर मकान तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनके मकानों के गंदे पानी की निकासी की कोई योजना नहीं बनायी गयी है, जिससे वातावरण बहुत दूषित हो रहा है और आए दिन ऐसे स्थानों पर भयंकर बीमारियां जन्म ले रही हैं, पीलिया जैसे (जांडिस) रोग उभर रहे हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो गंदगी यह पवित्र गंगा नदी में गिरा रहे हैं, क्या वह यह काम सही कर रहे हैं एक तरफ तो इनके प्रधान मंत्री गंगा प्रदूषण की योजना एक अच्छी योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह आवास एवं नगर विकास विभाग वाले हर जगह गंदगी फैला रहे हैं . .

(व्यवधान)

मान्यवर, अब जल निगम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि जब नगर पालिकाओं/ महापालिकाओं व जल संस्थान विभाग द्वारा शहरों व नगरों की पानी की व्यवस्था थी तो भी कुछ ठीक थी, परन्तु जब से जल निगम की व्यवस्था हाथ आयी है तब से मान्यवर, यह व्यवस्था हर जगह की बहुत खराब हो गयी है . . . (व्यवधान) (एक साथ कई सदस्यों के खड़े होने पर) . . .

(लाल बत्ती जलाए जाने पर)

मान्यवर, अभी से आपने लाल बत्ती जला दी, यह मान्यवर, आज हो क्या रहा है, इतना महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन आज उस तरफ के माननीय सदस्य कुछ मजाक के मूड में हैं, बार-बार हरेक की बात में व्यवधान पैदा हो रहा है . . .

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारा जो क्षेत्र है, वह सफाई कर्मचारियों की ही आबादी है, जहां पर काफी समय से नगरपालिका में कार्यरत कर्मचारी ही रहते हैं, जिनके मकान चू रहे हैं और उस बस्ती में सीवर जाम हो जाने के कारण आये दिन पानी भरा रहता है जो उनके घरों में भी भर जाता है, परन्तु सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे बेचारे उन कर्मचारियों का जीवन दिन पर दिन नारकीय होता जा रहा है . . . (फिर कुछ सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

मान्यवर, आज यह कैसा मजाक इस विभाग के साथ हो रहा है, जब एक घंटे का समय बढ़ा दिया गया है, तो हरेक को समय मिल जायेगा, बोलने के लिए ।

मान्यवर, जो पानी इलाहाबाद वालों को पीने को मिल रहा है, उसमें रोग निरोधक दवाएं जैसे एन्टोमाईजर है, क्लोरीन व ब्लीचिंग पाउडर आदि कुछ नहीं मिलाया जाता है, जिसकी वजह से वहां के निवासी भयंकर रोगों से ग्रसित हो रहे हैं । जबकि

इलाहाबाद जैसा नगर, जहां पंडित जवाहर लाल नेहरु और माननीय टंडन जैसे लोग वहां के चेयरमैन रहे हों, परन्तु अब इस विभाग द्वारा वहां कार्य ठीक से नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, इस इलाहाबाद जल निगम के अंतर्गत जो दोषी अधिकारी, श्री दीक्षित हैं, जिन्होंने गबन किया है, जो गंगा प्रदूषण के जिम्मेदार है, इनके रहते यह कार्यक्रम वहां पर विफल हुआ है, इसलिए इनको वहां से तुरन्त हटाया जाना चाहिए, तभी वहां पर यह सारी व्यवस्थाएं, पानी की, सीवर की, बिजली व सफाई आदि की ठीक हो सकेंगी और तभी आपका यह बजट सार्थक होगा, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्स्ताव का समर्थन करता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैं कुछ बातें कहूं, उससे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मौका दिया बोलने का, मैं सिर्फ दो बातें ही कहना चाहता हूं । एक तो यह कि अल्प आय के अंतर्गत जो मकान बनाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्या उसी तरह के अच्छे मकान विकसित भूमि की लोग यह अपने तौर पर व्यवस्था कर लेते और दूसरी बात यह है कि निजी तौर पर लोग जो मकान बनाते हैं वह अवश्य कुछ सस्ते हो सकते हैं लेकिन अगर यह लोग विकसित भूमि पर ऐसा मकान खुद के लिए बनाये तो वह मंहगे होगें । लैंड एक्यूजिशन की है । इस एक्ट के बाद, क्या कोई ऐसी जमीन ली गयी है, जहां पर मार्केट रेट न दिया गया हो। मैं कहना चाहता हूं कि जो लैंड पर दबाव है, जब देश आजाद हुआ था, 1947 में 35 करोड़ की आबादी थी । 5 करोड़ शहरों की आबादी थी और 30 करोड़ देहात की आबादी थी, यह मैं पूरे देश की स्थिति बता रहा हूं । 40 साल गुजर गये हैं, तो इस समय में शहरों की आबादी पर जो दबाव पड़ा है, वह 4 गुना हो गया है । मैं कहना चाहता हूं कि 4 गुना दबाव बढ़ गया है और देहातों में जो 30 करोड़ की आबादी थी, वह 65 करोड़ हो गयी है । जमीन जो गांवों में थी, वही है, लेकिन शहर की आबादी 4 गुनी बढ़ गयी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले 7 में से एक आदमी शहर में था और इस समय 3 में से 1 आदमी है और टाउनशिप डेवलप होती जा रही है । आपको देखना होगा कि जितने भी प्राधिकरण हैं, परिषदें हैं या और जो भी संस्थाएं हैं, सभी मिलकर टाउन्स के किनारे मकान बना रही हैं और उनके साथ ही साथ आदमी लोग अपने तौर पर मकान बना रहे हैं ।

हमारे सामने स्लम एरियाज के क्लियरेंस और विकास का सवाल, भी है और इन सारी चीजों को देख कर मास्टर प्लान आया है और जो मकान बनाये जायें, वह प्लान के में बनाए जायें । एक आदमी जब मकान बनवाता है, तो सस्ता बना लेता है, लेकिन वहां न तो ड्रेनेज होता है और न सीवर होता है और न और ही कोई व्यवस्था होती है । अगर 100 एकड़ जमीन होती है और जब वह विकसित की जाती है, तो 45-50 एकड़ रह जाती है और 50 एकड़ का भार उस पर जाता है । तब हमारा इनफा स्ट्रक्चर बनता है और बड़ी खूबसूरत योजना बन जाती है । 1984 के एक्ट को देखें जब मुआवजे को पैसा कम मिला, तो लोग रेफरेन्स कर देते हैं, कोर्ट में चले जाते है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि शहर को किस प्रकार से खूबसूरत बनाया जाये ।

मकानों का सवाल पूरा किया जा रहा है । मकानों के सवाल में भी यही सूरतेहाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ढाई लाख मकान बनाये गये हैं । गरीब लोगों के लिए मकान बनाये जा रहे हैं । मास्टर प्लान का मकसद यह है कि जो भी मकान बने

(व्यवधान के मध्य)

वह प्लान्ड बनें और जो रूरल आवास में नहीं आ रहे हैं, जो शहरी विकास में नहीं आ रहे हैं, उनको भी कुछ न कुछ सुविधा दी जाये । इस लिए ऐसा किया गया है । यह बहुत चिल्लाया जाता है कि बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन वहां भी कुछ न कुछ अच्छे अधिकारी और कर्मचारी होते हैं । मैं यह भी महसूस करता हूं और मेरे मन में दर्द है। सचिव और उनसे नीचे के जो अधिकारी हैं, उनके मन में दर्द है और चाहते हैं कि यह कार्य हो जाये । मैं कहना चाहता हूं कि एजेन्सियां मकान बना रही हैं, वह फिक्स्ड इनकम ग्रुप वालों के लिए है और फिजा बनायी जा रही है और स्टेट पालिसी बनायी जा रही है । एक फिजा बन जाये तो लोग ज्यादा से ज्यादा मकान खुद ही बनावेंगे । . . . (व्यवधान) जनता का आन्दोलन मकान बनाने के सिलसिले को जानना होगा जब तक जन साधारण इसमें नहीं जोड़ा जायेगा, तब तक आवास की समस्या दूर नहीं हो सकती है । मान्यवर, लैंड रेट के बारे में बार-बार कहा जा रहा है । माननीय सदस्यों ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग लैंड लेता है, इरीगेशन डिपार्टमेन्ट लैंड लेता है और दूसरे विभाग जैसे इन्डस्ट्रीज विभाग हैं लैंड लेते हैं, तो कहीं पर आपत्ति नहीं होती है । लैंड एक्यूजिशन एक्ट सभी पर लागू होता है । चाहे प्राधिकरण हो, इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट हो इरीगेशन डिपार्टमेंट हो चाहे कोई डिपार्टमेन्ट हो, मैं इस सदन से आपके माध्यम से दरखास्त कर रहा हूं कि हम सार्वजनिक कार्य में गरीबों को मकान उपलब्ध करेंगे, कम से कम रेट पर उपलब्ध करेंगे, उन्हें उसमें सारी सुविधा उपलब्ध करेंगे प्लान्ट वे में उपलब्ध करायेंगे । मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य से आपके जरिये कहना चाहता हूं कि हमारा यह कार्य पूरा हो जायेगा । मकान बनाने वाली एजेंसिंया भी सार्वजनिक कार्य कर रही है इस बात को मानना होगा ।

मान्यवर, यह एक्ट पास कर दिया है कि जो नक्शा लोग अपने मकान बनाने के लिए उन एजेन्सियों को जो नक्शा पास करती हैं, उनको दिए जायेंगे तो वे 120 दिन के अन्दर आब्जेक्शन कर सकेंगे । अगर वे आब्जेक्शन नहीं करेंगे तो जो नक्शा प्रस्तुत-कर्ता ने प्रस्तुत किया है उसे पास समझा जायेगा । हमने यह समय और भी कम कर दिया है । हमारे आवास विकास परिषद् में बने बनाये पास शुदा नक्शे मौजूदा हैं । आप जिस तरह का मकान चाहते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये दीजिए और पास शुदा नक्शा ले लीजिए । अब उसमें नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है । हर प्रकार के मकान के लिए अलग-अलग मकान हैं ।

हम गोइंग हाउसेज भी बनाते हैं । यदि एक फैमिली नीचे के मकान में रहती है और उसमें ऊपर की मंजिल में वह मकान बनाकर उसे बेचना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। वह उसमें ऊपर बना सकता है। उसके लिए भी हमारे पास नक्शा मौजूद है। लेकिन मान्यवर, इसमें हमें आपके और इस सारे सदन के सहयोग की जरूरत

है । कानपुर में स्थिति यह है कि वहां पर 7 आदमियों में 3 आदमी सड़क पर सोते हैं। इन आदमियों को क्या राहत दी जाय। उनके लिए रैन बसेरा, सुलभ शौचालय बनाया जा सकता है । उनके लिए रेन्ट बेस्ट हाउसेज बनाने की योजना चल रही है । हम जो कुछ भी खिदमत कर रहे हैं वह एक फिक्स्ड इन्कम ग्रुप वालों के लिए कर रहे हैं । जो लोग मकान नहीं बना सकते हैं । आज भी यह स्थिति है कि शहर के बाहर जो जमीन किसान डाइरेक्ट पब्लिक को बेचता है । जब वह 9 आदमियों को अपनी जमीन बेच देता है तब उसका एक अंश ही हमको मिल पाता है । यह हो सकता है कि वह सस्ता मकान बना लेता है लेकिन उसमें पानी की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था और चौड़ी सड़कों की व्यवस्था नहीं हो सकती है । यह तभी सम्भव है जब प्लान्ड वे में मकान बनाये जायं और पर्यावरण के हिसाब से बनाये जायं।

हमारे यहां जमीनों का मुआवजा बांटने में देरी का एक कारण यह है कि उसमें लिटिगेशन होता है । उसमें बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रुकावट डाल देते हैं और उसमें समय लग जाता है। दूसरे एवार्ड घोषित होने में भी समय लग जाता है। इस वजह से मुआवजा बांटने में समय लग जाता है । हमको जब जमीन मिल जाती है तब हम दो-तीन साल के अन्दर कालोनीज डेवलप करते हैं । हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि इस समय को कम-कम किया जाय ।

1964 के एक्ट के बाद हम मार्केट प्राइस किसानों को दे रहे हैं और 15 प्रति-शत सोल्यूसियम दे रहे हैं । इसकी वजह से आज किसान हमें अपनी जमीन देने के लिए दौड़ रहे हैं । क्योंकि फुटकर बेचने के बजाय हम उनसे एक साथ जमीन ले लेते हैं ।

स्थिति यह है कि जहां आवास विकास परिषद् जाता है और जब वह जमीन ले लेता है तो वहां पर सारी जमीनों के दाम बढ़ जाते है । उसकी वजह यह है कि उनकी जमीन डेवलप्ड एरिया के नजदीक हो जाती है और उनके रेट बढ़ जाते हैं और उनको अच्छा मुआवजा मिलने लगता है । इसलिए जहां-जहां आवास विकास परिषद् जा रहा है वहां-वहां जमीनों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं । इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र भाटी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट की चर्चा पर भाग लेने का अवसर दिया . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपको माननीय राम शरण दास जी ने अपने समय का भी अनुदान दिया है ।

*श्री महेन्द्र भाटी–

मान्यवर, नोयडा में औद्योगिक बस्ती नहीं है । वहां की आबादी साढ़े पांच लाख है और वहां पर नोयडा साढ़े चार करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च करता है । उसकी कोई आमदनी नहीं है । इसके बावजूद नोयडा में म्यूनिसिपल बोर्ड या इस तरह की कोई एजेन्सी जो लोगों की देख रेख कर सके नहीं है । इसकी वहां पर बड़ी आवश्यकता है । इसके लिए एक कमेटी की स्थापना करने की बात चेयरमैन नोयडा ने कही थी . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री महेन्द्र भाटी–

जिससे वहां के लोगों के ग्रिवान्सेज पर विचार किया जा सके और उनकी शिकायतों को सुना जा सके । मान्यवर, ऐसी स्थिति में जब कि यह तय है कि जब तक वहां पर जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तब तक वहां पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो सकेगी । वहां नगर पालिका का होना बहुत आवश्यक है। जहां तक विकास की बात है वहां कम से कम 15 कालोनियां अनआथोराइज्ड तरीके से बन रही है जो स्लम क्रियेट हो रही है क्योंकि दिल्ली से व्यापारी आकर किसान की जमीन खरीद लेते हैं और फिर उसे ऊंचे दामों पर बचते है जिसमें कोई सिविक्स एमीनिटीज नहीं है । इसलिए इस प्रकार की अनआथोराइज्ड कालोनीज का बनना रोका जाना चाहिए और नोयडा में नगर पालिका स्थापित की जानी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री अमिताभ लवानियां का नाम पुकारने पर शोर) माननीय सदस्य शांति बनाये रखें, सब को समय मिलेगा पहले इनको बोलने दें ।

श्री अमिताभ लवानियां–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया । माननीय नगर विकास मंत्री जी ने नगर विकास की गम्भीर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगरा बैराज का 8वीं पंचवर्षीय योजना में बनाने का प्रस्ताव रखा है यह अच्छी बात है। परन्तु आठवीं पंचवर्षीय योजना 90 में प्रारम्भ होगी और आगरा बैराज को बनते बनते 4, 5 साल का अंतराल लगेगा । मेरा कहना यह है कि आगरा में गम्भीर पानी की समस्या है । इस पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुए कई बार मैंने शासन को अवगत कराया था कि वहां पर 8 शाही कुए ऐसे हैं जो पाताल तोड़ है उनमें पानी कभी नहीं सूखता है अगर उनकी मरम्मत कराकर सही रूप से रखरखाव किया जाय तो आगरा की पेय जल समस्या से कुछ छुटकारा मिल सकता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जिन बस्तियों में पेयजल की गम्भीर समस्या है उनमें सरकारी ट्यूबवेल बोर करके लगा दिये जायं और उनको वाटरवर्क्स की पाइप लाइनों से जोड़ दिया जाय तो हमारी समस्या का निदान हो सकता है । आगरा को रोजाना 163 मी0 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है और इस समय मात्र 50 मीलियन लीटर पानी मुहैया हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गम्भीर पानी की वहां समस्या होगी।

एक दूसरा मेरा सुझाव यह है कि आज से 4 वर्ष पूर्व शहरी सीमा के अंतर्गत आगरा के 180 गावों को अधिग्रहित किया गया और वहां विकास की बात कही गयी । लेकिन वे गांव आज विकास के नाम पर छटपटा रहे हैं उनका न नगर विकास द्वारा विकास हो रहा है और न ब्लाक के अधिकारियों के द्वारा विकास हो रहा है वह बिना मां बाप के बच्चे की तरह छटपटा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अमिताभ लवानियां–

जो गांव शहरी विकास के अंतर्गत लिए गये हैं उनका विकास किया जाय और उनमें खड़ंजा, सीवर लाइन आदि त्वरित गति से बिछाई जायं । आगरा जिला में कस्बा फतिहाबाद के सम्बन्ध में मैं गत चार वर्षों से माननीय मुख्य मंत्री जी को और शासन को लिख रहा हूं और वहां का मांग पत्र दे रहा हूं कि उसे नगर पालिका घोषित किया जाय और 25 लाख की अनुदान सहायता दी जाय। (लाल बत्ती) इन शब्दों के साथ, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बजट का समर्थन करने का अवसर दिया ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं इसके पहले भी आपका आभार प्रकट कर चुका हूं पुनः आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, नगर पालिका और टाउन एरियाज में प्रदेश स्तर की सबसे बड़ी समस्या वहां के सफाई मजदूरों की है । जो इनके कर्मचारी हैं इनके प्राविडेंट फण्ड की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में पहले भी कई बार प्रकरण को सदन में ला चुका हूं लेकिन उन सफाई कर्मचारियों के प्रावीडेंट फण्ड की समस्या का कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस गति से आबादी बढ़ रही है चाहे वह नगर पालिकाओं की हो या टाउन एरियाज की हो उस गति से आबादी बढ़ने के बावजूद भी सफाई कर्मचारियों की उतनी ही संख्या है जितने पहले थी, इसीलिए इनकी संख्या बढ़ायी जाये ।

दूसरा अनुरोध है कि नगरपालिका और टाउन एरियाज के चुनाव के पहले जो पैसा सरकार द्वारा दिया गया था उसको जिलाधिकारी और परगना अधिकारियों ने जल्दी-जल्दी प्रयोग किया है जिससे उसका दुरुपयोग हुआ है और उस समय जो सड़के निर्माण हुई थीं वह जर्जर हो गयी हैं इसलिए इनकी जांच कराई जाये ।

मान्यवर, हमारे जनपद बांदा के क्षेत्र अतर्रा की नगर पालिका की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि 60-70 हजार की आबादी अतर्रा की होने के बावजूद भी वहां सीवर लाईन की व्यवस्था नहीं है जिसकी व्यवस्था की जाये । वहां की दूसरी समस्या पेयजल की है । वह पथरीला इलाका है । हैण्डपम्पों का जल स्तर नीचे गिर गया है, इसलिए वह खराब हैं और जो हैण्डपम्प स्वीकृत हैं वह लगाये नहीं गये हैं । इसलिए अनुरोध है कि वहां की गम्भीर पेयजल समस्या की ओर ध्यान दिया जाये और वरीयता के आधार पर वहां मशीन भेजकर हैन्डपम्प लगाने की व्यवस्था की जाये ।

श्री अभिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठ जायं ।

श्री कृष्ण कुमार वर्मा–

अभिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नगर विकास के बजट के समर्थन में और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने का समय दिया । मान्यवर, अच्छा होता कि राणा जी इस समय यहां मौजूद होते । मैंने बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनीं, मैं अनुभव कर रहा था कि श्री राणा जैसे सम्मानित सदस्य कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देंगे लेकिन एसा नहीं हुआ । मान्यवर, उन्होंने बहुत सी बातें यहां उठायीं, खासकर उन्होंने पेयजल समस्या का जिक्र किया। मान्यवर, इतिहास के पन्ने उलटने के बाद राणा जी ने मोहन जोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता का जिक्र तो किया लेकिन अच्छा होता कि वह नगर विकास विभाग की उपलब्धियों का जिक्र करते तो उनको हम बधाई देते । उन्होंने जिन बातों को यहां रखा इससे पहले कि मैं कुछ कहूं एक शेर यहां रखना चाहता हूं :–

चश्मे पुर्नम खरीद सकता हूं, जुल्फे बरहम खरीद सकता हूं ।
मेरी खुशियां अगर जो बिक जायं, तो आपके गम खरीद सकता हूं ।

मान्यवर, मैं यकीनन कहना चाहता हूं कि आज नगर विकास के कामों को देखें तो सबसे पहले मैं अपने जनपद की चर्चा यहां करना चाहता हूं । मान्यवर, गाजियाबाद जनपद का जब से विकास प्रारम्भ हुआ है विकास प्राधिकरण के माध्यम से, तब से वहां अनेक कालोनियां विकसित हुई हैं जैसे कौशाम्बी कालोनी और वैशाली कालोनी का निर्माण हो रहा है। दिल्ली-गाजियाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्व0 इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरापुरम कालोनी का निर्माण हो रहा है । इसी प्रकार गाजियाबाद में पिछले वर्षों में निर्बल-दुर्बल आय वर्ग के लिए 3 हजार मकानों का विकास करके प्राधिकरण गाजियाबाद ने निर्बल लोगों को दिया है । यही नहीं हमने वहां झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों का साईट सर्विसेज योजना के अन्तर्गत 2 हजार लोगों को 25 और 30 गज के प्लाट्स विकसित करके दिये गये हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि आज जहां नगरपालिकाएं और विकास प्राधिकरण के दोनों नगर विकास और प्रदेश विकास की भूमिका में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं, वहीं प्रजातन्त्र की प्रक्रिया को भी उन्नत बना रही हैं। आज प्रत्येक नगर में जहां नई-नई कालोनियां विकसित हो रही हैं वहीं हमारी सरकार द्वारा मलिन बस्तियों

के लिए और अधिक धन आवंटित किया है। इसी वर्ष हम दुर्बल वर्ग हेतु और नई कालोनियों का निर्माण करने जा रहे हैं। किसानों को सही मुआवजा दिया जाना चाहिए और हमने प्रयास करके उचित मुआवजा गाजियाबाद में दिलाया है। इसी वर्ष गाजियाबाद में किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था और मेरे प्रयासों द्वारा किसानों को समय पर और बहुत सही मुआवजा दिया गया है. . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब श्री सूर्य प्रताप शाही जी। आप बैठें।

(अनेक सदस्य साथ-साथ बोलते रहे और खड़े रहे, उसी के साथ श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी ने भी अपना भाषण जारी रखा।)

श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं, अपने मुख्य मंत्री और नगर विकास मंत्री जी की, जिन्होंने नगर पालिकाओं के चुनाव करायें हैं। फिर अन्त में मैं एक दो सुझाव रखना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

मैं साथ ही एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग गाजियाबाद वि0 प्रा0 द्वारा आवंटित मकानों में रह रहे हैं उन सभी को मालिकाना हक दे दिये जायें। इसके साथ मैं मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं राणा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल इसलिए देना चाहता हूं कि माननीय नगर विकास मंत्री जी ने सिर्फ महानगरों की तरफ ध्यान दिया है। जो छोटी नगर-पालिकाएं हैं, जो टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज हैं, उनकी तरफ इस बजट में किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इनके लिए किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं दी गई है और इसमें मैं यह समझता हूं कि यह सरकार के लिए सबसे शर्मनाक और घिनौना कार्य है। यह सरकार जानबूझकर संगठित लोगों की तरफ तो ध्यान देना चाहती है, लेकिन पिछड़े कमजोर और गरीब लोगों की तरफ इसका ध्यान नहीं है। कुशीनगर जैसे बौध धर्म के पर्यटक स्थल के लिए भी किसी प्रकार की कोई योजना इनके पास नहीं है। उनके प्रति इस सरकार की उपेक्षा का यह जीवित उदाहरण है। मुझे उम्मीद थी कि हबीबुल्लाह स्टेट के भ्रष्टाचार के बारे में, जिसकी गूंज सदन में काफी उठी थी, जहां पर बड़े-बड़े आई0ए0एस0 अधिकारियों ने भूमि की भारी चोरी की थी, सरकार सदन को आश्वस्त करेगी और कहेगी कि हमने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है, किन्तु मुझे खेद है कि इस ओर कोई कार्य-वाही नहीं की गई है।

गाजियाबाद की टाउन एरिया में एस0के0 बर्मन फर्म ने 1 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन अर्बल सीलिंग से निकाल कर चुरा कर रखी है हर्बल प्लान्ट्स के नाम पर। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे बड़े पूंजीपतियों जिन्होंने हर्बल प्लान्ट्स के नाम पर अन्य पेड़ पौध लगाए हैं, के खिलाफ वह सख्त से सख्त कार्यवाही करें, लेकिन इसमें उसका भी उल्लेख नहीं है । इन्होंने कुशीनगर जैसे छोटे नगर में महायोजना लागू की है, जिसके चलते लोगों को अपने मकान के लिए नक्शा पास करवाने के लिए जाना पड़ता है और उसमें हजारों हजार रुपये घूस उन्हें देना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुशीनगर महायोजना को संशोधित किया जाए और ग्रामीण इलाकों को उसमें से निकाला जाए और किसानों को राहत दी जाए। हमारे यहां पथरदेवा पेयजल पानी टंकी का निर्माण किया जाना था। जिसके लिए सदन में कई बार कहा जा चुका है, किन्तु 1980 से लेकर 9 साल हो गये पर पथरदेवा में जो एक प्रमुख ब्लाक है, मुख्य मंत्री नगर विकास मंत्री और सचिव के आश्वासनों के बावजूद न्यूनतम कार्यक्रम में उसे शामिल नहीं किया गया है। यह उनकी कमजोरी का प्रतीक है। जल निगम के भीतर जब से वित्त निदेशक आये हैं उनके भ्रष्टाचार का बोल बाला सर्वत्र व्याप्त है। चार वर्षों के भीतर उन्होंने अपने बैंक का एकाउन्ट विभिन्न बैंकों में शामिल कर लिया है

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

अन्तिम बात यह कहना चाहूंगा कि रामगढ़ताल योजना को फ्लाप कर दिया गया है माननीय वीर बहादुर सिंह जी ने पूर्वांचल के विकास के लिए कुछ कदम उठाए थे। (व्यवधान) उस पर मंत्री जी ने हथौड़ा चलाने का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, गोरखपुर का चीफ इंजीनियर बहुत ही भ्रष्ट है उसने छः वर्षों के अन्दर 50 हजार रुपया खाया है इसकी आप जांच करा लें।

(घोर व्यवधान)

श्री सतीश चन्द्र–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, गत वर्षों की तुलना में माननीय मंत्री जी ने विस्तृत बजट 325 करोड़ रुपये का पेश किया गया है उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से शहरीकरण की समस्यायें बढ़ रही हैं उसके अनुरूप बजट बहुत कम है। हाल ही में दो वर्ष पहले गवर्मेन्ट आफ इण्डिया ने जो राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग स्थापित किया था उसकी रिपोर्ट अब प्रस्तुत हो गई है उसमें संस्तुति की गई है कि कुल बजट का कम से कम 8 प्रतिशत नगर विकास के ऊपर व्यय होना चाहिए । आज स्थिति यह है कि हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना में बजट का प्राविधान नगर विकास के ऊपर चार प्रतिशत का है और इस वर्ष घट कर तीन प्रतिशत रह गयी है। आवास नगर विकास की समस्याओं के लिये समुचित

प्राविधान किया जाए ताकि समस्यायें हल हो सकें। समस्यायें दिन पर दिन जटिल होती जा रही हैं। मान्यवर, एक बात विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की परियोजना चल रही हैं उनके लिए निर्धारित फंड्स रिलीज नहीं होते हैं। फलस्वरूप वर्ल्ड बैंक के रैम्बर्समैंट हमको पूरी तरह नहीं मिलते हैं। अतः उन वर्ष योजनाओं के लिये भी पूरे प्राविधान किए जाएं। मान्यवर, जहां तक विकास प्राधिकरणों का सम्बन्ध है। 1973 में एक नये कानून के अन्तर्गत इनका गठन किया गया था ताकि इन प्राधिकरणों के माध्यम से आवास नगर विकास की समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। इस क्षेत्र में लखनऊ तथा गाजियाबाद में तो काम हुआ है पर आगरा में अपेक्षित काम भी नहीं हो सका है और कार्यालयों का पूरा मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(लालबत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं मुझे थोड़ा समय और दे दें। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कानपुर की तरह से हमारे यहां ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम होना बाकी है इसके लिए पांच करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक ने स्वीकृत कर दिया है, लेकिन इसमें प्रारम्भिक प्रारूप भी नहीं तय किया है, तीन वर्ष बाद भी। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री सतीश चन्द्र–

पानी की समस्या के बारे में तो बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है इसको मैं दोहराऊंगा नहीं। मान्यवर, जो फिल्टरेशन प्लान लगा है यह 196 एम0एल0डी0 का है नया प्लाट 90 एम0एल0डी0 बन रहा है। नया फिल्टरेशन प्लान शीघ्र पूर्ण कर दिया जाय। ताकि गर्मियों में समस्या का निदान हो सके। मान्यवर, गर्मियों में हमारे यहां कीथम झील से पानी नियमित रूप से नहीं मिलता है। पानी सही तरीके से मिल सके इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित किया जाय और कीथम झील से पानी दिलाने की व्यवस्था की जाय। एक और समस्या की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आगरा में मास्टर ड्रेनेज प्लान नहीं बनाया गया है। हमारे यहां की सीवर की समस्या बड़ी गम्भीर है। जरूरत इस बात की है कि एक मास्टर ड्रेनेज प्लान आगरा के लिये बनाया जाय ताकि सीवरेज समस्या का पूरी तरीके से निदान हो सके। इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से कुछ बिंदुओं की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने इलाहाबाद के कुम्भ मेले के बारे में चर्चा की। उसके बारे में मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। अभी पिछली 13 फरवरी को अब इस सदन में हम लोगों ने अपनी आवाज उठायी थी और कहा था कि कुम्भ मेले में बहुत धांधली की गयी है अगर सरकार ध्यान दे तो करोड़ों रुपया बचाया जा सकता है। लेकिन इस गूंगे बहरी सरकार ने उस पैसे को बचाने के लिये काम नहीं किया।

जिसका नतीजा यह हुआ कि 2 तारीख को वहां एकाउन्ट आफिस में आग लगा दी गयी। अगर सरकार ध्यान देती तो करोड़ों रुपया बचाया जा सकता था और उसको विकास के कार्यों में लगाया जा सकता था। उस पैसे से हैण्ड पम्प लगाये जा सकते थे गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती थी लेकिन आप उस पैसे को बचा नहीं पाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस घोटाले की जांच करने के लिये नगर विकास सचिव को भेजें। अभी 15 करोड़ रुपया बचाया जा सकता है। दूसरी बात मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समय आने वाले दिनों में देहातों में पेयजल संकट उत्पन्न होने वाला है।

इलाहाबाद में शंकरगढ़ का दक्षिणांचल तथा हंडिया के पूर्वी इलाके में पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है, लोगों को पानी नहीं मिलता है। आपने अगर घोषणा की होती कि 1 लाख 77 हजार गांवों को 1990 तक पानी दे दिया जायगा तो मैं स्वागत के लिये तैयार होता लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके आंकड़ों के मुताबिक केवल 55 फीसदी लोगों को पानी मिल पाता है। एक हैण्ड पम्प बनाने में 8 हजार का खर्च आता है। अगर इन 1 लाख 77 हजार गांवों में दो-दो हैण्ड पम्प लगवाना है तो दो-ढाई करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। लेकिन आप यह व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि नगर विकास में आप ज्यादा रुपया खर्च करते हैं अगर गांवों के लिये ज्यादा पैसा दें तो वहां पर हैण्ड पम्प की व्यवस्था हो सकती है। जो आपने बड़ी-बड़ी टंकियां लगा रखी हैं वह बेकार हैं, जब तक आप बिजली की व्यवस्था नहीं कराते हैं तब तक पानी की आपूर्ति ठीक से नहीं हो सकती है।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि विकास प्राधिकरणों में 11, 12 साल से दैनिक वेतन पर तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन इनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाय। आपने तमाम घोषणायें की लेकिन जो टाउन एरियाज हैं उनके लिये कतई पैसा नहीं दिया है। टाउन एरियाज नाजायज औलाद की तरह हो गयी हैं न तो उनको शहर की तरह से पैसा मिलता है और न उनको ग्राम विकास की तरह पैसा मिलता है। अगर वह ब्लाक में रहती तो कुछ रुपया तो उनको मिल जाता। अगर आप उनको रुपया नहीं दे सकते तो उनको ग्राम सभाओं में वापस कर दीजिये। मेरा निवेदन है कि हंडिया टाउन एरिया को पैसा देने का काम करें। गांवों में हैण्ड पम्प की व्यवस्था करें और जो मैंने जांच के लिए कहा है तो नगर विकास विभाग के सचिव को जांच करने के लिये भेजें। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास के अंतिम महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया। इस बिखरे हुए विपक्ष की बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जब हमारी पार्टी ने स्थानीय निकायों के चुनाव करा दिये, तब भी ये रो रहे हैं और जब चुनाव नहीं कराये गये थे, तब भी ये रोते थे। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी को इस चुनाव कराये जाने पर मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने जन-प्रतिनिधियों के हाथ में अधिकार सौंप दिया और भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों और सिकंजों से नगरपालिकाएं निकल गयीं। मैं आभारी हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने मथुरा वृन्दावन की पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 30 करोड़ रु0 की लागत से गोकुल बैराज का शिलान्यास किया। इससे मथुरा शहर और वृन्दावन शहर के पेयजल का निदान होगा। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस कार्य को तेजी से कराया जाय। मेरे क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में पेयजल का गम्भीर संकट है। वहां के लिए तुरन्त 100 इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प देने का कष्ट करें। इसके लिए मथुरा और वृन्दावन शहरी क्षेत्र के लिए कृपया 5 व 3 ट्यूबवेल क्रमशः स्वीकृत करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त मथुरा शहर के हेतु विद्युत शव दाह गृह का प्रस्ताव बहुत दिनों से विचाराधीन है, उसके लिए धनराशि उपलब्ध कराने के आदेश पारित करने का कष्ट करें। यह माननीय मंत्री जी से अनुरोध है। मान्यवर, मथुरा नगर पालिका में पड़ने वाले स्कूलों की इमारतों की हालत बहुत ही जर्जर रूप में पड़ी है। कृपा करके उसकी मरम्मत हेतु अनुदान राशि भेजने का कष्ट करें। मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की गतिविधियां काफी बढ़ चुकी हैं। अतः वहां पर वाइस चेयरमैन की नियुक्ति इस वर्ष कराने का कष्ट करें। अन्त में मैं विपक्ष जो कि स्थानीय निकायों के चुनाव हार गये हैं, उसके लिए संवेदना प्रकट करता हूं और माननीय अधिष्ठाता महोदय आपको धन्यवाद देता हूं कि इतनी मुश्किलों के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं भाई राणा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान मैं अपने चुनाव क्षेत्र खेकड़ा, मेरठ की तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र विकास खण्ड लोनी जनपद गाजियाबाद में नगर महापालिका और विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आता है। मुझसे पहले माननीय श्री के0के0 शर्मा ने बड़ा ही बढ़ा-चढ़ा कर कौसाम्बी का जिक्र किया है जिसका उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, जो मेरे चुनाव क्षेत्र के ग्राम हसनपुर भीवापुर में आती है। हसनपुर, भीवापुर के अन्तर्गत जो 30-30 साल पुरानी आबादी है, उन्हें ढाया जा रहा है। ये कौशाम्बी के निर्माण की बात करते हैं, जबकि हसनपुर भीवापुर के लोगों ने कौशाम्बी के निर्माण में सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिए हैं। ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि मैं कौशाम्बी बनवा रहा हूं।

एक तरफ सरकार कह रही है कि हम निर्बल वर्ग व अनुसूचित जाति के लिए आवास उपलब्ध करा रहे हैं दूसरी तरफ हसनपुर, भीवापुर में सरकारी कर्मचारी एवं मित्रगण सहकारी आवास समिति लि0, गाजियाबाद, शिरोमणि, सहकारी आवास समिति लि0, गाजियाबाद आशापुष्प बिहार सहकारी समिति लि0 गाजियाबाद केन्द्रीय कर्मचारी एवं मित्र सहकारी समिति लि0 गाजियाबाद जो पंजीकृत हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के सदस्यों का प्रतिशत 15 से लेकर 95 तक है, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य जो है, उन लोगों ने जमीन के बैनामे किये, अमलबरामद है, उन्हें उजाड़ा जा रहा है और

यहीं पर एक पूंजीपति की सोसायटी राजश्री बिल्डर्स को नो-आब्जेक्शन सर्टीफिकेट दिया गया है कि इनकी जमीन के बराबर ही कोशाम्बी के पास ही इनको जमीन दे दी जाय। अत: मेरी मांग है कि बाकी सोसायटियों को भी जो हरिजन एवं निर्बल वर्ग के संबंधित है, नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट दिया जाय। विकास खण्ड लोनी के कस्बा लोनी के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का आफिस है, इसका कार्य केवल 5 रु0 गज लेकर नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट देना है। इन लोगों ने लोनी कस्बे की लगभग ढाई सौ एकड़ जमीन पर कब्जे करा दिये हैं और फर्जी नसबन्दी करा कर कालोनी बसा दी गयी है। अत: मेरी मांग है मंत्री जी से कि अनधिकृत जो कब्जे हैं, उनको तुरन्त हटाया जाय और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से लोनी कस्बे का विकास किया जाय। कस्बा लोनी के अन्तर्गत बारिस के गन्दे पानी के निकासी का कोई साधन नहीं है वहां तुरन्त एक नाला बनवाने का कष्ट करें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नाम से बड़े-बड़े बोर्ड किसानों की जमीन पर लगवा दिये जाते हैं कि यहां पर जमीन खरीदना अवैध है और प्रापर्टी डीलर किसानों से सस्ती जमीन खरीदकर अनाधिकृत कालोनी बसा देते हैं।

माननीय मंत्री जी उन अनधिकृत कालोनी को रोकने का कष्ट करें क्योंकि यह प्रापर्टी डीलर बाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सुविधा शुल्क देकर नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट प्राप्त कर लेते हैं और बेचारा गरीब किसान मारा जाता है। मान्यवर, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जमीन के रेट में भी अन्तर है जब कि यह जमीन आवासीय परपस से ली जाती है इसका एक उदाहरण स्पष्ट कनावनी गांव है जहां की जमीन काफी कम रेट पर ली गयी है। मेरी मांग है कि कनावनी गांव के किसानों को भी अन्य गांवों के समान भुगतान किया जाय। मान्यवर, शहीदनगर, बेहटा, हाजीपुर, के अन्तर्गत पंचवटी व देशराज कालोनी के अन्तर्गत कोई भी व्यवस्था सड़क, नाली, पानी व बिजली की नहीं है अत: यहां पर तुरन्त यह व्यवस्था कराई जाय। मान्यवर, जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत चिरौड़ी व जावली ग्राम जो विकास खण्ड लोनी के अन्तर्गत आता है और समस्याग्रस्त की सूची में है। मेरी मांग है कि एक-एक पानी की टंकी यहां पर बनवाई जाय। जनपद मेरठ के निम्नलिखित गांव विकास खण्ड खेखेडा, मेड़ापुर, रटौल, भागौठ व विकास खंड बागपत, टिकौली व डौलचा की समस्याग्रस्त की सूची में है उनमें भी एक पानी की टंकी बनवाने का कष्ट करें जिससे लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके। अन्त में मैं भाई राणा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

श्री महमूदुल हसन अंसारी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा बजट का समर्थन करता हूं और राणा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती का विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं जनपद बिजनौर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं मान्यवर, मेरा क्षेत्र अफजलगढ़ है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है वहां पर एक नचना नाला शहर में बहता है उसकी उफान से शहर में बाढ़िया आ जाती है और बहुत से घर बरबाद हो जाते हैं इसलिये मेरी मांग है कि उसकी नयी ग्रान्ट देकर पुख्ता कराया जाय

उसके साथ ही साथ एक अमला नदी आती है अफजलगढ़ में उसके पानी को दूसरी नदी में डाल दिया जाय जिससे कि बहिया आने से वह क्षेत्र बच जाय। मान्यवर, शेरकाट एक बहुत बड़ा कस्बा है और वहां की आबादी 40-50 हजार है उसमें 2 टंकियां 70 गैलन की लगी हुई है जिससे पानी की समस्या बनी रहती है वहां 2 बड़े टैंक का प्रस्ताव है जिसका सर्वे हो चुका है और नक्शा भी बनकर चला गया है जगह भी तजवीज हो गयी है। इन टैंकों को बनवाया जाय ताकि पानी की समस्या हल हो सके। इसके साथ-साथ वहां पर 25 इण्डिया मार्क पम्प लगाये जाय ताकि पानी की समस्या हल हो सके। मान्यवर, वहां पर 4 सोडियम बल्ब है उनकी संख्या बढ़ाई जाय ताकि शहर में रोशनी हो सके।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में ग्राम भीकावाला है जिसमें जब से आजादी मिली है उसमें पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं है उसमें भूतपूर्व सैनिक रहते हैं जिनकी महिलायें गंगा से पानी लाती हैं वहां डबुल बोरिंग कराकर टैंक बनवाया जाय ताकि हम जनता को पानी दे सके। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक टाउन एरिया बढापुर है जिसके पूरब और पश्चिम तरफ दो नदियां बहती हैं जिसकी वजह से उसका कटान हो रहा है और उस कस्बे को खतरा बना हुआ है उसकी दोनों तरफ ठोकरें और बांध लगाकर उसको मजबूत किया जाय और वहां की सड़के बनवाई जाय। इसके साथ-साथ मान्यवर, नजीबाबाद रिजर्व क्षेत्र है। नगरपालिका नजीबाबाद और टाउन एरिया साहनपुर और टाउन एरिया जलालाबाद है जिसका जिक्र इस बजट की किताब में नहीं है। मान्यवर, वहां पर एक नजीबाबाद में रेलवे क्रासिंग के ऊपर एक ओवरहेड ब्रिज बनाया जाय। मान्यवर, बिजनौर जिले में कस्बा नेहटौर है जो हैण्डलूम का मर्कज है वहां पर बाहर के व्यापारी हैण्डलूम का खद्दर खरीदने आते हैं वहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है उसको ठीक कराया जाय। इसके साथ-साथ सहसपुर टाउन एरिया है वहां पर नाले और सड़कें ठीक करायी जायं और रोशनी का इन्तजाम कराया जाय। मान्यवर, नगर-पालिका हल्दौर और झालू है वहां पर पानी की टंकियों का सर्वे हो चुका है वहां पर पानी की टंकी का निर्माण कराया जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

(व्यवधान)

श्री महमूदुल हसन अंसारी–

[xxx)

श्री अधिष्ठाता–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा, जो आप कह रहे हैं वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

नोट:–[xxx]यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

माननवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, बजट कैसा भी प्रस्तुत किया गया, उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय बहुत कम है। कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी जो नगर पालिका और टाउन एरिया के चुनाव हुए, यह खुशी की बात है। देर से सही, उसमें जनतांत्रिक प्रणाली आयी है, लेकिन मैं एक चीज की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैं खास तौर पर पिथौरागढ़ जनपद के बारे में बताना चाहूंगा कि वहां पर नगर पालिका और टाउन एरिया में चुनाव में जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार थे, जीते नहीं हैं। विपक्ष के उम्मीदवार जीते हैं। उनकी शिकायत है कि इसकी वजह से टाउन एरिया और नगर पालिका डीडीहाट, धारचूला में बजट आवंटित नहीं किया जा रहा है। मंत्री जी सुन लें। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसको देखें और सुनिश्चित करें कि उस नगरपालिका और टाउन एरिया में शासन की ओर से जो बजट आवंटित होना चाहिए, जितनी मात्रा में हो, जल्द से जल्द हो।

मान्यवर पेयजल के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में कहावत हो गयी है कि जल निगम जहां आया, पानी गायब हो गया। जितनी स्कीमें बनीं, उतना पानी गायब हो गया। इन पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गया है लेकिन एक भी योजना सही तरीके से कारगर नहीं है। मैं अन्य बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा, पिथौरागढ़ जनपद के मुख्यालय में एक योजना थी 6 करोड़ की लागत की, तो मान्यवर, उसमें 60 गांव के करीब उस शहर के आस-पास के लिये जाने थे, लेकिन 60 गांव तो कब के चले गये, पानी कभी नहीं गया, पिथौरागढ़ शहर में भी इस योजना से पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है। इसके बारे में कई बार कहा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे डीडीहाट में एक पुनर्गठित योजना कई वर्षों से लम्बित है लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार बेरीनाग के बारे में कई बार कहा गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस ओर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

*श्री किशन सिंह तड़ागी–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और जो राणा साहब ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका घोर विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी ने और उनकी सरकार ने जो आम चुनाव लोकल वाड़ीज के करवाए हैं, उसके लिये वे बधाई के पात्र है। स्थानीय निकायों के चुनाव होने से आम जनता को जो शिकायत थी, अब वे अपने चुने हुए अध्यक्ष और सदस्यों से सीधे कह सकते हैं। चाहे सफाई के बारे में हो, चाहे सड़क के बारे में हो स्ट्रीट लाइट के बारे में हो या पार्क के

*व्यक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बारे में हो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस पर्वतीय नगरी की ओर दिलाना चाहता हूं जो पर्यटक नगर है, नैनीताल, जहां एक मात्र पानी पीने के लिये तालाब से लिया जाता है, लेकिन उसके अन्दर वहां कई नालियां और छोटे बड़े नाले लेकर 100 नालियां आती है जिनका गन्दा पानी लैक में जाता है। यहां तक कि मल मूत्र भी लैक में जाता है। मेरा निवेदन है कि उन छोटी-बड़ी नालियों को टैप करके सीवरेज में मिलाया जाय ताकि आम जनता को पता है कि केवल शुद्ध पानी ही नहीं देते हैं बल्कि यह भी दिखना चाहिए कि वास्तव में वहां पर शुद्ध पानी उपलब्ध है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके लिये जो सेवरेज ब्रिटिश पीरियड से बना है वह केवल 4000 व्यक्तियों के काम आता है, आज नगर की आबादी बढ़ने से 50 हजार की स्थायी आबादी हो गयी है जबकि सीजन में वहां पर देशी और दूसरे देशों के पर्यटकों के आने से

(इस समय 5 बजकर 42 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

आबादी दो लाख हो जाती है। तो सीवर लाइन में अधिक भार होने से ओवर फ्लो करते है और गंदा पानी लैक में जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार उस सीवेज लाइन को ठीक कराये और बड़ी लाइन उसमें डलवायें । मान्यवर, मल उठाने के संबंध में स्थिति यह है कि सफाई कर्मचारी जो हैं सिर पर मल ले जाते हैं। आजकल के इस जमाने में मल मूत्र को वहां पर सिर पर ले जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए उसको बंद कराना चाहिये और उसको सीवेज लाइन में डलवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय राणा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव नगर विकास बजट पर पेश किया है, यानी माननीय मंत्री जी की नकाब उल्टी है, उसकी मैं ताईद करता हूं। मैं अपने क्षेत्र सम्भल के सिलसिले में 2-3 बाते कहना चाहता हूं । हिन्दुपुरखंड़ा जिसमें एक जगह गैरतपुर है, वहां मलिन बस्ती सुधार के सम्बन्ध में 1985 में 10 लाख रुपये मंजूर हुए थे डेवलपमेन्ट के लिये लेकिन अभी तक यह पैसा नहीं भेजा गया । दूसरी बात 3 करोड़ 32 लाख 48 हजार का प्रोजेक्ट संभल में सरायतरीन, हयातनगर और मियां की सराय तीन जगह के लिये, जिनकी आबादी 50 हजार से ज्यादा है ट्यूबवेल बनवाने, टंकी बनाने और पाइप लाइन बिछाने के लिए मंजूर हुआ था, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के विचाराधीन है और लखनऊ में उलझा पड़ा हुआ है।

माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि 3 करोड़ 32 लाख 48 हजार का जो प्रोजेक्ट वाटर वर्कर्स के सिलसिले में है उसको तुरन्त मंजूर कराके संभल में डेवलपमेंट का काम कराया जाय। दूसरे सम्भल का एरिया बढ़ गया है कर्मचारियों की वहां कमी है अभी तक न वहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी गयी है और न कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है। 50 लाख रु0 से ज्यादा का सिटी बोर्ड सम्भल मकरूज है यानि उसे अदा करना है मैं कहना चाहूंगा कि सम्भल नगरपालिका के पैसे का भुगतान कराया

जाय और इन कर्मचारियों को पैसा दिया जाय जिनकी कई-कई महीनों की तनख्वाह पड़ी हुई है। हरेज भदसेरा से मियां सराय होते हुए नहर गयी है जो फिरोजापुर नदी तक जाती है जिसकी वजह से संभल में बहुत गंदगी है। नहर पटी हुई है उसे खुदवाने के लिये पैसा भिजवाया जाय उस पर काम कराया जाय ताकि संभल की गंदगी दूर हो सके मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि संभल की तरफ विशेष रूप से ध्यान देकर जो समस्यायें हैं उन पर तुरन्त काम करवाया जाय। सम्भल नगरपालिका की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए मैं पुरजोर मांग करता हूं।

श्री राम सिंह एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठता महोदय मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं मंत्री जी द्वारा रखा गया नगर विकास के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नगर महापालिका एक्ट 1959, नगरपालिका एक्ट 1916 में, उस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनप्रतिनिधि एम0 एल0 ए0, एम0 पी0 सदस्य होते हैं, इसी प्रकार से दि यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज एक्ट 1914 में ऐसा प्राविधान कर दिया जाय जिससे कि जो इन टाउन एरिया के अन्तर्गत विधायक आते हैं या एम0 एल0 सी0 आते हैं, उसके वह सदस्य हो जाय। यह मान्यवर, इसलिए है कि जिस विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं वहां दो टाउन एरिया पड़ती हैं, कोई नगरपालिका, महापालिका नहीं है। इसी प्रकार का प्राविधान टाउन एरिया एक्ट में भी कराया जाय। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, किशनी नगर क्षेत्र समिति और कुसमरा नगर क्षेत्र समिति अभी है। यह 3-4 साल पहले नगर क्षेत्र समिति बनी हैं, न वहां खड़ंजा है, न नाली है, न टंकी की व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इनको अधिक से अधिक धन दिया जाय। तीसरी बात यह है कि जो जल निगम के नल लग रहे हैं, इन नलों के लगाने में बड़ी अव्यवस्था है। पालिसी बनी है कि अगर किसी गांव में 2 नल लगने हैं, तो एक हरिजन क्षेत्र में लगेगा। इसकी आप जांच करवा लें, खासतौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र में, ऐसा नहीं किया गया है। मनमाने ढंग से जल निगम के कर्मचारी द्वारा नल लगाये गये।

मान्यवर, हमारा विधान सभा क्षेत्र किसनी है जहां से मैं चुनकर आता हूं, आप वहां की जांच करवा लें । एक भी गांव में मानक के हिसाब से नल नहीं लगे हैं । कहीं-कहीं 6-6 नल लगे हैं और कहीं एक भी नहीं है । अभी तक आपने प्रधानों को स्थल चयन का अधिकार दे रखा है और प्रधानों ने या तो अपने घरों में नल लगवा लिये हैं या फिर अपनी बाउन्ड्री में नल लगाया है । मेरा सजेशन है कि जब साइट सलेक्शन हो तो उसके लिए एक कमेटी बना दी जाय, जिसमें एस0 डी0 एम0 उसका नुमाइन्दा हो, बी0 डी0 ओ0 या उसका एक नुमाइन्दा हो तथा जल निगम का एक आदमी हो । इस प्रकार तीनों आदमियों की एक समिति बना दी जाय, यह लोग जाकर स्थानों का चयन करें । इसी तरह मान्यवर, हमारे यहां मैनपुरी में सीवर की बड़ी आवश्यकता है । मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे यहां सीवर की व्यवस्था करायी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

*श्री लक्ष्मी नारायण–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राणा जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं केवल 4-5 सुझाव रखना चाहूंगा ।

(बीच में श्री अशोक बाजपेयी के खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बाजपेयी जी, आप लिखकर दे दीजियेगा।

(कई अन्य सदस्यों के द्वारा भी उन्हें बुलवाये जाने का अनुरोध करने पर)

मंत्री जी यह जो 2-3 लोग रह गये हैं, यह लिखकर दे देंगे । इसको आप कार्यवाही का अंग मान लीजियेगा ।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रथम सुझाव देना चाहूंगा कि अभी तक जो हमारे यहां पेयजल की टंकियां बनती थीं, उसमें सन् 1971 की जनसंख्या का मानक रखा गया है, जबकि सन् 1971 से आज तक कम से कम जनसंख्या डेढ़ गुनी हो चुकी है । तो मेरा सुझाव है कि जो पेयजल की टंकिया बनायी जायें, उनमें वर्तमान जन-संख्या के हिसाब से मानक रखा जाय । दूसरा सुझाव मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को देना चाहूंगा कि अरब कन्ट्रीज में केवल बरसात का पानी इकठ्ठा करके पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, वहीं इस उत्तर प्रदेश में जबकि हर बड़े शहर और नगर ज्यादातर नदियों के किनारे बसे हुये हैं, लेकिन फिर भी आज तक सही रूप में पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पायी है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि पेयजल के लिए सही व्यवस्था की जानी चाहिए । आज तक यह सरकार के दिमाग के दिवालिये-पन का एक उदाहरण है, जबकि आज दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर रही है लेकिन हमारे यहा खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए आज तक कोई तकनीक कामयाब नहीं हो पायी है ।

इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का अध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे यहां मथुरा तहसील, छाता तहसील पूर्णरूपेण खारी हैं, जहां हैण्डपम्प भले ही कम लगाये जायें, पर पेयजल की टंकियां अवश्य बनायी जायें । इसी तरह मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में हाता, बरसाना, चौसा, तथा नन्दग्राम आदि ऐसे 4-5 टाउन एरिया हैं, जहां इतनी कम वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे केवल तनख्वाह ही दी जा पाती है और उसके अलावा एक रुपया भी शेष नहीं बच पाता है । वहां अधिकारियों की कार्य कुशलता कम होने का एक कारण यह भी है कि 18-18 साल से यह लोग वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं दिया गया, ऐसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तमाम अधिशासी अभियंता हैं । इसी तरह जल निगम में जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको भी नियमित किया जाना चाहिए । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहूंगा कि पेयजल की टंकी जब बनाने की बात आती है तो चीफ इंजीनियर पहले अपना कमीशन तय करते हैं, उसके बाद ही कोई काम हो पाता है, इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं।

(श्री हृदय नरायन दीक्षित, डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री प्रेम पाल सिंह आदि अनेक सदस्यों के खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

4 घन्टे से अधिक समय हो चुका है । अब आप लोगों को जो भी कहना हो, अपने सुझाव लिखकर दे दीजियेगा, उसे कार्यवाही का अंग बनवा देंगे†।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि चर्चा का समय 20 मिनट और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब टाइम कितना बढ़ाया जायगा, 4 घन्टे चर्चा हो चुकी है अभी दो चर्चा भी होना बाकी है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित को आज की कार्यवाही के शेष समय तक के लिए निलम्बन का प्रस्ताव

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैं शुरू से यहीं बैठा हूं, लेकिन मुझको नहीं बुलवाया गया । मान्यवर आप [xx] करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसमें क्या [xxx] करता हूं। मैं तो अभी आया हूं।

(श्री हृदय नरायन दीक्षित जी खड़े होकर बोलते रहे व श्री विजय सिंह राणा जी भी खड़े रहे जिससे व्यवधान हो गया ।)

माननीय श्री दीक्षित जी आप कृपा करके बैठ जायं । आप जो कह रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा । आप लिखकर दे दें । इनका माइक बन्द कर दिया जाय।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

चेयर के लिए श्री दीक्षित जी ने कहा है, उन्हें कार्यवाही में शामिल न किया जाय ।

(श्री हृदय नरायन दीक्षित जी सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये ।)

नोटः–†मा0 सदस्यों के सुझावों के लिए देखिए नत्थी छ आगे पृष्ठ 249 पर)

नोटः–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इन्हें इंगित करता हूं ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हृदय नरायन दीक्षित जी को आज के बाकी समय के लिए सदन से निष्कासित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री रघुबर दयाल वर्मा व श्री शारदा प्रताप श्री हृदय नरायन दीक्षित जी को वापस ले गये ।)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि श्री दीक्षित जी की किसी बात से आपको तकलीफ हुई ।....

(पुनः श्री हृदय नरायन दीक्षित जी सदन के फ्लोर पर आ गये। यह कहा कि मैं ऐसा प्रस्ताव को नहीं मानता हूं मैं स्वयं हाउस से बाहर जा रहा हूं।)

श्री उपाध्यक्ष–

जाइये, जाइये ।

(श्री हृदय नरायन दीक्षित जी ने कहा कि मैं आपके आदेशों का पालन करते हुए स्वयं सदन से बाहर जा रहा हूं ।)

(श्री हृदय नरायन दीक्षित जी सदन से बाहर चले गये ।)

वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–3 आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास), अनुदान संख्या–2 आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) (क्रमागत)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैंने जब कटौती का प्रस्ताव रखा था तो जल निगम को बिल्कुल छोड़ गया था । मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि हमारी तरफ से जो शिकायतें आती हैं, वे सब की सब सही होती हों। मैं यह भी नहीं कहता कि सब शिकायतें किसी आधार पर होती हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो शिकायतें आती हैं, शासन का कार्य है कि उन शिकायतों पर गम्भीर रूप से जांच करायें और कोई मामला बनता है तो उसका निराकरण भी होना चाहिए । शिकायतें रद्दी की टोकरी में पड़ी रहें, यह ठीक नहीं है । इससे प्रशासन की क्षमता घटती है । यहां एक शिकायत मिल रही है कि जो जल निगम के प्रबन्ध निदेशक है श्री एस0 के0 शर्मा, उनको 1983 से बराबर एक-एक साल की परमीशन देकर उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, जबकि दूसरे जो अधिकारी काम कम रहे हैं, उनको एवाइड किया जा रहा है । जो भी स्थिति हो,

यह शिकायत गम्भीर है, इसकी जांच होनी चाहिए । आज तक जांच क्या नहीं हुई ? मुझे नहीं मालूम कि इसकी स्थिति क्या है लेकिन जब शिकायत है तो उसका निराकरण होना चाहिए ।

जल निगम की कार्य क्षमता सदन के माननीय सदस्य देख रहे हैं, कोई इंजीनियर आफिस से बाहर निकलकर नहीं देखता है। अगर कोई हैण्डपम्प महीनों से खराब पड़ा है तो कोई देखने वाला नहीं है । आगरा में 60 प्रतिशत हैण्डपम्प खराब हैं । रख-रखाव शाखा बना दी गयी। जब से खुली है हैण्डपम्प्स को देखने की परिपाटी ही नहीं है । हैण्डपम्प्स का सही उपयोग हो सके इसके लिए जांच और परीक्षण होना चाहिए । शिकायतों पर कार्यवाही होनी चाहिए । जल निगम में जो पाइप लाइन डाली जाती है इसके लिए विभाग का जे0 ई0 6 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से चार्ज करता है जबकि आप पता लगा लें 2.50 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से मजदूरी दी जाती है । करोड़ों रुपये का बजट जे0 ई0 खा रहे हैं । हर जिले में जितने जे0 ई0 हैं वे ठेकेदारी कर रहे हैं विभिन्न नामों से उनके अपने स्वयं के गैंग हैं, जिनसे काम करा रहे हैं । अपने लोगों के नाम से ठेकेदारी के फर्जी लाइसेंस ले रखें हैं । बी0 डी0 सी0 की मीटिंग होती है, उसमें जल निगम का कोई इन्जीनियर उपस्थित नहीं होता है। यह तो सत्यापित चार्ज है। आप पता लगा लीजिए कितने इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, असिस्टेंट इन्जी-नियर ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग में एटेण्ड करते हैं । जिन्होंने नहीं किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए । मथुरा में 50 लाख रुपया जल प्रदूषण के लिए गये, सब खा गये। आगरा से बोदाला होकर विचपुरी उछनेरा मार्ग है, वहां पर महाजन फैक्टरी का पानी भरा हुआ है गन्दगी पूरे गांव में फैल रही है, पेड़ सूख गये हैं, गांव में बीमारी फैल रही है । हमने जिलाधिकारी से कहा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है ।

अब कुछ सुझाव देना चाहता हूं इस समय संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। विश्व के जन-मानस का ध्यान शहरों से निकलकर कस्बों की तरफ जा रहा है, कोठियों के बजाय फार्म हाउस की संस्कृति पूरे नक्शे पर फैल चुकी है। शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है वह कैसे कम हो इसके लिए मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि बड़े-बड़े शहरों से लगे हुए जो गांव हैं उनके अन्दर वैज्ञानिक पद्धति से फार्म हाउस को बढ़ाया जाय जिससे कि शहर और गांव में समन्वय स्थापित हो सके । इसके लिए दो-तीन काम करने पड़ेंगे कि पीने का पानी, बिजली, यातायात के साधन और शिक्षा, यह विकास के कार्यक्रम लखनऊ, आगरा, मेरठ, बनारस तथा कानपुर आदि शहरों में जिनसे कि बड़े-बड़े गांव लगे हुए हैं उनमें आप आधुनिकीकरण द्वारा जीवन की सब सुविधायें मुहैया करायें और आधुनिकीकरण के आधार पर उनका विकास किया जाय। फिर गांव की जनता को शहर की तरफ भाग कर आने की जरूरत नहीं रहेगी और इससे शहरों में भी आबादी का दबाव कम होगा ।

अब मैं खास करके भूमि अधिग्रहण की बात करना चाहता हूं कि इसके लिए निर्देश होने चाहिए कि किसी प्रकार का भूमि अधिग्रहण नहीं होगा । केवल सार्वजनिक

उपयोगों की योजनाओं को छोड़कर जैसे सा0 नि0 वि0 के या कैनाल के लिए । यानी कि भूमि अधिग्रहण केवल बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिए ही होगा और उसमें भी किसानों को मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजे का भुगतान किया जायेगा। प्राधिकरण में जो भूमि अधिग्रहण की गयी है उसमें पूरी की पूरी कार्यवाही फर्जी की गयी है । मनमाने ढंग से उसे आवास कालोनी में बदल दिया गया है और धारा 5 को हटा दिया गया है। आप इस संबंध में एक सदन की कमेटी बनायें जो कि भूमि अधिग्रहण के केसेज की जांच करे ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मा0 राणा जी का भाषण दि टेल आफ द टू सिटीज है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा घपला तो यह है कि शासन के आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारी हर शहर में अपनी कोठियां बनवाये हुए हैं और उसे किसी न किसी बैंक को या फिर सरकारी कार्यालय को किराये पर दिये हुए हैं । जितना उनका किराया होता है, आगे और किराया बढ़ाये जाने की उनकी मांग जारी रहती है। आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की कोठियां जबरदस्ती दफ्तरों को दी जाती हैं । इसकी जांच होनी चाहिए कि किस-किस अधिकारी की कोठियां किराये पर उठी हुई हैं और उनमें कौन-कौन से विभाग का दफ्तर चल रहा है और कितने किराये पर हैं और आगे कोठियों के मालिक के द्वारा कितना किराया बढ़ाये जाने की मांग की जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए । इस तरह से आपके ही अधिकारी प्रदेश का पैसा लूट कर खाये जा रहे हैं ।

किसानों की जमीन पर व्यवसायिक भू-खण्ड नहीं बनाये जाने चाहिए। विकास प्राधिकरण में यहां पर करोड़ों रुपये का घोटाला है । इसकी वार्षिक आय का लेखा-जोखा सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए ।

इसके अलावा जो स्थानीय निकाय की सर्विसेज हैं उनको आपने सेन्ट्रलाइज कर दिया है, यह उचित नहीं है । दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग में डाइरेक्ट नियुक्तियां की हैं जबकि नयी भर्ती पर बैन लगा हुआ है, यह जनता के साथ घनघोर अन्याय है । इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि मामले की खुली जांच होनी चाहिए ताकि पूरे प्रदेश के सामने पूरी बात स्पष्ट हो सके, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

नगर विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों ने आवास एवं नगर विकास के बजट पर जो विचार प्रकट किए हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं । मान्यवर, आज माननीय राणा जी ने बहुत देर तक शिकायतें कीं और इनकी शिकायतों का कोई अन्त भी नहीं है और मैं समझता हूं कि बराबर बनी ही रहेंगी ।

लेकिन एक बात की ओर मैं भी समझता हूं कि उनका कहना ठीक ही है । कि आगरे में पानी की कमी है और उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है कि वहां पानी की कमी दूर हो जाए । जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर वर्तमान में 150 एम0 एल0 डी0 पानी वहां मिलता है, जो वहां की आवश्यकता से कम है । सरकार इसे दूर करने की कोशिश में है और वहां आगरा बैराज की एक योजना विचाराधीन है और सिंचाई विभाग उसका साइट सेलेवशन कर रहा है और जैसे ही यह साइड सेलेक्शन पूरा हो जायेगा, लगभग यह 50-60 करोड़ रुपये की योजना है, जब यह पूरी हो जायेगी तो इससे वहां की पानी की समस्या पूरे तौर पर हल हो जायेगी ।

दूसरी बात यह है कि वहां पर जो मौजूदा स्थिति है, इस समय 500 हण्ड पाइप वहां पर लग रहे हैं और 500 हण्ड पाइप के लिए पैसा दे दिया गया है, इस तरह से एक हजार हण्ड पाईप वहां पर काम करते रहेंगे, तब तक बहुत बड़ी यह योजना वहां पर शुरू होती है। मैं समझता हूं कि इससे माननीय राणा जी को तो सन्तुष्ट हो जाना चाहिए । मैंने आज ही बजट की बात करते हुए यह कहा था कि हमारे वह जन-प्रतिनिधि जो नये हैं, उनमें बड़ा उत्साह और उमंग है कि हर एक के क्षेत्र की महापालिकाओं में, नगर पालिकाओं में, टाउन एरियाज व नोटिफाइड एरियाज में सड़कों का अच्छे से अच्छा निर्माण हो, पानी भी खूब हो और बिजली के लट्टू भी हर जगह लग जाएं तो इस प्रकार से जो उनका क्षेत्र है वह इन चीजों से व्यवस्थित हो जाए ताकि वहां के लोग देखें और समझें कि उन्होंने जो जन-प्रतिनिधि चुना है, उन्होंने जम कर काम किया है।

लेकिन उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो संसाधन हैं, उनके जुटाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वह अपने स्तर पर उसकी व्यवस्था कराएं और सरकार अपने स्तर पर करे और मदद करके सरकार उनकी, जिससे टाउन एरियाज व अन्य क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं, उनका समाधान आसानी से हो सके। लेकिन यह लोकतंत्र उसी समय चल सकता है, जब दोनों का सहयोग हो, सरकार की ओर से भी सहयोग हो और जनता भी हमें अपना पूरा सहयोग दे । अभी कुछ देर पहले हमारे एक साथी इसी सदन में कह रहे थे कि सरकार हमारे यहां जो हाउस टैक्स वसूल कर रही है, उसे बन्द किया जाए फिर तो इसका मतलब तो यह हुआ कि सरकार अपने स्तर पर कोई पैसा इकट्ठा ही न करे और दूसरी तरफ वह अपने क्षेत्र में हर प्रकार का सुधार लाना चाहते हैं, तो यह सुधार कैसे आएगा । मैं फिर भी अपने ऐसे साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन कामों के लिए सरकार अनुदान देती है उनके लिए वैसे ही अनुदान देगी और इस बात की भी कोशिश की जायेगी कि टाउन एरिया, महापालिकाओं व नगर महापालिकाओं की जो वर्तमान की समस्याएं हैं, उनका एक-एक का समाधान हो, उसके लिए सरकार भी प्रयास करेगी और आप सबका भी सहयोग हो ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

एक बात यह कही गयी है कि जो बजट पेश किया गया है, वह कम है । अनुदान संख्या 2 के बारे में कहा गया है कि वर्ष 1988-89 के बजट में तो यह 80 करोड़ 57 लाख 62 हजार था और अब 72 करोड़ 79 लाख 90 हजार ही रह गया है । तो यह कोई बड़ा गैप नहीं है । इसको पूरा करने के लिए कोशिश की जायेगी और जो सदस्यों की आशंका है, उसको पूरा किया जायेगा । यह तो अनुदान संख्या–2 की बात कह रहा हूं । अनुदान संख्या-3 में भी इस तरह की बात कही गयी है, लेकिन अनुदान संख्या 3 में 1988-89 में 2 अरब 19 करोड़ 23 लाख 5 हजार का प्राविधान था और इस बार 2 अरब 18 करोड़ 27 लाख और 15 हजार ही रह गया है, तो यह ठीक है, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं है । कुछ लेखानुदान में ज्यादा ले लिया गया है । अगर सभी को लाकर देखें, तो किसी तरह की कमी नहीं है । मैंने कहा था कि हमें सूचना मिली थी, कि इलाहाबाद कुम्भ में वहां पर आग लगी, एकाउन्ट के पेपर जल गये । तो मैं कहना चाहता हूं कि आग चपरासी के घर पर लगी थी, उसका बिस्तर आदि पर्सनल चीजें जो थीं वह जल गयीं, दफ्तर के जो कागजात हैं, वह सब सुरक्षित हैं, उनमें किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि वह यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह मांग की है कि जो बड़े-बड़े गांव हैं, 15 हजार, 20 हजार आबादी वाले जो गांव हैं, उनको टाउन एरिया बना दिया जाय, तो मैं कहना चाहता हूं कि वह एक प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करने के बाद ही टाउन एरिया घोषित किया जा सकता है और माननीय सदस्य अगर उसके लिए इच्छुक हैं, तो लिखकर दे दें, हम उस प्रक्रिया को पूरा करा कर जिसको टाउन एरिया बनाया जा सकता है, उसको बना दिया जायेगा । जो नगरपालिकायें बड़ी आबादी की हैं और अभी तक टाउन एरिया के रूप में ही हैं, उनको नगरपालिका के रूप में अप ग्रेड किया जा सकता है । उसमें कोई कठिनाई नहीं है । आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश में पीने के पानी की बराबर कमी है, उस कमी को कैसे पूरा किया जाये, इस पर हम विचार कर रहे हैं । हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या कारण है जिससे पीने के पानी की कमी को दूर किया जा सके, उसके लिए कोशिश की जायेगी और जो माननीय सदस्यों की शिकायत है, उसको दूर करने का प्रयास किया जायेगा ।

माननीय, आप लोगों ने जो सुझाव दिया है, उन सुझावों पर विचार किया जायेगा और उन पर विचार ही नहीं किया जायेगा, अमल भी किया जायेगा। बहुत सारे सदस्यों ने बड़े उपयोगी विचार दिये हैं और सुझाव दिये हैं, उन पर हम अमल करेंगे और हमें विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरी इन बातों पर विश्वास रखेंगे । एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, इलाहाबाद में अल्लापुर का मामला चल रहा था । अनुग्रह नारायण सिंह, गोपाल दास जी बराबर इस कोशिश में हैं कि वहां की समस्या को सुलझाया जाये, वहां की जो समस्या है, उसका समाधान हो जाये तो इसके लिए वहां पर एक कमेटी आयुक्त इलाहाबाद की अध्यक्षता में बना

दी गयी है और जिसके अनुग्रह नारायण सिंह, गोपाल दास जी और विद्यार्थी जी सदस्य बनाये गये हैं, वह जो संस्तुति करेंगे या रिपोर्ट देंगे उस पर अमल किया जायेगा । मैं श्री अनुग्रह नारायण जी से कहना चाहूंगा कि वह भरोसा रखें कि गवर्नमेंट की ओर से बराबर कोशिश की जाती है कि जो शिकायत है वह दूर हो । अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि, यह बजट स्वीकार किया जाये ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मैंने माननीय मंत्री को लिखकर भी दिया है

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप हर वक्त खड़े हो जाते हैं . .

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी नारायण–

जो जिला योजनायें चल रही हैं उनको जो पैसा दिया गया है . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

पहले डाक्टर जौहरी को मैंने बुलाया है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

जिन नगरपालिकाओं के चुनाव हो चुके हैं उनमें जो पहले डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्हें सरकार ने अब अतिरिक्त मुख्य अधिकारी करके रख लिया है । इसका क्या औचित्य है ? इसमें आप 25 हजार रुपया महीने का खर्च बढ़ा रहे हैं । उन्हें आप कब हटाने जा रहे हैं ?

(श्री हरेन्द्र सिंह के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जो शिकायत आपको है, उसको पूरा कर लिया जायेगा ।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में कुछ टाउन एरिया ऐसी हैं जो अभावग्रस्त घोषित हुई हैं । वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था कब तक पूरी करा देंगे . . .

(श्री गोपाल दास के खड़े होकर कुछ कहने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं . .

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं, माननीय मंत्री जी बता दें कि जितनी भी टाउन एरिया और म्यूनिसिपलिटीज हैं जो स्वयं विधायकों के क्षेत्र में आती हैं उनके पदेन सदस्य के रूप में क्या विधायकों को मनोनीत करने की आपकी व्यवस्था है ? दूसरी बात यह है कि नगरपालिकाओं की तरफ से चुंगी लगाने के बारे में आपकी क्या नीति है ? वह चुंगी लगा सकते हैं या नहीं ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, विधायक तो स्वयं निर्वाचित हैं । सवाल यह है कि उन्हें टाउन एरिया का भी मेम्बर होना चाहिए तो कानून विभाग से इस संबंध में सलाह ले लेंगे । अगर उन्होंने सलाह दे दी तो उस पर विचार कर लिया जायेगा। . . . (व्यवधान)

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब दिलवा दें ।

*इन्जिनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो टाउन एरिया हैं और जो नगर-पालिकाएं ऐसी हैं जो आप ही के अनुदान पर चल रही हैं और 6-6 महीने से उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, कोई सुविधा नहीं है उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? जब उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या विकास आप करेंगे . . . (व्यवधान)

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं बुलाया गया)

*श्री अमर चन्द्र–

हमारे यहां एक टाउन एरिया वाह है । उसकी आमदनी का कोई सोर्स नहीं है । , उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कृपा की थी कि डाक्टर दिनेश जौहरी को सबसे पहले बुला लिया । उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल किया है । मंत्री जी से उसका उत्तर दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी दिलवा देंगे ।

*श्री गोपाल दास यादव–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भवन आवास विकास परिषद् और अटपटी सी बात मुझे लगी । उन्होंने जल निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक पर डाल कर की जा रही है तो क्या उसे रोकने की व्यवस्था वह करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

अगर आप मेरे चैम्बर में आ जायं तो सारी बातें विस्तार से हो जायेंगी । मैं एक बात कहना छोड़ गया था अपने भाषण में जो माननीय राणा जी ने एक बात कही और अटपटी सी बात मुझे लगी । उन्होंने जल निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक पर जो आरोप लगाये वे बिल्कुल निर्मूल हैं उनके पीछे कोई सच्चाई नहीं है । अगर वह मुझ से बात करेंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि यह बात मैंने क्यों कही ।

श्री उपाध्यक्ष–

राणा जी, आप वापस ले रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय सिंह राणा–

नहीं मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब कोई स्पष्टीकरण नहीं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,81,89,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,66,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री सूर्य प्रताप शाही जी की सूचना को वक्तव्य के लिए श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी एवं श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की सूचना पर केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। शेष अस्वीकृत हैं।

जनपद जौनपुर, तहसील मछली शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हजारों रुपये की दवाइयों के खराब होने एवं घोटाला किये जाने के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

श्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

मान्यवर, डा0 के0 डी0 सिंह तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र . . .

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया ।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

[डा0 के0 डी0 सिंह तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मछली शहर जौनपुर का स्थानान्तरण अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी मंडल के आदेश दिनांक 4 नवम्बर, 1986 द्वारा जनपद जौनपुर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी के अधीन किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मंडल द्वारा अपने आदेश दिनांक 30 दिसम्बर, 1986 के द्वारा स्थगित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 20-4-87 के आदेश द्वारा निरस्त किया गया।

पुन: डा0 के0 डी0 सिंह प्रभारी चिकित्साधिकारी का द्वितीय बार स्थानान्तरण महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 15 जून, 1987 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मछली शहर जौनपुर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद गाजीपुर के अधीन किया गया, जिसे महा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 31-7-87 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

डा0 के0 डी0 सिंह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का तृतीय बार स्थानान्तरण महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 22 जून, 1988 द्वारा जनपद जौनपुर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के अधीन किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश बाद में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 1988 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आदेश दिनांक 1-9-88 के अनुपालन में डा0 के0 डी0 सिंह को राजकीय महिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात करने के आदेश दिनांक 6/8 सितम्बर, 1988 को जारी किये । उक्त पृष्ठभूमि में उन्हें मछली शहर, जनपद जौनपुर में मकान की आवश्यकता मानी जा सकती है । डा0 के0 डी0 सिंह ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मछली शहर का कार्यभार अभी तक हस्तान्तरित नहीं किया है और न ही स्टोर का चार्ज अभी तक दिया है। उन्होंने महिला चिकित्सालय मछली शहर में भी कार्यभार नहीं ग्रहण किया। स्टोर में लगभग 35,000 रुपये के मूल्य की दवायें बन्द हैं। डा0 के0 डी0 सिंह प्रभारी चिकित्साधिकारी के कार्यकाल की विशेष सम्प्रेक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी जौनपुर ने करायी है। विशेष सम्प्रेक्षा दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी कि कितने मूल्य की दवायें स्टोर में बन्द हैं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामान आदि में डा0 सिंह के कार्यकाल में कोई अनियमितता अथवा गड़बड़ी तो नहीं की गयी है ।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो लिखित ववतव्य दिया है उसमें यह तस्लीम किया है कि हमने जो सूचना दी थी उसके आधार पर 50 हजार की दवायें सड़ी हुई या स्टोर में बंद हैं की बात सही है और 35 हजार की दवायें अभी तक डाक्टर स्टोर में बंद किये हुये हैं। आपने स्वीकार किया है कि 35 हजार की दवायें जो हैं उनका चार्ज डाक्टर ने नहीं दिया । यह दवायें इक्सपायर हो रही हैं तो क्या उनको निकलवाने की व्यवस्था करेंगे और उनको जन-हित में उपयोग कराने की व्यवस्था करेंगे?

दूसरी बात आपने वक्तव्य के नीचे कहा है कि विशेष सम्प्रेक्षा दल से जांच हो रही है कि उनके कार्यकाल में क्या-क्या घोटाले या अनियमितता हुई हैं। वह डाक्टर वहां रह कर जांच को प्रभावित कर रहा है। इसलिए उनका वहां रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका तत्काल वहां से स्थानान्तरण करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, वक्तव्य में सारी बातों को इसीलिये स्पष्ट कर दिया गया है कि मा0 सदस्य को किसी प्रकार की आशंका न रह जाये। जहां तक दवाईयों का संबंध है और ट्रान्सफर के बारे में कहा है तो उन्होंने रिट याचिका दाखिल कर दिया है इसलिए इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही होगी तथा जांच की कार्यवाही हेतु एक विशेष दल प्रदेश से भेजा गया है जो इस संबंध में जांच कर रहा है कि शिकायतें कहां तक सही हैं।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, उनके रहने से जांच प्रभावित हो रही है और याचिका दाखिल करने से नहीं बनता है कि वहां पर वह रहें और चार्ज भी न लिया जाये। इसलिए आग्रह है कि उनसे चार्ज लेकर वह वहां न रहें और जांच भी प्रभावित न हो क्या इस सम्बन्ध में आश्वासन देंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, यह कार्यवाही की गयी थी लेकिन उन्होंने चार्ज नहीं दिया। इस समय वह फरार हैं। ऐसी दशा में जांच करके अग्रिम कार्यवाही उनके खिलाफ की जायेगी।

श्री पारस नाथ यादव–

उन डाक्टर ने दवाईयों को जो ताले में बंद कर रखा है और डेट इक्सपायर हो रही है और मंत्री जी ने जैसा कहा कि वह फरार हैं, तो मेरी सूचना को सही मानें कि वहां वह डाक्टर मौजूद रहकर राजनीति मछली शहर में कर रहे हैं । मान भी लें कि वह फरार हैं, तो ताले में जो दवाईयां बंद हैं क्या ताला तुड़वाकर दवाईयों को निकालने की कार्यवाही करेंगे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है। समप्रेक्षक की संभवतः एक सप्ताह में रिपोर्ट आ जायेगी। उनकी अनुपस्थिति में तालां तुड़वाने और दवाईयों का कैसे उपयोग हो, इस पर विचार हो रहा है।

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैं दो बातें जानना चाहता हूं। पहली बात यह है कि डाक्टर का कितनी बार और किस अधिकारी के कहने से ट्रान्सफर हुआ और किनके दबाव से निरस्त हुआ? उनमें ऐसी क्या बात है कि वहीं पर रहने देने के लिए शासन मजबूर है ? दूसरी बात, जो दवाईयां बन्द हैं वह क्या-क्या हैं ?इक्सपायरी डेट क्या है ? क्या पुलिस कार्यवाही करके ताला तुड़वाकर दवाईयों को निकालेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, डाक्टर का शिकायतों के आधार पर 6 बार ट्रान्सफर किया गया। पहला ट्रान्सफर अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा 4-11-86 को किया गया। दूसरा 15 जुलाई, 1987 को संयुक्त निदेशक द्वारा ट्रान्सफर किया गया। तीसरी बार 22 जून, 1988 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा। चौथा ट्रान्सफर 8-9-88 को किया गया। पांचवां 11-11-1988 को। लेकिन यह जो ट्रान्सफर रुकवाने की प्रक्रिया है उसे आप सभी जानते हैं। जो माननीय सदस्य की शिकायत है कि ट्रान्सफर होना चाहिए और इसका कारण भी यही है कि बार-बार ट्रान्सफर किया गया लेकिन कभी इधर और कभी उधर से दबाव आ जाते हैं और कभी-कभी व्यक्तिगत ऐसी आवश्यकतायें भी होती हैं जिनके कारण ट्रान्सफर रोकना या करना पड़ता है।

श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, इनका 1986 से बराबर ट्रान्सफर हो रहा है और रोका जा रहा है। दूसरे जिले में ट्रान्सफर होता था लेकिन इस बार टेबिल बदल गयी है और 6 महीने से आर्डर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो विभाग ने 6 महीने में क्या कार्यवाही की? जो वह एक टेबुल से दूसरे टेबुल पर नहीं जा रहे हैं और फरार हैं जैसा उन्होंने माना तो उस पर आपने क्या कार्यवाही की?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

उनके खिलाफ जो विभागीय या अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, उसके लिए मैंने कहा है कि विशेष दल यहां से गया है और वह जांच करके देगा तो जो सख्त से सख्त कार्यवाही होगी वह की जाएगी।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मंत्री जी ने कहा कि उनका वक्तव्य बहुत और बिलकुल स्पष्ट है, यह चीज वह वास्तव में स्वतः साबित करता है कि मंत्री जी और उनकी सरकार कितनी गैर जिम्मेदार और हठी है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसको छिपाने में वह कितनी दत्तचित है। यह बात स्पष्ट हो जाती है। मंत्री जी ने कहा फरार है और दूसरे रिट याचिका का बहाना ले लिया। यह दोनों बातें कैसे हो सकती हैं, क्योंकि दोनों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोधाभास है। मैं जानना चाहता हूं कि रिट याचिका पर न्यायालय का निर्णय क्या हुआ ? अगर उस पर स्टे हुआ है तो मछली शहर में उसको ज्वाइन करा देना चाहिए और यदि वह एडमिट हुई है तो फरार समझकर उनके खिलाफ आगे की कार्यवाही न करने का कारण क्या है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, जो उन्होंने रिट याचिका दाखिल की है, उसमें बिन्दुवार आख्या वहां के सी0 एम0 ओ0 से मांगी गयी है, उसके आने पर ही याचिका के बिन्दु क्या हैं, मालूम होंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

(व्यवधान) मैं समझता हूं कि वह संबिधान के अनुच्छेद 226 में कोर्ट में गये होंगे, मैं जानना चाहता हूं कि फैसला न्यायालय का क्या हुआ। मैं समझता हूं कि इसमें केवल रिज्वायन्डर के लिए सी0 एम0 ओ0 से रिपोर्ट मांगी गयी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या याचिका दाखिल कर देना मात्र स्टे हो गया? मान्यवर, आप इसमें हमें संरक्षण दीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार को छिपाने का यह एक घिनौना प्रयास है। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय का निर्णय क्या है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

हाई कोर्ट के निर्णय के बारे में ही मैंने कहा है, सी0 एम0 ओ0 से रिपोर्ट याचिका की कापी और बिन्दुवार आख्या जानने के लिए कहा गया है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं इसकी पृष्ठभूमि को जानता नहीं हूं, न मेरा नाम इसमें था और न मैं इसमें रुचि ही रखता था, लेकिन बड़े घिनौने तरीके से मंत्री जी द्वारा इस भ्रष्टाचार के मामले में संरक्षण देते देखा, तो सोचा मैंने कि इसमें सवाल पूछ लिया जाए। उसने याचिका दाखिल कर दिया है, स्टे मिल जाता तो हम कोई उस पर टिप्पणी न करते और मछली शहर में ज्वाइन करके दवाइयां खोलता और स्टे नहीं मिला तो उसके साथ इतनी नरमी करने का कौन सा कारण है? इसमें 6/7 महीने हो गये हैं, आप शासन को कोई निर्देश इस सम्बन्ध में देने की कृपा करेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, इस वक्तव्य में भी है और मैं यहां से भी आश्वासन दे रहा हूं कि उसका ट्रान्सफर कर दिया गया है, किन्तु वह जा नहीं रहा है । वहां उसने ज्वाइन नहीं किया उसका ट्रान्सफर करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और ट्रान्सफर पर न जाने के लिए उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, स्पष्ट बात है, दो बातें कही गयी हैं। 6 बार उसका ट्रान्सफर हुआ और अब भी वह ट्रान्सफर पर है, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका अंतिम ट्रान्सफर कब हुआ यानी कौन सी तारीख है जब से वह अपने ड्यूटी पर नहीं गया है और इस अपराध के लिए उसे आज तक निलम्बित न करने का कारण क्या है, जब वह ड्यूटी पर नहीं है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया है कि उनका ट्रान्सफर हुआ 6 बार, वह शिकायतों के कारण हुआ, छठवीं बार इसलिए हुआ, तो जहां पर उनका ट्रांसफर हुआ वहां पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और जहां से ट्रान्सफर हुआ वहां का चार्ज नहीं दिया, तो इसके लिए विशेष दल भेजा गया है आवश्यकतानुसार उनको निलम्बित करने की कार्यवाही की जाएगी ।

*श्री मूलचन्द्र–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि एक चिकित्साधिकारी को एक स्थान पर रहने के लिए कितने दिन का नियम है, इस चिकित्साधिकारी को कितने दिन हो गये और किन परिस्थितियों में इनका 6 बार ट्रान्सफर रोका गया ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो इन्होंने बता दिया है इन्होंने उनको निलम्बित करने की बात कह दी है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा जहां ट्रांसफर किया गया था वहां वह नहीं गये और न ही चार्ज दिया, तो चार्ज न देने पर तो विभागीय कार्यवाही स्वतः सिद्ध हो जाती है आपको विभागीय कार्यवाही करनी चाहिए थी विभागीय कार्यवाही में निलम्बन आ जाता है, तो निलम्बन में इनको क्या कठिनाई है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

निलम्बित किया जाएगा कार्यवाही हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या–11 स्थगित किया जाता है।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं मंत्री जी ने कहा एक याचिका दायर की थी मैंने मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्पर्क किया था उस व्यक्ति ने कोई याचिका कहीं दाखिल नहीं की है माननीय मंत्री जी ने गलत बयानी की है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर आपको लग रहा है कि मंत्री जी ने गलत बयानी की है तो आप लिखकर दे दें।

दिनांक 25 फरवरी 1989 को रात्रि में वन (संरक्षण) अधिनियम के विरुद्ध आन्दोलनरत लोहाघाट चम्पावत क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा निर्मम लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने और सम्मानित सदस्यों ने सूचना दी थी कि दिनांक 25 फरवरी, 1989 को रात्रि में वन (संरक्षण) अधिनियम के विरुद्ध आन्दोलनरत लोहा घाट चम्पा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वत क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता आन्दोलन कर रहे थे और उस आन्दोलन में मैं भी था, तो मान्यवर, पुलिस ने रात के नौ बजे निर्मम लाठी-चार्ज किया। लाठी चार्ज में मान्यवर, उत्तराखण्ड क्रान्तिदल के केन्द्रीय संगठन मंत्री नवीन तिवारी बुरी तरह से घायल हुए उन्हें पुलिस की जीप में ले जाकर इलाज किया गया।

मान्यवर, यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई मैं माननीय मंत्री जी को सूचना देना चाहूंगा और मा0 सदन को भी कि उस सम्बन्ध में अल्मोड़ा जनपद से कल रात टेलीफोन से सूचना मिली है कि हमारे 12 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनमें दारा घात के प्रमुख श्री विपिन त्रिपाठी, मिकिया सेन के ब्लाक प्रमुख श्री पुष्कर पाल सिंह तथा हमारे संगठन मंत्री भाई प्रताप सिंह आदि मुख्य हैं, को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनको जेल में डाल दिया है। मान्यवर, यह सारी घटनायें क्यों हुई इसके पीछे वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो केन्द्रीय सरकार ने 1980 में पारित किया था वह है। इस अधिनियम की मंशा यह थी कि पर्वतीय क्षेत्र में जंगल खड़े रहें और जिससे पूरे पर्वतीय क्षेत्र का पर्यावरण ही नहीं बल्कि हमारे देश और प्रदेश का पर्यावरण तथा जलवायु जो पहाड़ से नियंत्रित होती है उसमें कोई व्यवधान न आये। वहां का पर्यावरण संतुलित रहे इस मंशा से यह अधिनियम बनाया गया था यह मैं मानता हूं। लेकिन मेरी शिकायत यह है कि पर्यावरण बनाये रखने के लिये जितने जंगल होने चाहिये या इस देश की जलवायु में संतुलन रखने के लिये धरती को शस्य श्यामला बनाये रखने के लिये, हिमालय से निकलने वाली नदियों में पानी की निरन्तरता बनाये रखने के लिये जितने जंगलों की आवश्यकता है उतने जंगल न आज हैं और न पहले थे।

1980 के बाद जबसे यह अधिनियम लागू हुआ है इन 9 सालों में जंगलों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है बल्कि जंगल घटे हैं। जंगलों के घटने का कारण यह है जैसे मैंने पिछले दिनों सूचना दी थी कि आपकी जो वनीकरण की योजना है वह नितान्त प्रभावहीन हो गयी है। इसमें इतना भ्रष्टाचार है कि उसके चलते वनीकरण नहीं हो पा रहा है। हालांकि यह कहा जाता है और यह प्रचारित किया गया है कि पहाड़ के लोगों ने जंगलों का विनाश किया है। वनवासियों ने जंगलों को विनाश किया है। सारे देश में और दुनियां में यह प्रचारित किया गया कि वनवासियों ने जंगलों को उजाड़ा है लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा है जो वनों का विनाश हुआ है वह सरकार की कमर्शियल नीति के कारण हुआ है। सरकार ने वनों को इतने बुरी तरह दोहन किया है जिसके कारण वनों का विनाश हुआ है। पहाड की जनता की आवश्यकता क्या है, वहां की जनता की आवश्यकता बहुत सीमित है अपने चूल्हे जलाने के लिये लकड़ी और पशुओं के लिये चारा इसके अलावा जंगलों पर उनका कोई दवाब नहीं रहता है। लेकिन यहां के पूंजीपतियों ने यहां की सरकार के संरक्षण में जंगलों का लगातार विनाश किया है। इसके अलावा जंगलों के सम्बन्ध मे जो सरकार की वनीकरण की नीति अपनायी गयी है उसमें आज भी सरकार की तरफ से पर्वतीय क्षेत्रों मे चीड़ के जंगल लगाये जा रहे हैं। मैदानी तथा तराई के क्षेत्र में यूकिलिप्टस के पेड़ लगाये जा रहे हैं। यह दोनों प्रजातियां कमर्शियल उपयोग के लिए ठीक हैं, यह जल्दी बढ़ती हैं जिससे उनका कमर्शियल उपयोग जल्दी होने लगता है लेकिन यह दोनों प्रजातियां जलवायु के लिये

और पर्यावरण के लिये विध्वंसक हैं। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट भी है कि चीड़ के आसपास कोई अन्य वनस्पति नहीं हो सकती है क्योंकि चीड़ के पौधे में जो कंटेन्ट होते हैं उसमें एसिडिटी बहुत होती है । उसमें अम्लीयपन बहुत होता है जिसके कारण वहां पर अन्य वनस्पतियां नहीं उगती हैं। इसी तरह से तराई और मैदानी इलाके में जो यूकिलिप्टस लगाया जा रहा है उसके बारे में कहा जाता है कि इस पेड़ की हाइड्रोस्कोपिक कैपेसिटी आर्द्रता को खींचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है जिससे यह आसपास के वातावरण की आर्द्रता खींच लेता है और जमीन की नमी को भी सोख लेता है जिससे अन्य वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यह जो वनीकरण की नीति है इसका गलत प्रभाव वनों पर पड़ रहा है और पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। वनीकरण के नीति के बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1 लाख पौधे जब आप लगाने का दावा करते हैं तो मुश्किल से 10 हजार गड्ढे खोदे जाते हैं और मुश्किल से 2, ढाई हजार पौधे लगाए जाते हैं। एक दो साल के बाद अगर आप देखें तो कोई पौधा आपको नहीं मिलता है क्योंकि सारा काम ठेके पर होता है जिसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार होता है। इन पौधों की देख-रेख के लिये कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है जिससे जंगल नहीं लग रहे हैं । तो यह आपकी वनीकरण योजना का हाल है ।

दूसरी तरफ पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिये जो वनों पर आधारित हैं जिनकी अर्थव्यवस्था और जिनके जीवन का अस्तित्व जंगलों पर निर्भर है उन लोगों के लिये आपने इतनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। हालत यह है कि एक-दो नहीं बल्कि हजारों परि-योजनायें चाहे वह सड़क की हों, प्राइमरी स्कूल की हों, बिजली की लाइन की हों या नहर या पेयजल व्यवस्था की हों, सारी की सारी योजनायें बंद पड़ी हैं और वन संरक्षण अधिनियम के कारण उन पर काम नहीं हो पा रहा है। एक नहीं हजारों विकास योजनाएं वन संरक्षण अधिनियम के कारण बन्द पड़ी हुई हैं, उन पर काम नहीं हो पा रहा है। विकास के मार्ग पर यह अवरोध हमको मिले हुए हैं। वहां की माताएं और बहनें अगर जंगल में चारा लेने के लिए जाती हैं या लकड़ी लाने के लिए जाती हैं तो वन के रक्षक जो हैं, वह वहां पर जाकर तरह-तरह की बेइज्जती करते हैं आये दिन उनको बेइज्जत और जलालत का सामना करना पड़ता है । दूसरी तरफ यह कठिनाई वहां के लोगों में हो रही है। तराई का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। वहां की जो भूमि है जो बड़े-बड़े पूंजीपति और सत्ता के दलाल हैं, हजारों एकड़ वन भूमि उनके अवैध कब्जे में है, उससे वे लाखों करोड़ों रुपये का व्यापार कर रहे हैं।

एक फार्म देहरादून जनपद के ऋषिकेश के पास कमर्शियल फार्म के नाम से है, एक सरला बहन थी, जो महात्मा गांधी की शिष्या थीं, उन्होंने बापू ग्राम नाम की सोसायटी बना कर वन विभाग से वह जमीन लीज में ली थी, बाद में वह सोसायटी भंग हो गई । उस सारी लीज की जमीन पर उस सोसाइटी के प्रबन्धक ने कब्जा कर लिया और उस जमीन में से लाखों करोड़ों रुपए की जमीन बेंच दिया है और आज मुश्किल से एक-डेढ़ हजार एकड़ भूमि बची है, उसकी भी वह अवैध रूप से बेंचने की कोशिश कर रहा है । अब जब हमारे कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया तो सारे जिले की पी0 ए0सी0 और पुलिस उसका संरक्षण देने के लिए वहां पर पहुंच गयी। गरीब की झोपड़ी

फूंकती है, लुटती है, तो कोई पुलिस बचाने के लिए नहीं जाती है और जब एक एस दलाल के अवैध कामों का विरोध किया गया, तब सारी पी0ए0सी0 और पुलिस वहां पर पहुंच गयी और आन्दोलनकारियों को वहां से भगा दिया गया। तो एक तो आपके वनीकरण का कार्य और नीति प्रभावी नहीं है, दूसरे आपकी वन भूमि पर इतने अधिक अवैध कब्जे लोगों ने किये हैं और लाखों-करोड़ों की लकड़ी रोज चोरी चली जाती है, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में और जहां यह वन अधिनियम लागू है, वहां पर एक पेड़ के लिए दो पेड़ के लिए हजारों हजार अर्जनाएं बन्द पड़ी हैं। कहीं दो हेक्टेयर कहीं 4 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग होना है तो उसकी इजाजत नहीं मिल रही है। सभी माननीय सदस्यों ने चाहे वह इधर के हों या उधर के हों समय-समय पर हर मीटिंगों में हर बैठक में यह कहा था कि वन संरक्षण अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिए, ताकि वहां के लोगों के विकास कार्य अवरुद्ध न हों और वहां के लोगों के जो हक-हकूक हैं, जो सुविधाएं उनको जंगलों से मिलती रही हैं, वह मिलती रहे, ताकि विकास कार्य हो सके और वहां के लोगों के जो पैत्रिक अधिकार हैं, वह भी उनको बहाल होने चाहियें। ऐसी व्यवस्था उस अधिनियम में होनी चाहिए, जिससे कि वहां के लोगों को कोई कठिनाई न हो सके, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी। इसलिए हमको यह आन्दोलन करना पड़ा।

यह खुशी की बात है कि माननीय राजीव गांधी ने एक समिति बना कर उसमें संशोधन करने की बात कही है, लेकिन उसमें कठिनाई यह है कि उन्होंने वनवासी क्षेत्रों के सांसदों की कमेटी बनाने की बात कही है। मेरा अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्र जो इस अधिनियम के कारण सर्वाधिक प्रभावित है, वहां के सांसदों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए और इस सदन के माननीय सदस्यों जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को भी यह अधिकार है कि वह इसमें संशोधन कर सकती है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसी विकट स्थिति वहां पर पैदा हो गयी है कि इस सरकार में जनता का विश्वास बिल्कुल उठ गया है। उनके विकास के मार्ग में जो अवरोध है, उसको हटाना पड़ेगा। जो दिन प्रतिदिन की कठिनाइयां हैं, उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिये मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि उस पर आवश्यक विचार करें और उस पर आवश्यक संशोधन करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप भगवती सिंह वाले में कुछ सूचना देंगे।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैंने वह सूचना की प्रतिलिपि आपके कार्यालय में भी भिजवा दी है जिस अधिकारी की वह जीप थी श्री ए0पी0 मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता, डी0सी0यू0 निर्माण खण्ड उनको मैंने तत्काल निलम्बित कर दिया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह तो आपने निलम्बित कर दिया ठीक किया मैंने एक प्रश्न उस समय यह कहा था कि जो पुलिस प्रशासन है उसकी ढिलाई के बारे में जब पुलिस को जानकारी मिल गयी कि ऐसा हादसा हुआ है जब मालूम हो गया कि मामला असेम्बली में उठ रहा है तो उस समय भगौती सिंह के प्राणों का खतरा गहन हो गया है तो जब सदन में मामला आ गया तो संसदीय कार्य मंत्री के निर्देश पर गार्ड लगाये गये तो क्या एस0एस0 पी0 या और पुलिस अधिकारी को कोई चेतावनी दी है या नहीं?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इसकी तफतीश की जा रही है जहां गाड़ी टकराई यह सारी चीजें हैं जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाई करेंगे दूसरी बात जीप जो है उसको थाने में कस्टडी में ले लिया गया है।

श्री गौरी शंकर भइया–

जो इंजीनियर साहब की जीप है उसका लड़का उसको चला रहा था वह पकड़ा गया या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष–

वह सब कार्यवाही हो रही है।

राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, आप बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी से बुलवा दीजिए क्योंकि काफी विस्तार से बातें रखी गयी हैं मैं अनावश्यक सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। पहले मंत्री जी बोल लें उसके बाद जो पूछना होगा पूंछ लेंगे।

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)–

मान्यवर, यह जो हादसा हुआ था इस पर काशी सिंह जी ने पूरी वन नीति के ऊपर बोल दिया। जब अनुदान हमारा (इस समय 6 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।) वन विभाग का आया होता उस वक्त बोले होते तो ठीक से उसका उत्तर भी देते। मान्यवर, यह जो हादसा हुआ है 25 तारीख को, यह कहा जाता है कि वहां पर लाठीचार्ज हुआ। श्रीमन्, हमारे पास जो सूचना आई है वह लाठी-चार्ज की नहीं है। वहां पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है जब उत्तराखण्ड के करीब डेढ़ दो सौ लोग इकट्ठा हुए, यह सड़क की मांग बहुत पुरानी है और सड़क के बारे में मैं बता दूं यह वन विभाग की बहुत पुरानी सड़क है। यह जब पी0डब्लू0डी0 को स्थान्तरित हुई, बनाने के लिए दी गयी तो करीब 28-29 कि0मी0 का हिस्सा था जिसका एलाइनमेन्ट उनको फिर से करना था उसकी वजह से काफी पेड़ कट रहे हैं। करीब 3 हजार पेड़ कटेंगे तब सड़क का एलाइनमेन्ट ठीक होगा तो यह चीज बहुत दिनों से पड़ी हुई है। इसकी वजह से उत्तराखण्ड के लोगों ने आन्दोलन शुरू किया था। वहां पुलिस विभाग भी था, वन विभाग भी था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो नहीं परगनाधिकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी थे। वहां पर लाठीचार्ज का जैसा कहा जाता है उसकी सूचना नहीं है गुत्थमगुत्था जरूर हुआ। जब तीन पेड़ उन्होंने काट लिये और गुत्थमगुत्था करने लगे तो हो सकता है कुछ लोग गिर पड़े हों और कुछ लोगों को चोटें आई हों यह सूचना है लेकिन उसमें लाठीचार्ज की सूचना नहीं है। यही मुझे कहना है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, वनमंत्री जी ने जो संक्षिप्त भाषण दिया मैंने बड़े ध्यान से उसको सुना। यह बात बिल्कुल सही है लाठीचार्ज की जानकारी तो होगी। जो सूचना हमने दी थी उसको पढ़ने की कृपा करें तो उसमें यह द्वितीय स्थान पर बिन्दु था अगर वह प्राथमिक बिन्दु होता तो इनका बयान बजाय आपके गृहमंत्री जी देते। अब असल मुद्दा यह रहा है कि पेड़ कटेंगे तभी तो सड़क बनेगी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वह यह है कि केवल यही एक सड़क नहीं है, यह नीति का मामला है। पूरे उत्तराखण्ड में न जाने कितनी सड़कें रुकी हुई हैं। पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं, पत्तियां नहीं काटी जा रही हैं। पुल पुलिया, भवन रुके हैं। उनका निर्माण नहीं हो सकता है इस मामले में सत्ता और विपक्ष का विभाजन नहीं है। केन्द्रीय वन अधिनियम ऐसा उदार होना चाहिए कि वहां निर्माण कार्य कभी भी न रुके। जहां तक बेहिसाब कटान का सवाल है, इसमें मतभेद नहीं है, वन राष्ट्रीय सम्पत्ति है। उनका कटान हम नहीं चाहते। वनों का संरक्षण होना चाहिए और अवैध कटान करने वालों को दण्डित किया जाना चाहिए।

लेकिन आखिर यह सब क्यों है। अधिनियम की मंशा, कानून की मंशा उत्थान के लिये है। अधिनियम में संशोधन नहीं करेंगे तो यह सही है कि कोई बहस नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास रुक जायगा। ऐसा न करने से पूरे पर्वतीय क्षेत्र में बड़ी उत्तेजना है। जैसा कि एरी जी ने अपना प्रश्न रखा है कि जो केन्द्रीय अधिनियम है, यह सही है कि सेन्ट्रल एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट भी समय-समय पर संशोधन कर सकती है, उसके लिये एक प्रक्रिया है। तो क्या राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय वन अधिनियम में संशोधन करने का ऐसा कोई विचार किया जा रहा है? आज इस अधिनियम को उदार नीति बनाए जाने का अवसर आ गया है। एक बात और कहूंगा कि एरी जी ने राजीव गांधी का नाम लिया तो यह चुनाव वर्ष है। चुनाव वर्ष में न जाने ऐसे कितने नारे दिये जा रहे हैं। हमारा जिला आदर्श जिला हो गया और कहा गया कि रुपया मिलेगा। जब पूछा गया कि रुपया कब तक मिलेगा, तो कोई बात ही नहीं निकली। एक समिति बनाई गयी है। समिति बन गयी, तत्काल सब काम हो रहा है और 1991 तक सब हो जायगा। आपमें 1990 का सामना करने की ताकत नहीं है। इसलिये जनता को लुभाने के लिये उसको गुमराह करना चाहते हैं। इसलिये मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं कि वन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के बारे में सरकार क्या प्रयास कर रही है?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं एक चीज अर्ज कर दूं विकास के कुल जितने कार्य होने हैं, उनकी कुल संख्या पर्वतीय क्षेत्र में 1409 है। इसमें से 571 तय कर दिये हैं। 838

गए हैं। इनमें से 74 तो भारत सरकार के विचाराधीन हैं और 82 हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर हैं और 31 नोडल आफिसर्स के पास है। तो श्रीमन्, जितनी जल्दी हो सकता है, कार्यवाही की जा रही है। एक चीज और है कि यह तय किया गया है कि चूंकि यह मामला काफी गम्भीर होता जा रहा है, अतः इसी महीने में 17 तारीख को बोर्ड आफ रेवेन्यू के तहत एक कमेटी बनाई गयी है जिसमें सारे पर्वतीय क्षेत्र के डी0एम0 बुलाए गये हैं। वे बैठकर इस चीज को तय करने के लिये विचार विमर्श करेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कुछ मामलों का उल्लेख किया। मा0 गुप्ता जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैंने भी अपनी सूचना में उठाया था। इसमें एक सिद्धान्त की बात निहित है। वन संरक्षण अधिनियम बना है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के वन सम्पत्ति का उपयोग करने का अधिकार नहीं रह गया है। इस वर्ष चुनावी वर्ष के लुभावने नारों के अंदाज में श्री राजीव गांधी जी ने कहा कि विकेन्द्रीयकरण करेंगे। जहां तक छोटी ग्राम सभाओं, स्थानीय निकायों को और भी अधिकार देने की बात है, आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो उनकी पार्टी की है, उसमें केन्द्र सरकार को विश्वास नहीं है कि वह वन भूमि का सही उपयोग करेगी या उसका दुरुपयोग रोकने में सफल होगी। यह खेद की बात है। इस सूचना के माध्यम से एक घटना को लिया गया है लेकिन सिद्धान्ततः यह अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को होना चाहिए कि जहां पर पर्यावरण की सुरक्षा का संबंध है, वनों के विनाश को रोकने का सम्बन्ध है, वहां पर वह जरूरी है। परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करें। जिससे कि अवरुद्ध कार्य आगे बढ़ सकें। आपने बाकी के केन्द्रीय अधिनियमों में उत्तर प्रदेश के लिए भी संशोधन किया है, सी0 आर0 पी0 सी0 में संशोधन कर रखा है और मैंने भी कर रखा है। राज्य सरकार को यदि अपने विकास कार्यों को वन क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो जितने वन मेत्र की कटान हो उतने क्षेत्र के वन अन्य जगहों पर लगा लें उतनी भूमि पर दूसरी जगह वृक्षारोपण हो। यह तत्काल राज्य सरकार को पावर होनी चाहिये जिससे कि केन्द्र को न भेजना पड़े। क्योंकि सबको इस बात की जानकारी है कि वन क्षेत्र के लोगों में एक आक्रोश भरा हुआ है. इसलिये वहां की स्थिति को देखते हुए इसमें संशोधन जरूरी है। आपने घटना के बारे में बताया कि तीन हजार वृक्षों की बात थी। मान्यवर, जहां पर लोगों के फायदे का सवाल होता है तो इस अधिनियम की आड़ में रोक लग जाती है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी में कोटखर्रा ब्लाक में आज की तारीख में हजारों एकड़ वन भूमि अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा है और आज भी कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लोग 10 पेड़ काट ले तो कानून है और जहां हजारों एकड़ जमीन पर लाखों पेड़ काट कर अवैध कब्जा है तो वहां आपका वन अधिनियम कहां चला जाता है? यह जो कोटखर्रा ब्लाक में मैंने बताया वहां के बारे में भी बतायें कि क्या करने जा रहे हैं।

श्री अजीत प्रताप सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो बिन्दु उठाये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

दो तीन माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी और बोलना चाहते हैं उनको भी कह लेने दें उसके बाद एक साथ जवाब दे दें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ पूरे पर्वतीय क्षेत्र की जनता आंदोलित है वहां पर उत्तराखण्ड क्रांतिदल के कार्यकर्ता उसके खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। मान्यवर, अभी माननीय वन मंत्री जी ने वहां के विकास कार्यों से संबंधित मामलों का जिक्र किया। विकास कार्य तो सरकारी हैं वहां की जनता के भी कुछ हक हकूक हैं जब उनके व्यक्तिगत हक हकूक पर हमला होता है तो स्वाभाविक रूप से जनता आंदोलन के रूप में उमड़ पड़ती है। मिसाल के तौर पर घास नहीं ले सकते हैं पेड़ की टहनी तोड़ नहीं सकते हैं चाहे खाना बने या न बने ईंधन उपलब्ध हो या न हो उनके व्यक्तिगत हक हकूक पर भी हमला हो रहा है इस वन संरक्षण अधिनियम की वजह से उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ विचार किया है या नहीं ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, चम्पावत क्षेत्र में वहा के कार्यकर्ताओं पर निर्मम लाठीचार्ज हुआ इसके संबंध में और वन संरक्षण अधिनियम के संबंध में चर्चा रखी गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य किसी चीज को रिपीट न करें । यह जो स्थिति उत्पन्न हुई, वन संरक्षण अधिनियम है वह बेस है उसके बाद लाठीचार्ज है यह 2-3 चीजें हैं, इस पर जो माननीय सदस्य कह चुके हैं उन बातों को न कहकर यदि कोई बात न कही गयी हो तो उसे कहें रिपीट न करें ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

वन संरक्षण अधिनियम सन् 80 के सम्बन्ध में मेरे अपने व्यक्तिगत मूल विचार हैं हम लोग इस प्रश्न को बहुत संकुचित दृष्टिकोण से देख रहे हैं हमारे समाज में वह जंगलों का बहुत ह्रास हो गया है और हमारी आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही है वन भूमि पर निरन्तर अतिक्रमण हो रहा है पेड़ भी बहुत कम होते जा रहे हैं । हम लोग मनुष्य जाति सब चीजों दुनिया में देखते हैं अपनी सुविधा की दृष्टि से आज अपने फायदे के लिये स्वार्थ के लिये सब कुछ देखते हैं और करते हैं, प्रकृति ने भगवान ने या खुदा ने जो कुछ इस दुनिया में बनाया है हरेक चीज में उसका अस्तित्व है अपना महत्वपूर्ण है । चाहे घास है जीव जन्तु हैं पेड़ हैं हिन्दू धर्म में कहा जाता है 84 लाख जीव जन्तु योनिया हैं । इनको भी भगवान ने प्रकृति ने बनाया है । मनुष्य सब कुछ अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं । हम उसको प्रकृति की दृष्टि से नहीं देखते हैं । उसे हम एक पेड़ की घास पात जीव जन्तू की दृष्टि से नहीं देखते । इन चीजों का उतना की महत्व है, जितना कि एक आदमी का है । आज जितनी आदमी को इनकी जरूरत है, उतनी ही इनको आदमी की जरूरत है । यही कारण है कि इस ओर आज ध्यान न दिये जाने के कारण हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है । ठीक है, देर आये दुरुस्त आये वन अधिनियम बना । अगर यह न बनता तो इससे हमारे जंगलों का और अधिक ह्रास होता । मान्यवर, यह बात सही है और बहुत सारे काम ऐसे हैं, जो नहीं होने चाहिए । पेड़ कट रहे हैं, इसके लिए हम आज विचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां क्या कहेगीं ? क्या करेगीं ? कैसे जियेगी इस दृष्टि से भी हमें

देखना और सोचना चाहिए । जो हमारी जायज मांगे हैं जिससे पर्यावरज खराब न हो वह पूरी होनी चाहिये पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में वन अधिनियम आड़े नहीं जाना चाहिए तथा नुकसान वनों का भी नहीं होना चाहिए ।

*श्री नरेन्द्र देव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वन अधिनियम के सम्बन्ध में मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं । उस पक्ष के लोग आज चिन्ता जाहिर कर रहे हैं और सारे लोगों की चिन्ता यह है कि वन अधिनियम की वजह से प्रदेश के विकास में और लोगों के जीवन-यापन में दिक्कतें न आयें । मान्यवर, आई0 ए0 एस0 जो होते हैं, वह सेन्ट्रल सर्विसेज से होते हैं और इस देश का वह सबसे बड़ा कैडर है और जो जनपद का जिलाधिकारी होता है, वह भी आई0 ए0 एस0 होता है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या वन मंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन की ओर से यह सलाह केन्द्र सरकार को भेजने का कष्ट करेंगे कि वन अधिनियम के तहत जहां पर दिक्कतें आ रही हैं और विकास रुक रहा है, या और बड़ी-बड़ी समस्यायें खड़ी हो जा रही हैं, तो ऐसे मामलों में जिलाधिकारी को निस्तारण करने के लिए अधिकार दे दिये जायें और उन्हीं को यह बता दीजिये कि वन अधिनियम या वन विभाग क्या चाहता है ? जनपद स्तर पर निस्तारण होगा, तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 5,600 केसस अभी पड़े हैं । यह तो वह केस हैं जो यहां सूची में आ सके हैं । बहुत से ऐसे केसेज हैं, जो जनपदों में अभी लटके पड़े हैं, 3-3 साल से, जिसकी वजह से हम लोग सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं । माननीय अधिष्ठता महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वन मंत्री जी लोगों की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा सुझाव भेजने का कष्ट करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

मान्यवर, जैसा कि यहां पर कहा गया कि भारत सरकार का जो ऐक्ट है, उसकी वजह से लोगों को खास तौर से पहाड़ी क्षेत्र में काफी दिक्कतें पैदा हो रही हैं और शायद इसी वजह से हमारे प्रधान मंत्री जी ने अभी हाल ही में एक समिति बनायी है । मैंने अखबार में पढ़ा है और आप सब लोगों ने भी पढ़ा होगा । यह कमेटी सम्भवतः इन्हीं कठिनाईयों को देखने के लिये ही बनायी गयी है । हमें पूरा विश्वास है कि यह जो कठिनाईयां हैं, इस कमेटी के जरिये से दूर हो जायेंगी । हमारे माननीय मित्र करार साहब ने कहा कि क्या शासन का जो फारेस्ट प्रटिक्शन ऐक्ट है, उसमें संशोधन करने का विचार कर रहे हैं ? इसके संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उसमें भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा संशोधन करें कि जो लोग अपने खेतों में, तथा मेड़ों पर दरख्त लगायें, उनको उसे काटने की इजाजत दी जा सके । इस पर शासन विचार कर रहा है ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं केवल दो स्पष्टीकरण चाहूंगा । एक तो लाठी चार्ज का मामला है । मैं पूछना चाहता हूं कि लाठी चार्ज के लिये दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यवाही की गयी अथवा नहीं ? दूसरी बात यह कि वन संरक्षण अधिनियम सम्वर्ती सूची में आता है, तो इसमें संशोधन करने के लिये राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि वह इसमें आवश्यक संशोधन कर सकती है, तो क्या मंत्री जी आवश्यक संशोधन करने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

यह चर्चा समाप्त की जाती है । अब मैं मद संख्या-13 ले रहा हूं ।

(मद संख्या-13 लिये जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इसमें स्पष्ट कहा था कि लाठी चार्ज के विषय में काम रोको प्रस्ताव था और उस पर चर्चा स्वीकार की गयी थी, अब चर्चा हो रही है । माननीय मंत्री जी के पास लाठीचार्ज के बारे में कोई सूचना आयी नहीं है । और आनी भी नहीं चाहिए । लाठी चार्ज का विषय था । गृह मंत्री जी को यहां पर होना चाहिए था । अगर गृह मंत्री जी यहां पर नहीं है तो सामूहिक जिम्मेदारी के नाते माननीय वन मंत्री जी ही उत्तर दे दें कि उस लाठी चार्ज में जो पुलिस कर्मी दोषी थे, उनके खिलाफ वह क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा यहीं समाप्त होती है । मैं अब अगली मद को ले रहा हूं ।

पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अराजकता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के बारे में कार्य स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से भी मामला उठाया गया था और नियम-52 में भी इसकी सूचना दी थी और आज उसी पर चर्चा यहां पर हो रही है । पंत नगर विश्वविद्यालय के बारे में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । उसकी जो ख्याति रही है और जो उसका स्तर रहा है, उससे सारा सदन भली-भांति परिचित है, परन्तु खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि पिछले 30 वर्षों से इस विश्वविद्यालय ने जो ख्याति अर्जित की थी, आज सभी को जानकारी है कि उसी तरह से आज इस विश्वविद्यालय की स्थिति चन्द महीनों में दयनीय हो गई है । इस पर चर्चा इसीलिए रखी गई कि हम इस पर अपने विचार रख सकें और सरकार के विचारों को भी जान सकें । पंतनगर विश्वविद्यालय का स्वरूप उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय था और इसमें जो अधिनियम बनाया गया था, उसमें विभिन्न अधिकारियों/एथोरिटी को दायित्व बांटे गये थे । जहां कुलपति को अधिकार है कि वह वहां की कार्य पालिका का मुख्य अधिकारी है वह एकेडमिक स्टैन्डर्ड के लिए भी जिम्मेदार है, वहां पर एक प्रबन्ध परिषद् भी है, जिसका दायित्व बड़ा विशाल है और उसे विश्वविद्यालय के मामलों में उसे अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार है । माननीय मंत्री जी भी देखेंगे कि जो इसके बोर्ड का गठन हुआ है

उसकी धारा 10 की उपधारा के (एल) को वह देखें । क्लाज (ए) को देख लें तो स्पष्ट हो जायेगा कि मुख्य कार्य पालक का अधिकार, जिस प्रकार से सदन का नेता मुख्य मंत्री होता है और वह इस सदन के प्रति उत्तरदायी है उसी प्रकार बजट को अनुमोदन करने हेतु प्रबन्ध परिषद् के सामने वाइस चान्सलर को जाना पड़ता है अन्यथावत् कुछ काम नहीं कर सकता है । विगत दो सालों से जो घटनायें हो रही हैं, वे बहुत ही चिन्ताजनक हैं । इस विश्वविद्यालय में प्रवेश का एक बहुत ही कठिन स्टैन्डर्ड है । वहीं छात्र यहां पर प्रवेश पा पाते हैं जिनका एकेडेमिक रिकार्ड बहुत उच्च कोटि का होता है । इस प्रकार के छात्र जो अपने घरों से यहां पढ़ने आते हैं, वह किसी प्रकार की गड़बड़ी करेंगे, ऐसी आशा उनसे नहीं की जाती है और वे गड़बड़ी करते भी नहीं है ।

1987 में अनुभा गुप्ता काण्ड हुआ । आपने कहा कि न्यायिक जांच बैठा दी गई है, परन्तु आज दो वर्ष हो गये हैं, वह पूरी नहीं हुई । जो न्यायिक जांच आपने बैठाई है, उसके आचरण के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं । यहां पर माननीय मंत्री जी आप घोषणा कर देते हैं कि सी0 बी0 आई0 की जांच करवा रहे हैं, न्यायिक जांच करवा रहे हैं लेकिन कोई रिपोर्ट आती नहीं है, तो फिर ऐसी जांचों का क्या औचित्य रह जाता है ? आज पिछले दो वर्ष से पंत नगर विश्वविद्यालय भस्म हो रहा है, अगले दो वर्षों में यह तेजी से होगा और मंत्री जी जांच कराते रहेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि जो अपराधिक मामले हैं, उनमें जांच आप सी0 बी0 आई0 से करायेंगे या ज्युडिशियल जांच करायेंगे, स्वतंत्र मशीनरी से, अपने प्रशासन पर भरोसा न हो, आप करायेंगे न्यायिक जांच । पर जिन मामलों में निर्णय लेने में आप सक्षम हैं, जब

(समय 7 बजकर 20 मिनट)

स्टेच्यूट को संशोधन करने के लिये भी सक्षम हैं, फिर उसके तहत काम करने वालों के लिये यह कहें कि आटोनामी है, दखल नहीं दे सकते, इस बात को सदन स्वीकार नहीं करेगा । रश्मि अग्रवाल की हत्या या आत्महत्या हुई, आपने सी0 बी0 आई0 को जांच दे दी, कोई नतीजा नहीं हुआ ।

मान्यवर, पिछले 2-3 महीनों में जो घटनाक्रम पेश हुआ है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । 3 दिसम्बर को कुलपति महोदय एकेडेमिक काउन्सिल की मीटिंग में यह स्वीकार करते हैं, उसकी प्रोसीडिंग मेरे पास है, तो उन्हें जिला प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है । सहयोग नहीं मिला तो क्या उन्होंने राज्य सरकार को, कुलाधिपति महोदय को राज्यपाल महोदय को सूचित किया ? आज तक सूचना भी नहीं आई होगी । वह एक राजनीतिक वातावरण वहां पर तैयार कर रहे हैं । अपना काम नहीं कर पाते दूसरों के सर पर डालने का वातावरण तैयार कर रहे हैं । 30 सितम्बर को कुलपति द्वारा जारी एक पत्रक है जिसमें वह कहते हैं, रश्मि अग्रवाल के आत्म हत्याकाण्ड के बारे में कहते हैं "कि इसकी आड़ में विश्वविद्यालय में कक्षाओं का बहिष्कार किया गया, नारेबाजी की गयी और जुलूस निकाले गये, कुछ लोगों को निलम्बित कराने के लिये अवांछनीय और अवांछित दबाव डाला गया" । एक ओर कहते हैं कि अवांछित दबाव के आगे झुक जाते हैं ।

इसी तरह 31 दिसम्बर को कुलपति महोदय के हस्ताक्षर से जारी पत्र है इसका नम्बर है वी0 सी0/एस0-633, 30/31 दिसम्बर की रात्रि में घटनायें हुई, छात्रों में गुट बना दिये हैं कुलपति ने, उसमें मारपीट की घटनायें हुई । हमारे लिये, वहां पर जितने भी छात्र वहां हैं, चाहे वे प्रदेश के किसी कोने से आये हों या दूसरे प्रदेश से आये हों या देश के किसी भाग से आये हों, सब समान हैं, उनके मां-बाप उनको पढ़ने के लिये भेजते हैं, वे भारतवर्ष के नागरिक हैं । उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है । उसके लिये कुलपति आदेश जारी करते हैं कमेटी बनाते हैं और कहते हैं कि यह कमेटी आज ही, जो घटनायें हुई हैं मारपीट की उसके बारे में सायंकाल 4 बजे तक रिपोर्ट दे देगी ताकि कार्यवाही हो सके । क्या रिपोर्ट दी उस कमेटी ने और क्या कार्यवाही की कुलपति ने, मंत्री महोदय बतायें ? उसके बाद तमाम घटनायें चलती रहीं ।

8/9 जनवरी की रात्रि में उदय वीर सिंह छात्र की हत्या हुई । उसके सम्बन्ध में पहले कह चुका हूं । उसमें सबसे शर्मनाक बात यह थी कि उदयवीर सिंह के विरुद्ध भी मुकदमे थे, उसके खिलाफ भी एफ0 आई0 आर0 थी, लेकिन वह भी किसी मां-बाप का बेटा था । अगर उसको पहले ही इस आधार पर निलम्बित कर दिया होता तो उसकी जान न आती, उसकी हत्या न होती । 8/9 जनवरी की रात्रि में अखिलेश कुमार वार्डेन हैं सी0 बी0–2 के, जब 8.30 बजे हास्टल में हंगामा होता है तो वह कहते हैं कि मुझे यह सूचना मिली कि हास्टल में अनरेस्ट है, मैं वहां पर गया और छात्रों को शान्त किया, सी0 बी0–1 के वार्डेन उनके घर पर आये और बताया कि पुलिस आई हुई है और वह चाहती है कि छात्र हास्टल की तलाशी हो ताकि अगर छात्रों के पास कोई अवैध अस्त्र-शस्त्र हों, वह पकड़े जा सकें । यह सब ए0 वी0 चांदला के मकान पर जाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बरार जी, जो पत्र आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रति आप यहां भेज दें। वह चाहे वी0सी0 का स्टेटमेन्ट हो या और कोई पत्र हो।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं तो मान्यवर, घटनाक्रम बतला रहा था कि डीन स्टूडेन्ट वेलफेयर के पास जाता हूं और वी0सी0 महोदय से वह कहते हैं कि वह वहां पर नहीं हैं। फिर शर्मा जी तराई भवन जाते हैं और टेलीफोन पर बात करते हैं तब वे कहते हैं कि आप मुख्य सुरक्षा अधिकारी से बात करिये। जब वी0 सी0 को मालूम था कि पुलिस वहां पर मौजूद है, एफ0 आई0आर0 दर्ज हो रही है और वी0सी0 के अलावा किसी और को यह अधिकार नहीं है की अनुमति दे कि विश्वविद्यालय के परिसर में पुलिस कर्मियों को प्रवेश देने की अनुमति है, यह किसी और को अधिकार नहीं है । दूसरे अधिकारी उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं और वे इस संबंध में कुछ नहीं करते हैं? यह घटना हुई और छात्र उदयवीर सिंह मारा गया। एक घण्टे की चर्चा में पूरी बात मैं नहीं बतला पाऊंगा। 11 जनवरी को टीचर्स की बैठक होती है। उसका प्रस्ताव मा0 मंत्री जी के पास आया हुआ है, वह स्वयं ही इस पर प्रकाश डालेंगे कि पी0एन0 सिंह गिरफ्तार

हुआ जो कि हल्द्वानी के अस्पताल में दाखिल था। वह पी0एन0 सिंह कैम्पस से आउट किया गया था, उन्हीं की ओर से वह सस्पेन्ड किया गया था और आपके वी0सी0 ने उसे नियुक्त कर दिया। जब वह फंस गया तो अस्पताल में बयान दे रहा है कि मुझे महातम सिंह ने ही फंसाया है। जब सांप पालेंगे तो यही नतीजा होगा?

यूनीवर्सिटी का रेकार्ड है कि ऐसी हालत में ऐसे लोगों की नियुक्ति की गयी। विवाद हो सकता है, टीचर्स एसोसियेशन एक पक्षीय हो सकती है पर प्रबन्ध परिषद् ऐसी सर्वोच्च अथारिटी है आपके यहां की जिसके सामने वी0सी0 को अपना बजट अनुमोदित कराने के लिये जाना पड़ता है। 20 जनवरी को बैठक हुई है और वी0सी0 के हस्ताक्षर से यह नोटिस जारी हुई है कि जिसमें कहा जाता है कि चूंकि विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने अनुशासन नहीं बरता इसलिये अनुशासनहीनता होने का उत्तर-दायित्व का निर्धारित किया जाए। विश्वविद्यालय अनुशासन-शून्य रह गया है, इसीलिये जांच करके कार्यवाही करें। यह नोटिस सारे बोर्डस पर लगा दिया गया। कैम्पस के सभी निवासियों से कहा गया कि वह जो भी जानकारी उनके पास हो उसे प्रबन्ध परिषद् को दे दें 23 जनवरी को वी0सी0 के हस्ताक्षर से यह जारी हुआ है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विस्तार से बतायें। 21 जनवरी को प्रबन्ध परिषद् की पन्त नगर के टीचर एसोसिएशन के साथ एक ज्वाइन्ट बैठक हुई। 21 जनवरी की बैठक में स्वयं वी0सी0 भी मौजूद थे। टीचर्स एसोशियेशन के प्रतिनिधि आये और उन्होंने कहा, मान्यवर, उसके 7-8 सदस्य हैं, यदि आप कहें तो मैं नाम बतला दूं किन्तु मैं समझता हूं कि यहां पर उनके नामों की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा कि इसमें क्योंकि बहुत सी घटनाएं हैं, जिन के लिए कुलपति महोदय, स्वयं इन सब के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए हम आपको जो शिकायत करेंगे, हम कैसे करेंगे। वह मैं कैसे करूंगा, तो जो बोर्ड की बैठक थी उसमें उन्होंने शिकायत की कि कुलपति महोदय के खिलाफ बहुत से चार्जेज हैं, इन चार्जेज को बोर्ड आफ मैनेजमन्ट के ही सदस्यों की जो सब-कमेटी में भी हैं ने कहा कि उन्हें हैं उसमें रखिए। उसमें आप सारी डिटेल दें दें और इन चार्जेज का डिस्कशन वह उस वक्त करेंगे जब वहां पर कुलपति स्वयं मौजूद नहीं होंगे।

इस बात की मान्यवर, आपको भी याद होगी कि इसी सदन में अभी कुछ दिन पहले नियम 56 के अन्तर्गत चर्चा की थी और उसी में मैंने यह बताया था कि प्रबन्ध परिषद् ने कुलपति महोदय को ही सभी बातों में दोषी पाया। अब कुलपति महोदय उस बोर्ड आफ मैनेजमन्ट के किसी फैसले को मानने को तैयार नहीं हैं और मान्यवर, यही नहीं मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि जो बोर्ड आफ मैनेजमेंट ने इनके प्रति 26 चार्जेज लगाए हैं, और 18 तारीख को इसी के सम्बन्ध में बैठक प्रबन्ध परिषद् ने निर्धारित की थी उस बैठक को कुलपति महोदय ने स्थगित कर दिया और अब सुनने में यह आया है कि वह इस बोर्ड आफ मैनेजमेंट को ही हटाना चाहते हैं, वह विश्वविद्यालय की प्रशासनिक संस्था से भी खुश नहीं हैं और वह किसी की भी सुनना नहीं चाहते हैं, न प्रशासन की न परिषद् की और अब वह बोर्ड आफ मैनेजमेंट को भी भंग करने की कोशिश में हैं। मैं नहीं समझता कि

वह कितने शक्तिशाली हैं, जिसके सामने सरकार को भी झुकना पड़ रहा है और यह सरकार उसके सामने झुकने के लिए तैयार भी है। साथ ही मान्यवर मुझे यह भी मालूम हुआ है कि एक चार्जशीट प्रबन्ध परिषद् के एक सदस्य ने इनके बारे में कुलाधिपति को भी दी है। मान्यवर, यह गवर्नर साहब संविधान के अनुसार जहां किसी पद पर हैं, इनके बारे में इनके आचरण के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन विश्वविद्यालय अधिनियम में विधान सभा की ओर से जो अधिकार कुलाधिपति महोदय को दिए गये हैं, उन्हीं अधिकारों के तहत इस मामले में इनको विचार करना होगा और वहां पूरे प्रशासन को चुस्त करना होगा, इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आप नियमों को देख लें, जिसके अनुसार मैं इस चर्चा को इनिशिएट कर दिया है, अब इस पर माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य छोटा सा देदें, उसके बाद फिर चर्चा होगी तभी उचित होगा, मान्यवर।

*कृषि मंत्री (डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल)–

श्रीमन्, जो ज्यादा नियमों की दुहाई देते हैं, वही नियमों को ज्यादा तोड़ते भी हैं, जब मान्यवर, चर्चा इनिशिएट करने वाले ने ही 15 मिनट ले लिये तो मैं फिर उसका जवाब 15 मिनट से पहले कैसे दे दूं।

(कुछ सदस्यों द्वारा आपस में बात करने की वजह से व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्रीमन्, माननीय बरार जी ने पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय के बारे में घटनाक्रम की विस्तृत चर्चा की बल्कि मैं यह अपेक्षा करता था कि मा0 बरार जी इस विश्वविद्यालय जिसकी ख्याति उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व भर में इतनी ख्याति अर्जित की है कि . . .

(एक साथ कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

व्यक्ति आते रहेंगे और व्यक्ति जाते रहेंगे, लेकिन संस्थायें अपनी जगह पर रहती हैं। मैं तो यह अपेक्षा करता था कि माननीय बरार जी उस गौरवमय इतिहास को देखते जिस विश्वविद्यालय ने हरित क्रान्ति में बड़ा योगदान दिया है।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

महातम सिंह के आने के पहले।

(व्यवधान)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

आप तो चश्मदीद गवाह हैं, 1978 में इसी सदन में पंत नगर विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा हुई थी। उस समय बरार जी नहीं थे, राना जी नहीं थे, आप थे और आपका भाषण इसी कार्यवाही में बन्द है। अगर आप कहें तो सुना दूं।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, चर्चा 1978 की घटनाओं पर हो रही है या 1989 की घटनाओं पर हो रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

बरार जी आप बैठें ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मेरे और उनके सोचने में यही अन्तर है । मैं कहना चाहता हूं कि यह बीमारी आज की नहीं है, दो दिन की नहीं है, एक साल की नहीं है, महातम सिंह के आने के बाद की नहीं है, इसकी जड़ें 1978 में जम चुकी थीं और उस समय जो चर्चा हुई थी उसमें आपने भाग लिया था और हमारे साथियों ने भी भाग लिया था और उस घटनाक्रम पर जाना पड़ेगा । आपने एक वर्ष के घटनाक्रम को उजागर कर दिया और आपने सतही कारण बता दिये । आपने कह दिया कि सिर दर्द है, गोली खा लीजिये, तो इससे बीमारी का निदान होने वाला नहीं है । मैं वहीं से चल रहा हूं, जहां से शुरू किया था । सैकड़ों लोग मारे गये, गोलियों से भून दिये गये । मुख्य मंत्री जी उस समय नेता विरोधी दल थे, उन्होंने चर्चा में भाग लिया और राम नरेश यादव मुख्य मंत्री थे और बहुत से सदस्य मौजूद थे और मैं भी मौजूद था । तो मान्यवर, उस समय से आज तक कुलपति आये और गये । कुछ आये और महीनों के लिये रहे और कुछ सालों रहे, लेकिन वहां पर कोई कुलपति सही तरीके से उस को चला नहीं पाया । मैं टेक्नोक्रेट की बात नहीं करता । वहां पर कृषि विशेषज्ञ भेजे गये, आपने प्रशासनिक अधिकारी भेजे, लेकिन तब से आज तक कई कुलपति आये, लेकिन वह सही तरीके से काम नहीं कर पाये, जिस तरह से काम करना चाहिये, वह नहीं कर पाये । आप कहेंगे कि क्यों नहीं कर पाये, कारण वह भी नहीं है, जो बरार जी ने बताया है और जिस घटनाक्रम का जिक्र किया है । मान्यवर, आपने उस घटनाक्रम के साथ-साथ कुछ विशिष्ट घटनाओं का भी जिक्र किया है, लेकिन मैं उनकी मेरिट और डिमेरिट में इस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो केवल यही अपेक्षा करता हूं और बड़े खुले दिल और दिमाग से करते हैं । हमारे सहयोग, चाहे इधर के हों या उधर के हों, इसकी पूर्व गरिमा को कैसे स्थापित कर सकें, मैं उसमें रचनात्मक सुधार की अपेक्षा करता था और आज भी करता हूं । लेकिन श्रीमन्, मुझे कष्ट हुआ कि जिस चर्चा के लिये माननीय बरार जी इतने लालायित थे, इस सारी चर्चा में उन्होंने कुलपति के ऊपर सारा नजला उतार दिया । इससे श्रीमन्, मुझे घोर निराशा हुई ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

अगर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहीं है तो उसकी भी चर्चा कर दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया आपस में बात न करें । मैं यहां काम के लिये बैठा हूं । पहले हमसे बोलने की इजाजत ले लें और फिर बोलें ।

(व्यवधान)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, जिस समय यह घटनाक्रम शुरू हुआ । चाहे वह अनुभा गुप्ता का हो, कुमारी रश्मि अग्रवाल का हो, स्वर्गीय राम अवतार का रहा हो या स्वर्गीय उदयवीर सिंह का रहा हो, वहां का वातावरण इतना विषाक्त बना दिया गया और श्रीमन्, मैं इसमें एक पक्ष का दोष नहीं मानता । इसमें सभी पक्ष, चाहे उसमें प्रतिशत का अन्तर हो, कहीं न कहीं जुड़े हुये हैं इस विषाक्त वातावरण को बनाने में । श्रीमन्, हमने इसमें सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की घोषणा कर दी । मान्यवर ने कहा कि सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी हुई तो उसका कोई नतीजा नहीं आया । यही नहीं हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में चर्चा हुई और हमने भारत सरकार से इस बात की दरख्वास्त की कि सी0 बी0 आई0 से इसमें इन्क्वायरी करवा लें । हमने उनको यह मामला भेजा । लेकिन दुर्भाग्य से हमें यह उत्तर मिला कि वहां इतने ज्यादा सी0 बी0 आई0 के केसेज पड़े हैं इसलिये बेहतर होगा कि आप सी0 आई0 डी0 से इन्क्वायरी करवा लें और जो हमने सी0 आई0 डी0 से इन्क्वायरी करवायी तो उसकी जांच रिपोर्ट अभी विगत दिवस शासन को प्राप्त हो गई है । अब बरार साहब पूछेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या है । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि उसका परीक्षण हो रहा है और शासन स्तर पर परीक्षण होने के बाद जो भी तथ्य सामने आयेंगे उसके अनुसार कार्यवाही होगी । मैं कहना चाहता हूं कि कोई कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो. . .

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें । आपको मौका मिलेगा ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, मैं पहले ही यह निवेदन कर रहा था कि पहले माननीय सदस्य बोल लें । मैं बाद में सबका उत्तर दे दूंगा । वर्मा जी, आप बोल लें लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी और व्यक्ति क्यों न हो उस कैम्पस का, अगर वह दोषी पाया गया तो बख्शा नहीं जायेगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी. . (व्यवधान) । मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सम्मानित साथियों को कि वे हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की तारीफ तो कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमन्, जहां तक उदयवीर सिंह का जो मामला हुआ उसमें भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिनों भारत सरकार से बहुत जोरदार शब्दों में यह अनुरोध किया है कि वह इसमें सी0 बी0 आई0 से इन्क्वायरी करवायें । मैं श्रीमन्, इस पंतनगर विश्वविद्यालय में पिछले दिनों गया भी था । श्रीमन्, गत दिनों मैंने जितने भी वहां पर अध्यापक हैं, जितने प्रोफेसर हैं, जितने डीन हैं, जितने एसोसियेट प्रोफेसर हैं सब से व्यक्तिगत रूप से और उनके एसोसियेशन से बात की, हर वर्ग के लोगों से बात की कि इस विश्वविद्यालय को कैसे जल्दी से जल्दी खोला जाय । इसलिये नहीं खोलें कि उसे फिर बन्द करना पड़े और लगातार वह सुचारुरूप से चलता रहे, वहां शान्तिपूर्ण वातावरण बन जाय और जो द्वेष व मनोमालिन्य पैदा करते हैं वह न हो सके और वह ज्ञानार्जन का केन्द्र पुनः बन सके ।

आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं उसमें हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जिला स्तर के अधिकारियों से बात की मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके कृपा करके हमारा सहयोग करें और चर्चा में कोई ऐसा विषय न उठायें जिससे पुनः वह वातावरण गंदा हो जाय । आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी चर्चा में ऐसा माहौल बना सकें जो कि इन घटनाओं से पहले था और हमारे छात्र फिर लौट आयें और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में काम कर सकें ।

एक बात और कहना चाहता हूं आप पुलिस बल पर कब तक यूनिवर्सिटी को चला सकते हैं । एक दिन चला लेंगे एक हफ्ते चला लेंगे एक या दो महीने चला लेंगे ज्यादा नहीं लेकिन हमें तो ऐसा माहौल पैदा करना है कि बिना पुलिस की मदद से काम हो, पुलिस की आवश्यकता न पड़े उसके लिये मैं इस सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से सहयोग चाहता हूं, उनके रचनात्मक सुझाव चाहता हूं । अगर आज समय कम होगा तो मैं वादा करता हूं कि मेरे कक्ष में आकर बात करें मैं उनके साथ बैठूंगा जो उनके सुझाव होंगे, वे मेरा मार्गदर्शन करें और जो इस विश्वविद्यालय की ख्याति थी उसे हम पुनर्स्थापित कर सकें तो मैं उनका शुक्रगुजार हूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री नरेन्द्र देव का नाम पुकारने पर) केवल दो मिनट में अपने सुझाव दें।

श्री नरेन्द्र देव–

5 मिनट चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

सवा 8 बजे तक इस चर्चा को खत्म होना है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

हमने नियम 56 में सूचना दी थी ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री माता प्रसाद पाण्डेय व श्री जयदीप सिंह बरार जी का नाम है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मैंने और राणा जी ने नियम 56 में सूचना दी थी ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, देख लेंगे।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, आपने निर्देश दिया है कि संक्षेप में अपनी बात रखूं मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमें इस समस्या का निदान चाहिये । यदि 1978 में 13 मजदूरों की गोलियों से जान जाने की घटना हुई हो और उसके बाद कार्यक्रम चला कुमारी अनुभा की मौत हुई, प्रेम कुमारी ने कुछ आरोप लगाये, रश्मि अग्रवाल, राम अवतार, उदयवीर सिंह आदि की मौत हुई तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अब इस चर्चा में निश्चित रूप से यह बात होनी

चाहिये कि पंत नगर विश्वविद्यालय की गरिमा कैसे स्थापित हो । मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि उन सभी तथ्यों में जाना चाहिये जिन्होंने एक जाति का सवाल बना रखा है अगर किसी ब्राह्मण छात्र की मृत्यु हो जाती है तो हम जाति विशेष का होने के कारण दुख प्रकट न करें यह ठीक नहीं है । हम उत्तर प्रदेश या भारत के नौजवान की मौत पर आंसू बहायें किसी जाति के नाम पर नहीं । इस विश्वविद्यालय में 1978 में जो दुर्घटना हुई थी उस पर जो जस्टिस श्रीवास्तव की रिपोर्ट आयी है उसको मैं आशा करता था कि माननीय मंत्री जी सदन में रखेंगे क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा है कि डा0 धर्मपाल सिंह जैसे वैज्ञानिक लिखने में संकोच होता है लेकिन उन्होंने इस विश्वविद्यालय में एक ऐसा वातावरण पैदा किया, मैं शब्दों का प्रयोग करने में संकोच कर रहा हूं कि जिससे जातिवाद बढ़े । श्री एस0 पी0 पाण्डेय जो कुलपति थे उनके बारे में उन्हीं जस्टिस श्रीवास्तव ने लिखा कि उनसे जातिवाद पनपे और उन्होंने स्पष्ट लिखा कि यहां पर इस तरह से इस जातिवाद की जड़ें मजबूत हो रही हैं और उन्होंने मजबूर होकर लिखा कि अगले 7–8 वर्षों तक एक विशेष जाति के कुलपति की नियुक्ति न की जाये । आज शर्म की बात है कि हम किसी कुलपति के बारे में, जाति के बारे में चर्चा करके उसका नाम ले रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि डा0 महाराज सिंह का एक बार भी नाम किसी ने ले लिया होता तो मुझे संतोष होता । डा0 महाराज सिंह जिसने अनुभा के सामने अश्लील प्रस्ताव रखा और उसको मौत की गोद में जाना पड़ा । क्या डा0 महाराज सिंह के खिलाफ प्रेम कुमार ने आरोप सही नहीं लगाये कि उन्होंने अश्लील प्रस्ताव रखा और आज यहां श्री बरार जैसे प्रतिष्ठित सदस्य महाराज सिंह का नाम लेने में संकोच कर रहे हैं । इसलिये मुझे [x x x]

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

व्यवस्था का प्रश्न है । इस माननीय सदन के किसी सदस्य की नीयत पर शंका और संदेह नहीं किया जा सकता है । सदन में जब माननीय सदस्य विचार प्रकट करते हैं तो वह किसी जनहित को ध्यान में रखकर व्यक्त करते हैं, उसमें उनकी बुरी नीयत नहीं होती है इसलिए संदेह करना असंसदीय है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

किसी सदस्य की नीयत पर संदेह नहीं करना चाहिए । यदि ऐसा कहा है तो कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । (व्यवधान) श्री नरेन्द्र देव जी आप विषयान्तर न हो ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र देव–

मैंने माननीय सदस्य की नीयत पर संदेह नहीं किया है बल्कि मैंने कहा था...

(व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री विजय सिंह राणा–

(व्यवधान) असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से निकाल दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

निकाल देंगे ।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मैंने कहा था कि मुझे संतोष होता यदि उन्होंने उल्लेख किया होता डा0 महाराज सिंह के बारे में ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, श्री महातम सिंह जो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं, आज मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि पंत नगर यूनिवर्सिटी में अगर शांति अमन, चैन लाना है तो हर उन तत्वों को निकालकर बाहर करें जो लड़कियों से अश्लील प्रस्ताव रखते हैं और जो गुण्डागर्दी कर रहे हैं । जो एफ0 आई0 आर0 में नामजद मुल्जिम हों उनको गिरफ्तार करना होगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री नरेन्द्र देव–

किसी कुलपति को मात्र जाति के आधार पर हटाने से शान्ति नहीं आ पायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय सदस्य इसमें बोलना चाहेंगे उनको दो-दो मिनट का समय दे दिया जायेगा, वैसे जो नाम इसमें दिये गये हैं वह जयदीप सिंह बरार और माता प्रसाद पाण्डेय जी के हैं ।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा, हमें बड़ी उम्मीद थी कि मंत्री जी अपनी निष्पक्षता का परिचय देंगे लेकिन वह राणा जी ने कहा था कि लाल बत्ती की गाड़ी में काफी गुण होते हैं मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, मैं न तो इसमें जाना चाहता हूं कि वर्तमान कुलपति का पिछला चरित्र क्या रहा, न मैं इसमें जाना चाहूंगा कि 34 प्रतिशत उनके पुत्र के नम्बर रहे हैं । न मैं इसमें पड़ना चाहूंगा कि एम0 एस-सी0 में विश्व रिकार्ड को तोड़ा है चाहे फालोशिप की प्राइमरी स्टेज न पास कर पाये हों लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप वास्तव में वहां पर शान्ति स्थापित करना चाहते हैं तो सख्ती से कार्यवाही करें किसी जाति विशेष की बात न सोचें । उसमें पूर्व के लोग हैं और पश्चिम के भी लोग हैं । न एक जाति के लोग हैं न एक जगह के लोग हैं, पूर्व तथा पश्चिम सभी जगहों के लोग वहां हैं । मैं एक बात आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि वास्तव में आप वहां पर पहले जैसा वातावरण लाना चाहते हैं तो मंत्री जी को हिम्मत से काम लेना पड़ेगा यदि मंत्री जी इस्तीफा न ले सकें तो मंत्री जी से इस्तीफा लिया जा सकता है।

यदि मंत्री जी में इतनी हिम्मत होगी तभी मंत्री जी इस काम को कर सकते हैं वरना वहां पर शैक्षिक वातावरण तैयार नहीं हो सकता है । जो वहां पर पैम्फलेट्स जारी हुए हैं वह इतने भड़काने वाले हैं कि हम उनको यहां पर पढ़ना नहीं चाहते हैं । यदि आप चाहें तो मैं उनको आपके कमरे में पहुंचा सकता हूं । मैं उनको आपके माध्यम से पहुंचा दूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या किसी इंस्टीट्यूशन में एक जाति विशेष के लोग नहीं हैं, सभी जातियों के हैं । वहां पर कितनी जबरदस्त हड़ताल हुई वह आपको मालूम है । वहां छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है यह ऐसी बात नहीं है कि पूरे प्रदेश में किसी एक जिले में ऐसा हुआ है । मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वातावरण को समाप्त करने के लिये सख्त कदम उठायें । वहां हर बिरादरी के लड़के घायल हुए हैं एक बिरादरी के नहीं । मरने वाले कोई एक बिरादरी के नहीं हैं।

मैं आपके माध्यम से अन्त में अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये यदि दोनों पार्टियों के खिलाफ रिपोर्ट है तो दोनों पार्टियों के लोगों को निकाला जाना चाहिये । यदि रिपोर्ट है दोनों पार्टियों के खिलाफ तो प्रत्येक दोषी छात्र को निकाला जाना चाहिए और प्रत्येक के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । मैं इस अनुरोध के साथ, चाहे पीछे की सी0 आई0 डी0 रिपोर्ट हो या इस समय की हो उसको आप अमल में लायें और कार्यवाही करें नहीं तो वहां का वातावरण और ज्यादा खराब होता जा रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि व्यक्ति से संस्था नहीं होती है, संस्था से व्यक्ति होता है। सिद्धान्त रूप से उनकी यह बात सही है लेकिन व्यवहार में वह कहीं है उसको देखना चाहिये । यह जो संस्था है उसके 3 अंग हैं–कर्मचारी, शिक्षक और प्रबन्ध परिषद् । कर्मचारियों ने वहां पर एक स्वर से आरोप लगाया कि जो स्थिति है उसकी मुख्य जिम्मेदारी कुलपति की है। शिक्षक प्रस्ताव पास करते हैं कि मुख्य जिम्मेदारी कुलपति की है। वहां पर जो घटनायें हुई उनके बारे में शिक्षक संघ ने पहले आगाह कर दिया कि वहां पर यह घटनायें हो सकती हैं । उनके आगाह करने के बाद भी कोई कार्यवाही कुलपति की तरफ से नहीं की गयी । प्रबन्ध परिषद् के साथ बैठकर स्वयं महातम सिंह ने अपने दस्तखत किये और अधिकृत किया कि प्रबन्ध परिषद् सारी स्थिति का जायजा ले ले और जो तथ्य हों उनको उभार कर लाये और उस पर कार्यवाही की जायगी । प्रबन्ध परिषद् ने सारी स्थिति का जायजा लेने के बाद उनको ही चार्जशीट कर दिया, महातम सिंह को अब मान्यवर, उस पर परदा डाला जा रहा है ।

दूसरा तथ्य यह है कि महातम सिंह ने डा0 पी0 एन0 सिंह के हाथ पैर तुड़वाये और उनके खिलाफ रिपोर्ट कायम करवा दी । बहुत मुश्किल से डा0 पी0 एन0 सिंह की तरफ से मुकदमा कायम हुआ । मैं साफ कहना चाहता हूं कि डा0 महातम सिंह के वहां रहते हुए स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता है । (मेजों की

थपथपाहट) अगर माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि वहां की स्थिति में सुधार आये तो वहां से महातम सिंह को हटाना पड़ेगा । एक तरफ तो आप चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय खुले और उसके लिये वातावरण बनाया जाय लेकिन दूसरी तरफ कुलपति के जो शिक्षकों के खिलाफ तरह-तरह की कार्यवाही कर रहे हैं । वह शिक्षकों के स्थानान्तरण कर रहे हैं शासनादेशों की अवहेलना कर नियुक्तियां कर रहे हैं । अनुसंधान सहायकों को हड़ताल करने के लिये भड़काते हैं । वहां यह स्थिति है कि विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद् और सभी संकायों ने सी0 बी0 आई0 की जांच के बाद विश्वविद्यालय खोलने का संकल्प लिया है । एक तरफ मंत्री जी वातावरण बनाने के लिए चिंतित हैं । हम सब जानते हैं कि विश्वविद्यालय खुले शांतिपूर्ण वातावरण में काम हो और यह जो हमारे प्रदेश का गौरव है वह बचा रहे । लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें की जा रही हैं उससे वहां का वातावरण खराब हो रहा है। इस तरह की हरकतों को रोका जाना चाहिये और सभी की एक सूत्रीय मांग है, जो भी इस घटनाक्रम को देखेगा वह यही कहेगा कि महातम सिंह को हटाओ, महातम सिंह को हटाओ, महातम सिंह को हटाओ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पंतनगर यूनीवर्सिटी जो हमारे प्रदेश की बहुत प्रेस्टीजियस यूनीवर्सिटी है और इसकी महत्ता प्रदेश में ही नहीं बल्कि बाहर भी है। जिस घटना का जिक्र हुआ है उससे हम सभी लोगों को दुख हुआ है । वहां एक विद्यार्थी की हत्या हो गयी और इसके पहले भी कई घटनायें हुई । हम सबका यह प्रयास होना चाहिये, वह टेंपुल आफ लर्निंग है, सबका प्रयास होना चाहिए इसमें किसी जाति का सवाल नहीं है । जो व्यक्ति किसी जाति के आधार पर कोई बात सोचता है वह देश की सेवा नहीं करता है वह डिस-सर्विस करता है। जातिगत बातों का कोई महत्व नहीं होता है । यह सारी मानवीय समस्यायें हैं । इनको कैसे दूर किया जाय यह हम सबका उद्देश्य होना चाहिये । अगर हम बहुत सी पुरानी बातें लेकर चलेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं निकलेगा। हमें यह देखने की जरूरत है कि किस तरह से वहां के एकेडेमिक एटमासफियर को रेस्टोर किया जा सकता है । मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप कोई हाई पावर कमेटी बना दें जिससे पूरी निष्पक्ष जांच हो जायगी और जहां कहीं भी फाल्ट लायी करती है, जहां कहीं भी दोष हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय और उसका एटमास्फियर दुरुस्त किया जाय । जैसे अभी कहा कि कुलपति जिम्मेदार हैं, कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार हो, उसकी जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए और दोनों पक्षों को सुनकर जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए । एक तरफ को सुनकर या हम प्रिजुडिस होकर बात करें, तो उससे कोई हल नहीं निकल सकता है । मैं आशा करता हूं कि इसके लिये माननीय मंत्री जी पूर्णतया सक्षम हैं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा माननीय सदस्य मथुरा ने कहा कि किसी किस्म का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहिए, वह सारा वातावरण दुरुस्त किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी खुलेगी और वहां का वातावरण बहुत ही सुन्दर और अकेडेमिक होगा । यही नहीं, वातावरण और भी जगहों का है, वाइस चांसलर का घेराव किया जाता है, एक टीचर डण्डा लेकर तो बैठता नहीं है । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं विद्यार्थी हूं । पोलिटिकलाइजेशन बहुत हो गया है । इन सारी बातों को छोड़नी पड़ेगी । तो कैसा एटमासफियर रहे, यह सारी प्रतिक्रिया सभी जगहों पर है । इसको हमको देखने की जरूरत है । एक हाई पावर कमेटी बना दी जाय, जो सारी चीजों की जांच करे ।

*डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, पंतनगर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की मैं समझता हूं एकमात्र यूनिवर्सिटी है, जहां इस वर्ष 88–89 का सत्र शुरू हुआ, उसी दिन से गड़बड़ी शुरू हुई । 24 जुलाई को सत्र शुरू हुआ, उसी दिन रश्मि अग्रवाल ने आत्म हत्या की, तब से ऐसी घटनायें हुई और वातावरण बना कि आज भी विश्वविद्यालय बन्द है । विद्यार्थियों को और पैरेंट्स को यह लगने लगा है कि विश्वविद्यालय कभी खुलेगा भी कि नहीं । यह सब जिम्मेदारी हम लोगों पर है कि इस समस्या का समाधान हम कैसे करें । अगर हम कमेटी बना-बना कर जांच करने लगेंगे और तीन महीने तक जांच करने में लगेंगे और 6 महीने बाद विश्वविद्यालय खोलेंगे, तो उन विद्यार्थियों का क्या होगा ? वाइस चांसलर रहें या न रहें, लेकिन वातावरण ठीक होना चाहिए । इन बच्चों का साल खराब हो रहा है । यह आक्षेप और आरोप लगाने से काम नहीं चलने वाला है । हमें गम्भीरता से बैठ कर विचार करना चाहिए । किटरे-नरी कालेज के स्टूडेन्ट्स का और इंजीनियरिंग कालेज के स्टूडेन्ट्स का कितनी मुश्किल से प्रवेश होता है और उसके बाद उनका साल खराब हो जाय, तो उससे खराब और कोई बात नहीं हो सकती । हमें 10–15 दिन में यूनिवर्सिटी का वातावरण ठीक करा कर यूनिवर्सिटी खुलवाने का प्रयास करना चाहिये ।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, पंतनगर यूनिवर्सिटी के बारे में अभी माननीय मंत्री जी जब बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि समस्या से अलग हट कर यहां पर वह राजनैतिक भाषण दे रहे हैं। 78 में यह बीमारी के बीज बोये गये । अगर कालान्तर में न जायें और अगर किसी को कैंसर हो जाय, तो क्या उसकी दवाई नहीं की जायगी ? उसकी दवाई बदली जायगी कि नहीं बदली जायगी ? डाक्टर बदला जायगा कि नहीं बदला जायगा ? माननीय मंत्री जी ने केवल यह कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अच्छा विश्वविद्यालय था, देश के ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के छात्र भी वहां पर पढ़ने आते थे, वहां पर वी0 सी0 के गैरजिम्मेदार निर्णयों से वहां की हालत खराब हो गयी है । अभी नरेन्द्र देव ने इनके बनारस के इतिहास की प्रशंसा की । अब ये बनारस में थे, तो इनके द्वारा मेधावी छात्र पंचम सिंह की मृत्यु

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुई, जो "आज" समाचार पत्र के दिनांक 13-8-82 के अंक में छपा था कि इन्होंने अपने बच्चे को 97 प्रतिशत अंक दिलवाये । 5 मार्च, 81 को इन्हीं वी0 सी0 महोदय ने कृषि संकाय के प्रोफेसर को अपने चैम्बर में पीटा । इस संदर्भ में वी0 एच0 यू0 के अधिकारियों ने उन्हें दंडित भी किया । वी0 एच0 यू0 के छात्र रंजन मुकर्जी ने कुलपति को इनके विरुद्ध लिखा । 23 अगस्त, 82 को वी0 एच0 यू0 के छात्र-छात्राओं ने इन्हीं डा0 महातम सिंह के खिलाफ बनारस के बी0 सी0 को एक ज्ञापन दिया और आज नरेन्द्र देव इनके बनारस के इतिहास की तारीफ कर रहे हैं। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जो संस्था हमारा नाम रोशन करती थी, उस संस्था के आज ये वी0 सी0 बने हैं ।

इन्होंने जातिवाद का बढ़ावा इसलिए दिया कि वह यूनिवर्सिटी को लूट कर अपनी कमाई कर सकें । इस परिपेक्ष्य में इन्होंने पूर्व के लोगों को नौकरियों में भी रखा । इनके पक्षपात और गिरे हुए स्तर का उदाहरण मैं दूंगा कि इन्होंने प्लाट बीडिंग डिपार्टमेंट में पी0 एच0 डी0 प्रवेश में धांधलीबाजी की तथा एम0एस-सी0 प्रसार विभाग में लगातार वेटिंग लिस्ट निकाल कर अपने पुत्र और पुत्रियों को प्रवेश दिलाया । एक विशेष जाति का जिक्र किया गया कि उन्होंने लम्बे अर्से से रजिस्ट्रार पद पर नियुक्त श्री आ0 एस0 मिश्रा को जो उस विशेष जाति का नहीं था, को पंत नगर विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश संबंधी अधिकार छीन लिये ।

मान्यवर, बनारस में ही इनके खिलाफ बी0एच0 यू0 के छात्र रंजन मुकर्जी आई0 डी0 405 ने कुलपति को 18-5-82 को यह कहा था कि मुझे महातम सिंह द्वारा हैरेस किया जा रहा है और उसके बारे में मुझे कम नम्बर देने की धमकी दी जा रही है । यह महातम सिंह अपने नाम के आगे एक डी0एस0सी0 की एक डिग्री लिखता है मेरे पास उनका एक पत्र है जिसमें उन्होंने अपने नाम के आगे डी0एस0सी0 टोकियो जापान लिखा है इसकी जांच करा लें यह पत्र इनके द्वारा लोक नाथ सिंह हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट एग्रोनामी को किसी राधेश्याम सिंह नाम के किसी छात्र को अधिक नम्बर देने के लिए लिखा गया है । मैं यह पत्र आपके पास भेज रहा हूं मान्यवर, इसी विश्वविद्यालय में रश्मि अग्रवाल छात्रा ने आत्म हत्या की । वह मेरी बहन हो सकती है आपकी बेटी के बराबर हो सकती है आखिर क्यों उसको आत्महत्या करनी पड़ी ? कौन इसके लिए जिम्मेदार है ? मान्यवर, वी0 सी0 द्वारा पी0 एन0 सिंह जिनका चरित्र संदिग्ध है उनको विश्वविद्यालय में नियुक्ति करने का क्या औचित्य है क्या इससे शान्ति बनेगी । मान्यवर, इसकी जांच करा लें कुलपति द्वारा जितने लोगों की नियुक्ति की गयी है उसमें से कितने लोगों का चरित्र संदिग्ध नहीं है ।

हमारे क्षेत्र के सिकन्दरपुर बड़सूग्राम के दो छात्रों को चाकू लगे हैं । यह बैकवर्ड हैं और इनके बाप मजदूरी करके 2 जून की रोटी कमाते हैं । मान्यवर, प्रथम श्रेणी का छात्र ही इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता है । मान्यवर, 30 दिसम्बर को झगड़ा शुरू हुआ और घायल लड़कों को बरेली भेजा गया उसमें वी0 सी0 ने क्या कार्रवाई की है । मान्यवर, 29 जुलाई को हमारे वी0 सी0 जो हैं वह तराई भवन में बैठकर शराब पीते रहे और लड़कियां सुबह जब निकली तो

रोती हुई बाहर निकली क्योंकि उनको रात भर धमकवाकर गुण्डों से, समझौता कराने का प्रयास किया गया । मान्यवर, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि पन्तनगर विश्वविद्यालय का माहौल बहुत ही दोषपूर्ण है वहां पर पूरब पश्चिम वाद का झगड़ा नहीं है बल्कि एक अक्षम कुलपति धन बटोरने का षडयंत्र किया जा रहा है जिससे 3000 छात्रों का भविष्य अन्धकार में है । मैं महातम सिंह का नाम नहीं लेना चाहता हूं पहली दफा ले रहा हूं। रविवार का इण्टरव्यू पढ़ लें इसमें महातम सिंह ने कहा है कि एक पश्चिम का जाट और एक पहाड़ का पंडित नारायण दत्त तिवारी हमारे पीछे पड़े हैं और मुझे निकालना चाहते हैं तो क्या हमारे मुख्य मंत्री जी जातिवादी हैं । माननीय मंत्री जी 2 बातों में से एक की पुष्टि करें या तो महातम सिंह के कृत्य और कथन को या यह कहें कि हमारे मुख्य मंत्री जी जातिवादी हैं ।

मान्यवर, वहां झगड़े की जड़ न पूरबवाद है और न पश्चिमवाद है न जातिवाद है और न धर्मवाद है । जाति का और क्षेत्रीयता का नारा तो कमजोर लोग लगाते हैं और वहां पर यह मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लगाया जा रहा है । वहां पर हजारों एकड़ का कृषि फार्म है जिसकी आमदनी वी0 सी0 खाना चाहते हैं। मान्यवर, अगर पश्चिम और पूरब के छात्रों में झगड़ा होता तो क्या इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, मेरठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में पश्चिम और पूरब दोनों जगहों के छात्र पढ़ रहे होते दिल्ली में पढ़ रहे होते । मैं चाहता हूं कि और मेरा सुझाव है कि सरकार कुर्सी का लालच छोड़कर [x x x] का डर छोड़कर माननीय कृषि मंत्री जी जातिवाद से ऊपर उठकर अक्षम और दोषी वाइसचांसलर के विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्यवाही करें और उसके कृत्यों को न छिपाकर केस दर्ज करावें तथा उसके द्वारा संदिग्ध चरित्र के जिन लोगों की नियुक्ति की गयी है को विश्वविद्यालय परिसर से निकाला जाय और उनका प्रवेश वर्जित किया जाय तथा कृषि फार्म को विश्वविद्यालय से अलग किया जाय परन्तु इसके साथ यह व्यवस्था जारी रहे कि छात्र उस कृषि फार्म में जाकर अपना शोध कार्य कर सकें। यदि माननीय मंत्री जी ने साहस न दिखाया तो यह पन्तनगर यूनिवर्सिटी का झगड़ा प्रदेश के बंटवारे का झगड़ा हो सकता है और इसका कलंक माननीय मंत्री जी पर रहेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

हरेन्द्र जी, भाषण समाप्त करें जो बगैर अनुमति के बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री हरेन्द्र सिंह–

[x x x]

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आभारी हूं मैं इस मामले में कुछ सुझाव देना चाहता हूं मान्यवर, मैं इस मामले को 2-3 रूप में देखता हूं जो हत्याएं या आत्महत्याएं हुईं उसकी आपकी मशीनरी जांच

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर रही है सी0आई0डी0, पुलिस प्रशासन या आप जांच कर रहे हैं तो आप तत्काल एक टाइम बाउण्ड कार्यक्रम बनाये और 10-20 दिन में सारे मामले की तह में जाकर तत्काल कार्यवाही करें तो इससे वहां के वातावरण को सुधारने में मदद मिलेगी दूसरी बात है जैसा बरार जी ने, आपने जिक्र किया 1978 से लेकर आज तक के मामले का तब भी हम लोग उस पर बोले थे और आज सौभाग्य है, उस पर बोलने का मौका मिला है। आप जब यह स्वीकार करते हैं कि बीमारी केवल कुलपति के स्तर पर नहीं है तो क्या तत्काल उस समय से लेकर आज तक खोज की गयी कि बीमारी कहां-कहां है, किस-किस टेबिल पर है। आपने यह जानने की कोशिश की? इलाज के संदर्भ में कौन सी कार्यवाही की। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं केवल डा0 सिंह की बात नहीं करता, आनन्द स्वरूप और कृपा नारायण श्रीवास्तव भी थे, कोई डेढ़ महीने रहा, कोई एक डेढ़ साल रहा, लेकिन जिसने जरा भी जड़ें जमाने की कोशिश की प्रशासन के भीतर, उसके लिए ऐसा प्रयास शुरू हो गया कि जड़ें न जमा पाए। मैं मांग करता हूं कि ऐसे स्रोतों की जांच की जाय। कुलपति नाम की संस्था जो बात लागू करना चाहती है, उसको न लागू होने देने के लिये कौन सी शक्तियां मजबूर कर रही हैं, इस प्रकार की जो शक्तियां विद्यमान हैं, वे वहां के प्रशासन को ठीक से नहीं चलने देना चाहती हैं। वे पूर्व और पश्चिम का विवाद फैला रही है। इस तरह की शक्तियां जातिवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर क्षेत्रीयता के नाम पर विश्वविद्यालय का वातावरण दूषित करना चाहती है।

मैं कहना चाहता हूं कि आप भले ही सर कटा दें, जब तक ये शक्तियां जिंदा रहेंगी, वहां पठन-पाठन का वातावरण नहीं बन सकेगा। इसलिये मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके पास जो कर्मचारी संघों, शिक्षक संघ छात्र संघ और अभिभावक संघ की जो मांगें हैं, आप पूरे प्रकरण के लिये सी0बी0आई0 की जांच बैठा दें और टाइम दे दें कि एक महीने, 20 दिन 25 दिन के भीतर कोई रिजल्ट निकाल कर दें। तीसरे आपने कहा कि पुलिस को लेकर कैसे काम चलावें तो नाच कराना हो तो पुलिस ले सकते हैं, परीक्षाएं कराना हो तो पुलिस ले सकते हैं, हम लोगों को विधान सभा से बाहर निकलवाना हो तो पुलिस ले सकते हैं, लेकिन वहां पुलिस नहीं लगा सकते। तीसरे आपसे बड़ी उम्मीद है, कम से कम वहां के जो विद्यार्थी हैं, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि लें और स्टूडेंटस एसोसियेशन, टीचर्स एसोसियेशन, कर्मचारी एसोसियेशन और जो काम करने वाले वर्ग हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलावें और जिन मा0 सदस्य ने यहां बोला है, जिनके क्षेत्र का मामला है जिन्होंने कहा कि लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, यह गलत हो रहा है, आप उनको बुलाकर मा0 सदस्य बरार जी को बुलावें और इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालें। आपके डाक्टर होने का लाभ पूरे प्रदेश के नौजवानों को तभी मिल सकेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जल्द ही अंजाम देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

बाजपेयी जी, आप दो मिनट बोल लें फिर बरार साहब और मंत्री जी बोलेंगे।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, पन्तनगर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो आज हमारे सदन के सामने यह चिन्ता रखी गयी है, वह विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश के लिये विशेष रूप से गौरमा का विषय रहा है। जिस तरह के विद्वान वहां से निकलें हैं, वह हमारे प्रदेश के लिये गौरव की बात रहा है। इसका वातावरण विषाक्त होता रहा जिससे जन मानस में चिंता होना स्वाभाविक है। मर्ज को दूर करने में शासन और सदन का कर्तव्य है, इस समय सौभाग्य की बात है कि डाक्टर साहब कृषि मंत्री हैं। वह विश्वविद्यालय बीमार है। जिस तरह से चिकित्सक अपने सबसे प्रिय अंग को कैन्सर के कारण काट डालता है ताकि मर्ज बढ़ न जाय, तो इस विश्वविद्यालय के कैन्सर को रोकना है तो कठोर से कठोर आपरेशन करना पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि उन सारे कारणों पर जाइये जो विश्वविद्यालय के वातावरण को विषाक्त कर रहे हैं। चाहे जो व्यक्ति हो, उसके साथ रियायत न की जाय। मैं नहीं समझता कि सी0बी0आई0 और सी0आई0डी0 की जांच से हल निकलेगा और जिससे एकेडेमिक वातावरण बन सकेगा। इसके लिये बुद्धिजीवियों और एकेडेमीशियन्स की एक कमेटी बनाई जाय और वह लोग मिल कर बैठक करके विचार करें कि कैसे इसके एकेडेमिक वातावरण को सुधारा जा सकता है। उसमें दूसरे विश्व-विद्यालयों के प्रोफेसर और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों को भी जोड़ा जाय और इसके बाद इस विश्वविद्यालय के वातावरण को दूषित होने के तमाम कारणों का पता लगाया जाय। उस समस्या के निराकरण के लिये जो व्यक्ति दोषी हों चाहे अध्यापक हो कुलपति हो

(समय 8 बजकर 20 मिनट)

कर्मचारी नेता हो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने में रियायत न बर्ती जाय। इस विश्वविद्यालय को नहीं संभाला गया तो उसका रोग दूसरे विश्वविद्यालयों में भी फैलेगा सारे प्रदेश का वातावरण विषाक्त बनेगा। पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है विषय की गंभीरता को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है सरकार इसकी गंभीरता को देखते हुए इसके निराकरण में जल्दी कोई निर्णय ले।

(श्री काशी सिंह ऐरी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

ऐरी साहब, आपका प्रस्ताव समर्थन करने वालों में भी नाम नहीं है। आप बैठें। जिनका नाम नहीं है समर्थकों में भी उनको मौका नहीं दूंगा, अब समय का ख्याल रखें।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, दो मिनट सुन लें, सुझाव देना चाहता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप लोग बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री विजय सिंह राणा–

पंतनगर विश्वविद्यालय के स्वर्णिम इतिहास की बात डाक्टर साहब ने कही। सन् 1978 से घटना का ब्यौरेवार वर्णन होने की बात कही गयी। पर मान्यवर इमानदारी की बात यह है कि लगा यह है कि डाक्टर साहब का मन इस मामले में पवित्र नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

आगर के आप भी हैं आगर के वे भी हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मुझे ऐसा लगा अब मेरे निर्णय पर तो मुझे कोई बाध्य कर नहीं सकता। उस विश्वविद्यालय का इतिहास स्वर्णिम रहा है इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। हिन्दुस्तान सोने की चिड़िया रही है आज क्या है हम देख रहे हैं। हिन्दुस्तान में तो ऐसे ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने 18 हाथी आसमान में भेज दिये। राम आसरे वर्मा जी हमारे ऐसे योद्धा हैं जो किसी को भी ऊपर फेंक नहीं सकते। तो यह सब बातें भी हैं । 1978 से आप ब्यौरेवार घटनाओं को देखें । एक आदमी अगर कहीं दोषी होता है अगर उसको दोष की जांच के समय फिर यह आ जाता है यह नहीं हो सकता है एक आदमी जो है वह सही है पूरा समाज दोषी है। माननीय हरेन्द्र जी ने कहा, बरार जी ने कहा वही एक बात कह रहे हैं वह बात वहां के कर्मचारी कह रहे हैं वहां का प्रबन्ध तंत्र कह रहे हैं लेकिन डाक्टर साहब की नजरों में डा0 महातम सिंह प्रश्न चिन्ह बनकर बाहर खड़ा हुआ है। इसमें नीयत साफ दिखायी नहीं देती। जातिवाद की कोई बात नहीं है। जब तक मन में ईमानदारी नहीं होगी जब तक आपके मन में पवित्रता नहीं होगी। घटनाओं को पवित्रता के साथ शुद्ध मन से नहीं देखेंगे तो समस्या का कोई हल नहीं हो सकता है घटना के सही निराकरण के लिये, समस्या के हल के लिये, ईमानदारी से पूरी स्थिति देखें तब ही कुछ हो पायेगा।

(श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री काशी सिंह ऐरी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें। अब बरार साहब को बुला लिया है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, एक एक मिनट दो तीन सदस्य रह गये हैं, सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

अब बरार साहब आप बोलें। वैसे तो चर्चा का समय खत्म हो गया है चूंकि आपने इनीशियेट किया था इसलिये आप बोल लें। माननीय ऐरी जी सुरेन्द्र सिंह जी आप लोग बैठें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि डाक्टर साहब अपनी पदवी के अनुरूप, अपने डाक्टर होने के अनुरूप हमसे लक्षणों की जानकारी चाहेंगे और दवाओं की जानकारी नहीं चाहेंगे वह खुद बताएंगे । लेकिन उन्होंने दवाओं की जानकारी हमसे चाही है । ठीक है, मैं दवाओं की जानकारी दूंगा और लक्षणों की जानकारी नहीं दूंगा । मान्यवर, डाक्टर साहब इतने भोले बनते हैं कि वह कहते हैं कहीं कोई बात हो नहीं

है । इस पर मुझे एक बात याद आयी कि एक आदमी ने किसी से शर्त लगा ली कि दूध काला होता है । तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि शर्त मत लगाओं, तुम शर्त हार जाओगे क्योंकि दूध तो हमेशा सफेद होता है । उसने कहा कि नुकसान तो मेरा तब होगा, हारूंगा तो मैं तब, जब मैं मानूंगा कि दूध सफेद होता है । यही हाल हमारे डाक्टर साहब का है कि जब यह पन्तनगर का हाल बिगड़ा हुआ मानेगें, तभी तो होगा और तब यह कार्य-वाही करेंगें । हम कितना भी कह लें, यह मानेगें नहीं । मुझे अभी एसा आभास हुआ कि मैंने डिबेट प्रारम्भ करते समय ज्यादा समय ले लिया, इसके लिये मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मुझे यह भी उम्मीद है, डाक्टर साहब से कि उन्होंने जब डिबेट प्रारम्भ की, तो आज की परिस्थितियों के ऊपर, शासन के दृष्टिकोण के ऊपर न कह-कर, उन्होंने सन् 1978 का रोना शुरू कर दिया । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे डाक्टर साहब कृषि मंत्री अत्यन्त योग्य हैं । उन्होंने माननीय महातम सिंह की प्रशासनिक अक्षमता के बारे में कहा, वह कितने विद्वान है, कितने सच्चरित्र हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । किन्तु हमारे कृषि मंत्री जी ने तमाम पुराने वाइस चांसलरों की प्रशासनिक अक्षमता को भी स्वीकार कर लिया और यह भी कहा कि वह भी वहां का वातावरण सुधार नहीं सके । कृषि मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि सन् 78 से आज तक वहां की समस्या का हल इनके पूर्व किसी भी सरकार अथवा कृषि मंत्री द्वारा नहीं हो सका, सभी अयोग्य थे । मान्यवर, मैं सुझाव देकर

(लाल बत्ती जलने पर)

जल्द ही अपनी बात समाप्त करूंगा । आप लाल बत्ती बुझा दें । मैं चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी आप स्वीकार करें कि हम लोगों ने संस्था की चर्चा की है, एक संस्था के अंगों की चर्चा की है, किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं की है अगर की है तो किसी के प्रशासनिक अक्षमता की चर्चा नहीं की है । आप श्री महातम सिंह की प्रशासनिक क्षमता को बढ़ा दें, 10 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में आप उन्हें ट्रेन्ड कर दें और सुधार कर लें, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है । कोई भी वाइस चांसलर हो, वह विद्वान हो सकता है, लेकिन जब तक उसमें प्रशासनिक क्षमता नहीं होगी, विश्वविद्यालय का नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा । मान्यवर, मेरा सुझाव है, और जैसा कि मलिक साहब ने भी कहा है कि जो वहां 10, 15 हजार एकड़ का फार्म है, उसके ऊपर सबकी दृष्टि लग जाती है और कुलपति अपने आदमियों को वहां फिट करना चाहते हैं । अगर आप वास्तव में सुधार करना चाहते हैं तो 10, 15 हजार एकड़ का जो फार्म है, उसमें से केवल 1000 एकड़ केवल अनुसंधान के लिये रखें और बाकी के लिये सेपरेट व्यवस्था कर दें । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इनके कार्यकाल में जो नियुक्तियां हुयी हैं, उनकी जांच करा दें । जातिवाद वहां फैल रहा है, मैं नहीं कहता कि डाक्टर महातम सिंह ही फैला रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री बरार साहब समाप्त करें, साढ़े आठ बजे तक समय है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि सब नियुक्तियों की जांच करवा दें तथा जो वहां की प्रबन्ध परिषद् है, जिसे सरकार ने नामित किया है, तथा जो पदेन सदस्य हैं, उसकी

स्वतन्त्र बैठक करा दें । अगर सरकार इतना करा दें, तो वहां सुधार हो जायेगा । कैम्पस आउट करने की बात है, आप करते हैं जाट को, ब्राह्मण को, ठाकुर को । मैं कहना चाहता हूं कि आप उन सभी लोगों को कर दें, जिनके नाम किसी भी एफ0 आई0 आर0 में हैं। जो दोषी हैं, उन सबको बाहर कर दें। अगर आप इन चीजों को स्वीकार कर लेंगे और 78 से पनपती बीमारी का रोना नहीं रोयेंगे, और परीक्षण, इन्क्वायरी की रिपोर्ट की बात नहीं करेंगे, तो माहौल सुधर सकता है । कमेटियां इसलिये बनायी जाती हैं, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके । इसलिये नहीं बनायी जाती हैं, जिससे उस पर परदा डाला जाय । आप कृषि मंत्री जी तमाम अध्यापकों से मिल आये हैं, डाक्टर हरपाल सिंह से भी मिल चुके होंगे । आप उनकी राय भी जान लें । मान्यवर, यह सरकार की अक्षमता की है कि वहां के कुलपति के खिलाफ इतने सारे दोष होते हुए भी यह सरकार इतनी अक्षम है, कि उस पर कार्यवाही में विफल है । इनके जो पूर्व मुख्य मंत्री दिल्ली में बैठे हैं, वह उन पर कार्यवाही नहीं करने देते । आप कमेटी बिठाना चाहते हैं, सहर्ष कमेटी बिठायें । लेकिन जो आप बड़े-बड़े ऊंचे-ऊंचे शब्दों के जाल में कह रहे हैं कि हम ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण करें कि जहां पुलिस जाने की आवश्यकता ही न हो। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही हाल रहा तो पुलिस के वहां जाने की अवश्यकता तब समाप्त होने का इन्तजार रहा तब तक कितने छात्रों का खून बह चुका होगा? जब उस पन्तनगर विश्वविद्यालय की हरी भरी धरती खून से लाल हो जायेगी, तब उसके बाद पुलिस के जाने की आवश्यकता क्या रह जायेगी? मान्यवर, इस सारे प्रकरण पर मैं सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर देने के लिए समय बढ़ा दिया गया है ।

कृषि मंत्री (डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल)–

मान्यवर, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का व विपक्ष के माननीय सदस्यों का, जो उन्होंने अच्छे सुझाव प्रस्तुत किए हैं । यह बात अलग है कि श्री राणा जी ने जो चश्मा पहन रखा था, उन्होंने उस चश्मे से जो देखा, वही सुझाव दिये । कमोवेश जो सुझाव आये, वे रचनात्मक थे । जैसा कि मैंने पहले भी कहा था यह चर्चा केवल यहीं तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसके बाद भी हम लोग बैठकर कि कैसे पंतनगर विश्वविद्यालय को खोला जाय और उसका माहौल अच्छा किया जाय, सोचें इसके लिए मैं उन्हें आमंत्रित भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं । मान्यवर, मैंने किसी भी स्टेज पर किसी व्यक्ति को यह प्रमाण-पत्र नहीं दिया कि वह अच्छा है या वह खराब है । जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने जिक्र किया हमारे एक साथी जोश में आकार भाषण देकर चले गये, और जिसका मुझे डर भी था, वही उन्होंने कहा ।

मान्यवर, मैंने एक ही बात कहीं कि चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अध्यापक हो या छात्र हो, अगर दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, उसको बख्शा नहीं जायेगा । हम सी0 बी0 आई0 से भी रिक्वेस्ट

कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत रूप से भी भारत सरकार से निवेदन करेंगे जोर देकर कि इस पूरे प्रकरण की सी0 बी0 आई0 जांच होनी चाहिए । मान्यवर, सी0 बी0 आई0 का भी एक सीमित दायरा है, उससे वह आगे नहीं निकल पायेंगे । जो क्रिमनल आदि केसेज होंगे, उसको वह देखेगी, दूसरा, उस कैम्पस के अन्तर्गत जो ऐसे अवांछनीय तत्व हैं, वह कम से कम उसकी जांच से बेनकाब हो जायेंगे । इसके साथ ही मैं यह चाहता हूं कि कैसे वहां का शिक्षा स्तर अच्छा हो, क्योंकि मान्यवर, सी0 बी0 आई0 माहौल तो ठीक कर पायेगी नहीं, वह तो जो लोग दोषी हैं, उनको गिरफ्त में ले सकती हैं, लेकिन वहां का वातावरण सौहार्द्र हो, इसके लिए हम सबको अलग से प्रयास करना पड़ेगा । माननीय श्री राणा जी ने जो शंका व्यक्त की है ईमानदारी पर और पवित्रता पर, यह तो समय बतायेगा । मान्यवर, निवेदन है कि खुदा के वास्ते जातिवाद-पूरब और पश्चिम को लेकर, मैं तो इस चीज को जुबान पर लाना भी गुनाह समझता हूं । आपका और हमारा यह फर्ज होना चाहिए कि चाहे वह पूरब का बच्चा हो या पश्चिम का बच्चा हो, वे सब हमारे बच्चे हैं । अगर हमने उनके भविष्य के लिए पूरब और पश्चिम का मामला शुरू कर दिया तो उन बच्चों का भविष्य बिगड़ जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

माननीय श्री राणा जी उसका निराकरण करेंगे और उसको हल करेंगे । हम उसका इलाज करेंगे, उसका निराकरण करेंगे ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

जिस अधिकारी की वजह से, कन्ट्रोलर या वी0 सी0 की वजह से . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं ।

(श्री हरेन्द्र सिंह द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी बैठे नहीं हैं, बिना अनुमति के आप नहीं बोल सकते, आप बैठें ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

कुछ समय देवें, हर काम में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपकी भावनाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायगा । जैसा बरार जी ने चर्चा के दौरान कहा कि दूध काला होता है या सफेद होता है, तो मुझे भी एक कहानी याद आ गयी । एक बुढ़िया थी, उसका एक लड़का था । वह बुढ़िया सब जगह कहती फिरती थी कि उसका लड़का बहुत काबिल है, होशियार है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता । जब राणा जी जैसे एक पहुंचे और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे लड़के में क्या खासियत है, तब उसने कहा कि वह कुछ जानता नहीं है और दूसरे की बात मानता नहीं है । बरार साहब का भी यही आलम है ।

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने से व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि विश्वविद्यालय कब तक खुल जायगा?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

हम विश्वविद्यालय को बहुत शीघ्र खोलने का प्रयास कर रहे हैं । इसीलिये जो सम्बन्धित पक्ष हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से वार्ता की है । इन्क्वायरी अलग से करवायेंगे। जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे मिलकर जल्द से जल्द विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास होगा । मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप भी इसमें आगें और अपना सहयोग करें ताकि विद्या का मन्दिर पुनर्स्थापित हो सके । इसमें कोई राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिये । अगर राजनीति का प्रवेश कर देंगे तो वे बच्चें, जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, वे गालियां देंगे । इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि बिना पूर्वाग्रह के अपने सुझाव कि इस यूनिवर्सिटी को कैसे खोला जाय और सही माहौल बनाया जाय, इस सम्बन्ध में, देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

यह चर्चा समाप्त होती है । अब हम उठते हैं कल 11 बजे पुन: बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि 8 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

13 मार्च, 1989

भाल चन्द्र शुक्ल

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0सं0 70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 57 पर)

संलग्नक

क्रम-संख्या	वर्ष	जनपद		वार्षिक आवंटन	अतिरिक्त धन की मांग	अतिरिक्त धन की स्वीकृति	अवशेष	अन्य विवरण
1	2	3		4	5	6	7	8
				प्रति उप विद्यालय निरीक्षक				
1	86–87	देवरिया	..	59,000	2,25,000	..	2,25,000	
2		बस्ती	..	65,400	2,33,577	..	2,33,577	
3		आजमगढ़	..	57,400	1,96,495	..	1,96,495	
4		गोरखपुर	..	60,600	1,64,521	..	1,64,521	
			योग	2,42,400	8,19,593	..	8,19,593	
1	87–88	देवरिया	..	59,000	2,45,500	..	2,45,500	
2		बस्ती	..	65,400	3,30,661	2,000	3,28,661	
3		आजमगढ़		57,400	2,90,928	..	2,90,928	
4		गोरखपुर	..	60,600	2,51,542	3,000	2,48,542	
			योग	2,42,400	11,18,631	5,000	11,13,631	

सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका

1	86--87	देवरिया	..	12,500	..	..	..
2		बस्ती	..	12,500	23,634	2000	21,634
3		आजमगढ़	..	9,700	17,385	18,000	..
4		गोरखपुर	..	15,300	..	..	..
			योग	50,000	41,019	20,000	21,634
1	87--88	देवरिया	..	12,500	10,000	5,000	5,000
2		बस्ती	..	12,500	31,444	..	31,444
3		आजमगढ़	..	9,700	17,380	5000	12,380
4		गोरखपुर	..	15,300	2,459	1000	1,459
			योग	50,000	61,283	11,000	50,283

प्रतिवेदन सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 72 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 58 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या- 72 का संलग्नक-

वर्ष	स्थल का नाम वृक्षारोपण हुआ	आराजी सं0	क्षेत्रफल	मजदूरों की संख्या	व्यय धनराशि
1	2	3	4	5	6
86-87	ग्राम सभा बैरिया ..	26	3 एकड़	29	4,475.50
86-87	ग्राम सभा मड़नी ..	409/3	3 एकड़	17	3,092.00
86-87	ग्राम सभा धनौरा ..	377	4 एकड़	13	2,104.00
86-87	ग्राम सभा खजुरिया शर्की	117	4 एकड़	27	3,955.00
86-87	ग्राम सभा हसड़ी उर्फ गजेहड़ी	257	7.5 एकड़	45	10,413.50
86-87	ग्राम सभा औरंहवा	41,186	4 एकड़	27	6,019.50
86-87	ग्राम सभा ढेकहरी .. (खाई खुदाई) ..	1,37,10, 115	—	8	874.00
			25.5 एकड़	166	30,933.50
87-88	ग्राम सभा खेरी .. शीतल प्रसाद टोलाटीकर	1,018	5 एकड़	30	5,405.00
87-88	ग्राम सभा खेरी .. शीतल प्रसाद	1018/2	5 एकड़	42	8,900.00
87-88	ग्राम सभा ढेकहरी खुर्द	1,37,10, 115	5 एकड़	40	8,832.00
87-88	ग्राम सभा मड़नी ..	409/33	5 एकड़	42	9,245.00
87-88	ग्राम सभा रोइनिहवा	368	5 एकड़	—	4,633.60
87-88	विकास खंदू कालोनी	61	0.125 एकड़	5	545.00
			25.125 एकड़	159	37,560.60

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

संलग्नक

क्रय किये गये सामानों के नाम	कम्पनी के नाम	कुल मूल्य	टेन्डर या कोटेशन-दाताओं के नाम	अभ्युक्ति
1 बल्ब 2—ट्यूब 3—पेन्डेन्ट होल्डर 4—ट्यूब साइड होल्डर 5—चोक 6—स्टार्टर 7—क्लैम्प 8—रेजिस्टेन्स 9—कम्पलीट फिटिंग ट्यूब 10—तार पी0बी0सी0	बजाज, बंगाल सिल्वानिया क्राम्पटन, मैसूर आदि	29,947.60	1—भाटिया ब्रदर्स, कानपुर 2—शिव मिल स्टोर गोरखपुर, 3—त्रिपती मिल स्टोर्स, गोरखपुर 4—अग्रवाल इलेक्ट्रीकल्स, बस्ती 5—साकेत इलक्ट्रीकल्स, बस्ती 6—लक्ष्मी इलेक्ट्रीकल्स, बस्ती	500रुपये से कम मूल्य के सामान टाउन एरिया बांसी द्वारा स्थानीय विक्रेताओं से तथा रुपये 500से अधिक का सामान टेन्डर/कुटेशन मांगकर खरीदे गये।

3/22

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 111 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर)

सूची

दिनांक 31-1-1989 तक लाभान्वित ग्रामों की सूची तथा हैण्ड पम्पों की संख्या

जनपद--आजमगढ़, तहसील--घोसी

ब्लाक--फतेहपुर मण्डाव

क्रमांक	ग्राम का नाम	लगाए हैण्डपम्पों की संख्या	क्रमांक	ग्राम का नाम	लगाए हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3	1	2	3
1	जगनपुर	1	30	चौधरीपुर (रामपुर)	2
2	लउवासाथ	2	31	नन्दौर	5
3	घरमपुर विशुनपुर	2	32	चक्काबोझ	3
4	फतेहपुर मण्डाव	2	33	फतेहपुर ताल चौर	5
5	मर्यादपुर	2	34	हबीबपुर नियामतपुर	5
6	अलोपुर	2	35	दुमारी	2
7	नीमडाड	2	36	फूलपुर	3
8	लखनौर	7	37	सरायमेवागिरि	4
9	कठतरांव	2	38	हरियांव	4
10	नकटो दुलाहपुर	1	39	कुण्डा सरोफपुर	1
11	लालनपुर	2	40	बनपोखर	2
12	केशोपुर सुल्तानपुर	2	41	गुरूम्हा	2
13	बहौरपुर	2	42	कमलसागर	2
14	मिरकुल सुल्तानपुर	2	43	ढढवल पटांव	2
15	तिवरा	3	44	परसिया जरामगिरि	2
16	अहिसपुर	2	45	परासी बरदरपुर	1
17	चौहानपुर	1	46	जमीन विशुनपुर	1
18	नेवादा गोपालपुर	2	47	कुंवरपुरा	2
19	वेरीडीह	2	48	मरदूदसाहब	1
20	तालरतोई	2	49	लोहजरा खास	1
21	कन्धरापुर	2	50	नैरामल	2
22	हसनसराय	1	51	मारुफपुर	2
23	वेलौजो मोजीपुर	2	52	मीरपुर मझौवा	2
24	गोपापुर निस्की	2	53	पहारोपुर मिरिया	2
25	पदारथपुर	3	54	भवानी सराय	2
26	छिलई फिरोजपुर	2	55	सुकुलपुर	2
27	अतरई	2	56	मठूरी मरियम	2
28	हृदयपट्टी	2	57	गाजीपुर	1
29	रामपुर तिवारी	1	58	देरौका माबोपुर	2

1	2	3	1	2	3
59	नरायनपुर कुण्डा	1	94	नहिला	1
60	भवरापुर	2	95	कवला पट्टा	1
61	दल्लोपुर	1	96	आदमपुर	1
62	ओरमा	1	97	पृथ्वीपुर	1
63	खैरहनिया	1	98	कनालपुर तिवारी	1
64	अलहापुर	2	99	भयंकरपुर	1
65	मुरारपुर	2	100	वरोहा	1
66	कुसुम्हा	1	101	मसाडिह	1
67	परसिया केशोपट्टी	1	102	कनकौला मिश्रा	2
68	सुल्तानपुर गौतम	2	103	शिवराजपुर	2
69	चकहबीबुल्लाह	2	104	सराय अन्नत मल	1
70	खैरनाशी	2	105	मित्सपुर	2
71	भटौली	2	106	नासिरपुर	2
72	शौरी	2	107	अम्मा मलउर	2
73	परदहा	2	108	गजियापुर	2
74	चकईपार	1	109	सिदोई अहिलास	2
75	मझवारा	2	110	तिनहरी	2
76	डिघौरा	2	111	पारखपुर मुबारकपुर	2
77	सोनवरिया	1	112	हंकारीपुर	2
78	मुस्तफाबाद	2	113	चक्की मसाडोही	2
79	लघुवामा	2	114	खट्टी घूसर	1
80	बस्ती वसिजिधिगांव	2	115	हरपेलपुर	1
81	बटहरा	2	116	भेलऊर	2
82	गैगवार	2	117	बिजारे	1
83	पकरी	1	118	वेवागवा इन पट्टी	2
84	हबीबपुर ताल खदरी	2	119	सोनारी	1
85	गवरापुर	2	120	कमलापुर सिरोधर	1
86	भदौरा हसियाराम	1	121	तैयबपुर	1
87	शुकुलपट्टी	2	122	मडा डांड पनियार	2
88	रतनपुरा	2	123	मीरपुर दरियाबाद	2

दिनांक 31·1·89 तक लाभान्वित असमस्याग्रस्त ग्रामों की सूची तथा हैण्डपम्पों की संख्या

89	ब्राह्मनपुर	1	124	जवाहरपुर	1
90	सरय मूरतदास	1	125	प्यारेपुर	1
91	बस्ती मुबालिक जुगौली	2	126	सूरजपुर	1
92	जगदीशपुर	1	127	जमीन तिनहरी	1
93	भंगराई कल्यानपुर	2	128	भिलियामाफी	1

ब्लाक :-घोसी

1	सेमरी जमालपुर	2	5	हसिया किरमितपुर	1
2	पिढवल	2	6	सरहरा जमीन सरहरा	2
3	जुरेन्दा	2	7	वजीरपुर	2
4	बीबीपुर	2	8	अकलाही मुबारकपुर	2

1	2	3	1	2	3
9	मुरारपुर मुगेर	2	51	जामडीह	2
10	लखनी	2	52	रतनपुर	1
11	चमरिया	2	53	कलफपुर	2
12	सिपाह इब्राहिमाबाद	2	54	कारींसाथ	2
13	पहारपुर	2	55	मिनजुमला मुबारकपुर	2
14	तारीडिह	2	56	असना	1
15	मुंगमान	2	57	चक मुराद	2
16	इदौरा डोरापुर	2	58	रसलपुर गोदलपुर	1
17	तहियांव	2	59	ददिनपुर अहिरौली	2
18	जैतपुर	2	60	तिलई बुजुर्ग	1
19	कालूपार	2	61	हरदासपुर	2
20	लखीपुर	2	62	तिलई खुर्द	2
21	बहियापार चकमकतब	2	63	चकियाशाह बतला	1
22	अरियासोन	2	64	मीनजुमला टड़ियाव	1
23	बछिला जमीनमछिला	2	65	शंक्करपुर जमीन शंक्करपुर	1
24	चक विश्वनाथ	2	66	जमीना	1
25	बरौली चक अर्ब्दुरहमान	2	67	माउरबोझ	2
26	खैरामुहम्मदपुर	2	68	करामपुर	1
27	गोडसरा	1	69	जिगना	2
28	बेला सुल्तानपुर	2	70	चकसैयद असरफ	1
29	बसेहा	2	71	सराय बड़े	1
30	सरायगणेश	2	72	उसरा बुजुर्ग	2
31	रसड़ी	7	73	चकराम मनोरथ	2
32	रुघौली	2	74	मीनजुमला औरना	2
33	सिकरौर	2	75	मखदूमपुर	2
34	सुहवल रामपुर	2	76	चकवासपुर	2
35	कल्यानपुर	4	77	सखनपुर	2
36	दौलतपुर	3	78	रसूलपुर जगदेव	2
37	आदमपुर	3	79	पतिला जमीनपतिला	2
38	खानपुर बुजुर्ग	3	80	कमलापुर	1
39	चाउपुर	1	81	बहलोलपुर	2
40	मदिना	1	82	मझवारा	2
41	ठौरा खुर्द	2	83	मरौली	2
42	मिनजुमला मछिला	1	84	महमूदपुर	1
43	लाडपुर	1	85	दरियाबाद	2
44	कोतवालपुर	1	86	नदवल	2
45	अनवरपुर	1	87	मुरारपुर मुतलिका	2
46	हरनहा चक हरनहा	2	88	इटौरा बुजुर्ग	1
47	चक हक हबीबल्लाह	1	89	जमीनशाह	1
48	कुचई	2	90	टमूवा कोकिठया	1
49	भट्टेपुर ढोडहरा	2	91	मखमेलपुर	2
50	खेमराजपुर	1	92	धरमपुर कस्यार	2

1	2	3	1	2	3
93	कटाई	1	107	सवरपुर खास	2
94	सदौपुर वासुदेवपुर	2	108	जमीन भीखमपुर	1
95	दरियाबाद मु0 माखफफुर	2	109	मुस्तफाबाद	1
96	इनामीपुर	2	110	हाजीपुर	2
97	परवेजपुर	2	111	मानिक जमीन हाहीपुर	2
98	छपरा चक मुस्तफा	1	112	खुनशेखपुर	2
99	रत्तीपुर	2	113	मिसरवली जानुव	1
100	सोवनपुर	1	114	बलुआ	1
101	बरईपुर द्वारिका	1	115	गाविनपुर तबुनिया	2
102	चक प्रयाग	1	116	बभनौली शारदामिसिर	1
103	चक बनवा	2	117	जमालपुर रेघौली	1
104	सराय कोकलट	1	118	मिसरौली रामनिधि	2
105	नस्तरपुर/भोवनपुर	2	119	खानपुर खुर्द	2
106	गोपालपुर	1			

ब्लाक दोहरीघाट

1	पाउस	2	26	करोद्दीन नरायनपुर	2
2	कटघरा महत	1	27	बसियारामपुर खास	1
3	पतनई	1	28	बीबीपुर	2
4	बहादुरपुर	2	29	नाथपुर	3
5	पिउसई अहिलास	8	30	हैवतपुर	2
6	सिसवा	10	31	पिचरी	2
7	चकमान उर्फ दरगाह	2	32	भैरोंपुर	2
8	जमीन सारंगपुर	2	33	भंवरा	1
9	बसरिया	2	34	मुहम्मदपुर हसनपुर	2
10	सूरजपुर	2	35	खड़रिया	2
11	सियरही बरजला	2	36	परसिरामपुर	2
12	लोहरा	1	37	लकुरा	2
13	खजुहा	2	38	बमदानपुर	2
14	मितानपुर	2	39	भुजालीपुर	2
15	सिकरीकोला	2	40	जमुनीपुर	2
16	चकउस	2	41	बनसाही	2
17	रसूलपुर	2	42	जीरापार	1
18	बेलौली	2	43	बनाफा	2
19	वेक्सीवेला	2	44	गौरीडिह	2
20	उपदरिया हरीपारा	2	45	ताहिरपुर	1
21	कुरंगा	2	46	गुलौरी कलां	2
22	दुहिया डिलिया	2	47	तारनपुर	2
23	कठिला नरायनपुर	2	48	भाईसखाराम	2
24	जमीन चाराडीह	2	49	सरयां	2
25	गोफा	1	50	पतजीवा	2

1	2	3	1	2	3
51	बहरामपुर	2	89	सबलपुर	2
52	कैरुल्लाहपुर	2	90	ज्यारे अहिरौली	1
53	पतनई बुजुर्ग	2	91	मखदूमपुर	1
54	रामपुर	2	92	रामपुर	2
55	लोकीपुर खास	2	93	चकशाह	2
56	पनइलवेद	2	94	वैरीशाह	2
57	टीसूपार	2	95	पंचगहला	2
58	नगरीपार	2	96	दौनागह	2
59	दत्तरपुर	2	97	दोस्तपुर	1
60	छपरा घूसर	2	98	बिहारीपुर	1
61	कुसंडा	1	99	मिश्रौली	2
62	अहिरौली	1	100	चकवारा	2
63	जलौली	2	101	वैरमपुर	2
64	बुढ़वल	2	102	सण्डासोन	2
65	देवनाथपुर	2	103	मीरपुर	2
66	चकमहावतपुर	4	104	आदमपुर	2
67	पूनापार	1	105	परिखापुर	2
68	राय पट्टी	1	106	मुरारपुर	1
69	नत्थूपुर	1	107	मोखली	1
70	भुआलीपुर	1	108	मानिकपुर	2
71	खैरा मुहम्मदपुर	1	109	तियरी खुर्द	2
72	शीतलपुर	1	110	रामकरपुर बारा	2
73	सरहरा जमीन सरहरा	2	111	नियामूपुर	1
74	बसियारामखास	2	112	इब्राहिमाबाद	2
75	रौदा भगवानपुर	2	113	सरफोड़ा	2
76	गोंघनी	2	114	भैंसहा	1
77	सरगना मेंहदुपार	2	115	मुबारकपुर	1
78	कोहली नरहनपुर	2	116	चकहरनचकाचक	2
79	विरैइचा	2	117	महादीन कुण्ड	2
80	रोगनपुर	2	118	तालपगाछ	1
81	परसिया	2	119	खलवाहपुर	1
82	कोन्हुआखास	2	120	खोजीपुर	1
83	गठरीलाल	1	121	कन्गवा	1
84	चकअवलापात	2	122	माधोपुर	1
85	फुलेरी खुर्द	1	123	करनपुरा	2
86	पसिया बुजुर्ग	2	124	हसनपुरा	2
87	जमीन मुनाली	2	125	जमीन कस्बा	1
88	चमरी गिरधरपुर	1	126	अहिरौली बसलपुर	2

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता०प्र०सं० 127 का उत्तर पीछे पृष्ठ 80 पर)

प्रमाण-पत्रों के प्रेषण का विवरण

क्रमांक	परीक्षा वर्ष	पंजीकृत छात्र	उत्तीर्ण छात्र	प्रेषित प्रमाण-पत्रों की संख्या	प्रेषण का दिनांक	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	1980 ..	51	48	48	30-9-88	
2	1981 ..	24	03	03	14-9-82 तथा 16-2-88	---
3	1982 ..	34	22	22	20-2-82 तथा 14-6-88	---
4	1983 ..	52	24	24	1-6-85 तथा 16-2-88	---
5	1984 ..	58	21	21	प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं।	---
6	1985 ..	46	22	22	1-9-86	---
7	1986 ..	सभी प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं।			10-12-86	---
8	1987 ..	,,	,,	,,	9-9-87	---
9	1988 ..	,,	,,	,,	6-9-88	---

नत्थी 'च'

(देखिए अत। 0प्र0सं0 167 का उत्तर पीछे पृष्ठ 94 पर)

चिकित्सालय भवन जनपद टिहरी गढ़वाल

स्वीकृत चिकित्सालय/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति की लागत (लाख रु0)
1	2	3
1--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नन्दगांव . .	1985	12.96
2--प्राथमिक स्वा0 केन्द्र जखोली (उच्चीकृत) . .	1984	48.43
3--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिन्डोलाखाल (उच्चीकृत) . .	1988	55.288
4--अतिरिक्त स्वा0 केन्द्र सत्यो सकलाना . .	1987	13.90
5--राजकीय एलो0 चिकित्सालय काण्डीखाल मंगरों . .	1984	7.825
6--राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय छेरपधार . .	1984	6.23
7--राजकीय एलो0 चिकित्सालय कोण्ड़ी पतवाड़ी . .	1985	7.30
8--राजकीय एलो0 चिकित्सालय नैनबाग . .	1985	7.86
9--राजकीय एलो0 चिकित्सालय घनसाली . .	1984	6.24
10--राजकीय एलो0 चिकित्सालय सौराखाल . .	1986	8.93
11--राजकीय एलो0 चिकित्सालय नकोट . .	1987	8.49
12--राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय चोपड़ियालगांव . .	1987	11.89
13--राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय म्याणी लालूर . .	1986	4.196
14--राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला कड़ाकोट . .	1986	3.735
15--राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मदन नेगी . .	1987	3.71
16--राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नरेन्द्र नगर . .	1987	6.60
17--राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय देवली . .	1987	5.41

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 194 पर)

आवास तथा नगर विकास विभाग के आय-व्यक पर माननीय सदस्यों के सुझाव

1–श्री प्रेमपाल सिंह–

मान्यवर, नगर विकास मंत्री के बजट का समर्थन करता हूं एवं रखे हुए कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

हमारे युवा प्रधान मंत्री जी ने आवास एवं नगर विकास, विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में ही नहीं भारत देश के सभी प्रदेशों के सभी जिलों की नगरपालिका, टाउन एरिया, नगर महापालिका, नोटीफाइड एरिया में सड़क बिजली नाली सीवर लाइनों, पार्कों का सौन्दर्यीकरण कर शहर का विकास किया है।

मा0 मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने उ0 प्र0 के प्रत्येक जिलों के शहरों का हर तरह विकास किया है।

हमारे युवा प्रधानमंत्री जी ने गंगा प्रदूषण के माध्यम से हरिद्वार कानपुर इलाहाबाद वाराणसी पर गंगा प्रदूषण कार्यों द्वारा गंगा को पवित्र किया है। इसकी ख्याति भारत में ही नहीं विश्व में है।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने अभी हाल में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुम्भ इलाहाबाद में डेढ़ करोड़ मानवों को पवित्र गंगा में स्नान कराया है। यह एक ऐतिहासिक विश्व ख्याति है।

ग्रामीण पेयजल योजना के तहत, खारी पानी समस्याग्रस्त गांव की समस्या का निदान कराया गया है। जो गांव समस्याग्रस्त रह जायेंगे वह 1990 तक पूरे कर लिये जायेंगे।

1975 से 1976 के बीच प्रदेश के समस्त शहरों का ही नहीं भारत देश के सभी शहरों में, मास्टर प्लान लगाकर, सड़कें नाली सीवर लाइन बिजली, आवास विकास कालोनियों का निर्माण, सफाई, वृक्षारोपण अनुशासन के रूप में आंधी की तरह कार्य हुआ। यह शहरों पर नगरों का विकास एक वरदान है।

अत: मैं जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र जलेसर, प्रोपर एवं आधागढ़ टाउन एरिया के विकास कार्य सड़क बिजली, नाली, सीवर लाइन, सफाई, पार्क पेयजल हेतु टंकी आदि की जनहित में अविलम्ब धन देकर कार्यों को करने की व्यवस्था की जाय।

ग्रामीण क्षेत्र जलेसर एवं अपागढ़ ब्लाक में खारी पानी के समस्याग्रस्त लगभग 50-50 गांव है। जनहित में कोई पेयजल योजना बनायी जाय, टंकी बनाई जाय ट्यूबवेल लगाकर पाइप लाइन द्वारा पानी की टंकी व हैण्ड पाइप लगाये जायें।

2–श्री द्वारिका प्रसाद–

मान्यवर, मैं पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आमी नदी के तट पर बसा हुआ सन्त कबीर की निर्माण स्थली की तरफ दिलाना चाहता हूं। 25000 आबादी की टाउन एरिया है। जिसमें से 20,000 की आबादी अनुसूचित अल्प संख्यक बाकी अन्य वर्ग के लोग निवास करते हैं। सन्त कबीर स्थली मगहर जहां से पूरे विश्व को हिन्दू मुसलिम

सिक्ख, ईसाई आदि लोगों को अखण्डता एकता तथा धर्मसुधार का संदेश प्राप्त हुआ है। पर्यटक स्थल भी है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि संजय पेपर मिल द्वारा एक मिनट में उन्नीस हजार लीटर पानी विशाक्त निकल कर उस आमी नदी में गिरता है। जहां पर मात्र एक किलोमीटर सन्त कबीर की स्थली मौजूद है । उस विषाक्त जल से भयंकर बीमारियां फैल रही हैं तथा जानवर अगर उस पानी का उपयोग कर ले तो उनके गर्भ अविलम्ब गिर जाते हैं। तथा छाले पड़कर आंखें फूट जाया करती हैं। ऐसी घटना आये दिन हुआ करती है। तथा सलसलिक एसिड युक्त विशाक्त पानी का उपयोग बाहर देश विदेश के यात्री स्नान नहीं कर रहे हैं। सरकार को बदनाम करने का अधिकारियों द्वारा तथा मिल मालिक की मिली भगत से आज तक जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में विरोध को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। शासन की छवि को धूमिल कर रहे हैं । यदि अति शीघ्र विषाक्त पानी बन्द नहीं किया गया तो बहुत बड़ा जन आन्दोलन उभर कर सामने आयेगा । सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन पर होगी। क्षेत्रीय तथा सत्तापक्ष के होने के नाते संज्ञान में लाकर अनुरोध कर रहा हूं।

3–श्री राधेश्याम–

महोदय, सदन में मुझे अपने क्षेत्र की समस्यायें जल निगम एवं नगर विकास की बजट पर कहने का समय नहीं मिला है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरे क्षेत्र की निम्न समस्याओं को में सदन की कार्यवाही में शामिल कराकर उस पर शासन से कार्य कराने की कृपा करें :–

1–मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र गोपनीया के वीहस पट्टी क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या है तत्काल सर्वे कराकर दीर्घ कालीन योजना बनवाकर समस्या का निदान कराने की कृपा करें।

2–नगर पालिका पुखरायां कानपुर देहात में हरिजन आबादी में पेयजल सुलभ करने के लिए एक पानी की टंकी और बनवाने की कृपा करें।

3–नगर पालिका पुखरायां की रोड लाइट तथा रोड निर्माण हेतु विशेष अनुदान दिलाने की कृपा करें।

4–पुखरायां नगर पालिका में कोई पार्क नहीं है अतः एक पार्क बनवाने का शासन को आदेश देने की कृपा करें।

4–श्री मिहीलाल–

मान्यवर, चरखारी व खरेला पेयजल योजना अर्जुन बांध से 4 वर्षों से मांग करता रहा हूं उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मान्यवर, मेरी मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के 40 व 45 गांव ऐसे हैं उनको खारा पानी पीते चले आते हैं अर्जुन बांध की जो योजना बनी है उसमें इसी वर्ष बजट दिलाया जाये क्योंकि वहां की जनता खारी विषैला पानी पाने से कई रोगों से पीड़ित हो गई है इस मांग को शासन द्वारा दिलाने की कृपा करें।

नगर पालिका चरखारी के सड़कों व नालियों व विद्युत हरिजन बस्तियों को अनुदान दिलाया जाये 90 लाख रुपया।

5–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री का ध्यान अपने पिछड़े विकास खण्ड बारायना, कासीनाबाद, मरदह, निरमोह में भयंकर पेयजल का संकट है आबादी के आधार पर प्रत्येक गांव के हर पुरवे में हैण्ड पम्प लगाया जाय तथा उन गांवों को सेचुरेट किया जाय जिससे पूरे गांव को पीने का पानी मिल सके। पानी की टंकी को विद्युत दिया जाये जिससे चौबीस घंटे पीने का पानी मिल सके। बहुत से हैण्ड पम्प खराब हैं उन्हें ठीक कराया जाय। बहादुरगंज टाउन एरिया को उचित मात्रा में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है अतः आप उस टाउन एरिया में पीने की व्यवस्था की जाये ।

बहादुरगंज टाउन एरिया की सड़कें बहुत खराब हैं तथा उनके पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है। उपरी टाउन एरिया के लिए धन की व्यवस्था की जाये आप मेरे उपरोक्त सुझाव को आज की विधान सभा की कार्यवाही में शामिल किया जाये।

6–श्री वीरेन्द्र सोन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित आगरा की समस्याओं की ओर ले जाना चाहता हूं कि आगरा में पानी का संकट गम्भीर रूप धारण करती चली जा रही है। तथा अन्य समस्यायें जो आगरा की व मेरे क्षेत्र की है। वह आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

1–आगरा में वर्ड बैंक के माध्यम से सिकन्दा में प्रस्तावित योजना जल संस्थान बनाने की है। उसको शीघ्र प्रारम्भ किया जाये।

2–तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी ने 6 दिसम्बर को अम्बेदकर पार्क आगरा में डा0 अम्बेदकर बैराज बनाया जायेगा। उसको बनाने के लिए शीघ्र जगह नियुक्त करके बैराज बनाया जाये।

3–वर्ड बैंक योजना के अन्तर्गत इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पम्प लगे हैं वह अपर्याप्त हैं शासन द्वारा 500 हैण्ड पम्प और लगाये जाये।

4–आगरा नगर में बहुत पुराने प्राचीन शाही कुयें हैं अथाह पानी है। उनको साफ कराकर उसको ट्यूबवेल से पाइप लाइनों से जोड़ा जाये। उससे पानी काफी हद तक जनता को राहत प्रदान होगी।

5–इसी प्रकार पम्पिंग स्टेशनों के समीप ट्यूबवेल लगाये जाये उनको पम्पिंग स्टेशनों से जोड़ दिया जाये।

6–मान्यवर मेरे क्षेत्र में वोदना, मुस्तफा बन्वार्टस, जुम्मन खां झोपड़ी व नजदीकी क्षेत्र में पानी की पाइप लाइन नहीं है। वहां पानी की पाइप लाइन शीघ्र डलवाई जाये।

7–मेरे क्षेत्र में सिवेज व्यवस्था नगला छउआ देवनगर नगला फकीर चन्द्र नगला वासी, वाग नानक चन्द्र, यादव नगर बारह खम्बा सम्पर्ण क्षेत्र आदि में नहीं हो व्यवस्था कराई जाये।

8–जहां सीवेज विहीन क्षेत्रों में शुष्क शौचालये बनाने की योजना बनाई जाये। तथा व्यगस्थायें की जाये।

9–आगरा में नालों की सफाई व्यवस्था ठीक प्रकार नहीं है। नालों की सफाई 15 जून से प्रारम्भ कराई जाये तथा तल तक शील्ट निकाली जाये। जिससे पुनः शिल्ट को तुरन्त नालों से हटवाई जाये। जिससे पुनः शिल्ट नालों में जा सके।

10–चावली से ताल फिरोज खां से मधुनगर के नाले से मिलाया जाये।

11–मुस्त का क्वार्टर्स से सौंहल्ला तक नाला बनाया जाये जिससे वर्षात में जनता राहत की सांस ले सके।

12–बरसात के समय पानी निकासी के लिये 50 डीजल इंजन आगरा नगर महापालिका को दिये जाये। जिससे पानी की निकासी हो सके।

13–वर्ड बैंक योजनाओं के अन्तर्गत आगरा में सड़कों का चौड़ा होना तथा चौराहों का सौन्दर्यीकरण किया जाये।

14–विकास प्राधिकरण द्वारा, पार्कों का निर्माण व मरम्मत के लिए 15 लाख रु0 अनुदान दिया जाये।

15–प्रकाश व्यवस्था आगरा के लिये सोडियम लैम्प की बहुत कमी है। तथा ट्यूब लाईट, बल्वों के लिए अधिक शासन द्वारा व्यवस्था कराना आवश्यक है।

16–मेरे क्षेत्र में शासन के माध्यम से नगर महापालिका द्वारा जगदीशपुरा, सिकन्द्रा, शहागंज, सराय ख्वाजा में डिस्पेन्सरी खोली जाय।

17–मेरे क्षेत्र में चावली व शिवनगर में शासन द्वारा पानी की टंकी बनाई जाये।

18–सफाई कर्मचारी आगरा की आबादी के मुताबिक उपलब्ध नहीं है। इसलिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाये। तथा सफाई कर्मचारियों की ड्यूटियां दो शिफ्ट में कराई जाये। जिस प्रकार पहले समय में होती थी।

19–मेरे क्षेत्र में पुराने जीर्ण सार्वजनिक शौचालयों को उनकी जगह पर शुष्क शौचालय बनाये जाये।

मैं मा0 मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया है। मैं उसका समर्थन करता हूं।

7–श्री परागी लाल चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र जनपद सीतापुर में दो टाउन एरिया है महोली तथा हरगांव इन दोनों टाउन एरिया में नाली, सड़कें, पीने का पानी का बड़ा अभाव है। महोली की 90 लाख तथा हरगांव 25 लाख मान्यवर हरगांव टाउन एरिया को अभी दो वर्ष पूर्व गठन किया गया है वहां पर यह हालत है कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पा रहा है इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हरगांव टाउन एरिया नाली गलियों में खड़ंजा पानी कर्मचारियों का वेतन देने हेतु कम से कम 25 लाख रुपया देने की व्यवस्था करें।

8–श्री फूल सिंह सौदाई–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि वह नगरमहापालिका, नगरपालिकाओं तथा टाउनएरियाओं में पानी, सड़क, रोशनी, सफाई तथा आवास निर्माण का अच्छा प्रबन्ध कर रही है। जन सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जा रही है।

1–मैं सुझाव देना चाहता हूं कि नगरों की अच्छी सफाई हेतु सफाई कर्मचारियों की और नियुक्ति की जाये ।

2–मलिन बस्ती कार्यक्रम टाउन एरियाओं में भी लागू की जावे।

3–हरिजन तथा गरीबों, निर्बल वर्ग विशेषकर सफाई मजदूरों के मुहल्लों में जन सुविधा प्राथमिकता के आधार पर अधिकी दी जावे।

अत: मैं बजट का समर्थन करता हूं।

9–श्रीमती कमला दरियाबादी–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में नगर विकास बजट पर निम्न व्यवस्थाओं को कार्यान्वित किया जाय।

1–सीवरों की सफाई।

2–नाली व सड़कों की मरम्मत।

3–पानी व बिजली की नियमित सप्लाई।

4–लेबर कालोनियों में व्यापक सफाई।

5–सुलभ शौचालय।

10–श्री राम सिंह–

महोदय, मेरे क्षेत्र राठ जनपद हमीरपुर में जिगनी, सिरधौ, छाहल, बंगरा, बरौली ऊबरका, जलालपुर मेड़ी आदि ग्रामों में पेयजल की भयंकर समस्या है। हल करने की कृपा करें।

11–श्री गोरखनाथ–

मान्यवर, आपका ध्यान टाउन एरिया रुद्रपुर जिला देवरिया के तरफ दिलाना चाहता हूं। 20 साल पुरानी टाउन एरिया है न वहां सड़क ठीक है न सोडियम लाईट की व्यवस्था है पानी निकासी नाली है सुलभ शौचालय है।

मान्यवर आपसे आग्रह है कि शासन को तत्काल व्यवस्था कराने के लिए सूचित करें।

12–श्री अर्जुन सिंह–

मान्यवर, प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। बजट का समर्थन

करता हूं। और कटौती का विरोध करता हूं। कृपया निम्नलिखित समस्यायें ठीक कराने की कृपा करें।

1–खण्डेह पेयजल योजना से मरौंध को पानी दिलाने की कृपा करें।

2–तिन्दवारी पेयजल योजना ।

3–पवरेन्दा पेयजल योजना।

4–निवाइच पेयजल योजना।

5–कानाखेरा पेयजल योजना।

6–बरेठी पेयजल योजना।

7–जयपुरा पेयजल योजना।

उपरोक्त योजनाओं को क्रियान्वित किया जाय।

13–श्री किशोरी लाल सकलानी–

मान्यवर,

1–मसूरी नगरपालिका की सिवरेज लाइन का डिजाइन 30–40 वर्षों पूर्व का है, इसमें बढ़ती हुई आबादी को देखकर इसे पुन: ठीक कराया जाये ।

2–मसूरी में पानी की बहुत ही कमी है पर्यटक स्थल होने के कारण पीने के पानी की व्यवस्था अविलम्ब कराई जाये।

3–रिषीकेश नगर पालिका एक तीर्थ स्थल है वहां बिरन्तर मेले लगते रहते हैं साथ ही अब पिकनिक का स्थान बन गया है।

4–रिषीकेश नगरपालिका में सीवरेज लाइन की बहुत कमी है। गंगाजी में गन्दा पानी जाता है इसे तुरन्त ठीक करवाया जाय।

5–नगर पालिका मसूरी रिषीकेश में सफाई कर्मचारियों की संख्या अवश्य बढ़ाई जाये।

सदन में प्रस्तुत सद्भावना सहित।

14–श्री राम पाल वर्मा–

मान्यवर,

1–मेरे क्षेत्र की टाउन एरिया बेनीगंज में सड़कों की मरम्मत की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

2–टाउन एरिया बेनीगंज में सफाई की भी कोई नियमित व पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

3–टाउन एरिया बेनीगंज में पीने के पानी की भी उचित व पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

4–टाउन एरिया बेनीगंज में पानी की टंकी जो काफी दिनों से बनी पड़ी है उसी शीघ्र चालू कराया जाय तथा नगर में विकास के लिए धन प्रदान किया जाय ।

5–पीने के पानी के लिए नगर में हैण्ड पाइप शीघ्र लगवाए जायं ।

15–श्री अशोक बाजपेयी–

माननीय श्री राणा द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन इसलिए कर रहा हू कि यह सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं भाई भतीजावाद को रोकने में पूरी तरह अक्षम है । करोड़ो रुपये की जनता की गाढ़ी कमाई अधिकारियों की मौज मस्ती पर उड़ा दी जाती है इसलिए यदि इन्हें कुबेर का पूरा खजाना भी दे दिया जाय तो भी यह नगरीय जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी नहीं पूरा कर सकेंगे ।

माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने रोक लगा रखी है कि जब तक प्रोन्नति का कोटा पूरा नहीं कर लिया जाता है सीधी नियुक्ति नहीं की जायेगी परन्तु शासन में बैठे मंत्रियों के पुत्र पुत्रियों एवं रिस्तेदारों के लिए इन सारे नियमों की अनदेखी कर नियुक्तियां की जा रही है । माननीय नगर विकास मंत्री के जन संपर्क अधिकारी श्री बी0 डी0 भट्ट को सीधी नियुक्ति प्रदान कर दी गयी इसी प्रकार नगर विकास सचिव के रिस्तेदार श्री कुरील को अधिशासी अधिकारी शाहाबाद के पद पर नियुक्त कर दिया गया । मंत्री जी के दूसरे सहायक श्री विचित्र सिंह पवार को सहायक नगर अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया । मुख्य मंत्री के अंगरक्षक के पुत्र को अधिशासी अधिकारी के पद पर एवं भूतपूर्व मेयर इलाहाबाद के पुत्र को भी एवं एक भूतपूर्व मंत्री के दामाद श्री राठौर अधिशासी अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर लिया गया । यह नियुक्तियां तदर्थ रूप से खास लोगों को फायदा पहुंचाने की नियत से की गयी जबकि दूसरी तरफ इन पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग से चयन करने की सिफारिश की गयी है । इस तरह बेरोजगार एवं योग्य नौजवानों के भविश्य के साथ खिलवाड़ किया गया । नगर पालिका के योग्य एवं अनुभवी अधिकारी 14–15 वर्षों के अनुभव के बाद प्रोन्नति की प्रतीक्षा में हैं ।

नगर विकास मंत्रालय के नाम पर सारा ध्यान बड़े नगरों की नगरमहापालिकाओं के सौन्दर्यीकरण तक ही सीमित है । छोटी-छोटी नगरपालिकायें , टाऊन एरिया पूर्णरूप से उपेक्षित हैं जिन्हें नगर विकास का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है । न तो छोटे नगरों में जल निकास के लिए नालियों की व्यवस्था है न सीवर की कोई व्यवस्था है टूटी हुई सड़कें, बिना बल्बों के बिजली के खम्भे, नगरपालिका को नरकपालिका कहने पर मजबूर कर रही है । जनता के निरन्तर दबाव के कारण सरकार ने चुनाव तो करा दिये परन्तु चुने हुए अध्यक्षों को छोटे-छोटे अधिकारों के लिए भी अधिशासी अधिकारी की कृपा पर रहना पड़ता है। यह जनतंत्र का खुला मजाक है । जब तक इन नगरी क्षेत्रों की आय के स्रोतों में वृद्धि नहीं की जाती यह नगरपालिकायें कोई भी विकास करने में अक्षम हैं। स्वायत्त शासी संस्था कहने के बाद भी नगरपालिकायें अनुदान पाने के लिए सत्ता दल की चेरी बनने के लिए मजबूर हैं ।

नियुक्तियों के संबंध में यह भी मुझे कहना है कि श्रेणी 1, 2 व 3 में चोर दरवाजे से तदर्थ नियुक्तियां की जा रही हैं । अभी भी श्रेणी 1,2 अधिशासी अधिकारी पदों पर 50 प्रतिशत के सीधी भर्ती के कोटा से दुगुनी तदर्थ नियुक्तियां नगर विकास मंत्री व नगर विकास सचिव के कृपा पात्रों की हो चुकी है । जिससे कि प्रोन्नति से वंचित अधिकारियों में रोष है तथा उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है । इन अक्षम नियुक्तियों से निश्चय ही नगर क्षेत्र का कार्य प्रभावित होगा तथा जिन दर्जों में यह

उठपटांग लोगों को नियुक्त कर भेजा जा रहा है उसका दुष्परिणाम वहां की निर्वाचित पालिका व आम जनता भी भोग रही है । इसी प्रकार की सैकड़ों तदर्थ नियुक्तियां राजस्व सेवा के कर अधीक्षक जैसे जिम्मेदार पदों पर तथा सचिव टाउन एरिया पर करके लाखों रुपया कमाया गया है ।

विगत वर्षों में तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगाने के स्पष्ट आदेश रहे हैं, शासकीय नीति रही है पर वह आम लोगों के लिए थी, खास लोगों के लिए नहीं ।

अत: उचित होगा कि बेरोजगार व योग्य अभ्यर्थियों के साथ किया गया यह मजाक जोकि नियमों व सिद्धान्तों के सरासर उल्लंघन है की जांच के लिए सदन की कमेटी बनायी जाय । सम्पूर्ण मामले की समीक्षा किया जाना जरूरी है व इस प्रक्रिया पर रोक लगाना भी ।

(2) सुलभ इन्टरनेशनल नामक संस्था के साथ मिली भगत कर करोड़ों रुपया के अनुदान की राशि नगर महापालिका तथा नगर पालिकाओं को देकर सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए उक्त संस्था को स्थानान्तरित कर दी जाती है । जिसके ऊपर लाखों का ब्याज प्रतिवर्ष इस अनुदान राशि को अपने खाते में जमा कराकर उक्त संस्था लाभ कमाती है तथा चार पांच वर्षों के उपरान्त तक निर्माण करती है । ऐसी तमाम शिकायतें निर्वाचित बोर्ड बनने से प्रकाश में आयी हैं । इसमें सचिव नगर विकास तथा निदेशक स्थानीय निकाय की मिली भगत तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। अत: सी0 आई0 डी0 से जांच कराकर विगत पांच वर्षों से आहरण व वितरण की तथा निर्माण की समीक्षा आवश्यक है ।

(3) श्री प्रीतम सिंह डायरेक्टर लोकल बाडीज जोकि आज कल विदेश में हैं अपने पद का दुरुपयोग कर गोमती नगर में नाजायज तरीके से जमीन हथिया चुके हैं तथा उस पर लाखों का मकान भ्रष्टाचार से अर्जित धन से बनवा चुके हैं। उक्त नाजायज भूमि का नक्शा भी 70,000 की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विगत कम्पाउन्डिग फीस को माफ कराकर दबाव में पास करा चुके हैं जबकि उजरियांव व अन्य गांव के लोग अपने बाप दादों की जमीन व मकान से बेदखल किये जा रहे हैं ।

(4) उक्त श्री प्रीतम सिंह ने लाखों रुपये का कमीशन यू0 एन0 डी0 पी0 योजना में शौचालयों के निर्माण हेतु प्रयोग में आने वाले सामानों के केन्द्रीयित खरीददारों विभिन्न फाइबर ग्लास कम्पनियों से सीधे 5 प्रतिशत कमीशन खाया तथा खराब माल की आपूर्ति ली । उक्त खरीद का विरोध प्रशासनिक नियंत्रण में होने के कारण पालिकाओं द्वारा नहीं किया जा सका । अब यह घोटाला निर्वाचित बोर्डों के सामने आ रहा है ।

(5) अंसल, साऊथ सिटी, आरिफ इन्डस्ट्रीज, आरोही तथा रिजेन्सी इत्यादि बड़े बड़े बिल्डरों को किसानों की जमीन बेंची जा रही है उनको बेदखल कर 1 से 2 रुपया प्रतिवर्ग फुट मुआवजा दिया जा रहा है जबकि यह लोग भूखण्डों को लाखों में बेच कर लाभ कमा रहे हैं इस प्रकार के अधिग्रहण के खिलाफ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी आर्थिक व व्यक्तिगत लाभ के हित में खुली अवहेलना की जा रही है । लगभग 10000 एकड़ जमीन को अधिग्रहीत करने वाले लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास 2000 एकड़ को भी विकसित करने की क्षमता नहीं है । प्राधिकरणों ने इस प्रकार बगैर सोचे समझे भूमि अधिगृहीत कर भूमि की कीमतों को आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है जबकि प्रधान मंत्री जी का बीस सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र है शहरी

भूमि की कीमतों का नियन्त्रित करने का यह सार्वजनिक संस्था में खुले रूप से इसके विरुद्ध कार्य कर रही है और जमीन की कीमतों को आसमान तक पहुंचा रही है ।

(6) लखनऊ महायोजना 2000 के नाम से एक प्रदर्शनी लगाकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने खानापूरी कर ली और लखनऊ का भविष्य तय कर दिया गया । 1970 में जब पहली महायोजना बनी थी तो निर्वाचित जिला एरिया व निर्वाचित महापालिका की सक्रिय भागीदारी थी । अब बगैर प्रचार प्रसार सार्वजनिक बहस का समय दिये बगैर पत्रकारों जन प्रतिनिधियों के विचार सुने बगैर प्रदेश की राजधानी का भविष्य तय किया जा रहा है यह सरासर गलत है इस मास्टर प्लान के स्थापित बिल्डरों को लाभ पहुंचाने की नियत से भू उपयोग में बड़े पैमाने पर हेर फेर की गयी है तथा ग्रीन बैल्ट का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(7) जल संस्थान जल निगम महापालिका लखनऊ विकास प्राधिकरण पी0 डब्लू0 डी0 विद्युत परिषद्, ट्रैफिक पुलिस व जिला प्रशासन में समन्वय नहीं है जिससे नागरिक संस्थायें जनता की समुचित सेवा नहीं कर पा रही है ।

(8) पिहानी नगर पालिका हरदोई की वर्षों से स्वीकृत टंकी का निर्माण नही हुआ 8-1-88 को मा0 मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह ने 5 लाख रुपया अनुदान स्वीकृत किया फिर कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका । पिहानी में घोर पेय जल संकट उत्पन्न हो गया है ।

(9) जल निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगाने का जो सर्वेक्षण है वह बहुत पुराना है पुनः सर्वेक्षण कराके जिन गांवों में घोर पेय जल संकट उत्पन्न है वहां हैण्ड पम्प लगवाये जायं।

(10) उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् जोकि सफेद हाथी बन चुका है कर्मचारियों अधिकारियों की बड़ी फौज बेकार बैठी है निर्माण कार्य निरंतर बढ़ रहा है जिससे आवास विकास परिषद् के भवनों की लागत निरंतर बढ़ रही है । मैंने स्वयं 1978 में एच0 आई0 जी0 के एक भवन का पंजीकरण कराया था आज तक भवन नहीं मिल सका आवास विकास परिषद् की निरन्तर घटती साख चिन्ता का विषय है।

(11) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं सत्ता पक्ष के बड़े-बड़े नेताओं ने बड़ी-बड़ी कोठियां बना रखी हैं जिनका हजारों रुपया प्रति माह हिस्सा ले रहे इसकी जांच करायी जाय। गाजियाबाद की फर्जी आवास समितियों की जांच करायी जाय।

16–श्री अवधेश राय शास्त्री–

माननवर, मैं कल्याणकारी नगर विकास मंत्री जी द्वारा रखा गया बजट उसका समर्थन कर रहा हूं तथा कटौती का विरोध कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक टाउन एरिया दिलदार नगर है । आज चार वर्ष का समय समाप्त हो गया । एक भी पैसा उस टाउन एरिया को किसी तरह का धन नहीं दिया गया। कुछ समस्यायें हैं:–

(1) प्राइमरी पाठशाला है उसकी बिल्डिंग खराब हो चुकी है बिल्डिंग बनवाया जाय।

(2) सभी सड़कें खराब हो चुकी हैं बनवायी जायं।

(3) पूरे टाउन एरिया में गन्दी नालियां हैं पानी भरा रहता है, पानी निकलवाने की व्यवस्था की जाय।

(4) पेयजल की व्यवस्था करायी जाय हमारे क्षेत्र में निम्नलिखित गांवों में पेयजल की समस्या पैदा हो गयी है जैसे-सेमरा, विशराय का पुरा, धर्मपुरा, बरेजी, बजेसड़ी, गहमर, पचाँरी, हथौरी, सरहुला, भतौरा, बड़ौरा, उधरनपुर, गौरा पकड़ी।

(5) हमारे क्षेत्र में डेढ़ गांवा एक पानी टंकी बहुत वर्षों से बन रही है। चार पोल खड़े हो गये हैं फिर भी टंकी नहीं लग रही है।

(6) गाजीपुर नहर में नगर पालिका है लेकिन खराब सड़कों को नहीं बनाकर अच्छी सड़कों को बनाया जा रहा है। उसमें सबसे खराब सड़क मालगोदाम रोड है। शीघ्र बनवाया जाय।

बजट का समर्थन कर रहा हूं ।

17 श्री शारदानन्द अंचल–

(1) मान्धवर, बिल्थरा रोड टा0ए0 जिला बलिया के जल कल व्यवस्था को ठीक कराकर शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाये।

(2) बलिया जनपद के नगर बिल्थरा रोड नगर क्षेत्र के पानी का निकास सुनिश्चित किया जाये।

(3) टा0ए0 बिल्थरा रोड जिला बलिया में डाक बंगला रोड से कृषि मण्डी तक सम्पर्क मार्ग व बस स्टेशन से बाजार होते मुख्य मार्ग को मिलाने वाले रास्ते को पक्का सम्पर्क मार्ग के रूप में बनवाया जाये।

(4) बलिया जनपद के टा0 ए0 बिल्थरा रोड में सफाई कार्य सुनिश्चित करते हुए नागरिकों को नारकीय जीवन से मुक्ति दी जाये।

(5) टा0ए0 बिल्थरा रोड जि0 बलिया सर्वाधिक धनराशि वाले बकायेदारों की वसूली करके ही छोटे बकायेदारों को उत्पीड़ित किया जाये।

(6) टा0 ए0 बिल्थरा रोड के लिए सड़क, नाली, पार्क , गली आदि के निर्माण का सुन्दरीकरण के लिए अनुदान दिया जाये ।